छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **अष्टम् सत्र**

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026

(फाल्गुन 25, शक सम्वत् 1947)

[अंक 11]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026

(फाल्गुन 25, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत् हुई

{सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए}

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज नेता प्रतिपक्ष जी फूल फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि आज बाजू वाले नहीं हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- हैं, हैं।

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

सेवा सहकारी एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों के प्रासंगिक व्यय की राशि पर रोक

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

1. (*क्र.2319) श्री रामकुमार यादव :- क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या जिला सक्ती के अंतर्गत सेवा सहकारी एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों के प्रासंगिक व्यय की राशि को दिनांक 18/02/2026 तक की स्थिति में रोका गया है? यदि हां तो क्यों? विवरण देवें? **(ख)** क्या जिला सक्ती अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में 16 जनवरी, 2026 के पश्चात् धान उठाव रोक दिया गया है? यदि हां तो कारण बतावें? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार उक्त समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा कोई योजना बनाई गई है? यदि हां तो जानकारी दें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) :- (क) जी नहीं। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हाँ, धान के रिसायकिलिंग को रोकने हेतु जिला सक्ती अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों में दिनांक 17 जनवरी, 2026 के पश्चात् धान खरीदी अवधि तक धान उठाव रोक दिया गया था। धान खरीदी अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव का कार्य निरंतर प्रक्रियाधीन है। **(ग)** सक्ती जिला के प्राथमिक कृषि साख समिति को प्रासंगिक व्यय की राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है एवं धान खरीदी अवधि समाप्त होने के पश्चात् उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव का कार्य निरंतर प्रक्रियाधीन है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी ला सवाल पूछे रहे हौं कि मोर सक्ती जिला मा अउ सक्ती जिला के साथ-साथ पूरा प्रदेश मा धान के उठाव रोक

दिये गे हे। ओला आप 17 जनवरी, 2026 से रोक दे रहे हौ, जेन ला आप स्वयं स्वीकारे हौ। माननीय मंत्री जी, मोर प्वाइंटेड सवाल हे कि आप धान के उठाव ला रोक देहे हौ, जबकि सक्ती जिला मा बहुत सारा राईस मिल हावय। धान के उठाव नहीं होय ता जब पानी गिरथे ता पूरा धान हर खराब होथे अऊ ओकर भुगतना ला गरीब आदमी हर चउर के रूप में अंतिम में पाथे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहत हौं कि धान उठाव रोके के का कारण हे, जबकि सक्ती जिला मा बहुत सारा राईस मिल हावय?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जो धान उठाव कार्य रोका गया था, वह रिसाइकिलिंग न हो, इसकी वजह से रोका गया था।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आज आप रिसाइकिलिंग के परिभाषा में बोलत हौ, शंका के दायरे पर धान उठाव रोके हौ कि ये मन धान ला फिर से बेचथे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हौं कि जब धान ला नहीं उठावौ ता ओ धान हा पानी पाथे। जो गरीब आदमी अउ जो अंतिम छोर के व्यक्ति हे, ओला पानी पाया चउर ल फिर भेजथौ, पताड़ी खाया पानी चउर ल फिर ओ खाथे। एकर गलती कौन करे हे? सरकार करे हे, आपके अधिकारी करे हे। जबकि ऊहां बहुत सारा राईस मिल हे। मैं ये भी कहना चाहता हौं कि जतका टिकरा हे, जतका के गलती कौन करे हे? जो सुसाइटी में काम करइया ऑपरेटर हे, समिति हे, तेकर मूड़ मा तु डालना चाहता हौ, जबकि आप स्वयं कहत हौ कि एला मैं हा रोके रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हौं कि अइसे गाँव के सुसाइटी के जो छोटे कर्मचारी हे, ओकर ऊपर कोई कार्रवाई न हो। सभापति महोदय, आप देखे हौ, पूरा प्रदेश देखे हे कि ऊहां के चउर ला, धान ला मुसवा खा देहे। मोर स्वयं सक्ती जिला मा, हमर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के जिला मा 30 करोड़ रुपया से ज्यादा के धान ला मुसवा खाय कइके ये मन मेाला प्रश्न दे हावय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हौं कि का आप अइसे खाद्य अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करिहौ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं सक्ती जिला के संबंध बताना चाहूँगा कि वहां कुल 47.41 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। उसमें आज की स्थिति में 44.25 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है और वहां मात्र 3.16 लाख क्विंटल धान ही उठाव हेतु शेष है। वैसे 31 मार्च तक का समय है, हम उससे पहले धान का उठाव कर लेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपके स्वयं अधिकारी हा आप ला रिपोर्ट दे हे। डभरा, बोड़ासागर मा, हमर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी के क्षेत्र मा तीन ठन संग्रहण केंद्र हे अउ तीनों जगह मा रिपोर्ट आय हे कि धान के जो कमी पाय गे हे, ओ सुखती के नाम से, मुसवा खाय के नाम से हे। आप मन लगभग 30 करोड़ से ज्यादा जानकारी बताय हौ। का आप अइसे कर्मचारी के ऊपर, ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करिहौ? फिर से ओ गरीब आदमी ओकर तकलीफ पात हे, ओ

पानी पाया चउर ला, पताड़ी पाया चउर ला आपन फिर गरीब आदमी ओर भेजिहौ। का आप अइसे दोषी अधिकारी ऊपर, अइसे संग्रहण केंद्र के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करिहौ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हौं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने भी बताया है कि 3.16 लाख क्विंटल धान ही उठाव हेतु शेष है और मार्च के पहले हम उस धान का उठाव कर लेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। रामकुमार जी, आप का प्रश्न हो गया।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, एक ठन छोटे से प्रश्न हावय।

सभापति महोदय :- नहीं। आपका नया प्रश्न नहीं आ रहा है। प्रश्न वही है, मंत्री जी का जवाब वही है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से अपने जवाब को बदलते हुये कुछ नये सवालों को रख रहा हूँ । माननीय मंत्री जी ने पहले ही शब्द में कहा कि रिसाइकलिंग होता था । इसका मतलब विभाग ने मान लिया है कि चावल का रिसाइकिलिंग होता है । आपने 17 तारीख को धान खरीदी बंद करवा दिया है । क्या विभाग के संज्ञान में यह है कि किन-किन स्थानों पर रिसाइकिलिंग होने की सूचना आई ओर उन्होंने पूरे प्रदेश में कहां-कहां धान बेचे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा रिसाइकलिंग न हो, यह सरकार का निर्णय था और इसके लिये धान को रोका गया था ।

डॉ.चरणदास महंत :- सभापति महोदय, रिसाइकलिंग हो रहा है, यह मानकर 17 तारीख को आपने धान की खरीदी बंद करवा दी थी । सभापति महोदय, सुन रहे हैं ना ?

सभापति महोदय :- मैं सुन रहा हूँ ना ।

डॉ.चरणदास महंत :- कभी-कभी शक होता है कि इधर सुनते हैं और उधर देखते हैं ?

सभापति महोदय :- मैं आपको देख भी रहा हूँ । (हंसी)

डॉ.चरणदास महंत :- आपने 17 तारीख को धान खरीदी बंद करवा दी है कि रिसाइकलिंग होता है उसे बंद करो और 31 तारीख तक आपकी धान खरीदी होनी थी। इस बीच अफरा-तफरी में जिनके पास टोकन थे, वह भी अपने धान को नहीं बेच पाये हैं । जो असली परेशानी हुई है, वह रिसाइकलिंग होने के बाद हुई है । उनके लिये आपने धान खरीदना बंद कर दिया और इस तरह से 600 करोड़ का धान नहीं बेचा गया है । (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, इसके लिये जवाबदार कौन है ?

सभापति महोदय :- मंत्री जी ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी बता रहे हैं कि 17 तारीख को धान खरीदी बंद कर दिये ।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं तो बता रहा हूँ, क्या आप उसको सही ठहरा रहे हैं ?

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, मैं धान खरीदी के बारे में बात ही नहीं किया हूँ । मैं बोला हूँ कि हम लोग धान उठाव को रोके थे । 17 तारीख को धान खरीदी कहीं भी बंद नहीं हुआ था ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, अंतिम सवाल है । मोर छोटे से निवेदन हे, अगर स्वयं स्वीकारथव कि हमन धान के उठाव ला रोक दे रेहेन त जो सुकती आय हे, वोखर दोषी कम्प्यूटर ऑपरेटर, वोखर प्रभारी ला मत देहव, वोला स्वयं आप रोके हाववं । आपके आदेश से रूके हे, सरकार के आदेश से रूके हे । यह आश्वस्त कर दौ कि कम्प्यूटर ऑपरेटर अऊ धान खरीदी प्रभारी ऊपर एला मत डारिहव ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, 31 तारीख के बाद धान का पूरा उठाव होगा, फिर मिलान होगा ।

सभापति महोदय :- ठीक है । लखेश्वर बघेल जी ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, यह दूसरा प्रश्न है कि आपने प्रशासनिक व्यय के बारे में स्वीकार किया है, मैं जानना चाहता हूँ कि प्रशासनिक व्यय कितना आता है, यह जो जानकारी है वह क्या धान खरीदी केन्द्रों को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, किनके माध्यम से दिया जाता है, क्या वहां बोर्ड में लिखा रहता है कि धान खरीदी का जो प्रासंगिक व्यय है वह 22.50 रूपये है, इसमें कितना हमाल को देना है, आप यह जानकारी कैसे देते हैं ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि प्रासंगिक व्यय के संबंध में डिटेल्स बता देता हूँ । जैसे बोरा भराई का है, उसे लिये 5 रूपये देते हैं, तौलाई का 5.75 रूपये देते हैं, सिलाई का 1.40 रूपये देते हैं, लेबलिंग का 3.15 रूपये देते हैं, लोडिंग का 6.75 रूपये है, कुलामिलाकर 22.05 रूपये देते हैं और यह राशि समिति को देते हैं ।

सभापति महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल ।

डॉ.चरणदास महंत :- सभापति महोदय, सिंपल सा प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने बताया है कि धान में बोरा भराई के लिये 5 रूपये देते हैं । मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, राज्यपाल जी को पत्र लिखा था कि प्रत्येक किसानों से 7.50 रूपये एक्सट्रा वसूल किया जा रहा है और वह पूरा गरीब लोगों के खाते में जा रहा है । मेरा कहना यह है कि आप अगले सीजन से साफ-साफ लिख दिया करें कि इसका इतना-पैसा है, तौलाई का इतना है, हमाल का इतना है, ताकि गरीबों को नुकसान न हो । क्या इसे अगले वर्ष करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, ये जो राशि है, वह स्पष्ट है, किसी भी किसान से....।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, माननीय नेता जी का कहना यह नहीं है, राशि स्पष्ट है। किसानों को जानकारी हो, आप वहां पर ऐसा कुछ लगा दें, चस्पा करें जिससे किसानों को किसी प्रकार की क्षति न हो। लखेश्वर बघेल जी।

श्री दयालदास बघेल :- जी, बोर्ड लगा देंगे।

सभापति महोदय :- लखेश्वर बघेल जी।

<u>बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता</u>

[महिला एवं बाल विकास]

2. (*क्र. 2261) श्री बघेल लखेश्वर : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में अद्यतन स्थिति में कुल संचालित आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की जिलेवार कुल संख्या बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कुल संचालित केन्द्रों में से भवनयुक्त, भवनविहीन, अत्यंत ही जर्जर, जर्जर भवन की संख्या के साथ पेयजल व शौचालय की उपलब्धता की स्थिति भी बतावें? **(ग)** वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जिलेवार नवीन भवन निर्माण, पेयजल व शौचालय स्वीकृति की स्थिति बतावें ? **(घ)** विधानसभा क्षेत्र बस्तर में भवनविहीन, अत्यंत ही जर्जर भवनों की केन्द्रवार जानकारी बतावें तथा इनके लिए नवीन भवन निर्माण की स्वीकृति कब तक की जावेगी ?

(महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत जिलों में कुल 9876 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या निरंक है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ[1] अनुसार है।** (ख) प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में कुल संचालित 9876 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 7667 केन्द्र भवनयुक्त, 2209 केन्द्र भवन विहीन, 1021 भवन जर्जर, 6431 केन्द्र में पेयजल व 5632 केन्द्र में शौचालय उपलब्ध है। **(ग)** वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 में जिलेवार नवीन भवन निर्माण, पेयजल व शौचालय स्वीकृति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है। (घ)** विधानसभा क्षेत्र बस्तर में भवन विहीन, जर्जर भवनों की केन्द्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार है।** वित्तीय संसाधनो एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने डिटेल जानकारी दी है, मैं आपके माध्यम से इसमें पूरक प्रश्न करना चाहता हूं। मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वह कब से संचालित हैं, वर्षवार और जिलेवार बतायें।

---

[1] परिशिष्ट ''एक''

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक बार माननीय सदस्य से पुनः आग्रह करती हूं कि भवन विहीन कब से स्टार्ट है, ये पूछ रहे हैं या संचालित है, ये पूछ रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- जो भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र हैं, ये कब से संचालित हैं? मतलब आंगनबाड़ी कब सेंक्शन हुआ, वह बता दीजिएगा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य एकदम डिटेल पूछ रहे हैं, भवन कब से संचालित है, मैं इसकी जानकारी अवगत कराऊंगी।

श्री बघेल लखेश्वर :- सभापति महोदय, 2209 केंद्र भवन विहीन हैं। 1021 भवन जर्जर अवस्था में हैं, 3445 भवन में पेयजल उपलब्ध नहीं है, 4200 भवन में शौचालय उपलब्ध नहीं है। सरकार चाहती है कि यहां नर्सरी कक्षाएं शुरू होंगी, बिना भवन, बिना पेयजल, बिना शौचालय के क्या ये संभव है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न में डिटेल जानकारी दी गई है। कितने भवन विहीन हैं, कितने भवन किराये पर चल रहे हैं, कितने भवन जर्जर हैं, कितने भवनप केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। माननीय सदस्य ने संभाग स्तर पर जानकारी पूछी है तो मैं माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगी।

सभापति महोदय :- परिशिष्ट लगा हुआ है, आप उसको देख लीजिए।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, हम काफी सारे भवन स्वीकृत करते जा रहे हैं। काफी सारे आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की व्यवस्था की स्वीकृति भी मिली है, पेयजल की व्यवस्था की स्वीकृति भी मिली है, हम धीरे-धीरे इसको करते जा रहे हैं।

श्री बघेल लखेश्वर :- आपने उत्तर में लिखा है, निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। आप बता रहे हैं कि अभी निश्चित समय सीमा में भवन को स्वीकृत करना संभव नहीं है, आपने क्या कार्ययोजना बनाई है ? इस साल कितने भवन में करेंगे, पिछले साल कितने भवन में हुआ, आने वाला समय में कितने भवन में करेंगे, कम से कम ये फिगर बता दीजिएगा। कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत विहीन हैं, कितने में विद्युत है, वह भी थोड़ा बता दीजिएगा।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय, क्योंकि माननीय सदस्य ने 2022-23, 23-24, 24-25 एवं 25-26 की जानकारी मांगी है। इसमें शौचालय की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था का प्रश्न है। क्योंकि अगर हम संभाग स्तर पर देखें तो 951 की स्वीकृति मिली है, जिसमें 278 पूर्ण हो चुके हैं। पेयजल की व्यवस्था का बाकी जो कार्य शेष है, उसको हम धीरे-धीरे बजट की उपलब्धता के अनुसार करेंगे। पेयजल की व्यवस्था में 2,444 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 1,032 कार्य पूर्ण हो गए हैं तथा 465 कार्य अपूर्ण हैं और जो कार्य अप्रारंभ है, उसको हम धीरे-धीरे कर रहे हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो 2,209 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं, यह उसी में से हैं या अलग से हैं? आप जो 7,667 भवन उपलब्ध बता रहे हैं, यह उसमें से हैं या जो 2,209 आंगनबाड़ी केंद्र भवनविहीन बता रहे हैं, उसमें से हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, वह इसी में से हैं क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं कि 9,876 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। 7,667 आंगनबाड़ी केंद्र भवन युक्त हैं तथा 2,209 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन हैं। जो भवन विहीन हैं तो इसमें ऐसा नहीं है कि वह संचालित नहीं हो रहे हैं। वह शासकीय भवन में भी संचालित हो रहे हैं, सामुदायिक भवन में भी संचालित हो रहे हैं। जिसमें भवन की आवश्यकता है, उसको स्वीकृति मिलती है और स्वीकृति के आधार पर हम आंगनबाड़ी केंद्र बनवाते हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह जो आप 1021 भवन जर्जर बता रहे हैं तो क्या यह डिस्मेंटल लायक हैं या इसकी मरम्मत की जा सकती है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, कुछ डिस्मेंटल योग्य भी हैं और कुछ मरम्मत योग्य भी हैं।

श्री लखेश्वर बघेल :- मंत्री जी, कुछ नहीं, थोड़ी संख्या तो बता दीजिये कि 10 हैं या 20 हैं?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करा दूंगी।

श्री लखेश्वर बघेल :- जी। सभापति महोदय, क्या यह 5-5, 10-10, 15-15 वर्षों से आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवनविहीन रहना उचित है? इसमें सरकार से मेरी व्यक्तिगत रूप से मांग है कि इसमें कुछ विशेष कार्ययोजना चलाकर जितने भी भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, उनको कम से कम हम पूर्ण करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, क्या है कि आप जी राम जी योजना का विरोध करना बंद कीजिये। यदि आप उसका समर्थन करेंगे तो वह साल भर में सब बना देंगी। वह पूरे कन्वर्जेंस में बनने हैं। उसके लिए कितने पैसे का प्रावधान है? आपने बजट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कि आंगनबाड़ी भवन के कन्वर्जेंस के लिए इस साल बजट में कितने पैसे का प्रावधान है?

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, वह पिछले साल के बजट में भी था।

श्री रामकुमार यादव :- आप 17 साल में नहीं बना सके हव।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, आप लोग 15 साल में नहीं बना पाये तो अब 2 साल में क्या बनायेंगे? अब 2 साल ही बचे हैं, एक ही बजट आना है। आप एक ही बजट में 2,260 भवन क्या बना लेंगे?

श्री रामकुमार यादव :- हर क्षेत्र में अइसने हे। आंगनबाड़ी में बच्चा मन के बइठे के व्यवस्था नहीं हे। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, हमारे पास इसके लिए कार्य योजना है। आप धरना स्थली में ऐसा करो। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- रामकुमार जी, आप 5 साल में भी आंगनबाड़ी नहीं बना पाये। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- रामकुमार जी, आप 5 साल को क्यों नहीं बोल रहे हो? सीधे 15 साल बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- आपके कार्यकाल में भी तो आप एक भी आंगनबाड़ी भवन नहीं बना पाये। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर धान ला 17 साल ले मुसवा खात हे। (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- सभापति महोदय, 10 प्रतिशत में तो यह हाल था, 40 प्रतिशत कहां से देंगे, यह समझ से परे है? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिये।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि यह सेन्सेटिव्ह मामला है, छोटे बच्चों का मामला है। 10-10, 15-15 साल तक आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवनविहीन रहना कहां तक सार्थक है? मेरा निवेदन है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। कई प्रकार के स्थानीय मद भी होते हैं, उसके माध्यम से भी सेंक्शन हो जाये और कम से कम बच्चे स्वच्छ वातावरण में पढ़ाई-लिखाई करें। कम से कम एक बुनियादी ढांचा खड़ा हो जाये। मेरा आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- ठीक है। मंत्री जी, क्या आपको कुछ बोलना है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- जी, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होना चाहिए। बजट की उपलब्धता के अनुसार हम कार्य स्वीकृत करायेंगे।

श्री लखेश्वर बघेल :- सभापति महोदय, मंत्री जी फिर से बजट की उपलब्धता के आधार पर कह रही हैं। मंत्री जी, बजट तो कभी उपलब्ध होगा ही नहीं।

सभापति महोदय :- श्री ब्यास कश्यप।

<u>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा द्वारा अमानक चावल की खरीदी</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 2291) श्री ब्यास कश्यप : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या कोरबा जिले में नागरिक आपूर्ति निगम के अंतर्गत संचालित संग्रहण केन्द्रों/गोदामों में दूसरे जिले की आईडी एवं ओटीपी का उपयोग कर अमानक (सब स्टैंडर्ड) चावल की खरीदी की गई? यदि हां,

तो संबंधित प्रकरण में किन-किन जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों की आईडी का उपयोग किया गया ? (ख) कुल कितनी मात्रा में अमानक/घटिया चावल की खरीदी की गई? उसकी अनुमानित वित्तीय राशि कितनी है? क्या गुणवत्ता परीक्षण (क्वालिटी इंस्पेक्शन) नियमानुसार किया गया था? यदि किया गया तो अमानक चावल कैसे स्वीकार हुआ? (ग) प्रकरण में अब तक किन अधिकारियों/कर्मचारियों को निलंबित/हटाया गया है? क्या किसी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है? विवरण प्रदान करें?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) जी हाँ। इस प्रकरण में जिला बालोद, बेमेतरा एवं जशपुर के कर्मचारियों की आईडी का उपयोग किया गया। (ख) खरीदे गये चावल में से 8153.48 क्विंटल चावल वितरण योग्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया, जिसकी अनुमानित वित्तीय राशि लगभग 3.34 करोड़ रूपये है। वितरण के योग्य नहीं पाये गये चावल का गुणवत्ता परीक्षण तत्समय नियमानुसार नहीं किए जाने के कारण अमानक चावल जमा हुआ। (ग) प्रकरण में एक कनिष्ठ सहायक एवं एक कनिष्ठ तकनीकी सहायक को निलंबित किया गया है। जी नहीं, एफआईआर नहीं कराया गया है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, आज मेरा प्रश्न है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कोरबा द्वारा अमानक चावल की जो खरीदी हुई है तो मेरे प्रश्न के जो जवाब आये हैं, उन्हीं जवाबों में से मेरे कुछ प्रश्न हैं कि कोरबा जिले में अमानक चावल खरीदी का कार्य प्रकाश बरेठ नामक व्यक्ति द्वारा किया गया। क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि उक्त व्यक्ति उपार्जन की तिथि को निगम की किसी भी अनाधिकृत सेवा में कार्यरत था? यदि नहीं तो एक बाहरी व्यक्ति को सरकारी खरीदी प्रक्रिया में शामिल करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है? उसी में ही बेमेतरा जिला प्रबंधक अलका शुक्ला द्वारा बिना मुख्यालय के लिखित आदेश के महेश्वर लाल सोनी की ऑनलाइन आईडी ट्रांसफर करके गंभीर मामला सामने आया।

श्री अजय चंद्राकर :- ते प्रश्न ला घलो लिख के लाए हस जी?

श्री ब्यास कश्यप :- भैया, मैं जब भी खड़े होथो तो ते टोका-टोकी करथस। मैं तोर कस ज्ञानी नही हरो। ते सन् 1995 से विधायक हस, मैं तो पहिली बार अपन क्षेत्र ले विधायक चुन के आये हो।

श्री रामकुमार यादव :- चंद्राकर जी, सब तोरे सही नहीं होए। ए महाज्ञानी हे।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, आप प्रश्न करें।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, प्रश्न लिख के देहे, तेखर उत्तर लिखित में आहे तो मैं प्रश्न ला लिख के नहीं पढ़हूं तो कइसे करहूं?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अजय जी, वह तो पहली बार के विधायक हैं। यहां तो मंत्री ही नहीं, मुख्यमंत्री जी भी जो लिखकर लाते हैं, उसी को पढ़ते हैं। आप पहले अपनी तरफ देख लीजिए। आप

हमारी तरफ ऊंगली उठा रहे हैं तो तीन ऊंगलियां आपकी तरफ भी हैं। मुख्यमंत्री जी लिखा हुआ पढ़ते हैं। वे शोक संदेश भी लिखा हुआ पढ़ते हैं।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, प्रश्न को लिखकर दिये हैं तो लिखित उत्तर आया है तो मैं देखकर नहीं पढ़ूंगा तो कैसे करूंगा ? आप भी पुस्तक लेकर आते हैं और पेपर लहराते हैं। मैं तो एक कागज का टुकड़ा पढ़ रहा हूं।

सभापति महोदय :- व्यास जी प्रश्न करिये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि जिला प्रबंधक [XX][2] द्वारा मुख्यालय में लिखित आदेश महेश्वर लाल सोनी की ऑनलाईन आई.डी. ट्रांसफर करने का गंभीर मामला सामने आया है, इस घोर प्रशासनिक अनियमितता की अब तक अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गयी ? अमानक चावल की खरीदी में भंडारण शुल्क के कारण करोड़ों रूपये की आर्थिक क्षति हुई है। क्या दोषी अधिकारी के वेतन और संपत्ति से वसूली की गयी है, यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? वास्तव में यह कोरबा जिले का लगभग 40,040 क्विंटल और 17 करोड़ रूपये चावल का मामला है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि लिखित प्रश्न होता है तो लिखित उत्तर देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इनको अगले दिन लिखित उत्तर दे दीजिये।

श्री ब्यास कश्यप :- लिखित उत्तर ही पढ़ दीजिये।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न करिये। मंत्री जी, इसका जवाब देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- महाज्ञानी जी, आप मन के खोपड़ी में महाज्ञान भराए हे, सभी के खोपड़ी में नइ भराए हे ना। 5 साल तक तो गोबर भराए रिहीसे, अब ज्ञान भरा गे हे।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें जितने अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर हमने कार्रवाई की है, यदि माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बता देता हूं।

श्री ब्यास कश्यप :- मंत्री जी, आप सारे सदन को बता दीजिये उसके बाद प्रश्न के लिए तैयार रहिये।

श्री दयालदास बघेल :- [XX] ए.जी.एम., एम.आई.एस. मुख्यालय को कारण बताओ नोटिस पत्र जारी किया गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, एक मिनट। वह कहां के अधिकारी हैं, आप यह भी बताते जाईये ?

श्री दयालदास बघेल :- मैं पूरी डिटेल बता दूंगा।

[XX][2] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

डॉ. चरणदास महंत :- आप पहले बताईये ना। सभापति महोदय, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। कोरबा में जशपुर से, बालोद से और बेमेतरा से चावल लाया गया। वहां से चावल कोरबा ट्रांसफर हुआ। कितनी-कितनी आई.डी. का उपयोग हुआ होगा ? इसे कैसे किये होंगे ? आप पहले इसे देख लीजिए कि कौन-कौन सी आई.डी. से कहां-कहां से चावल आया था ? जशपुर से क्यों चावल आया, वह मुख्यमंत्री जी का जिला है ? बेमेतरा मंत्री जी का जिला है और बालोद, होने वाले मंत्री का जिला है। इतनी जगह से चावल आपकी गलत आई.डी. में आ रहा है। यह छोटा अपराध नहीं है, यह बड़ा अपराध है कि अब वहां से अमानक चावल को कोरबा में लाकर खरीद रहे हैं। यह किसकी-किसकी आई.डी. से खरीद रहे हैं ? आई.डी. कब आयी ? उसको कितने बजे लेने का अधिकार है ? सब शाम को लेकर आये थे। मंत्री जी तो लिखित उत्तर बतायेंगे लेकिन मैं अलिखित उत्तर बता रहा हूं।

श्री दयासदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता जी के द्वारा कोरबा में चावल संबंधी जो अनियमितताओं के बारे मूं पूछा गया है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें हमने [XX][3] डी.एम. (नान) को निलंबित कर दिया है । मैं उसके साथ ही साथ और बताना चाहता हूं कि हमने इसमें और भी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है। इसमें मनोहर लाल सोनवानी, कनिष्ठ .. ।

डॉ. चरणदास महंत :- आपने [XX] को कल रविवार, छुट्टी के दिन कितने बजे सस्पेंड किया, आप यह बता दीजिये ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, इनको निलंबित कर दिया गया है। इनके साथ-साथ और भी अधिकारी हैं, उनको भी एक साथ निलंबित किया गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- वे निलंबित कब हुए ?

श्री भूपेश बघेल :- मंत्री जी, माननीय नेता जी का बिल्कुल प्वाईंटेड प्रश्न है। कल छुट्टी थी और क्या जांगड़े जी को कल छुट्टी के दिन निलंबित किया गया है? नेता जी यही पूछ रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- सूरज ढलने के बाद ?

सभापति महोदय :- अभी ब्यास जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिये, वह मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, नेता जी के प्रश्न का उत्तर तो आ जाये।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं परंतु मेरी मदद के लिए हमारे सभी सम्माननीय नेताओं को धन्यवाद। मेरा प्रश्न यह है कि इसमें शिकायत हुई और आपने शिकायत की जांच कराई, यह अच्छी बात है। परंतु जांच करने वाले अधिकारियों पर भी जांच की बात आयी है कि वहां के कर्मचारी -अधिकारी इस बात को बोल रहे हैं कि जो जांच करने वाले लोग आये थे, वे लग्जरी होटल में रूके, हमसे सेवा लिये और कोसा का कपड़ा लिये। क्या आप उनके खिलाफ भी जांच करायेंगे ? (शेम-शेम की आवाज) महोदय ?

[XX][3] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री दयासदास बघेल :- जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे समाचार पत्र एवं शिकायत के माध्यम से अमानक चावल लेने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत की जांच के लिये नागरिक आपूर्ति निगम के मुख्यालय द्वारा जांच दल का गठन कर जांच की गई। उक्त जांच दल द्वारा चावल का सेम्पल लेकर के F.S.S.A.I. के गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में जांच कराई गई। F.S.S.A.I. द्वारा उक्त चावल को खाने योग्य बताया गया। F.S.S.A.I. द्वारा कनकी की मात्रा नहीं जांची जाती है। इस कारण से पुन: एक जांच दल बनाकर कनकी की मात्रा का परीक्षण कराया गया। उक्त नये जांच दल द्वारा 7 स्टेट चावल लगभग 8153.48 क्विंटल को अमानक पाया गया। उक्त चावल अमानक पाया गया। उसके लिये हमने जो कार्रवाई की है, उसको बता रहा हूं। उक्त चावल अमानक पाये जाने के कारण दो कर्मचारी, एक अधिकारी को निलंबित किया गया है और 10 अन्य कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, कार्रवाई हुई है, इस बात से इंकार नहीं है, इस सदन में मेरा यह कहना है कि कार्रवाई लीपापोती के हिसाब से हुई है। मैं चाहूंगा कि [XX][4]।

सभापति महोदय :- ब्यास जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम का उल्लेख न करें। पदनाम का उल्लेख करें। और उसको विलोपित कर देंगे।

श्री ब्यास कश्यप :- सभापति महोदय, जी। डी.एम.बेमेतरा, उपार्जन प्रभारी और ए.जी.एम. इनको प्रभाव से निलंबित करें, उस कारण से उस पूरी जांच में रोक लगा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना मैं चाहूंगा कि आप इसकी भी घोषणा करें।

श्री भूपेश बघेल :- एक मिनट ब्यास जी। माननीय सभापति महोदय, जिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके नाम का उल्लेख करने में कोई रोक नहीं है। उस अधिकारी के खिलाफ नाम लेने का हमको यह अधिकार है। जो अधिकारी नहीं है, उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, ऐसे दोषी अधिकारी जिसको शासन खुद मानती है कि ये दोषी है और इसी कारण से तो निलंबित किया गया है। ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख सदन में किया जा सकता है।

सभापति महोदय :- मैं दिखवा लूंगा।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय मंत्री जी से इस विषय में जवाब चाहिए था।

श्री दयासदास बघेल :- जी, बताईये।

सभापति महोदय :- एक बार और प्रश्न दोहरा दीजिए।

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति जी की तरफ से ये आदेश आया कि नाम न लें, उनके पद बताईये। मैंने पद बताया है, ये पद वाले को भी कब निलंबित कर रहे हैं, अगर जांच होगी तो जब तक ये रहेंगे, तब तक जांच समय पर सही तरीके से नहीं होगी, यह लोग जांच को प्रभावित करेंगे।

श्री दयासदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। इसमें निश्चित रूप से हम कार्रवाई किये हैं। उसमें जितने दोषी अधिकारी, कर्मचारी पाये गये हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किये हैं और कुछ लोगों को नोटिस दिये हैं। उसमें भी जांच हो जायेगी तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। ब्यास जी, अंतिम प्रश्न कर लीजिए।

श्री ब्यास कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें एक ही अंतिम प्रश्न है कि है कि जो राइस मिलर हैं। देखिये खरीदी हुई है, निश्चित रूप से इसमें राइस मिलर की भी संलिप्पतता थी और वह राइस मिलर किनके-किनके राइस मिल से, कितने-कितने अमानक चावल, किस-किस जिले से लिये गये हैं, इसका नाम बतायें। सभापति महोदय, एक बात है कि विषय गंभीर है, छत्तीसगढ़ के उन गरीबों के भरण-पोषण के लिये चावल की बात है। महोदय, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरी में या तो आप विभागीय जांच के अतिरिक्त एफ.आई.आर. कराकर आप अपनी एजेंसी से जांच कराईये और नहीं तो मैं इस संगठित अपराध के खिलाफ पी.आई.एल. दाखिल करने हाईकोर्ट जाने के लिये मजबूर होऊंगा। इस बात के लिये मैंने अपना विचार व्यक्त किया है। बाकी मेरे ऊपर छोड़िये। आप क्या करेंगे, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप न्याय दिलायेंगे।

श्री दयासदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है, यह राइस मिल 12 कोरबा की और 14 कटघोरा की हैं। यह जितनी भी राइस मिल हैं, उनमें उक्त प्रक्रिया के संबंध में थोड़ा सा बताऊंगा। उक्त प्रक्रिया में जिस भी मिलर का चावल अमानक पाया जाता है, उसे नोटिस जारी किया जाता है। माननीय सदस्य जी, जितने भी राइस मिलर हैं, उनको हम लोगों ने नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके वहां पर जो चावल जमा किये हैं । वह चावल जो अमानक है उस चावल को वापस ले जायें और हमको दूसरा चावल, मानक चावल हमको वहां लाकर जमा करें, इसके लिये हमने नोटिस जारी किया है ।

सभापति महोदय :- हो गया । आप पूछ रहे हैं ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मंत्री जी, आप प्रक्रिया बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कोरबा या कटघोरा का मिलर है तो यहां जो दूसरे जिले के आपको आई.डी. और ओ.टी.पी. इसको कैसे बुलाते हैं ? यह कैसे आता है ? क्या अभी तक इसकी भी कोई प्रक्रिया बनी है कि जशपुर और आपके जिले बेमेतरा से आई.डी. कैसे पहुंच गया, ओ.टी.पी. कैसे पहुंच गया ? क्या

आपने हेलीकॉप्टर लगाया था या बस की व्यवस्था थी या आपकी कोई स्पेशल व्यवस्था थी ? वह बताईये न, हम लोग समझना चाहते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- यह अवसर पूछने का है भैया, समझने का नहीं है । आप समझने के लिये अलग पीरियड लीजिये ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन दूध के धुले सरकार हा न, बतावा न । कहां ले उड़िया गे रहिस हे तेला ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, एक गुणवत्ता निरीक्षक द्वारा एक दिन में केवल 15 लाख की जांच की जा सकती है इस हेतु चावल की आवक एवं उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक जिले से दूसरे जिले के गुणवत्ता निरीक्षक को व्यवस्था के तहत् कार्य लिया जाता है । राज्य में गुणवत्ता निरीक्षकों की कमी होने के कारण यह व्यवस्था की जाती है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि यह सबस्टेण्डर्ड के चावल जमा किये गये । दूसरा, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 3 करोड़ 8153 क्विंटल चावल अमानक जमा हुए, आपने इसकी कीमत 3 करोड़ 34 लाख रूपये बतायी । आपने यह भी बताया कि इसमें आई.डी. और ओ.टी.पी. में अलग-अलग जिलों से उपयोग किया गया, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि यह अमानक है । अब उसको सुधारने के लिये उसे बोले कि सही चावल जमा कर दो, पहली बात तो आपकी पकड़ में आ गया, संज्ञान में आ गया तो अब आप उसको सुधारने के लिये बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि संलिप्तता ऊपर स्तर तक की है । अब दूसरी बात यह है कि राईस मिलर भी इसमें संलिप्त है, अधिकारी भी संलिप्त है, बचाने की पूरी कार्रवाई हो रही है, अमानक है और माननीय सदस्य ने आपसे लिखित पूछा है कि जब इतनी बड़ी घटनायें हो गयीं और सदन में आ गया तो क्या इस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे ? क्या पुलिस से जांच करवायेंगे ? और क्या उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेता जी को यह बताना चाहूंगा कि हमने इसमें जो कार्रवाई की है । 3 को तो निलंबित किये हैं और बाकी के लिये नोटिस भी जारी हुआ है । उनके नोटिस में जो भी जवाब आता है उसकी जांच करके परीक्षण करायेंगे और इसमें मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमने राईस मिलर के चावल को बी.आर.एल. अमानक घोषित किया है एवं राईस मिलर को ब्लेकलिस्ट करने की बात भी मैं कह रहा हूं ।

डॉ. चरणदास महंत :- कर रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जो चावल है । हमने राईस मिलर को नोटिस दिया है, वह चावल अपना वापस करके हमें अमानक चावल वहां जमा कर दे, मैं यह सीधा-सीधा कहना चाहूंगा ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरी तरह अमानक चावल जमा करा रहे हैं करके ।

सभापति महोदय :- मानक-मानक । (व्यवधान)

श्री दयालदास बघेल :- मानक । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अमानक नहीं भई, अमानक को तो वापस कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, आप क्यों सुधार रहे हैं ? मंत्री जी ने खुद अमानक बोला है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- अमानक को वापस कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अमानक चावल ला भेजिहा तुमन । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, एक तरफ दोबारा अमानक चावल जमा करवाने की बात बोल रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रकरण में यह आपराधिक कृत्य हुआ है और इसमें बहुत सारे राईस मिलर से लेकर विभागीय अधिकारी से लेकर सब अलग-अलग जिला जिसके बारे में माननीय नेता जी ने बात कही कि जशपुर से लेकर बेमेतरा, बालोद, कटघोरा इन सभी जिला के लोग इसमें शामिल हैं तो आपसे यह निवेदन है कि जब इतना बड़ा प्रकरण है । आपराधिक कृत्य हुआ है तो मेरा एक ही लाईन का प्रश्न है कि क्या इसे पुलिस को सौंपेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- खाली किसान मन ला रोके बर ही तुंहर पुलिस हावय ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने उसी बात को बताया है कि अभी उसमें जांच चल रही है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो दिसंबर का मामला है । (व्यवधान) दिसंबर से पहले का मामला है । (व्यवधान)

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा । (व्यवधान) जांच में चाहे कोई भी अधिकारी-कर्मचारी हो, दोषी पाया जायेगा तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह दिसम्बर का मामला है। इसमें यह स्पष्ट है कि यह 5 दिसम्बर के पहले का मामला है। दिसम्बर माह बीत गया, फरवरी माह बीत गया और मार्च, चौथा महीना लग गया । आप कब तक जांच करते रहेंगे और इसमें कब कार्यवाही होगी ? आप तो जांच करना नहीं चाहते हैं और अधिकारी लिपापोती में लगे हुए हैं, क्या आप इस पूरे प्रकरण को पुलिस को सौपोंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह फिर दोहराना चाहूंगा कि जो भी दोषी होंगे, हम उसके ऊपर अवश्य कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय :- श्री पुरन्दर मिश्रा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह तो विभाग के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है और इसमें पूरी संलिप्तता दिखायी दे रही है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, विभाग के द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, माननीय मंत्री जी अलग-अलग जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) यह जवाब अलग-अलग हैं। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हम तो शासन से यह मांग कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी एफ.आई.आर करवायें।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है और उनके द्वारा कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट बात नहीं बोली जा रही है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, सरकार के द्वारा बड़े आदमी ला बचाए के प्रयास किये जावत हे।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह गरीबों के जीवन का सवाल है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, गरीब आदमी बर पुलिस भेजव अउ बड़े आदमी बर, (व्यवधान) गरीब के आंसू पोंछने वाला यही तुंहर सरकार हे।

सभापति महोदय :- मैंने किसी को प्रश्न करने से नहीं रोका है। माननीय ब्यास जी ने प्रश्न किया। माननीय नेता जी ने प्रश्न किया।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि इसमें विभाग की पूरी संलिप्तता है। मंत्री जी, उन्हें बचा रहे हैं।

सभापति महोदय :- मैंने किसी को प्रश्न करने से रोका नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी अपराधियों को बचा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप अपराधियों पर एफ.आई.आर क्यों नहीं करवा रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, इसमें कौन-कौन मिला है?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आप मंत्री जी पर भी तो दबाव बना सकते हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, क्या राईस मिलर है, उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं?

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, आप मंत्री जी पर भी तो दबाव बना सकते हैं कि वह यहां सही जवाब दें।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जो भी जवाब आ रहा है वह विपरीत आ रहा है। हम माननीय मंत्री जी के जवाब से असंतुष्ट होकर इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय
11.36 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.</u>

(नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध बहिर्गमन किया गया)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने तो उन्हें स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होंगे, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। उसके बाद इन लोगों को बहिर्गमन करन था।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)</u>

<u>खाद्य विभाग द्वारा बारदाना क्रय</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

4. (*क्र. 1382) श्री पुरन्दर मिश्रा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राज्य में किसानों से क्रय की गई धान के भंडारण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिये कुल कितनी संख्या में बारदानों की खरीदी की गई? क्रय नियमों, प्रदायकर्ता संस्थान का नाम व राशि का जिलावार विवरण देवें ? **(ख)** क्या राज्य के अलग-अलग जिलों में बारदाना की साईज व गुणवत्ता में अंतर होना पाया गया है एवं समय सीमा पर बारदाना की उपलब्धता नहीं थी ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : (क) राज्य में किसानों से क्रय किये गए धान के भण्डारण हेतु खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कुल 4.31 लाख गठान नए जूट बारदानों की खरीदी की गई। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर, कोलकाता के माध्यम से क्रय किया गया है। नए जूट बारदानों की राशि राज्य के सभी जिलों के लिए एक समान होती है तथा जिलावार भुगतान नहीं किया जाता। विपणन संघ द्वारा जूट कमिश्नर, कोलकाता को 4.31 लाख गठान नए जूट बारदानों के क्रय हेतु कुल राशि रुपये 1721.25 करोड़ का भुगतान किया गया है। **(ख)** जी हाँ, जूट कमिश्नर, कोलकाता के द्वारा प्रदाय किए गए नए जूट बारदानों के संबंध में विभिन्न जिलों से अमानक होने की जानकारी प्राप्त हुई है। नये जूट बारदानें भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाये जाने पर नियमानुसार जूट कमिश्नर, कोलकाता को क्लेम प्रस्तुत किया गया है। समय सीमा पर बारदाना की उपलब्धता नहीं होने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

सभापति महोदय :- श्री पुरन्दर मिश्रा।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। मेरा प्रश्न क्रमांक 1382 है। आपने मुझे यह प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं खाद्य विभाग से बारदाना क्रय के संबंध में प्रश्न किया था और मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ छोटे-छोटे प्रश्न करना चाहता हूँ। राज्य में किन-किन जिलों में जूट अमानक पाये गये और कितनी संख्या में है ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय सदस्य के द्वारा वर्ष 2025-2026 में अमानक बारदाने के संबंध में पूछा गया है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि बस्तर में क्लेम किये गये अमानक बारदाने की संख्या 17, कोण्डागांव में 1, जांजगीर-चांपा में 13, बालोद में 600, बेमेतरा में 06, दुर्ग में 35, कवर्धा में 02, राजनांदगांव में 1 हजार 556, बलौदा बाजार में 07, गरियाबंद में 1 हजार 641, महासमुंद में 217, रायपुर में 28 और सूरजपुर में 96 है। इस तरह से 4 हजार 219 गठान अमानक पाये गये।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय,जूट कमिश्नर कोलकाता द्वारा दिये गये जूट का निर्माण किन-किन कंपनियों द्वारा दिया गया। कंपनी का नाम और पता सहित प्रदाय की गयी जूट की संख्या बतायें ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह सूची जो है। इसमें आपूर्ति कर्त्ता फर्म के नाम एवं प्रदाय की मात्रा निम्नानुसार है। यह पूरी सूची है। अगर आप कहेंगे तो मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दूंगा।

सभापति महोदय :- माननीय पुरन्दर जी, आप आगे बढ़ें।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सख्ती, कोरबा, सहित अनेक जिलों को प्रदाय की गयी जूट का वजन 45 से 85 ग्राम कम था, उस जूट का किस अनुपात से भुगतान किया गया, कृपया उसकी वापसी हुई या नहीं, यह भी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, नये जूट बारदाने के संबंध, में मानक मापदण्ड के संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल 4219 गठान नये जूट बारदाने अमानक प्राप्त हुए हैं, जिसका क्लेम जूट कमिश्नर कार्यालय को किया जा चुका है ।

सभापति महोदय :- पुरंदर जी, आप अंतिम प्रश्न कर लीजिए ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, विभाग द्वारा 4.31 लाख गठान खरीदी गई है । मंत्री जी द्वारा जो लिखित उत्तर दिया गया है, उसमें संख्या उतना ही है, लेकिन मौखिक जवाब में भिन्नता है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह भिन्नता क्यों है ? क्या जूट प्रदाय के समय जूट की गुणवत्ता, संख्या, परीक्षण हेतु सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित किया गया था ? यदि हां तो जूट का अमानक होने पर जूट का पूर्णत: भुगतान कैसे किया गया और उनके द्वारा सत्यापन नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जूट के बारदाने को जूट कमिश्नर के माध्यम से खरीदा जाता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जूट कमिश्नर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग हेतु अग्रिम कार्ययोजना प्राप्त की जाती है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्यों को बारदाने की मात्रा आवंटित करते हुए सप्लाई प्लान जारी किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुमति पश्चात् जूट कमिश्नर द्वारा निर्धारित बारदानों की राशि जूट कमिश्नर को अंतरिम करते हुए आवंटित सीमा के अंतर्गत माहवार इंटेक जारी किया जाता है । राज्यों से प्राप्त इंटेक अनुसार जूट कमिश्नर कार्यालय द्वारा जूट मिलों को पी.सी.एस.ओ. आपूर्ति आदेश जारी किया जाता है एवं उक्त पी.सी.एस.ओ. अनुसार जूट मिलों द्वारा रेल्वे कंटेनर के माध्यम से राज्य को बारदाना आपूर्ति की जाती है ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि सत्यापन समिति गठित है, यदि समिति द्वारा जांच की गई है और जांच में कम पाया गया है तो क्या भुगतान कम का भी कर दिया गया है या ज्यादा का भी कर दिया गया है ? वापस आएगा तो कब आएगा । क्या सत्यापन समिति पर कार्रवाई करेंगे ?

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, भुगतान अग्रिम होता है और जांच वहीं होता है । जहां बरदाना खुलता है, वहां पर जांच होती है । तो इसमें मैंने जो बताया है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि भुगतान सही हुआ है या गलत हुआ है, यह बताईए ।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, भुगतान सही हुआ है । जो अमानक बारदाना है, उसके लिए हमने क्लेम किया है ।

श्री पुरंदर मिश्रा :- सभापति महोदय, मैं अंतिम प्रश्न प्रश्न पूछ रहा हूं ।

सभापति महोदय :- आपका दो प्रश्न पहले अंतिम हो गया है । अजय जी, आप प्रश्न पूछिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप प्रक्रिया को देखेंगे तो जूट कमिश्नर के माध्यम से जूट खरीदा जाता है । जूट कमिश्नर तो बारदाना नहीं बनाता है । यहां तो कमेटी बनी है, सत्यापन होता है । इसमें दो पहलू है । यदि बारदाना कम वजन का है तो उसको उपयोग में लाया गया, मतलब उसमें किसान का ज्यादा धान लगा, बिन्दु क्रमांक-1 । दूसरा, यदि आपने क्लेम किया है तो आपने कैसे क्लेम किया है, किस बात का क्लेम किया है, आपने किसको क्लेम किया है और क्लेम का निराकरण हुआ ? इससे पहले भी अमानक बोरे पाए गए हैं तो कितने प्रकरण का क्लेम कितनी अवधि में निराकरण होता है और किस प्रकार होता है ? वे नकद पैसा वापस देते हैं या बारदाना दूसरा देते हैं या किसानों की क्षति हुई है, उसकी पूतिपूर्ति करते हैं ? करते क्या हैं, क्लेम का मतलब क्या है आपका ? क्लेम किये हैं तो कितने दिन में निराकरण होता है और इससे पहले क्लेम के निराकरण कैसे हुए ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अमानक बारदने का उपयोग नहीं किया जाता है। उसका उपयोग ही नहीं करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं उपयोग नहीं पूछ रहा हूं। क्लेम के निराकरण के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हमने क्लेम का निराकरण कर लिया है। हम लोगों ने क्लेम कर दिया है। जो बारदाना छोटा है या अमानक है, उसे वापस कर दिया जाता है। बारदाने के लिए राशि एडवांस में दिया जाता है, उसी में कटौती किया जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं उसी प्रश्न को और क्लीयर कर देता हूं। मान लो आपने क्लेम किया, आपने कहा कि अमानक बारदाने का उपयोग नहीं किया, आपने अमानक बारदाने का एडवांस का भुगतान कर दिया, बारदाना खरीदी हेतु एडवांस राशि दिया जाता है, कह रहे हैं। अगर अमानक बारदाने का उपयोग नहीं किया, वह ठीक है। लेकिन उसके क्लेम का उपयोग किस रूप में हुआ है ? बारदाना वापस ले लिया तो पैसा वापस दिया या जूट मिल को ब्लेक लिस्टेड किया ? आपने इसके पहले भी जो क्लेम किया है, उसका निराकरण किस तरह हुआ है, मुझे यह जानना है ? क्योंकि ऐसा हर साल ऐसा होता है।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, जो अमानक बारदाना है, उसका क्लेम किया है। जो वास्तविक राशि होती है, उससे समायोजन किया जाता है। हम राशि पहले एडवांस में दे देते हैं, जो अमानक बारदाना होता है, उसी में राशि की कटौती हो जाती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अभी तक जितने भी क्लेम किया है, अभी आपने ही बताया है कि राशि समायोजन हुआ है वापस किस तरह से समायोजन होता है ? आप तो राशि एडवांस दे देते हैं तो समायोजित के रूप में राशि वापस करते हैं, आप अगले साल कितना बारदाना लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, यह तय थोड़ी न है ? उसका कैसे समायोजन होता है ? क्योंकि हर साल यह विषय आता है। आज तक कितनी राशि का समायोजन हुआ है ?

सभापति महोदय :- आप जानकारी लेकर उपलब्ध करा देंगे।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आज संसदीय कार्य विभाग की मांग में चर्चा है। मैं इस प्रक्रिया को जरूर पूछूंगा कि बाद में उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन हम लोगों को आज तक जानकारी नहीं मिला है। मैं पूछूंगा कि बाद में कैसे उपलब्ध होता है ? आज तक किसी भी मंत्री से किसी प्रक्रिया में जानकारी नहीं मिली है। इसलिए मैं आज पूछूंगा कि उसकी प्रक्रिया क्या है ?

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- आप पूछ लीजियेगा, अभी आपने 4 प्रश्न पूछ लिया है, मुझे आधा प्रश्न पूछने दीजिये। (हंसी) सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को याद होगा कि मैं पिछले साल भाटापारा से बोरा लेकर आया था और मैंने आपको बताया था कि यह अमानक बोरा है, लेकिन आपने किसी भी प्रकार से उसको स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि जो बारदाने बने हैं, वे किन-किन जूट मिलों से बने हैं, जो अमानक पाये गये हैं ? आप खाली नाम भर बता दीजिये कि कौन-कौन जूट मिल हैं ?

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, हम बारदाना जूट कमिश्नर से खरीदते हैं। वहां से जो बारदाना आता है, उसके बारे में माननीय नेता जी पूछ रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- उपलब्ध करा दूंगा ?

श्री दयाल दास बघेल :- हां, उपलब्ध करा दूंगा। (हंसी)

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, सबका कनक्लूजन एक प्रश्न छूट गया है।

श्री भूपेश बघेल :- मिश्रा जी, एक मिनट। मैं पूछ लेता हूं, फिर आप पूछ लीजियेगा। सभापति महोदय, अभी तक जितना भी आश्वासन मिला है जैसे दिखवा लेंगे, उपलब्ध करा देंगे, आप इसकी सूची बनवा दीजिये। उसके बाद जानकारी मंगवा लें कि माननीय मंत्रीगणों ने कितने सदस्यों को उपलब्ध करवाया है ?

सभापति महोदय :- श्री दिलीप लहरिया।

श्री पुरन्दर मिश्रा :- सभापति महोदय, छोटा सा प्रश्न था।

सभापति महोदय :- लहरिया जी का प्रश्न है।

<u>जिला बिलासपुर में ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण होने के कारण खाद्यान्न आबंटन में रोक</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

5. (*क्र. 987) श्री दिलीप लहरिया : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला बिलासपुर में ई-केवायसी अपडेट न होने के कारण फरवरी,2026 में राशनकार्डधारी सदस्यों का खाद्यान्न आबंटन रोक दिया गया है? यदि हॉ, तो खाद्यान्न आबंटन हेतु क्याध वैकल्पिक व्यनवस्था की गई? यदि नहीं तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री दयालदास बघेल) : बिलासपुर जिले में ई-केवायसी हेतु शेष हितग्राहियों में से ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों में संलग्न राशनकार्डो, एकल निराश्रित राशनकार्डो, निःशक्तजन राशनकार्डो, गंभीर लाईलाज बीमारी वाले राशनकार्ड, नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न उठाव करने वाले राशनकार्डो के सभी हितग्राहियों को नियमित आबंटन जारी किया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17-07-2025 के अनुक्रम में हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण होने पर आबंटन जारी किया जायेगा । हितग्राहियों के ई-केवायसी हेतु उचित मूल्य दुकान में स्थापित ई-पॉस मशीन में प्रावधान दिया गया है। इसके साथ-साथ एंड्रायड मोबाईल में 'मेरा ई-केवायसी' एप के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिला बिलासपुर में ई. के.वाई.सी. अपडेट न होने के कारण फरवरी, 2026 में राशनकार्डधारी सदस्यों का खाद्यान्न आवंटन रोक दिया गया है क्या ? कृपया हां या ना में उत्तर देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- जरूरी है क्या कि हां या ना में उत्तर देंगे। आप ऐसा थोड़ी निर्देश देंगे।

श्री दयाल दास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का बिलासपुर जिले में 14.03.2026 की स्थिति का जवाब दिया गया है। वहां कुल 5 लाख 72 हजार 013 राशन कार्ड है। सदस्यों की संख्या 18 लाख 42 हजार 371 है। 16 लाख 34 हजार लोगों का ई. के.वाई.सी. पूर्ण हो गया है। 64,628 का ई. के.वाई.सी. 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं, ये छूटे हैं। सभापति महोदय, K.Y.C. हेतु शेष लगभग 1,43,000, इनका K.Y.C. नहीं हुआ है और शेष राशन कार्ड जिनका e-K.Y.C. नहीं हुआ है, उनकी संख्या 15,758 है । माननीय सभापति महोदय, इसमें ये जो 15,758 कार्ड हैं, एक भी इनका e-K.Y.C. हुआ ही नहीं है। वे जितने सदस्य हैं, उसमें एक भी सदस्य e-K.Y.C. कराने उपस्थित नहीं हुए हैं। इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा, इसमें e-K.Y.C. नहीं हुआ है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय जी, हमारे बिलासपुर जिले में कुल 1,44,336 राशन कार्ड धारी सदस्यों का खाद्य आवंटन रोक दिया गया है और यह सदन को गुमराह किया जा रहा है। (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय जी, गरीबों का जो खाद्य आवंटन रोका गया है, क्या इसे अति शीघ्र पूर्ण किया जाएगा? आवंटन किया जाएगा? कब आप e-K.Y.C. को पूर्ण करेंगे? मंत्री जी, आप बताने की कृपा करेंगे।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट बताया है, ये जितने कार्ड हैं जो संख्या बताया हूं, उसमें K.Y.C. नहीं हुआ है। इसके लिए व्यवस्था है, वे जल्दी से जल्दी अपना e-K.Y.C. करा लें और अपना राशन प्राप्त कर लें। K.Y.C. ही नहीं हुआ है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, e-K.Y.C. के नाम पर गरीबों का राशन कब तक रोका जाएगा? क्या इसके लिए कोई विशेष प्रयास है? या फिर कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? लगातार प्रदेश में मुसवा के नाम से धान को खा दिया करके मुसवा को बदनाम किया जा रहा है। राशन को छुछुवा खा दिया करके बदनाम हो रहा है। (हंसी) दूध को बिलाई पी दिया करके बदनाम हो रहा है..।

सभापति महोदय :- आप सीधा प्रश्न करें न।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूं सर कि e-K.Y.C. कब तक पूरा किया जाएगा? गरीबों का ये राशन कब तक उनको मिलेगा? यह बता देने की कृपा करेंगे।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 15,758 राशन कार्ड, उसमें 1,44,336 सदस्य हैं और जिनका e-K.Y.C. नहीं हुआ है। ये जब भी राशन दुकान में उपस्थित होंगे, उन्हें राशन देंगे। e-K.Y.C. दुकान में ही होता है। जितने भी राशन कार्ड धारी सदस्य हैं, उनको राशन दुकान भिजवाइये, वहीं K.Y.C. हो जाएगा, राशन भी मिल जाएगा।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय जी, अब तक यही व्यवस्था नहीं हुई है, इसी कारण तो यह प्रश्न है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि 1,44,000, ये छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है, एक बिलासपुर जिला का है, जहां से आप आते हैं, एक जिला। पूरे प्रदेश भर में लेंगे तो लगभग 30 लाख है, 30 लाख से ऊपर है। ये इतने नहीं मिल रहे हैं। सभापति महोदय, हमें जो शिकायत मिल रही है, वह यह है कि वहां जाते जरूर हैं, वह अंगूठा मिलता ही नहीं, चाहे वे बच्चे हों, चाहे बड़े-बुजुर्ग हों या मेहनतकश लोग हैं जो मेहनत करते हैं, जो खंती कोड़ते हैं, अब उनके अंगूठा का तो वैसे ही निशान मिट जाता है, उनका कहां से मिलेगा? घिस जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या आपके पास ऐसी जानकारी है कि वहां गए और उसके बाद भी उसका e-K.Y.C. नहीं हो रहा है? कितने बुजुर्ग और कितने बच्चे हैं?

समय :

11.53 बजे **(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)**

यदि यह जानकारी है तो वह बताएं और नहीं तो ये 30 लाख से अधिक, एक जिले में डेढ़ लाख के आसपास आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर इनकी व्यवस्था क्या है? डेढ़ लाख लोगों का राशन कितना होता है? और कितने लोग वंचित हो गए, इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं और कितने महीने से?

श्री दयालदास बघेल :-माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय नेता जी को बताना चाहूंगा कि ये जितने राशन कार्ड धारी हैं, ये लोग राशन लेने जाते ही नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आपने प्रदेश में कितना राशनकार्ड काटा है ? (व्यवधान)

श्री कुंवर सिंह निषाद :- डाका डालने का काम है। (व्यवधान)

श्री दयालदास बघेल :- यह असत्य हैं। इनके समय पहले ये अंगूठा लगा-लगा कर थक गये थे । (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय। मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधन)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में कितने गरीबों का राशन कार्ड काटा जा रहा है? कितने राशनकार्ड काटे गये हैं, आप उसके आंकड़े दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- यह लोग गरीब लोगों के चावल में घोटाला कर रहे हैं।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, क्या बोल रहे हैं, जरा साफ-साफ बोलिये।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, वहां राशन दुकानों में e-KYC की व्यवस्था थी। P.O.S. मशीन के माध्यम से राशन दुकान में ही e-KYC हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि वह राशन कार्ड लेकर राशन दुकान जाएगा तब तो उसको राशन मिलेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप उस ज़िला का स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि लाखों से ऊपर राशन कार्ड काटे गये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। उमेश पटेल जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम, लोग जहां e-KYC करवाने जाते हैं, चाहे अंगूठे के निशान नहीं होने के कारण, चाहे उनका आई.डी. नहीं होने के कारण वहां उनका e-KYC नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। वहां हमेशा सर्वर डाउन रहता है। दूसरा, माननीय मंत्री जी आप यह बता दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति उपस्थित है, बार-बार जा रहा है, उसका e-KYC नहीं होने के कारण

उसको दो महीने का राशन नहीं मिला तो क्या आप तीसरे महीने e-KYC होने से उसको तीनों महीने का राशन देंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि Face e-KYC मोबाइल पर 'मेरा ई-केवाईसी' ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके राज्य का चयन किया जाता है। इसके पश्चात् हितग्राही का आधार नंबर और आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज किया जाता है। पंजीकृत मोबाइल नंबर में प्राप्त O.T.P. के माध्यम से सत्यापन करने के पश्चात् मोबाइल की स्क्रीन पर 'फेस Face e-KYC बटन पर क्लिक करके फेस को स्कैन करने पर फेस ई-केवाईसी पूर्ण होने संबंधी मैसेज स्क्रीन पर प्राप्त होता है। माननीय सभापति महोदय, मैं वही कहना चाहूंगा कि उनको कम से कम दुकान तो आना चाहिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय मंत्री जी, आप यह बताइए कि अगर e-KYC हो जाता है, उसके बाद जिस महीने का ई-केवाईसी नहीं हुआ था, उस महीने का आप उनको राशन उपलब्ध कराते हैं? मान लीजिए कि उसको जनवरी और फरवरी में राशन नहीं मिला और मार्च में e-KYC होने पर आप उनको जनवरी-फरवरी-मार्च का राशन देंगे?

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर उसी को रिपीट करना चाहूंगा। जिसके पास राशन कार्ड है, वह लोग राशन दुकान तो आएं। राशन दुकान आएंगे...।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, राशन दुकान आने के बाद उनको राशन नहीं मिला है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- क्या आप उसकी जांच करवाएंगे? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- सभापतिम महोदय, हम लोग लाखों उदाहरण बता देंगे। वह बुजुर्ग महिला, जिसका अंगूठा नहीं आ रहा है, वह e-KYC कैसे करवायेगी? जिस बुजुर्ग महिला का फिंगर प्रिंट काम नहीं कर रहा है, वह e-KYC कैसे करवायेगी? (व्यवधान) ऐसे में किसी का e-KYC होगा ही नहीं।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- मंत्री जी, आप जांच करवाइए, तब आपके ध्यान में आएगा कि वह गए थे या नहीं गये थे।

श्री दयालदास बघेल :- सभापति महोदय, राशन कार्ड में जितने सदस्य हैं, उसमें से कोई भी सदस्य को आना चाहिए। वहां एक भी सदस्य उपस्थित नहीं होता है।

श्री भूपेश बघेल :- बघेल जी। जनक ध्रुव जी बैठे हैं, मैं उनका विधान सभा क्षेत्र गया था। लोग सड़क पर खड़े थे। मैंने वहां पर पूछा कि आप लोग यहां क्यों खड़े हैं? वह बोले हमारे गांव में जो राशन दुकान है, वहां नेट काम नहीं करता है। इसलिए हम लोग यहीं आकर e-KYC करवा रहे हैं। यह खरता गांव की बात है। वहां रोड के ऊपर में नेट आया, वहां से वे लोग e-KYC करवा रहे थे। मतलब पांच मिनट में एक व्यक्ति का e-KYC हो रहा था। अब आप सोच लीजिए कि दिन में कितने लोगों का e-KYC होगा। वहां पूरे लोग सड़क पर खड़े थे। वह जंगल का एरिया है। चाहे वह बस्तर हो, सरगुजा हो,

बिंद्रानवागढ़ हो, जशपुर हो आदि दूरस्थ अंचलों में नेट काम नहीं कर रहा है, आपका सर्वर काम नहीं कर रहा है।

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछिए न।

श्री भूपेश बघेल :- सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूँ, लेकिन कोई उत्तर कहाँ आ रहा है? वही प्रश्न उमेश जी पूछ रहे हैं।

सभापति महोदय :- अभी डेढ़ मिनट है, एक बार और पूछ लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- हाँ। माननीय मंत्री जी, आप बताइये कि इसकी क्या व्यवस्था है? जहाँ नेट नहीं काम कर रहा है, जहाँ e-KYC काम नहीं कर रहा है, जहां के बच्चे व बुज़ुर्गों के फिंगर प्रिंट नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? ऐसा लाखों लोगों का नाम है।

श्री दयालदास बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय नेता जी को बताना चाहूंगा कि backlog देंगे। यदि पिछले महीने e-KYC नहीं हुआ है, उसके बाद e-KYC हो जाता है तो पिछले महीने का राशन उसको दिया जाएगा।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मंत्री जी गजत जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- यह गलत जवाब है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री जनक ध्रुव :- सभापति महोदय, उनको तीन-तीन महीने से चावल नहीं मिल पा रहा है।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
11.59 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्न संख्या 06 :- XX XX

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

विकलांग पेंशन योजना हेतु प्राप्तण आवेदनों का निराकरण

[समाज कल्याण]

7. (*क्र. 1171) डॉ. सम्पत अग्रवाल :- क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) विकलांग पेंशन योजना में शासन के किस प्रावधान के तहत पात्रता निर्धारित की जाती है? (ख) जिला महासमुंद के विकासखंड बसना एवं पिथौरा में विकलांग पेंशन योजना हेतु वर्ष 2023 से जनवरी, 2026 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? (ग) कितने आवेदनों का निराकरण किया गया है जिसमें कितने पात्र एवं कितने अपात्र हुए और अपात्र होने का कारण क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मीअ राजवाड़े) :- (क) दिव्यांगजनों के लिए संचालित पेंशन योजनाओं- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम होने के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। (ख) जिला महासमुंद के विकासखंड बसना एवं पिथौरा में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु वर्ष 2023 से जनवरी 2026 तक कुल 80 आवेदन प्राप्त हुए हैं। (ग) प्राप्त सभी आवेदनों को निराकृत किया जा चुका है। जिसमें 68 पात्र एवं 12 अपात्र पाए गए हैं । अपात्रता का कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में नाम नहीं होना है।

सभापति महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय

12.01 बजे

<u>माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयकों की सूचना</u>

सभापति महोदय :- छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2006 (क्रमांक 18 सन 2006) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 29-12-2025 को संदेश के साथ लौटाया गया है । संदेश इस प्रकार है :-

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2006 को पारित कर मेरी अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था । उपरोक्त विधेयक मेरे द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया । इस संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 17-3-2013/JUDL/PP दिनांक 17-9-2025 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्रालय को प्राप्त हुआ है कि विधेयक की तीन प्रमाणित प्रतियां राज्य सरकार द्वारा वापस लिये जाने के कारण एतद द्वारा वापस की जा रही है, अत: विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) लौटाया जाता है ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, यह राज्य सरकार ने वापस लिया है ?

सभापति महोदय :- नहीं, यह राज्यपाल जी ने वापस किया है । मैं ऊपर का हेडिंग पढ़ देता हूँ, इतना तो डिटेल्स पढ़ ही दिया हूँ । माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना । अत: विधेयक पर पुनर्विचार हेतु भारत शासन के संविधान के अनुच्छेद 201 के अनुसार छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) लौटाया जाता है । यह है ।

सभापति महोदय :- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटाये गये छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रता संशोधन विधेयक 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) विधान सभा द्वारा यथास्थापित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार मैं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 18 सन् 2006) विधान सभा द्वारा यथा पारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में पटल पर रखता हूँ।

सभापति महोदय :- शून्यकाल की सूचना ।

पृच्छा

सभापति महोदय :- जिस माननीय सदस्य को मैं अनुमति दूँगा, वे जनहित में अपनी बात को संक्षिप्त में रखें ।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही की घटना है, गंगालूर में तीन नाबालिग बच्चे जो पोटा केबिन में थे, वह गर्भवती पाई गई । (शेम-शेम की आवाज) माननीय सभापति महोदय, यह पहली घटना नहीं है, आप देखेंगे कि इसके पहले वर्ष 2025 में बीजापुर में ही भोपाल पट्नम में 12 वीं की नाबालिग छात्रा 4 महीने की गर्भवती पाई गई । माननीय सभापति महोदय, जून 2025 में सातवीं के नाबालिग बच्चे ने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया है । वह खुद नाबालिग है और सातवीं पढ़ रही है । माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2024 में भी सरकार में हॉस्टल में नाबालिग आदिवासी बच्ची है वह गर्भवती पाई गई । बीजापुर के गंगालूर इसी हॉस्टल में वहां बच्ची गर्भवती पाई गई । सभापति महोदय, बस्तर के पोटा केबिन में लगातार नाबालिग छात्रायें खासकर आदिवासी लड़कियां गर्भवती हो रही है और सरकार इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, लीपापोती कर रही है, आरोपियों को संरक्षण दे रही है और वर्ष 2024 से लगातार घटनायें घट रही है । अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और इसी कारण से जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी व्यक्ति हैं, उनके हौसले बुलंद है । सभापति महोदय, इसमें कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये । हमने इसमें स्थगन लाया हुआ है, गंगालूर का मामला अभी ताजा है, तीन नाबालिग बच्चे हैं और उसका हॉस्पीटल में ममता कार्ड बना हुआ है और सरकार लीपापोती कर रही है, उसको घर भेज रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल में थी नहीं । सभापति महोदय, ममता कार्ड बना कैसे । इस पूरे प्रकरण में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है । हमने इसमें स्थगन लाया हुआ है, आपसे आग्रह है कि इसको स्वीकार करके चर्चा करायें ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज हम लोगों के द्वारा बहुत ही गंभीर विषय पर स्थगन लाया गया है। एक ओर हम सभी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजापुर जिले के एक गंगालूर पोटा केबिन में एक मामला प्रकाश में आया, वहां किस तरीके से तीन नाबालिग बच्चियां, जो छात्राएं वहां पढ़ती हैं, वहां अध्ययनरत हैं, वहां गर्भवती पाई जाती हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। पूरे बस्तर में, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, हर जगह पिछले दो-ढाई सालों में इस तरह स्थितियां लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन आज पर्यंत तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें जो सबसे दुखद बात है, इस घटना के प्रकाश में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, शासन के द्वारा, उन बच्चियों का नाम कटवाकर वापस उनको घर भेज दिया जाता है और उसके बाद अधिकारी मीडिया में इस तरीके से बयान जारी कर कह रहे हैं कि ये बच्चियां हमारे छात्रावास पोटा केबिन में नहीं पढ़ती थीं। इससे बड़ी और दुखद

घटना और क्या हो सकती है? वह गरीब आदिवासी बच्चियां हैं, उनके साथ खड़े होना चाहिए, उन्हें कानूनी सहायता देनी चाहिए और उसके उलट उन अधिकारियों द्वारा यह कहना कि ये बच्चियां हमारे आश्रम में नहीं पढ़ती हैं, हॉस्टल में पढ़ती थीं। यह कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार इन घटनाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आदिवासी अंचल से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत ही गंभीर विषय है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, इस गंभीर विषय पर व्यापक चर्चा हो और कड़ी कार्रवाई हो।

श्री अटल श्रीवास्तव :- यही बस्तर पंडुप है क्या ?

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय सभापति महोदय, इस पूरी घटनाक्रम में सारे डिटेल तो बताए हैं लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरी घटनाक्रम हुई, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका क्या रवैया है? सबसे पहले एस.एस.पी का बयान आता है कि हमें कोई जानकारी ही नहीं है, इस तरह की कोई घटना हुई है। उसके बाद छात्रावास, जिला शिक्षा अधिकारी का बयान आता है, ये जो बच्चियां हैं, वह इस छात्रावास में रहती ही नहीं हैं, उन्हें भगा दिया गया। जो छात्रावास अधीक्षिका है, उनका कहना है कि ये घटना तो मेरे कार्यकाल की है ही नहीं। इस तरह की घटनाएं बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही हैं । सबसे दुखद यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा इसको लीपापोती करने का काम किया जा रहा है, यह इसमें बहुत दुखद घटना है।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय सभापति महोदय, जिला बीजापुर के गंगालूर पोटा केबिन का जो मामला है, तीन बच्चियां गर्भवती हुई हैं। इससे पहले मैं 2024 में जांच समिति में थी, मैं स्वयं गई थी, एक बच्ची प्रेग्नेंट रहती है। 2024 में एक बच्ची प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद भी उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं पोटा केबिन गई थी, वहां कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। वहां डॉक्टर चेकिंग में आते हैं, यह भी नहीं पता। सभापति महोदय, यह गंभीर मामला है, बच्चियों का मामला है, इस गंभीर विषय पर चर्चा की अनुमति चाहिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, बीजापुर जिले के पोटा केबिन में कई आवासीय आश्रम छात्रावास संचालित हैं जिसमें हमारे कई आदिवासी बहुल, दूरस्थ अंचलों के सैकड़ों आदिवासी गरीब बच्चे यहां अध्ययनरत हैं। लेकिन अभी जो घटना हुई है वाकई में इसकी गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी और कई घटनाएं हो चुकी हैं। हम सब विधायक वहां जाकर कई बार जांच भी कर चुके हैं लेकिन वहां पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है ।

श्री कवासी लखमा (कोंटा) :- माननीय सभापति महोदय, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, पोटा केबिन में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैंने उस दिन अपने बजट भाषण में भी बोला। उस समय तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने पोटा केबिन में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए आश्रम छात्रावास संचालित की थी। इस सरकार का ध्यान उधर है ही नहीं। न वहां बिल्डिंग है, न वहां बाथरूम है, मैंने उस दिन भी बजट सत्र में बोला। वहां पोटा केबिन में पढ़ने वाली बच्चियां गर्भवती हो जाती है। वहां के प्रशासन उल्टा-पुल्टा बयान देने का काम करते हैं। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई करें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इनकी सरकार के समय कांकेर की झलियामारी में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। क्या आदिवासी लोग दुश्मन है? क्या आदिवासी बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं ? वहां पर उन बच्चियों को छात्रावास से निकाल दिया जाता है, उसके मां-बाप के ऊपर छोड़ दिया जाता है। सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जाए और इसमें विस्तार से चर्चा कराई जाए, उधर से भी बयान आए। पोटा केबिन के आश्रम छात्रावास को बंद करेंगे या पोटा केबिन में बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। उनके मां बाप कैसे भेजेंगे ? मां बाप इसलिए भेजते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें, शिक्षित हों। लेकिन वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। वहां कोई अधिकारी पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जाए और दोषी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। यह तभी रूकेगा नहीं तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, पलायन करेंगे, भाग जाएंगे।

सभापति महोदय :- ठीक है। अंबिका जी।

श्रीमती अंबिका मरकाम (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, गंगालूर के पोटा केबिन में यह घटना हुई है। इसके पहले भी वर्ष 2024 में घटना हुई थी। हम सब लोग जांच कमेटी में गए थे। एक तो वहां पर जो छात्रावास अधीक्षिका है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसके बाद यह घटना होना चिंता का विषय है। हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। जो भी दोषी अधिकारी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और काम रोककर इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए।

सभापति महोदय :- ठीक है। बघेल साहब।

श्री लखेश्वर बघेल (बस्तर) :- सभापति महोदय, यह पहला मामला नहीं है, लगातार दो-ढाई सालों से इस सदन में कम से कम हर सत्र में चाहे आदिवासी बच्चों के बलात्कार का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, गर्भवती होने का मामला हो, मौत का मामला हो और कई तरह की बातें उठते जा रही हैं। सरकार इस विषय को गंभीरता से लेकर कभी चर्चा तक नहीं करती। यह महत्वपूर्ण विषय है और आपसे निवेदन है कि इस पर हमारे नेता जी ने जो स्थगन की सूचना दी है, उसको गंभीरता से लेते हुए इस पर गंभीर रूप से चर्चा कराई जाए।

सभापति महोदय :- अनिला भेंडिया जी।

श्रीमती अनिला भेंडिया (डौण्डी-लोहारा) :- माननीय सभापति महोदय, यह पोटा केबिन का मामला है और हमारे बस्तर संभाग का मामला है। यह पहला मामला नहीं है, हम लोग पखांजूर एरिया में भी गए थे, वहां भी यही मामला हुआ था। जब वहां पर ऐसी शिकायतें आती हैं तो अधीक्षिका के द्वारा उन्हें घर भेज दिया जाता है और जांच में जाओ तो वह छात्रावास के बच्चों को इतना डरा-धमकाकर रखते हैं कि वह सामने नहीं आते, क्योंकि वह उनकी सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। जब यह जानकारी आई तो वहां पर जो अधिकारी हैं, छात्रावास अधीक्षिका हैं, उन सबके ऊपर एफआईआर करने के बजाय उनको वह संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश में यह सरकार लगी हुई है। क्या हमारे आदिवासी बच्चियों को हम लोग छात्रावासों में इसीलिए भेजते हैं? हम उनको पढ़ने भेजते हैं। उनके साथ ऐसा अनाचार हो, इसलिए उनको वहां नहीं भेजा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि अधीक्षिका लोग वहां रहते नहीं हैं। यह भी बहुत बड़ा मामला है। इस कार्यवाही सूची में जो कार्यवाही है, उसको रोककर इसमें चर्चा कराई जायें।

सभापति महोदय :- निषाद जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, यह केवल बीजापुर के गंगालूर की घटना नहीं है, इसके पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे सीएमएचओ हों, छात्रावास अधीक्षिका हो या फिर वहां के एसएसपी का बयान आता है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। सीएमएचओ बोलता है कि पंजी में उपलब्ध नहीं है, एक की जानकारी अभी देखी जा रही है और छात्रावास अधीक्षिका का कहना है कि इनको भगा दिया गया है और यह तो पांच महीने से नहीं आ रही है। जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को छुपाने का प्रयास वहां के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हमारे नेता जी ने जो स्थगन लाया है, उस पर बिल्कुल कार्रवाई रोककर चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय :- देवेन्द्र यादव जी।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई-नगर) :- माननीय सभापति महोदय, पूरा विश्व आज के समय एपस्टीन फाइल्स को जानकर व देखकर तकलीफ में है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से निरंतर बच्चियों के साथ अनाचार और अनाचार के बाद प्रशासनिक संरक्षण देकर प्रशासनिक रूप से उसको छुपाया जा रहा है, दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, यह गंभीर विषय है। हम इस बात से डरते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कोई एपस्टीन फाइल न बन जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि गंगालूर के मामले में सदन में विस्तृत चर्चा हो।

सभापति महोदय :- डॉ. चरणदास महंत जी।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, यह ऐसा मामला है जिस पर हम सब चिंतित हैं, पूरा सदन चिंतित है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे पक्ष के लोग भी चिंतित हैं, बल्कि ट्रेजरी बेंचेस से भी सब लोगों को इस बात की तकलीफ होगी कि पोर्टा केबिन में ऐसी घटनाएं अभी नहीं वरन् पिछले सालों से चलते आ रही है और दबाव बना-बनाकर बातों को समाप्त कर दिया जाता है। अधीक्षिका को डरा दिया जाता है, वहां के शिक्षक को दबा दिया जाता है, वहां के अभिभावक को दबा दिया जाता है और अभी तो बलात्कार का मामला आया है लेकिन आपने सुना होगा कि वहां बच्चों की अचानक मौतें हो जाती हैं। बाद में घर में खबर पहुंचती है कि आपका बच्चा मर गया। उसके बाद जब परिजन जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया था ? तो बताया जाता है कि मलेरिया हो गया था, किसी को सिकल सेल की बीमारी थी। इस तरह से पूरे बस्तर के बच्चों में, जिनको आप भविष्य बनाना चाहते हैं, जिनका भविष्य बनाने के लिए आप 31 मार्च को बस्तर को नक्सलमुक्त करना चाहते हैं। ऐसी जगहों पर उनके रहने की जगह, पोर्टा केबिन में न सुरक्षा है, न बाउंड्रीवॉल है, न रहने की व्यवस्था है, न वहां डॉक्टर चेक करने जाते हैं। हमें भी इन सब बातों की चिंता है, आपको भी हैं और मैं समझता हूं कि उनके क्षेत्र में भी होगी। मैं चाहता हूं कि आप इस पर पूरी तरीके से चर्चा कर लें, विचार कर लें, हम लोगों की बातें सुन लें और शीघ्र इसकी उचित व्यवस्था की जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें और चर्चा कराएं।

समय:

12.17 बजे

<u>स्थगन प्रस्ताव</u>

<u>जिला बीजापुर के गंगालूर में संचालित पोर्टा केबिन हाई स्कूल छात्रावास में अध्ययनरत एवं निवासरत तीन नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने के संबंध में</u>

सभापति महोदय :- मेरे पास जिला बीजापुर के गंगालूर में संचालित पोर्टा केबिन हाई स्कूल छात्रावास में निवासरत तीन नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने के संबंध में 35 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। चूंकि विक्रम मंडावी जी सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं।

जिला बीजापुर के गंगालूर में संचालित पोर्टाकेबिन हाई स्कूल छात्रावास में अध्ययनरत एवं निवासरत तीन नाबालिग छात्राओं के गर्भवती होने की घटना प्रकाश में आई है। इस घटना को राज्य शासन द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्राओं के गर्भवती होने की जानकारी होते ही तीनों छात्राओं को छात्रावास से घर भेज दिया गया था और सफाई में यह बताया जा रहा है कि छात्राएं छात्रावास से अनुपस्थित हैं। अनुसूचित क्षेत्र की यह घटना अत्यधिक गंभीर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शासकीय छात्रावासों में छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। गर्भवती होने की घटना संज्ञान में आने के पश्चात्

जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. करवाने के बजाए उनको संरक्षण दिया गया और छात्राओं को घर भेज दिया गया। अब जब घटना प्रकाश में आई तो कानूनी कार्यवाही करने के बजाए पुन: दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। तीनों प्रकरणों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए तथा मामलों को दबाने, छिपाने, पर्दा डालने और दोषियों को बचाने का प्रयास करने वाले लोकसेवकों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। अतः माननीय सभापति महोदय से अनुरोध है कि आज की कार्य सूची में सम्मिलित कार्यों को रोककर इस गंभीर विषय पर चर्चा की अनुमति दी जावे। इस संबंध में शासन का क्या कहना है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय सभापति महोदय, जिला बीजापुर के गंगालूर में संचालित पोर्टा केबिन हाई स्कूल छात्रावास में अध्ययनरत एवं निवासरत तीन नाबालिग छात्राओं के संबंध में लेख है कि क्रमांक 1, छात्रा कक्षा 11वीं, क्रमांक 2, छात्रा कक्षा 12वीं, उक्त छात्रावास में अध्ययनरत नहीं है। उक्त दोनों छात्राएं स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय गंगालूर में अध्ययनरत हैं एवं अपने घर से ही संस्था अध्ययन कार्य हेतु आती-जाती है तथा क्रमांक 3, छात्रा कक्षा 12वीं पोर्टा केबिन हाई स्कूल छात्रावास गंगालूर में पूर्व में अध्ययनरत थी, जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2025 को दीपावली अवकाश में अपने गृहग्राम जाने के बाद से छात्रावास में उपस्थित नहीं हुई। छात्रावास में अनुपस्थिति के कारण अनुदेशकों के द्वारा छात्रा से संपर्क किये जाने के उपरान्त दिनांक 06 नवम्बर, 2025 को छात्रावास में उपस्थित होकर स्वेच्छा से घर से आने-जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर छात्रावास से अनुपस्थित है। उक्त छात्रा को छात्रावास से नहीं निकाला गया है, वह स्वेच्छा से छात्रावास को छोड़कर अन्यत्र रह रही है। उपरोक्त छात्राओं एवं पालकों द्वारा बयान प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि वह छात्राएं छात्रावास में नहीं रह रही थी, उसके संबंध में हमारे पास लिखित में प्रमाण है कि वह उस छात्रावास में रहकर ही पढ़ाई करती हैं। उसके बाद यह कहना कि वे छात्राएं उन छात्रावास में नहीं रह रही थीं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- क्या वह आदमी नही है? ..(व्यवधान).. इस देश में कानून है। आदिवासी बच्चियों की रक्षा करने वाला कोई है.. ..(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय सभापति महोदय, इतने गंभीर विषय पर अगर इस तरह से शिक्षा मंत्री जी का जवाब आ रहा है, अत्यंत ही चिंताजनक है। इसमें पूरा सदन जिस पीड़ा को महसूस

कर रहा है, उसको मंत्री जी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सदन महसूस कर रहा है। तो हम ऐसे मंत्रियों का जवाब सुन करके बहिष्कार करते हैं।

समय

12.21 बजे

<u>बहिष्कार</u>

<u>भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में।</u>

(डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शासन के उत्तर के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये हुए सदन से बहिष्कार किया गया)

<u>सदन को सूचना</u>

सभापति महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

सभापति महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से माननीय सदस्यो के लिये लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

<u>स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन</u>

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों हेतु विधान सभा भवन के सी-ब्लाक के कक्ष क्रमांक सी-08 स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिनांक 17 मार्च से 19 मार्च 2026 तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित है। कृपया माननीय सदस्य प्रात 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के मध्य शिविर का लाभ लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हमको स्वास्थ्य परीक्षण में विपक्ष वालों का डी.एन.ए. टेस्ट भी करवाना है। ऐसा इंतजाम कीजिए। पुलिस विभाग को बोलिये कि विपक्ष का डी.एन.ए. टेस्ट भी करवाये।

समय

12.28 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति में अनियमितता की ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है।

छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 एवं संचालक मंडल से पारित निर्णय के परिपालन में पंजीकृत संस्था/इकाईयों से दर मांग कर न्यूनतम दर पर पंजीकृत संस्था/इकाईयों को कार्य आदेश देकर सामग्री आपूर्ति कराई जाती है तथा विगत् 3 वर्षों में इन वर्ष इन पंजीकृत संस्थाओं से लगभग 109 करोड़ से अधिक की राशि निजी/प्राइवेट आपूर्तिकर्ता संस्था/ईकाईयों से और लगभग 2.25 करोड़ राशि की सामग्री बोर्ड की इकाई से ली गई है। स्पष्ट है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा अपनी स्वयं के केन्द्रों के स्थान पर अन्य आपूर्तिकर्ता इकाईयों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनसे गुणवत्ताहीन सामग्री प्राप्त पर भारी कमीशन लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष इकाईयों का पंजीकरण नहीं किया जाता है और न ही नवीन इकाईयों को पंजीकरण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। भंडार क्रय नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि जुलाई 2024 के बाद जो भी सामग्री व सेवा किसी संस्था से क्रय किया जाना है तो जेम पोर्टल के माध्यम से संस्था का चयन किया जाना है, किन्तु बोर्ड में एक तो संस्थाओं का नियमित पंजीकरण नहीं किया जा रहा है और न ही जेम पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया गया है। बोर्ड द्वारा (मैनुअल) निविदाओं के माध्यम से संस्थाओं का चयन किया गया है तथा संस्थाओं की पात्रता के लिये ऐसी शर्तें रखी गई है कि कुछ संस्था ही पात्र हो पाए। ऋषि इम्पेक्स रायपुर, रेडीमेड वस्त्र उद्योग किरवई, गोल्डन स्वास्तिक कांकेर, आकाश ग्रामोद्योग रायपुर, जागृति उद्योग धमतरी, वस्त्र भंडार रायपुर, छाया ग्रामोद्योग रायपुर, पर्ल फर्नीचर मुंगेली जैसी संस्थाएं जिन्हें करोड़ों राशि का कार्य दिया गया है, इनके पंजीकरण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रदायित गणवेश, स्कूल ब्लेजर, टाटपट्टी, दरी व चादर आदि अन्य सामग्री गुणवत्ताहीन थे और शिकायत होने के बाद इसकी जांच न करे पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ रुपये से अधिक का एसआईआर किट प्रदाय किया गया तो कि गुणवत्ताहीन था। इसकी गुणवत्ता का न तो परीक्षण किया गया और न ही शिकायतों की जांच की गई। बोर्ड द्वारा इसी वर्ष कुछ संस्थाओं को लगभग 50 करोड़ से अधिक का कार्य बांटा गया । गुणवत्ताविहीन सामग्री की शिकायत होने के बाद भी उनको पूर्ण भुगतान करना, प्रतिवर्ष जेम के माध्यम से संस्थाओं का पंजीकरण न करना तथा फर्नीचर बनाने वाली संस्था पर्ल फर्नीचर का नियम विरूद्ध बोर्ड में पंजीकरण करना और निविदा हेतु शासन

द्वारा जुलाई, 2024 में जारी निर्देशों का पालन न करने व अनियमितताओं की जांच न होने के कारण जनता में शासन-प्रशासन के प्रति भारी रोष व्याप्त है ।

ग्रामोद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्र यादव) :- माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि छ.ग. ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 तथा संचालक मंडल में पारित निर्णय के परिपालन में पंजीकृत संस्था/इकाईयों से दर मांग कर न्यूनतम दर पर पंजीकृत संस्था/इकाईयों को कार्य आदेश देकर सामग्री आपूर्ति कराई जाती है तथा बोर्ड द्वारा राशि से लगभग 109 करोड़ की विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति बोर्ड से पंजीकृत आपूर्तिकर्ता संस्था/इकाईयों से की गई है लेकिन यह सही नहीं है कि लगभग 2.25 करोड़ राशि की सामग्री बोर्ड की इकाई से ली गई है अपितु लगभग 4.53 करोड़ राशि की सामग्री बोर्ड की इकाईयों के माध्यम से की गई है । बोर्ड के संचालक मंडल के निर्णय अनुसार बोर्ड द्वारा जिन सामग्री का निर्माण उत्पादन केंद्रों द्वारा किया जाता है उनकी आपूर्ति संबंधित विभागों को दर एवं सैंपल प्रदाय कर संबंधित विभागों से कार्यादेश प्राप्त होने पर आपूर्ति की गई है एवं बोर्ड के द्वारा ऐसे उत्पाद जो स्वयं के द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता है ऐसे उत्पादों को पंजीकृत इकाईयों के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर प्रदाय करने वाली इकाई का दर एवं सैंपल संबंधित विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है जिसका अनुमोदन करने के पश्चात् बोर्ड को क्रय आदेश दिया गया है तत्पश्चात् संबंधित विभाग को सामग्री आपूर्ति कर गुणवत्तायुक्त सामग्री की प्रमाणिक पावती प्राप्त की गई है । अत: यह कहना भी सही नहीं है कि बोर्ड द्वारा स्वयं के केंद्रों के स्थान पर अन्य आपूर्तिकर्ता इकाईयों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनसे गुणवत्ताहीन सामग्री प्रदान कर भारी कमीशन लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है । यह कहना भी सही नहीं है कि प्रतिवर्ष इकाईयों का पंजीकरण नहीं किया गया है एवं नवीन इकाईयों का पंजीकरण करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि बोर्ड द्वारा जारी पंजीयन दिशानिर्देश के अनुसार कोई भी ग्रामोद्योग इकाई पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं दस्तावेज जमा कर जिला कार्यालय में पंजीयन हेतु आवेदन कर सकते हैं इस हेतु किसी तरह की समय-सीमा का बंधन नहीं है ।

बोर्ड द्वारा छ.ग. भण्डार क्रय नियम-2002 (यथासंशोधित) के नियम 8.1 एवं 8.3 में छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर से सामग्री क्रय करने का पृथक से प्रावधान है एवं छ.ग. ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 तथा संचालक मंडल में समय-समय पर पारित निर्णय का पालन करते हुए आपूर्ति की प्रक्रिया नियमानुसार की जाती है । पंजीकरण प्रक्रिया बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश के तहत नियमानुसार की जाती है अत: उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में जेम पोर्टल के माध्यम से संस्था का चयन करने संबंधी प्रावधान एवं पंजीकरण करने संबंधी निदशानिर्देश नहीं है । यह कहना सही नहीं है कि संस्थाओं की पात्रता की ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि कुछ संस्था ही पात्र हो पाए । जबकि बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति के लिये जारी निविदा में केवल बोर्ड से पंजीकृत इकाई से ही उनके इकाई संबंधी दस्तावेज तथा दर एवं

सैंपल नियमानुसार मंगाया गया है । जिन इकाईयों का न्यूनतम पाया गया है उनका दर एवं सैंपल संबंधित विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है ।

ऋषि इंपेक्स रायपुर, रेडीमेड वस्त्र उद्योग किरवई, गोल्डन स्वास्तिक कांकेर, आकाश ग्रामोद्योग रायपुर, जागृति उद्योग धमतरी, वस्त्र भण्डार, रायपुर, छाया ग्रामोद्योग, रायपुर, पर्ल फर्नीचर मुंगेली आदि सभी बोर्ड से पंजीकृत इकाईयां हैं जिनका पंजीयन छ.ग. ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 के परिपालन में पंजीयन हेतु जारी दिशानिर्देश के तहत सक्षम अनुमोदन पश्चात किया गया है एवं उपरोक्त इकाईयों को उनके द्वारा प्रदायित न्यूनतम दर एवं विभाग से अनुमोदित सैंपल के आधार पर कार्यादेश प्रदाय किया गया है अत: यह कहना सही नहीं है कि इनके पंजीयन में भारी भ्रष्टाचार किया गया है । यह भी कहना सही नहीं है कि बोर्ड द्वारा प्रदायित गणवेश, स्कूल ब्लेजर, टाटपट्टी, दरी व चादर आदि अन्य सामग्री गुणवत्ताहीन थे एवं उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत बोर्ड को प्राप्त हुआ है । सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् विभाग से गुणवत्तायुक्त सामग्री की प्रमाणित पावती प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित इकाईयों को भुगतान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025-2026 में कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर में 5.75 करोड़ का एस.आई.आर.किट बोर्ड द्वारा प्रदाय किया गया है जिसका गुणवत्ता युक्त सामग्री प्राप्त होने की पावती बोर्ड को प्राप्त हुआ है। उक्त सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अत: यह कहना सही नहीं है कि एस.आई.आर.किट गुणवत्ताहीन था।

संबंधित विभाग से गुणवत्तायुक्त सामग्री प्राप्त होने की प्रमाणित पावती बोर्ड को प्राप्त होने के पश्चात ही इकाईयों को भुगतान किया जाता है। जेम पोर्टल में बोर्ड से पंजीकरण का प्रावधान नहीं होने के कारण छ.ग. ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 के परिपालन में पंजीयन हेतु जारी दिशानिर्देश के तहत सक्षम अनुमोदन पश्चात् किया जाता है। बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग की श्रेणी में आने वाली 117 प्रकार के उद्योगों का पंजीयन किया जाता है अत: यह कहना सही नहीं है कि फर्नीचर बनाने वाली इकाई पर्ल फर्नीचर का नियम विरूद्ध पंजीयन किया गया है। पुन: छ.ग. शासन भण्डार क्रय नियम में छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए पृथक से प्रावधान होने के कारण उक्त नियम का पालन किया जाता है। अत: जनता में शासन के प्रति कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने कुछ बातों को स्वीकार किया है और कुछ बातों को इंकार किया है। जिस प्रकार से खरीदी में अनियमितता आयी है, यह निश्चित रूप से गंभीर मामला है। जो छत्तीसगढ़ सरकार की गाईडलाईन है, दिशानिर्देश हैं, उसकी भी अवेहलना की गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जेम पोर्टल से क्रय करने हेतु भण्डार क्रय नियम में संशोधन व दिशानिर्देश कब जारी किया गया है ? और क्या निर्देश जारी किया गया है?

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, जेम पोर्टल का उपयोग छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 यथासंशोधित नियम 8.1 एवं 8.3 में छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए पृथक से प्रावधान होने के कार जेम पोर्टल का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। नियमावली के वर्तमान नियम 3(1) एवं 3(2) को क्रमश: उप नियम 3(2) एवं 3(3) पर प्रतिस्थापित किया जाता है। (2) नियमावली में नवीन उप नियम अनुक्रमांक 3(1) पर निम्नलिखित प्रावधान का समावेश किया जाता है। उप नियम 3(1) राज्य शासन के समस्त विभाग क्रेता कार्यालय अधिनस्थ संस्थाएं अपनी आवश्यकता अनुसार सामग्री वस्तु में सेवाएं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के जी.डी.एस.एण्ड एस. एण्ड डी. के वेबसाईट जेम गर्वनमेंट एवं मार्केट प्लेस में उपलब्ध हो, का क्रय जेम पोर्टल की वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, क्रय करेंगे। यह आपके विभाग में लागू होता है या नहीं होता है? इसमें समस्त विभाग दिया है।

श्री गजेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। छ.ग. ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 के धारा 9 के उप नियम ''क'' में प्रावधान है कि ग्रामोद्योग को प्रारंभ करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना, उनकी सहायता करना तथा उन्हें चलाना और ऐसे उद्योगों से संबंधित व्यापार तथा कारोबार करना, तथा ऐसे व्यापार एवं कारोबार से अनुसांगिक पदार्थों का व्यापार या कारोबार कराना, उक्त प्रावधान का पालन बोर्ड द्वारा सामग्री आपूर्ति की जाती है और इसके लिए यह स्पष्ट निर्देश है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया है कि जेम पोर्टल ग्रामोद्योग विभाग में लागू नहीं होता है। चूंकि ग्रामोद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और हस्तशिल्प लोगों को रोजगार देने के लिए है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैंनें इसमें जो पढ़कर बताया है कि छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग दिया है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी आप बैठिये। आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ।

सभापति महोदय :- उन्होंने जो पढ़ा है आपने सुन लिया। अब इसमें क्या पूछना है, आप पूछिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग दिया है।

सभापति महोदय:- आपको छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग और ग्रामोद्योग के बारे में क्या कहना है?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। इसमें समस्त विभाग के ऊपर में जो दिया गया है। मुझे यह नहीं लगता है कि उससे ग्रामोद्योग बाहर है और इसमें समस्त विभाग जो दिया

गया है तो उसमें ग्रामोद्योग भी शामिल है। मंत्री जी इसको आप एक बार जवाब देने के पहले देख लें कि इसमें समस्त विभाग में ग्रामोद्योग शामिल है या नहीं है ? यदि इसका गलत उत्तर आएगा तो मैं उस दिशा में जाऊंगा कि यहां पर आप गलत जानकारी दे रहे हैं तो मुझे आगे जाना पड़ेगा । आप इसको एक बार बताईये।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मैंने बताया कि इसमें जो संशोधित नियम 8.1 और 8.3 में छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग..।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, पहले तो आप इसकी तारीख बता दें, जिसको मैं पढ़ रहा हूं, उसे छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ सरकार ने जैम पोर्टल का जारी किया है..

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, उसे कब जारी किया है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, भंडार क्रय जो नियम है.

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, वह कब जारी हुआ है, वह बता दें। आपके पास है या नहीं, पहले उसी तो देख लीजिए । वह कब जारी हुआ है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं इसे देखकर उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मुझे जानकारी से मतलब नहीं है। जब मैं आपको बता रहा हूं । आप सरकार के मंत्री हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि समस्त विभागों में जैम पोर्टल लागू होगा, उसमें ग्रामोद्योग है या नहीं है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, तारीख बता दें, जारी कब हुआ है? यह छत्तीसगढ़ शासन का है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, समस्त विभागों के लिए 2024 में जैम पोर्टल अनिवार्य लागू किया गया था और मैं बता रहा हूं कि भंडार क्रय नियम में..

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, नहीं । भंडार क्रय नियम में जो आप बोल रहे हैं, मैं आपको तारीख पूछ रहा हूं कि वह कब जारी हुआ है ? यह आप मुझे बता दें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- 2024 में जारी हुआ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, 2024 में कब जारी हुआ ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, वह मैं देखकर बता दूंगा । मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा ।

सभापति महोदय :- तारीख नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आपके पास नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं । समस्त विभाग और भंडार क्रय नियम भी उसमें शामिल है और शामिल है, उसे आप बता रहे हैं कि वह लागू नहीं हो रहा है । इसलिए आपको मैंने कहा कि आप इसको पढ़ लीजिए, यह शासन का निर्देश है, शासन का आदेश है । यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप उसको देख लीजिए और देखकर उसको बताईए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, भंडार क्रय नियम जुलाई, 2024 से लागू है। जो ग्रामोद्योग बोर्ड है, उसके लिए पृथक से प्रावधान उसमें किया गया है । मैंने आपको नियम 8.1 और 8.3 बताया, जिसमें छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए पृथक से प्रावधान होने के कारण जैम पोर्टल छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग में लागू नहीं है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ता हूं । मैंने कहा कि हर साल पंजीयन नहीं हो रहा है । यह 2024 में लागू हुआ । वर्ष 2025 और 2026 में कितने नवीन संस्थाओं का पंजीयन हुआ है, आप यह बता दीजिए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, 2024-25 तो नहीं, लेकिन खुद से पंजीकृत जो संस्था है, जो बोर्ड से खुद की पंजीकृत संस्थाओं की संख्या 56 है, जिसमें से 117 प्रकार के उत्पाद हम लोग लागू करेंगे और अलग से हमने 24-25 के बाद ऐसा कुछ नया लागू नहीं किया ।

सभापति महोदय :- कुछ और हुआ है क्या, वह जानकारी दे दीजिए न । माननीय कौशिक जी ने 2024-25 और 25-26 के बारे में पूछा है । अगर कुछ हुआ है तो बता दीजिए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अलग से नहीं हुआ है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैंने तो यही आरोप लगाया है कि आप नये संस्थाओं का पंजीयन नहीं कर रहे हैं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अभी नये संस्थाओं का पंजीयन नहीं हो रहा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, 24 को लागू हो गया, 2025 और 2026 में आपने पंजीयन नहीं किया ।

सभापति महोदय :- वे बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आपने 2025 में कितने पंजीयन किये हैं । 2026 में नये पंजीयन की संख्या है, वह आप बता दें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, नहीं किये हैं, हमारे पास जो 56 संस्थाएं हैं, वही 56 संस्थाओं से हम 117 प्रकार के उत्पादों को हम लागू कर रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, हम यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आप नये लोगों का अवसर नहीं दे रहे हैं, उनका पंजीयन आप नहीं कर रहे हैं । आपने उस बात से इंकार किया कि हम

पंजीयन कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 2025 में कितने संस्थाओं का नया पंजीयन किया, 2026 में कितने नये संस्थाओं का पंजीयन किया ?

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, अगर कोई फर्म ग्रामोद्योग ईकाई आवेदन करेगी तो बराबर हम उसका पंजीयन करेंगे । पंजीयन नहीं करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आवेदन तो किए गए हैं । आपने बताया कि हमारे पास इतने हैं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं । आपने अभी उस बात को खुद बताया है । यही तो मेरा आरोप है कि आप नये लोगों को अवसर नहीं दे रहे हैं, उसमें नया पंजीयन आप नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैंने कहा कि 2025 में आपने कितनी संस्थाओं का पंजीयन किया और 2026 में कितना नया पंजीयन किया, पृथकत: मुझे जानकारी दे दें ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, 2026 में हमने अलग से नहीं किया है। अगर माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो हम अलग से जांच करा देंगे । मान लीजिए कि जो ऐसी कोई पंजीकृत संस्था है, जिसने आवेदन किया है, उसका पंजीयन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसका कारण हम देखेंगे ।

सभापति महोदय :- उनको देंगे या नहीं देंगे, यह बता दीजिए न ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, क्यों नहीं देंगे ? कोई आवेदन देगा तो हम बराबर उसका पंजीयन करेंगे ।

सभापति महोदय :- वही बताईए कि अभी 2025-26 में नहीं हुआ है, उसमें हम देंगे या नहीं करेंगे ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, परीक्षण करा लेंगे और जिन्होंने आवेदन दिया है तो हम उनका पंजीयन कर लेंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, 2025 और 26 तो खत्म हो गया। मैं जो पूछ रहा हूं, उसको तो बता नहीं पा रहे हैं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, मान लीजिए कि किसी ने आवेदन किया है तो आवेदन जीवित होगा । उसके आधार पर हम परीक्षण कराकर पंजीयन कर देंगे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मंत्री जी से एक और प्रश्न पूछ लेता हूं । इसमें जो जवाब आया है और जवाब में मंत्री जी ने यह बताया है कि ऐसे उत्पाद, जिसका उत्पादन बोर्ड के द्वारा नहीं किया जाता । ऐसे उत्पादों को पंजीकृत इकाई के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर न्यूनतम दर में प्रदान करने वाली ईकाई का दर और उसका सैम्पल विभाग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है और उसके बाद में उसको क्रय करते हैं । इसमें मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप बोर्ड के द्वारा और बोर्ड के बाहर से उत्पाद क्रय करते हैं और उनके द्वारा सप्लाई किया जाता है। क्या संबंधित

विभाग द्वारा वित्त विभाग से अनुमति लेने के इस नियम के अन्तर्गत आदेश हैं ? क्या उसके द्वारा वित्त विभाग द्वारा अनुमति ली गई है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, कोई भी विभाग कोई भी सामग्री क्रय करना चाहता है तो बिना वित्त विभाग की अनुमति के सामग्री क्रय नहीं कर सकता है, यह पहली बात। जब उनको वित्त विभाग से अनुमति मिल जाता है फिर अनुमति मिलने के पश्चात वह हमारे खादी ग्रमोद्योग विभाग को आर्डर देते हैं। किसी भी विभाग के द्वारा हमें आर्डर दिया जाता है तो उनके मांग के अनुरूप हम सेंपल प्रेषित करते हैं। जब सेंपल की स्वीकृति देते हैं उसके पश्चात ही निविदा कराते हैं तथा निविदा होने के बाद भी सेंपल तथा सेंपल का निर्धारित दर है, हमारे पास जो दर आता है, उस दर को संबंधित विभाग को भेजते हैं। हम उनकी सहमति के पश्चात ही उनको सामग्री आपूर्ति करते हैं।

सभापति महोदय :- एक आखिरी प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं छोटा-छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं एक्चुअली में नियम-प्रक्रिया में जा रहा हूं। मैं उसमें आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं।

सभापति महोदय :- नियम तो आ ही गया।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, छत्तीसढ़ शासन को जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसी में है कि राज्य के नियमावली के नियम 4 में बने प्रावधान के अनुरूप निविदा प्रणाली के माध्यम से सामग्री वस्तुएं एवं सेवाएं क्रय करना चाहे तो निविदा के माध्यम से सामग्री वस्तुएं क्रय कर सकेंगे, किन्तु ऐसा करने के पूर्व उन्हें संबंधित प्रशासकीय स्वीकृति विभाग के माध्यम से वित्त विभाग से लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। आपने बोर्ड के बाहर जिनको सप्लाई किया है, जिसको अभी आपने बताया है तो उनके लिए सहमति प्राप्त करनी होगी। यदि वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की गई है तो कब सहमति प्राप्त की गई है ? मुझे उसकी तारीख बतायेंगे और किसके लिए सहमति प्राप्त की गई है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं उसके लिए माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि पर्टिक्यूलर कोई एक विषय होगा, कोई विभाग होगा, कोई सामग्री होगी, उसके सम्बन्ध में पूछेंगे तो उसका डिटेल अपने हिसाब से दे दूंगा। सभापति महोदय :- कोई स्पेसीफिक पूछिये, कह रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आपने खुद पढ़कर बताया है। मैंने 5-6 का जिक्र किया है। मैं दोबारा पढ़ दूं क्या ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, टोटल 56 प्रकार की संस्थाएं हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, बोर्ड के बाहर, जिसके माध्यम से सामाग्री का सप्लाई करवाया है, सेवाएं ली हैं।

सभापति महोदय :- आप पढ़कर उल्लेख कर दीजिये न, वह बता देंगे।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, अगर वह किसी भी विभाग के लिए लागू होगा, आप बतायेंगे तो मैं जानकारी प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, आपने जवाब लिखा है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रहा हूं। जैसे ऋषि इंपेक्स रायपुर, यह आपके जवाब में आया है। 5-6 का दिया हुआ है। आपने इसको आदेश करने के पूर्व विभाग के द्वारा क्या वित्त विभाग से अनुमति ली गई है ? यदि अनुमति ली गई है तो कब ली गई है ? यह पर्टिक्ल्यूर दिया हुआ है।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, संबंधित विभाग, वित्त विभाग से अनुमति लेता है, हम अनुमित नहीं लेते हैं। जिनको सामान चाहिए, वह हमको राशि प्रदान करेगा, वह वित्त विभाग से अनुमति लेगा। हम प्रदायकर्ता बोर्ड हैं, हमको वित्त विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मंत्री जी, एक अंतिम प्रश्न। आपका कहना है कि आपके यहां जेम पोर्टल का नियम लागू नहीं है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, जेम पोर्टल इसलिए लागू नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं आपसे अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपके यहां जेम पोर्टल का नियम लागू नहीं है ?

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं वही बोल रहा हूं कि लागू नहीं है। अभी लागू नहीं है। वह इसलिए लागू नहीं है कि हमारे पास विपणन समिति है, महिला स्वसहायता समूह है तथा रोजगार मूलक ऐसे लोग हैं, जिमसें भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि ऐसे लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले और हम लाभ देने के लिए रोजगारमूलक इकाईयों की स्थापना करते हैं। उसको अभी हम जेम पोर्टल में नहीं लिए हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- सभापति महोदय, मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं कि आप जवाब मत दीजियेगा। आप फिर से एक बार परीक्षण करवा लीजियेगा कि यह निर्देश होने के बाद में जेम पोर्टल लागू है या नहीं ? यदि लागू है तो जितनी प्रकार की खामियां हैं, उसको आने वाले समय में दूर करें।

श्री गजेन्द्र यादव :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय बहुत ही वरिष्ठ सदस्य कोई विषय उठा रहे हैं तो उसकी गंभीरता है। मैं आश्वस्त करता हूं कि एक बार परीक्षण कराऊंगा। उसको जरूर दिखवायेंगे।

सभापति महोदय :- श्री बालेश्वर साहू।

श्री अजय चन्द्राकर :- बालेश्वर जी, अपना ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने के पहले थोड़ा स्पष्ट कीजिये कि आप अपने दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठा गये हो क्या ? दल के अनुशासन से परे उठ गये हो ?

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, दल के आदेश और क्षेत्र के हित में आया हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके दल के सदस्यों ने बहिर्गमन किया है तो क्या आप बहिर्गमन के विरोध में हो ?

श्री बालेश्वर साहू :- पहली बार यह जो ध्यानाकर्षण लगा है, वह मुर्दा को जिंदा करके लगा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है न, दल के अनुशासन का विषय है।

श्री बालेश्वर साहू :- मैं अनुशासन में ही हूं।

श्री अजय चन्द्रकार :- कहां अनुशासन में हैं?

श्री बालेश्वर साहू :- बिल्कुल अनुशासन में हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- वे बहिर्गमन कर दिये हैं और आप यहां कलमा पढ़ रहे हो।

श्री बालेश्वर साहू :- मैं बाहर गया था। चलिए, ठीक है, पहली बार तो ध्यानाकर्षण लगा है, प्रश्न लगा नहीं है..।

सभापति महोदय :- हो गया, हो गया, आप अपना पढिए।

श्री बालेश्वर साहू :- अनुमति लेकर आया हूं।

सभापति महोदय :- आप इधर देखिए न और पढ़िए।

(2) प्रदेश में निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में अनियमितता की जाना।

श्री बालेश्वर साहू (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय जी, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है :-

प्रदेश में निर्माण श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु और उनके दिव्यांग होने पर मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत शासन द्वारा वित्तीय सहायता पीड़ित परिवार को प्रदान किया जाता है। इन वर्गों के हित में शासन की योजना प्रशंसनीय है, परन्तु फर्ज़ी हितग्राहियों एवं श्रम विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से विगत दो वर्षों से इसमें फर्जीवाड़ा कर शासन को वित्तीय हानि पहुंचायी जा रही है। विगत दिनों जिला पंचायत उपाध्यक्ष जांजगीर-चांपा ने अपने पत्र क्रमांक 04 दिनांक 02.03.2026 द्वारा कलेक्टर जांजगीर-चांपा को शिकायत कर इसी प्रकार के फर्जीवाड़े की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है, उन्होंने पत्र में अवगत कराया है कि एक महिला जिसकी मृत्यु दिनांक 27.11.2024 हो चुकी थी, परन्तु इसका पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में आवेदन दिनांक 04.12.2024 को किया गया था, जिसमें दिनांक 02.06.2025 को मृत्यु दिखाया गया और दिनांक 09.12.2024 को पंजीयन कर पंजीयन नंबर जारी करके दिनांक 17.09.2025 को एक लाख संबंधित फर्जी हितग्राही के खाते में ट्रांसफर किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्रम पदाधिकारी व श्रम निरीक्षकों द्वारा अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया

गया है। इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पूरे प्रदेश में संगठित रूप से चल रहा है और इसमें श्रम कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संलिप्तता है। जनकल्याणकारी योजनाओं में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण शासन को वित्तीय हानि हो रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठ-गांठ और भ्रष्टाचार के कारण आमजनों में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। माननीय मंत्री जी।

सभापति महोदय :- आप ही ने माननीय मंत्री जी को बुला दिया। (हंसी)

श्रम मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) :- सभापति महोदय, यह कहना सही है कि छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना अंतर्गत मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के सामान्य मृत्यु पर एक लाख रूपये, कार्य स्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर पांच लाख रूपये, कार्य स्थल पर दुर्घटना से दिव्यांगता होने पर दो लाख पचास हजार रूपये एवं अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्य स्थल में दुर्घटना से मृत्यु होने पर एक लाख रूपये की सहायता राशि प्रदाय की जाती है। यह कहना सही नहीं है कि फर्जी हितग्राहियों एवं श्रम विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से विगत दो वर्षों से इसमें फर्जीवाड़ा कर शासन को वित्तीय हानि पहुंचायी जा रही है, अपितु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत अभिलेखों के जांच एवं सत्यापन उपरांत योजनांतर्गत लाभांवित किया जाता है।

यह सही है कि माननीय उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा द्वारा कलेक्टर जिला-जांजगीर-चांपा को पत्र क्रमांक-04 दिनांक 02.03.2026 प्रेषित कर फर्जीवाड़ा की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की गई, जिसमें एक महिला श्रमिक की मृत्यु दिनांक 27.11.2024 को होना, परन्तु इनके पंजीयन के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में दिनांक 04.12.2024 को आवेदन किया जाना, जिसमें दिनांक 02.06.2025 को मृत्यु दिखाया गया गया और दिनांक 09.12.2024 को पंजीयन कर पंजीयन नंबर जारी करके दिनांक 17.09.2025 को एक लाख रूपये संबंधित फर्जी हितग्राही के खाते में ट्रांसफर किये जाने का उल्लेख था। उक्त शिकायत की जांच कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा तहसीलदार बम्हनीडीह के माध्यम से कराया गया। तहसीलदार बम्हनीडीह के जांच प्रतिवेदन में सुमन बाई पटेल की मृत्यु दिनांक 02.06.2025 को होना संदेहास्पद पाये जाने पर कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के ज्ञापन दिनांक 15.03.2026 द्वारा श्रम पदाधिकारी जांजगीर चांपा को संबंधितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

यह उल्लेखनीय है कि पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के पति श्री अशोक पटेल के द्वारा दिनांक 04.07.2025 को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजनांतर्गत लाभ हेतु श्रम विभागीय पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) ग्राम पंचायत बिर्रा, तहसील बम्हनीडीह, जिला जांजगीर- चांपा (छ.ग.) के

द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के मृत्यु की तिथि दिनांक 02.06.2025 थी। क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक द्वारा उक्त ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण एवं दिनांक 03.08.2025 को स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में ग्राम पंचायत सचिव एवं गवाहों के उपस्थिति में मृत्यु प्रमाण-पत्र में उल्लेखित मृत्यु तिथि एवं अन्य दस्तावेज सही पाये जाने के कारण योजना आवेदन स्वीकृत करते हुए दिनांक 17.09.2025 को आवेदक श्री अशोक पटेल के खाते में राशि हस्तांतरित की गई। अतः यह कहना सही नहीं है कि श्रम पदाधिकारी व श्रम निरीक्षकों द्वारा अभिलेखों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पूरे प्रदेश में संगठित रूप से चल रहा है और इसमें श्रम विभाग के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संलिप्तता है। यह कहना भी सही नहीं है कि जनकल्याणकारी योजनाओं में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण शासन को वित्तीय हानि हो रही है तथा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठ-गांठ और भ्रष्टाचार के कारण आमजनों में शासन एवं प्रशासन के प्रति रोष एवं आकोश व्याप्त है।

सभापति महोदय :- माननीय साहू जी।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, हम सभी जानते हैं कि इंसान का जन्म और मृत्यु एक-एक बार होता है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि सुमन पटेल की मृत्यु दो बार हुई है। आपने जवाब में दिनांक 27.11.2024 का उल्लेख किया है, जिसको गाँव के परिवार, गाँव के सरपंच और रिश्तेदारों के द्वारा कार्ड बाँट कर यह बताया गया कि 27.11.2024 को उनकी मृत्यु हुई और 06.12.2024 को दसकर्म किया गया।

सभापति महोदय :- एक मिनट। आप जो-जो तारीख आप पढ़ रहे हैं, यह सब इसमें उपस्थित है। आपने उसको पढ़ दिया है। अब आप मंत्री जी से क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैं जो प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, वह इसमें है। मुझे आपकी संरक्षण की जरूरत है।

सभापति महोदय :- मैं आपको पूरा संरक्षण दे रहा हूं।

श्री बालेश्वर साहू :- क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी ने यह जो जानकारी पढ़ी है, मैं साबित करता हूँ कि वह पूरी तरह से फर्जी है।

सभापति महोदय :- उसको साबित करने के लिए आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा न।

श्री बालेश्वर साहू :- मैं बता रहा हूं। इस जवाब में दो बार मृत्यु दिखाई गई है।

सभापति महोदय :- आप वही पूछिये न।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री महोदय, आप यह बता दीजिये कि सुमन पटेल की मृत्यु दिनांक 27.11.2024 को हुई है या दिनांक 02.06.2025 को मृत्यु हुई है? इस दोनों में कौन सा सही है?

सभापति महोदय :- यह ठीक है।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने शिकायत की थी। शिकायत होने के बाद कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा तत्काल उसका जाँच कराने का निर्देश दिया गया। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें शिकायत अनुसार मृत्यु दिनांक 27.11.2024 को, पंजीयन हेतु आवेदन 04.12.2024 को, पंजीयन दिनांक 09.12.2024 को, आवेदक के अनुसार मृत्यु दिनांक 02.06.2025 को योजना अंतर्गत लाभ हेतु आवेदन 4-7-2025 को स्वीकृति हेतु श्रम निरीक्षक की अनुशंसा पर 18-8-2025 को योजना में आवेदन...।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री लखनलाल देवांगन :- एक मिनट बताने दीजिए । उसके बाद आप पूछ लीजिएगा । मैं डिटेल्स बता रहा हूँ । मैं भी आपकी बातों में जा रहा हूँ ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बता रहे हैं तो थोड़ा धैर्य से सुनिये । मैं आपको मौका दूँगा ।

श्री लखनलाल देवांगन :- योजना के आवेदन में भुगतान 17-9-2025 को, कलेक्टर को शिकायत 2-3-2025 को, कलेक्टर का आदेश तहसीलदार को जांच हेतु 13-3-2025 को, कलेक्टर का प्रतिवेदन 15-3-2025 को ओर दिनांक 16/3 को ग्राम पंचायत के सचिव और मृतक के पति के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया गया है। चूँकि जो बयान आया है, अलग-अलग बयान लिया गया है, जिसमें सुमन पटेल/पति अशोक पटेल का निधन दिनांक संदिग्ध क्यों माना गया । 27 नवम्बर 2026 को निधन के पक्ष में बयान, बीना देवी कश्यप/मितानिन द्वारा वार्ड क्रमांक-9, 13 मार्च 2026 को तहसीलदार बम्हनीडीह के समक्ष बयान सुमन पटेल के परिजन ने सर्वे के दौरान बताया कि उनकी मृत्यु 27 नवम्बर को हुई है और मितानिन पंजी में भी उक्त अनुसार जानकारी लिखी गई है । सरिता नेताम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बिर्रा का 13 मार्च 2026 को तहसीलदार के समक्ष बयान दिया गया कि सुमन पटेल के परिजनों ने बताया है कि 27 नवम्बर 2024 को मृत्यु हो गयी है । जनवरी 2025 में इनका महतारी वंदन योजना बंद कर दी गई है और उसी तरह से तहसीलदार ने जो दोनों पक्षों से बयान लिया है, उसमें निधन के पक्ष में बयान मृतक के ससुर धनीराम पटेल ने 13 मार्च को तहसीलदार बम्हनीडीह के समक्ष बयान दिया है कि श्रीमती सुमन पटेल का निधन हार्ट अटैक से 2 जून 2025 को ग्राम बिर्रा में अंतिम क्रियाकर्म किया गया है । ग्राम बिर्रा वासी श्री श्याम पटेल 13 मार्च 2026 को तहसीलदार बम्हनीडीह के समक्ष बयान दिया कि श्रीमती सुमन पटेल का निधन हार्ट अटैक से 2 जून 2025 को हुआ है तथा ग्राम बिर्रा में इनका अंतिम क्रियाकर्म किया गया है । माननीय सभापति महोदय, जब दो बयान आये और जांच हुआ तो उसको माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष के शिकायत पर जांच की गई और जांच में अलग-अलग बयान आये। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिये । ग्राम पंचायत के सचिव जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, उसके ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है और फर्जीवाड़ा से उसके पति ने पैसा वसूल

किया है, हितग्राही लाभ लिया है, दोनों के खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है । जैसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष ने शिकायत की है, तत्काल उसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, एफ.आई.आर. भी दर्ज कर दिया गया है । जांच निश्चित तौर पर पुलिस में किया गया है, जांच पूरा होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा कि कौन सा मृत्यु डेट उसका सही है ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय सभापति महोदय, जांच में दो दिनांक आया है, आप बतायें कि दोनों में सही कौन सा है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- मैंने आपके दोनों बयानों को बताया है ।

श्री बालेश्वर साहू :- आपने दोनों पढ़ा है ।

श्री लखनलाल देवांगन :- दोनो पढ़ा हूँ । दोनों का बयान आया है, इसलिये एफ.आई.आर. दर्ज हुआ है । सभापति महोदय, जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा कि दिनांक कौन सा सही है ?

सभापति महोदय :- सरकार का बयान आया है, सरकार ने सचिव को सस्पेंड कर दिया है । इसमें एफ.आई.आर. हो गया है । जांच के बाद यह स्पष्ट होगा कि कौन सा घटना सही है ? आपको और कुछ पूछना है ?

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मुझे थोड़ा संरक्षण दीजिए । मुझे इस सत्र में पहली बार तो बोलने को मिल रहा है ।

सभापति महोदय :- आप पूछिये ना । मैं तो आपको संरक्षण दे रहा हूँ ।

श्री बालेश्वर साहू :- मैं बताना चाह रहा हूँ कि...।

सभापति महोदय :- प्रश्न पूछना पड़ेगा ।

श्री बालेश्वर साहू :- उनका सही मृत्यु दिनांक 27/11 है, जांजगीर-चांपा और पूरा प्रदेश की मैंने जो बात की है, उसमें कहीं न कहीं श्रम विभाग द्वारा इस तरह से कुछ व्यक्ति द्वारा दु:खी परिवार में जाकर 50 परशेंट का प्रलोभन दिया जाता है । देखिये, पंचायत के सचिव के ऊपर एफ.आई.आर. कर देना या हितग्राही के परिवार के ऊपर वसूली की बात करना, इससे जांच पूर्ण नहीं होता है । आप मछली को पकड़िये कि कौन दु:खी परिवार को प्रलोभन दे रहा, अधिकारियों, छोटे अधिकारियों को प्रलोभन दे रहा है, इस तरह से लगातार श्रम विभाग में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रातों-रात डेट बदल जा रहा है, मृत्यु का डेट बदल जा रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन जा रहा है, उसका कार्ड बन जा रहा है, शोक पत्र बन जा रहा है, वितरण भी हो जा रहा है।

समय :

1.00 बजे

सभापति महोदय :- आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, प्रश्न यही है, बिना परिवार के जाए पैसा भी ट्रांसफर हो जा रहा है। अगर मृतक आदमी की 27 तारीख को मृत्यु हो गई है तो उसका पंजीयन 4 दिसंबर को कैसे हो गया? मैंने प्रश्न पूछ लिया

सभापति महोदय :- आप थोड़ा प्रश्न पूछिए ना। बैठिए।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही बताया कि दोनों पक्ष का अलग-अलग बयान आया है। मितानिन का अलग बयान आया है, उनके परिजनों का अलग बयान आया है, मृत्यु दिनांक अलग दिन बताया है। कलेक्टर साहब ने सचिव और हितग्राही के पति के ऊपर एफ.आई.आर. दर्ज का आदेश कर दिया है, एफ.आई.आर. दर्ज हो गया है। हमारे श्रम विभाग के दस्तावेज को जिसने सत्यापन किया, लक्ष्मण मरकाम, श्रम निरीक्षक, द्वारा पंजीयन किया गया, उक्त श्रम दस्तावेज में भौतिक सत्यापन प्रथम दृष्टया में लापरवाही मिलती है। इसके लिए मैं श्रम निरीक्षक को निलंबित करने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री बालेश्वर साहू :- मंत्री जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय :- हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, आखरी प्रश्न तो पूछ लेता हूं, आज संरक्षण और आशीर्वाद दीजिए। मंत्री जी, आपने तो घोषणा कर दी, लेकिन जिस तरह से मैंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में यह भ्रष्टाचार चल रहा है। आप पूरे प्रदेश में जांच तो नहीं करा सकते, लेकिन क्या आप मेरे जिले में जांच कराने की घोषणा करेंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- देखिए, शिकायत मिलेगा तो निश्चित तौर पर जांच कराएंगे। आपके शिकायत में इतनी बड़ी कारवाई हुई, इससे बड़ी कार्रवाई और क्या कर सकते हैं ?

सभापति महोदय :- आप तो धन्यवाद दे दीजिए। कड़ी कार्रवाई की है।

श्री बालेश्वर साहू :- सभापति महोदय, मैंने धन्यवाद दे दी है। आप पूरे प्रदेश में जांच नहीं करा सकते तो मेरे जिले में, स्वयं मेरे गांव में इस तरह की घटना घटी है, क्या आप उसकी जांच करायेंगे।

श्री लखनलाल देवांगन :- आप बता दीजिएगा, निश्चित तौर पर जांच कराएंगे।

श्री बालेश्वर साहू :- धन्यवाद।

सभापति महोदय :- अब मैं नियम 267 (क) के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं लूंगा।

समय :
1.03 बजे

नियम 267 'क' के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्री रामकुमार यादव
3. श्री द्वारिकाधीश यादव
4. श्री रिकेश सेन
5. श्री कुंवर सिंह निषाद

सभापति महोदय :- याचिकाओं की प्रस्तुति

समय :
1.03 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री इंद्र शाह मंडावी
3. श्री अटल श्रीवास्तव

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- रजत जयंती वर्ष 2025 की स्मृतियों को चिरस्थाई बनाए रखने के उद्देश्य से षष्ठम छत्तीसगढ़ विधानसभा के समस्त माननीय सदस्यों को नवीन विधानसभा भवन की प्रतिकृति खानेदार अलमारी के माध्यम से वितरित की जा रही है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सूचना शाखा से अपने स्मृति चिन्ह अवश्य प्राप्त कर लें।

सभापति महोदय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्यय में स्वीकृत राशि के अनुदान की मांगों के बारे में प्रस्ताव– श्री गुरु खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री।

समय :
1.04 बजे

वित्तीय वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण
मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
मांग संख्या 47 कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (श्री गुरु खुशवंत साहेब) :- सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या - 15 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- एक सौ तिराही करोड़, पैंसठ लाख, सोलह हजार रूपये

मांग संख्या - 47 कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के लिए- चार सौ नवासी करोड़, सोलह लाख, अट्ठाईस हजार रूपये,

मांग संख्या - 49 अनुसूचित जाति कल्याण के लिए-सात करोड़, पन्द्रह लाख, उनतालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-एक सौ चौरासी करोड़, चार लाख, सत्रह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए-बारह हजार पांच सौ सन्तानबे करोड़, दो लाख, बयानबे हजार तक की राशि दी जाये।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सभापति महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुए माने जाएंगे।

मांग संख्या-15

अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

1. डॉ. चरणदास महंत 1

मांग संख्या-47

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार

1. डॉ. चरणदास महंत 1
2. श्री भूपेश बघेल 3
3. श्री कवासी लखमा 2
4. श्री लखेश्वर बघेल 2
5. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी1
6. श्री दलेश्वर साहू 1
7. श्री दिलीप लहरिया 1
8. श्री द्वारिकाधीश यादव 1
9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह 1
10. श्रीमती शेषराज हरवंश 2
11. श्री देवेन्द्र यादव 4

मांग संख्या-49

अनुसूचित जाति कल्याण

1. डॉ. चरणदास महंत 1
2. श्री दिलीप लहरिया 15

मांग संख्या-64

अनुसूचित जाति उपयोजना

1. डॉ. चरणदास महंत 1
2. श्री कुंवर सिंह निषाद 2
3. श्रीमती चातुरी नंद 1

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री दिलीप लहरिया।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में मांग संख्या 15, 49, 53, 64 एवं 47 के अनुदान मांगों के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- लहरिया जी, तोर विरोध करे से का हो जाही?

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर समर्थन करे ले का हो जात हे? जब ओ धान ला मुसवा खात हे।

श्री अजय चंद्राकर :- ते हा बता कि तोर विरोध करे ले का हो जाही?

श्री दिलीप लहरिया :- चंद्राकर जी, आपो के बोले मा कोनो अंतर नही पड़त हे, एती कोई आप के सुनबे नही करत हे। आप कतको बोलत हव, कहां सुनत हय?

श्री अजय चंद्राकर :- तोर विरोध करे ले का होही, तेला बता न?

श्री रामकुमार यादव :- न आप एती के होत हो अउ न ओती के होत हो, बीच में ठोड़हा कस दो घोड़हा पड़े हाव।

श्री उमेश पटेल :- चंद्राकर जी, ऊपर से आपको निर्देश भी आ रहा है कि आप विधान सभा में चुप रहेंगे।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, दिलीप लहरिया जी वरिष्ठ विधायक हैं। आप बोलिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय जी, आज इस बजट में अनुसूचित जाति वर्ग के विकास, शिक्षा और सामाजिक उत्थान की बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। आज प्रदेश में लगभग 50 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लोग निवासरत हैं और इनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका लाभ वास्तविक रूप में जमीन तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गयी है कि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में, आरक्षित विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए उस वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन व्यावहारिक स्थिति में बिल्कुल इससे विपरीत दिखाई दे रहा है। प्राधिकरण द्वारा अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र से बाहर भी विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है जबकि प्राधिकरण का गठन ही विशेष क्षेत्रों के लक्षित विकास के लिए हुआ था, लेकिन कार्यक्षेत्र के बाहर योजनाओं को स्वीकृति देना समझ से परे है। जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है और जो 10 कांस्टीट्यूएंसी आरक्षित है, उसमें विकास कार्य न होकर अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य इसी प्राधिकरण से हो रहा है। यह चिंता का विषय है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायवाल) :- लहरिया जी, आप मन तो दूसरी बार के विधायक हस। आप मन जानत होबे कि प्रदेश में जहां भी अनुसूचित जाति की संख्या 50 प्रतिशत से ऊपर है तो वहां तो विकास होत हे न।

श्री दिलीप लहरिया :- होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- आप क्या चाहते हैं कि नहीं होये?

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, लेकिन इस वर्ष प्राधिकरण के लिए जो 50 करोड़ रूपये की राशि है इसमें, उसमें से बाहुल्य क्षेत्र में मात्र साढ़े बारह करोड़ रूपये ही खर्च किये गये है और हर प्राधिकरण में हर जगह अलग-अलग प्राधिकरण बने हुए हैं, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो, सब जगह बने हुए हैं। वहां से पैसा इन क्षेत्रों में नहीं आ रहा है। लेकिन अनुसूचित जाति प्राधिकरण का पैसा बाहर जा रहा है। आज जिस हिसाब से प्राधिकरण का निर्धारित कार्यक्षेत्र है, इसके अलावा जो कार्य हो रहा है, यह गंभीर चिंता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमारे छात्रावास में बच्चों को जो मासिक शिष्यवृत्ति मिलती है, उसके लिए 1,500 रुपये निर्धारित है। हमने पिछली विधान सभा में भी यह बात रखी थी कि इनकी शिष्यवृत्ति को बढ़ाकर 1,500 रुपये से 3,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए।

सभापति महोदय :- लहरिया जी, एक मिनट। यादव जी, बोलिये।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, यह काफी गंभीर विषय है। आप एक तरफ प्राधिकरण में 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान करते हैं और व्यय होता है सिर्फ 12 करोड़ रूपये। इसका मतलब साफ है कि आप सदन में प्राधिकरण के लिए 50 करोड़ रूपये बोल रहे हैं और मंच में भाषण दे रहे हैं...।

श्री दिलीप लहरिया :- और इस साल 75 करोड़ रूपये करके इसकी राशि को बढ़ाया गया है।

सभापति महोदय :- आप एक वक्ता को बोलने दीजिये, फिर आप बोलियेगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- यह प्राधिकरण जिस वर्ग के लिए है, आप उसके गुरू भी हैं लेकिन आप 12 करोड़ रूपये देकर उन्हीं के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप 50 करोड़ रूपये बोल रहे हैं, आपने 50 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान भी किया है और आपने 12 करोड़ रूपये में ही रोक दिया। आप किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? गुरू जी कहकर सब आपका पैर छूते हैं ।

सभापति महोदय :- हो गया।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, जांजगीर की बैठक में मैं भी शामिल था कि 50 करोड़ रूपये को 75 करोड़ रूपये किया जाए। मैंने और हमारे माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी मांग रखी। आपने 75 करोड़ रूपये बोला है और अभी 50 करोड़ रूपये में से साढ़े बारह करोड़ रूपये मिल रहे हैं, तो यह बहुत चिंता का विषय है। सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ता हूं और कहना चाहता हूं कि जो शिष्यवृत्ति है, उसको 1,500 रूपये से बढ़ाकर 3,000 रूपये प्रतिमाह किया जाए और जो छात्र भोजन सहाय योजना है, उसको 1,200 रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये प्रतिमाह किया जाए ताकि छात्र-छात्राओं को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिल सके और यह आज की महंगाई में अनिवार्य भी है।

सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज हमारा कोनी क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र बन चुका है, जहां गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, बी.एड., स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैसे अनेक संस्थान संचालित हैं।

समय:

1.13 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, अत्यंत आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है कि शैक्षणिक केंद्र में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक भी पोस्ट मैट्रिक और बालक छात्रावास उपलब्ध नहीं है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। पूरे प्रदेश में रायपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर बिलासपुर है और जहां हमारे एक भी विद्यार्थी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक और बालक छात्रावास उपलब्ध नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं बिलासपुर जिले के कोनी में प्रत्येक 100 सीट क्षमता वाले छात्रावास की मांग करता हूं और निश्चित तौर पर इससे हमारे विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इतनी बड़ी पोस्ट मैट्रिक शैक्षणिक संस्था की संचालन अवधि 12 माह की होनी चाहिए। बच्चों की तरफ से एक मांग और शिकायत भी आयी है कि आप लोगों के द्वारा 12 माह की संचालन व्यवस्था में कटौती करके उसे 10 माह किया गया है। क्या यह सही है? माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 2 महीने जो शेष के समय में हमारे गरीब छात्र- छात्राएं भटकते हैं, कहीं किराये में लेकर रहना पड़ता है । कभी दूरांचल से हमारे जो छात्र-छात्राएं आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है । माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो 12 महीने पहले निर्धारित संचालित था, जैसे अन्य जगह 12 महीने संचालित होता है, वह संचालित भी हमारे इसमें 10 महीने की बजाय 12 महीने संचालित हो ताकि उन बच्चों को पूर्ण सुविधा मिल सके ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे शासकीय महाविद्यालय में लगभग 4000 छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और उसके लिये भी मात्र बिलासपुर में 70 सीट वाला हॉस्टल संचालित है । मैं चाहता हूं कि इसमें कम से कम 150 छात्रों के लिये वहां पर एक छात्रावास व्यवस्थित हो ताकि बिलासपुर जिले में पूरे रायगढ़ से, अंबिकापुर से सभी जगह से हमारे छात्र-छात्राएं आते हैं और 70 सीट में हमारी जो व्यवस्था है वह सुनिश्चित नहीं हो पा रही है । माननीय सभापति महोदय, हमारे नवीन भवन निर्माण के लिये बिलासपुर में शासकीय पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लिंग रोग बिलासपुर, शासकीय प्री मैट्रिक कमला नेहरू अनुसूचित जाति नवीन कन्या छात्रावास बृहस्पति बाजार, शासकीय प्री मैट्रिक कमला नेहरू अनुसूचित जाति पुराना कन्या छात्रावास बृहस्पति बाजार इन सभी के लिये जो जर्जर स्थिति है, छात्रावास में रहने की जो व्यवस्था है वह अव्यवस्थित है उसको व्यवस्थित किया जाये ताकि वहां पर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर सकें और इसमें 150 मीटर क्षमता वाले नये भवन का भी निर्माण

हो, ऐसा मेरा कहना है । आज जिस हिसाब से अनुसूचित जाति, आदिम जाति कल्याण विभाग की अनुदान मांग में हमारे सामने एक और चिंता का विषय आया है कि छात्रावासों में पदस्थ कई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिनकी मूल स्थापना छात्रावास में है लेकिन हमारे उच्च अधिकारी अपने बंगलों में इनके घरेलू उपयोग के लिये वहां पदस्थ किये हैं, अटैच किये हैं जिससे बिलासपुर जिले में हम जनप्रतिनिधियों के समक्ष लगातार बच्चों की एक शिकायत आती है कि यहां कर्मचारी कम हैं जिससे पूरी अव्यवस्था फैली हुई है इसको भी रोका जाये, उनको मूलस्थापना, मूल जगह में वापस किया जाये ताकि वहां रख-रखाव और व्यवस्था सुनिश्चित हो सके ।

माननीय सभापति महोदय, इसमें छात्रावासों में साफ-सफाई, रसोई व्यवस्था, विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा, अनुशासन, दैनिक व्यवस्थाओं का संचालन मुख्य रूप से कर्मचारियों के ऊपर निर्भर रहता है इसीलिये हमारे जो कर्मचारी हैं उनको मूल जगह में न कि बंगले में उनका उपयोग किया जाये । अन्य विभाग से लिया जाये लेकिन खासकर छात्रावासों से और हमारे जो अनुसूचित-जनजाति, आदिमजाति विभाग से जो लेते हैं उसको रोका जाये । माननीय सभापति महोदय, एक और है । जिस हिसाब से क्रीड़ा परिसर मात्र मुंगेली जिला में है और एक सक्ती जिला में संचालित है अर्थात् मुंगेली और सक्ती जिला में जिस तरह से क्रीड़ा परिसर संचालित है उसी तरह बिलासपुर में भी एक क्रीड़ा परिसर होना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इस ओर बिल्कुल ध्यान देंगे और जिस हिसाब से प्रदेश में गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव के लिये जो जिला स्तरीय गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव के लिये 1 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाती है उसको बढ़ाकर 3 लाख रूपये राशि की जाये ताकि व्यवस्थित रूप से जिस हिसाब से जहां-जहां कार्यक्रम होते हैं वहां पर सुचारू रूप से व्यवस्थित आयोजन हो सके। यह भी राशि जिस हिसाब से 18 दिसम्बर से पहले यह राशि जारी की जाये। 18 दिसम्बर के बाद हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर कहीं भी कुछ कार्यक्रम में थोड़ी त्रुटि आती है तो यह व्यवस्थित हो सके इसलिए हम यह चाहते हैं कि उस राशि को बढ़ाकर 3 लाख रूपये किया जाये। वह भी 18 दिसम्बर के पहले राशि दी जाये और जहां भी आपकी व्यवस्था हो, वहां यह राशि दी जाये। ताकि वहां सुचारू रूप से कार्यक्रम हो सके।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, भईया, निश्चित तौर पर जो बोलत हे, ए बहुत चूंकि ए धरती में पूरा देश में परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी के जो जन्म जयंती ला पूरा धूमधाम से मनाये जथे अउ हमर मंत्री जी आप तो स्वयं गुरू घासीदास बाबा जी के वंशज हो। जिस प्रकार से गुरू घासीदास बाबा जी के जन्म जयंती में खर्चा होना चाहिए, मैं खुद ओ जिला से आथव। इहां सक्ती जिला के प्रभारी मंत्री भी हे। ता ओमा बड़ा दिल करके एक फंड देना चाहिए ताकि हम परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी के अच्छा से अच्छा जन्म जयंती ला मना सकें अउ रोटी कपड़ा अउ मकान, ए तीनों हे सतलोक समान।

जो पूरा विश्व ला ए संदेस दे हे। ओ ला हम आम जनता तक अच्छा से पहुंचा सकी, आप ला ओमा एकर ले ज्यादा राशि देना चाहिए। अइसे मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहत हौं।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इसी तरह पोस्ट मैट्रिक एवं स्नातकोत्तर अनुसूचित जाति छात्रावासों में जो 15 हजार रूपये प्रदान किया जाता है। उसे बढ़ाकर कम से कम दोगुना, 30 हजार रूपये किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज राष्ट्रीय युवा उत्थान योजना के अंतर्गत दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, मैं उसके विषय में भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि दिल्ली में जिस हिसाब से प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान मुखर्जी नगर करोल बाग में संचालित है और यह कोचिंग हब से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। विशेषकर हिन्दी माध्यम अधिकांश छात्र मुखर्जी नगर करोल बाग में कोचिंग लेते हैं जिसके कारण उन्हें प्रतिदिन मैट्रो में लगभग 1 घण्टा 40 मिनट आने जाने का समय लगता है। मेरे पास यहां एक मांग आयी थी कि इसको व्यवस्थित किया जाये एवं शारिरीक एवं मानसिक थकान की जो संभावना बनी रहती है इस हेतु इसमें जगह को चेंज कर, वहां एक अलग से व्यवस्था की जाये। वहां से छात्र-छात्राओं की ऐसी एक डिमाण्ड थी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि दिल्ली स्थित ट्रायबल यूथ हॉस्टल को मुखर्जी नगर करोल बाग के समीप स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाये ताकि विद्यार्थियों का समय एवं ऊर्जा आवागमन में व्यर्थ न हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सतनामी समाज के धार्मिक स्थल समग्र विकास संरक्षण के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में भी परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी की की सुपुत्री सहोदरा माता जी का वहां धाम है उसको हम लोग कुटेला धाम कहते हैं। वहां को भी एक पर्यटक स्थल के रूप में दर्जा दिया जाये। उस समय हमारी सरकार में एक घोषणा हो चुकी थी कि आपकी सरकार आने के बाद इसे टाल दिया गया है। मैं यह चाहता हूँ कि कुटेला धाम में भी एक धाम के रूप में तथा पर्यटन के रूप में घोषित किया जाये। मैं यह चाहता हूँ कि इसमें माननीय मंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे और घोषणा करेंगे। एक बात और है विभिन्न जिलों में, बिलासपुर जिला में जैसे सड़क बोड़सरा धाम है, खपरीपुरी धाम, खड़वापुरी धाम जिला रायपुर में छतवापुरी धाम, चक्रवाए धाम, जिला बेमेतरा में लालपुर धाम, जिलामुंगेली में उमरियापाली धाम, जिला बिलासपुर में अमरटापू धाम, औराबांधा धाम, जिला मुंगेली में पचरी धाम, जिला जांजगीर-चांपा में पहाड़ीपुरी धाम, जिला कोरबा जोगीकुंआ, बैकुण्ठधाम, बाराडेरा धाम, जिला रायपुर संतोषपुरी धाम, जिला गरियाबंध तिरासीपुरी धाम, जिला बलौदा बाजार जैसे अनेक पवित्र स्थल सतनामी समाज के आस्था है और आधात्मिक परम्परा के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं । इसको विकसित करने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस ओर ध्यान दें । जैसे गिरौधपुरी धाम, भंडारपुरी धाम की तरह यहां भी विकसित हो, ताकि दर्शनार्थी

यहां भी जाये, सभी जगह घूमें और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसा मेरा निवेदन है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से सभी धाम में अपना विचार रखते हुए यहां विकसित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है । गिरौधपुरी धाम और भंडारपुरी धाम के विकास में बजट का जो प्रावधान है, उसमें बढ़ोत्तरी की जाये और ज्यादा से ज्यादा विकसित हो । जितना भी धाम का नाम मैंने लिया है, सभी जगह भी विकास हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

सभापति महोदय :- दिलीप जी, आपको बोलते हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गए, थोड़ा संक्षेप में करेंगे ।

श्री दिलीप लहरिया :- सभापति महोदय, केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान किया गया है । वास्तव में इसका खर्च मात्र 379 लाख ही खर्च हुआ है । यह क्षेत्र के विकास के लिए इतनी बड़ी योजना है, जो विशेष केन्द्रीय सहायता में 2023-24 का जो बजट प्रावधान है, इसमें 77 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन बड़ी चिंता का विषय है कि इसमें मात्र 379 लाख का खर्च बताया जा रहा है मतलब लगभग 4 करोड़ ही खर्च हुआ है । यह गंभीर चिंता का विषय है । इस योजना के प्रति आपकी सरकार को रूचि नहीं है । मैं यह चाहूंगा कि यह जो 77 करोड़ का प्रावधान है, इस खर्च को भी पूर्ण किया जाये, ताकि हमारे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में विकास हो ।

सभापति महोदय, स्वरोजगार योजना अधोसंरचना निर्माण कार्य में गंभीरता से समीक्षा की जाये, ताकि यहां भी अधिकारी लापरवाही करते हैं, वह न हो और विकास हो । मैंने जो केन्द्रीय सहायता योजना की बात की है, इसको समय रहते अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण सुनियोजित ढंग से इसको व्यवस्थित किया जाये ।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है । आदर्श ग्राम योजना अनुदान सहायता और छात्रावासों का निर्माण एवं मरम्मत के लिए इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है । मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं इस अनुदान मांग का विरोध करता हूं कि इतना बड़ी जिसमें प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना संचालित की जा रही है । यह महत्वपूर्ण घटक है, जिसमें आदर्श अनुदान ग्राम सहायता, छात्रावास निर्माण में किसी भी प्रकार का उल्लेख इस अनुदान मांग में नहीं है ।

सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में सभी जगह, लगभग सभी पंचायतों में परम पूज्य गुरू घासीदास बाबा जी का जय स्तंभ का निर्माण हो, यह मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं । पूर्व में हमारी सरकार के द्वारा ब्लॉक मुख्यालय में जय स्तंभ की घोषणा की गई थी । हम चाहते हैं कि आपके द्वारा भी एक घोषणा हो और वह हर जिले में, हर मुख्यालय में और कोशिश हो कि हर पंचायत में जय स्तंभ के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान करके शामिल किया जाये ।

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा कि जिस हिसाब से हमारे अनुदान मांग में बेरोजगारी भत्ता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस पर ध्यान दिया जाये, उसका भी उल्लेख हो। कौशल प्रशिक्षण के बार रोजगार की व्यवस्था का अभाव है, इस ओर भी ध्यान होना चाहिए। कौशल प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी सुनिश्चित किया जाये, यह मेरा निवेदन है। जैसे हमारे आई.टी.आई. एवं ट्रेड प्रशिक्षकों में पदों की स्थाई भर्ती का अभाव है। इसमें अभी तक भर्ती का कोई प्रावधान नहीं दिखाई दे रहा है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से इन अनुदान मांगों का विरोध कर रहा हूं। चूंकि हमारे अनुसूचित जाति भाईयों के विकास के लिए, उनके छात्रावास के लिए, छात्रों के लिए कोई विशेष प्रावधान होना चाहिए था, ऐसा किसी भी प्रकार का प्रावधान इन अनुदान मांगों पर शामिल नहीं है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
1:36 बजे

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

<u>श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, सांसद, राज्य सभा</u>

सभापति महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में छत्तीसगढ़ राज्य से राज्य सभा के निर्वाचित सांसद माननीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

<u>वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)</u>

सभापति महोदय :- श्री पुन्नू लाल मोहले जी।

श्री पुन्नू लाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय श्री गुरू खुशवंत साहेब जी के विभाग अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जी की मांग संख्या- मांग संख्या-15, मांग संख्या-49, मांग संख्या-53, मांग संख्या-64 एवं मांग संख्या-47 का समर्थन करता हूं। मैं मांगों का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि:-

'है गुरू जी खुशवंत, और बाबा गुरूघासीदास जी के वंश।' मैं इसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा विभाग में कहना चाहूंगा कि हमारे गुरू जी ने युवाओं के पदों का निखारने के लिए दृढ़संकल्पित है तथा प्रदेश में 146 विकासखण्डों के 201 में आई.टी.आई. केन्द्रों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैं उन प्रशिक्षण संस्थाओं के कुछ ट्रेड का उल्लेख करना चाहूंगा। विभिन्न व्यवसाय के लिए अनेक ट्रेड हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन, फीटर,

वेल्डर, कारपेन्टर, टर्नल इन्स्ट्रूमेंट मैकेनिकल, रेफ्रीजरेशन एवं एयर कंडीश्नर, प्लमबरिंग, कम्प्यूटर कोपा, सिविल, स्टेनो हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम, फैशन डिजाइन, सिविल टेक्नालॉजी, मोल्डिग सीट मेटल इत्यादि एवं आटोमोबाइल सेक्टर में मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ड्राइवर कम मैकेनिक, ट्रेक्टर मैकेनिक, आटो इलेक्ट्रिकल जैसे व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षणों द्वारा लगभग 39 हजार लोगों को ट्रेड प्रशिक्षण दिया गया है। इसमें 35 से 40 ट्रेड है। उनके लिए इन ट्रेडों के अनुसार लोग अपने व्यवसाय के अनुसार ऋण लेने की भी व्यवस्था है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय जी, नौकरी मिलही ता ? कतको ट्रेड देवा। एक ठन हे, फैशन डिजाइनर में तू भाग ले लेवा, ओ जो चलथे तेमा, त फैशन डिजाइनर मा भाग ले लेवा, बस ओही मा काम मिलही।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, बैठिये।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- सभापति महोदय, इन ट्रेडों में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, व्यवसाय हेतु, उद्योग धंधे लगाने हेतु 33 प्रतिशत अनुदान का भी प्रावधान है। उस अनुदान में अपना ऋण भी ले सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा 5 लाख रूपये तक ऋण दिया जाता है। उन्हें गारंटी की जरूरत नहीं है और जमानतदार की जरूरत है, ऐसे व्यवसाय के लिए आवश्यक है, यह मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रशिक्षण उपरांत उम्मीद्वारों को गैर सरकारी निजी संस्थाओं में स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए स्वत: के लिए रोजगार के लिए रोजगार मेला लगाया जाता है। रोजगार कैम्प लगने से 7,556 लोगों को रोजगार मिला है। वे अपने पैर में खड़े होकर काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण में लाइवलीहुड कालेज में कौशल प्रशिक्षण हेतु आई.टी.आई. तथा शॉर्ट टर्म कोर्स भी होता है। जिससे हितग्राहियों को अपने मानदेय के अनुसार टूलकिट भी प्रदान किया जाता है। यह सरकार सबके संकल्प सबके साथ और सबके विकास की ओर आगे बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए एक कुशन प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे ही कुशल कारीगर तैयार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में कृत संकल्प है। प्रदेश में रोजगार कार्यालय में अभी तक जो पंजीयन हुआ है, वह 17 लाख लोगों का जीवित पंजीयन हुआ है और अगर मैं कहूं या उदाहरण दूं तो रायपुर में 90 हज़ार के लगभग लोग पंजीकृत हैं। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में रोजगार कार्यालय की पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती। रोजगार विभाग द्वारा लगातार जिला स्तर, संभाग स्तर, प्रदेश स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन करके हजारों बेरोजगार कुशल-अकुशल युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का भगीरथ प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा प्रशिक्षण में गुणवत्ता एवं आधुनिकता के लिए निम्नानुसार बजट प्रावधान किया गया है, जिससे और सुदृढ़ीकरण परिलक्षित होगा, सरकार यह यह कदम स्वागत योग्य है। करियर काउंसलिंग योजना के तहत कैंपस इंटरव्यू या सिलेक्शन हेतु 10 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। सिडबी क्लस्टर

डेवलपमेंट फंड के माध्यम से आई.टी.आई. संस्थाओं के उन्नयन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया है। 51 आई.टी.आई. संस्थाओं में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि 5 करोड़ का प्रावधान है। पी.एम. सेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि 1 करोड़ का प्रावधान है। आई.टी.आई., नवा रायपुर के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य के समस्त आई.टी.आई. संस्थान ई-ऑफिस (पेपरलेस अत्याधुनिक डिजिटली) के क्रियान्वयन के लिए 3 करोड़ का और 50 लाख की राशि का प्रावधान है। जिला रोजगार कार्यालयों तथा रोजगार संचालनालय हेतु ई-ऑफिस (पेपरलेस अतयाधुनिक डिजिटली) एवं अन्य गतिविधियों के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) भिलाई, दूसरा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.टी. रायपुर) ट्रिपल आईटी रायपुर के साथ ही शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, पेट्रो केमिकल (पेट्रोलियम) इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एवं शासकीय पॉलिटेक्निक से तकनीकी शिक्षा दी जा रही है। इन सभी संकायों में हम अग्रसर कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं हमारे मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग कोर्स के तहत बी.ई., बी.टेक. चार वर्ष का, मास्टर डिग्री के लिए दो वर्ष का, डिप्लोमा दो वर्ष एवं तीन वर्ष की तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर इंजीनियरों तैयार हो रहे हैं। इसके लिए भी तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कुल 11,528 सीटें हैं एवं शासकीय पॉलिटेक्निक में 8,408 सीटें निर्धारित हैं। तकनीकी शिक्षा को और सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी सरकार के द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के अंतर्गत अधोसंरचनात्मक कार्य किये जाने एवं मशीनों के क्रय के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ एवं धमतरी के अंतर्गत मशीनों और उपकरणों के लिए 2 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक, रायपुर परिसर में कन्या छात्रावास निर्माण किए जाने हेतु पॉलिटेक्निक बस्तर में सीजीआर्टटी रायपुर के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 6 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान, रायपुर के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान किया गया है। इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेजों में उड़ान योजना तहत् प्रवेश परीक्षा के पूव्र अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रशिक्षण/कोचिंग प्रदान करने भी व्यवस्था की गई है। जिससे प्रवेश में इन छात्रों को सुविधा मिल सके। प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि संघ लोक सेवा के आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. एवं आई.आर.एस., आई.ई.एस. जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिखर' योजना के तहत प्रशिक्षण/कोचिंग दिये दिए जाने का प्रावधान है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एस.एस.सी.), रेलवे एवं बैंकिंग सेवाओं में चयन के लिए भी मंजिल योजना के तहत नि:शुल्क प्रशिक्षण/कोचिंग देने का प्रावधान किया गया है। इन

योजनाओं के लिए हमारी सरकार के द्वारा, माननीय विष्णु साय जी के द्वारा और हमारे मंत्री के द्वारा 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। सभापति महोदय, हमारी सरकार अनुसूचित जाति समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। इस बजट में उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। उड़ान योजना, शिखर योजना तथा मंजिल योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति विकास के लिए सरकार द्वारा सशक्त प्रयास किया जा रहा है, इसी के तहत् इस वित्त वर्ष में सरकार द्वारा बजट का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, सरकार की एक नई योजना 'मुख्य शिक्षा सहयोग' है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति के जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जो प्रवेश से वंचित हैं, उन्हें संभागीय मुख्यालयों में आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आदिम जाति विकास के तहत् छात्रावास के विद्यार्थियों के अध्ययन/शैक्षणिक भ्रमण के लिए अन्य उद्योग एवं प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों का भ्रमण तथा इंडस्ट्री एवं कारखानों के भ्रमण हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 30 छात्रावास, 3 प्रयास आवासीय विद्यालय एवं 2 क्रीड़ा परिषद भवन निर्माण हेतु 120 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। छात्रावास, आश्रम और शालाओं के संचालन हेतु 900 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। ग्राम तेलासी, भंडारपुरी मार्ग में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। ग्राम भंडारपुरी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख प्रावधान किया गया है, वहां मेला लगाने के लिए 15 से 20 लाख तथा मोती महल के निर्माण के लिए 17 करोड़ प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। गिरौदपुरी में अमृत कुंड से पचकुंडी होते हुए छाता पहाड़ को सतमार्ग के रूप में विकसित करने हेतु, गिरौदपुरी धाम के लिए 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है तथा भण्डारपुरी को तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने हेतु, दोनों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। माननीय सभापति महोदय, एक 'छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम' योजना है। इस योजना के द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को अंत्यावसाय में छोटे-छोटे उद्योग करने के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक की ऋण मुहैया कराई जाती है। उस 6% ब्याज दर पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को रूचि के अनुसार व्यवसाय जैसे ट्रैक्टर-ट्रॉली, खेती, वनोपज क्रय-विक्रय, सब्जी-फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स एवं जूता-चप्पल आदि व्यवसाय हेतु पूर्णतः सहायता दी जा रही है, जिस हेतु 6 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले समय बहुत से लोग व्यवसाय किए थे, उनके द्वारा

राशि नहीं पटा सकने के कारण उनको नोटिस जारी किये गये हैं। उस नोटिस को जरूर ध्यान देंगे, उस ब्याज को कम करेंगे और 'वन टाइम सेटलमेंट' करेंगे, ऐसी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। तकनीकी शिक्षा 33 जिले में चार छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दो शासकीय महाविद्यालय, एक पैट्रो केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, एक तकनीकी विश्वविद्यालय एवं बीस निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, 35 शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित 14 निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं। राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में कुल 11,528 सीटें हैं एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 8,400 सीटें उपलब्ध हैं। वर्तमान में 146 विकासखण्डों में 201 शासकीय आई.टी.आई. संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें लगभग 39,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। 51 आई.टी.आई. में अतिरिक्त भवन/विशेष मरम्मत कार्य हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, अब मैं अनुसूचित जाति विकास विभाग में कहना चाहूंगा। अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत 'जवाहर उत्कर्ष योजना' के तहत प्रतिभावान अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को प्रदेश के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा छठवीं से नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिसमें पारिवार की वार्षिक आय कम से कम 2 लाख 50 हजार हो। इसके लिए स्वीकृत सीट 400 एवं प्रवेशित सीट 397 है। इस योजना हेतु 4 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। अब 'मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना' के संबंध में बताना चाहूंगा। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को 9वीं से 12वीं तक स्कूल शिक्षा के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सी.ए., सी.एस., सी.एम.ए. हेतु कोचिंग प्रदान की जाती है, जिसके लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी 'क्रीड़ा परिसर' के संबंध में बताना चाहूंगा कि प्रतिभावान अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए दो क्रीड़ा परिसर हैं - एक मुंगेली एवं दूसरा सक्ती में है। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में 100-100 सीट, कुल 200 सीट स्वीकृत है। प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रतिमाह 1500 रुपये शिष्यवृत्ति एवं 500 रुपये पोषण के लिए दिया जाता है, जिसके लिए इस वर्ष 127.80 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि जो राशि 1500 है, उसे बढ़ाई जाए। पोषण आहार में यह राशि कम से कम 5-7 साल के पहले का है। इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। छात्रावास एवं आश्रम, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को नि:शुल्क आवासीय शिक्षा हेतु प्रदेश में कुल 434 छात्रावास एवं 51 आश्रम इस प्रकार से 464 छात्रावास और आश्रम संचालित है । 25,917 सीटे छात्रावास एवं आश्रम में स्वीकृत है और छात्रावास मद में 146 करोड़ 47 लाख 97 हजार तथा आश्रम मद में 26 करोड़ 79 हजार 48 रूपये का प्रावधान किया गया है । ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने के लिये कुल 59 हजार 565 विद्यार्थियों के लिये राशि 26 करोड़ 54 लाख 99 हजार की छात्रवृत्ति ऑनलाईन के माध्यम से दिया जाता है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और स्वत: उनके खाते में चला जाये और उनको साधन मिले । हॉस्पिटीलिटी एवं

हॉटल मैनेजमेंट, इसके लिये इस क्षेत्र में अब तक 72 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । नर्सिंग पाठ्यक्रम, इस योजना में प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बी.एस.सी. नर्सिंग की नि:शुल्क सुविधा है । छात्रों में मेस एवं प्रशिक्षण भी नि:शुल्क दिये जाने का प्रावधान है । अब तक इस योजना में 187 विद्यार्थियों को लाभ दिया गया है तथा इस वर्ष 3 करोड़ 99 लाख का प्रावधान किया है । बाबा गुरूघासीदास जी चेतना स्मृति उत्थान पुरूस्कार भी दिया जाता है, जिससे प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र में कार्य करने वाले को, विकास के संबंध में, स्मृति के संबंध में, कार्यकलाप में, बाबा गुरूघासीदास जी के नाम से 2 लाख रूपये राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है । गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव, इसके लिये अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को पारम्परिक कलायें जैसे हमारे पंथी नृत्य, भरथरी, पंडवानी तथा पारम्परिक वाद्य यंत्र के लिये राशि दी जाती है । जैसे 10-10 हजार रूपये आदिवासी उपयोजना के तहत दिया जाता है, ऐसे नृत्यों के लिये, पंथी, टोली, पंडवानी के लिये, यंत्रों के लिये राशि देने का प्रावधान जो आपके पास नहीं है, उनको किया जाये । मैं आपसे यह मांग करता हूँ । चयनित पुरूस्कारों को पंथी टोली में प्रतिवर्ष किया जाता है, पंथी जो जिला स्तर को होता है, प्रदेश स्तर का होता है, जो चयनित होते हैं और प्रथम में आते हैं, उन्हें 1 लाख रूपया दिया जाता है । द्वितीय श्रेणी को 75 हजार और तृतीय को 50 हजार दिया जाता है । यह राशि 10-15 वर्षों से पहले का है, इस राशि को बढ़ाये जाने की भी आवश्यकता है । मैं मांग करूँगा कि इस राशि को डबल किया जाये। देवदास बंजारे पुरूस्कार है जो नृत्य के पंथी टोली को उन्होंने विदेश तक पहुंचाया है और उनका यह प्रयास सराहनीय रहा है, उसके लिये देवदास बंजारे पुरूस्कार भी दिया जाता है । इसमें भी 1 लाख रूपये की राशि दी जाती है और उसे 2 लाख किया जाये । चर्म विकास बोर्ड भी है, चर्म विकास बोर्ड के कार्य में उस समुदाय के व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु सहायता दी जाती है । इस वर्ष 2 करोड़ 45 लाख का प्रावधान है । मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ । ग्राम गिरौदपुरी और भंडारपुरी में श्रमिक विकास के लिये इस बजट में 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना है, इस योजना के तहत 500 आबादी से लेकर लगभग 40 प्रतिशत अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों को मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये इस वर्ष 40 करोड़ का प्रावधान है । प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिल्ली से सुचारू रूप से चलाया जाता है, जिसमें पूर्व में 175 गांवों को जोड़ा गया है । इस समय 1050 गांवों को भी जोड़ने का प्रावधान किया गया है । इसमें 40 करोड़ राशि का प्रावधान है । मैं कहना चाहूँगा कि इस राशि का डीपीआर बनाया जाये, यह बहुत कम समय में बनता है, इसे डीपीआर बनाकर भेजा जाये और दिल्ली से राशि की मांग की जाये और यह राशि एकमुश्त न मिलकर तीन किश्तों में होता है, मैं उसे एक मुश्त देने का अनुरोध करता हूँ । दूसरा, अंत्यावसायी अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, इस जाति के व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता हेतु भी शासन के द्वारा राशि दी जाती है, इसके लिए

66 करोड़ राशि का प्रावधान भी किया गया है। इससे इन वर्गों के लिए छोटे-छोटे काम और व्यवसाय के लिए भी उन्हें राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, विभाग द्वारा ही इसे राशि स्वीकृत की जाती है जिससे उनको आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और व्यावसायिक विकास में आगे आने की आवश्यकता पर बहुत जोर करता है, मैं धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय :- मोहले जी, थोड़ा संक्षेप करेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, जी। विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में पिछले समय अनुसूचित जाति के विकास के लिए गली, सड़क, रोड, पुल, पुलिया, सामुदायिक भवन, पचरी निर्माण, बिजली निर्माण, बाबा गुरु घासीदास जी के प्रतीक चिन्ह, जैतखंभ के निर्माण के लिए अनेक कार्यों के लिए 50 लाख राशि दी जाती है, पिछले समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जांजगीर की बैठक में मांग की है, 75 करोड़ किया जाए उसे 75 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में रखा गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। पी.एस.सी. कोचिंग सिर्फ दिल्ली में होता है, एक रायपुर में होता है, मैंने मांग की थी कि मुंगेली में भी पी.एस.सी. की कोचिंग अन्य व्यवसाय के लिए किया जाए, उसके लिए व्यवस्था हो, ऐसी मैं मंत्री से मांग करूंगा, आशा है, वे जरूर करेंगे। माननीय सभापति जी, विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमारे बच्चे बच्चियों को हवाई जहाज के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, हमने पिछले समय मांग की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, एक विद्यार्थी को हवाई जहाज के प्रशिक्षण हेतु 15 लाख रुपए तक राशि पांच लोगों के लिए स्वीकृति दी है, उसे 50 लोगों के लिए दिया जाए ताकि लोगों को अत्यधिक लाभ हो और सुविधाजनक हो। अगर मैं बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थल की बात करूं, एक ऐसी मांग है, पिछले समय मैंने रोपवे के निर्माण के लिए मांग की थी, जैसे डोंगरगढ़ है, उस रोपवे को छाता पहाड़ से बाबा गुरु घासीदास जी के जो नए प्रतीक चिन्ह जैतखंभ 55 करोड़ का बना है, वहां मंदिर तक जाने में सुविधा होगी, लोगों को एक आकर्षण का केंद्र होगा। सामाजिक सांस्कृतिक और हमारे साहित्यिक स्तर पर पूरे देश विदेश में बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से जाना जाता है, गिरौदपुरी को बाबा गुरू घासीदास के जन्म स्थल के नाम से जाना जाता है। उसके लिए जरूर देंगे। दूसरा, वहां नीचे में तालाब है, अगर उस तालाब के नीचे को सर्वांगीण विकास किया जाए या सौंदर्यीकरण कर दिया जाए जिससे वहां बच्चों के बोट की व्यवस्था हो जाए। गिरौदपुरी में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाह रहा हूं। क्योंकि माननीय वरिष्ठ विधायक जी सही बात सदन में लाए हैं। गिरौदपुरी धाम मेरी विधानसभा से लगा हुआ है जो रोप-वे की मांग आदरणीय किये हैं, उसमें मैं भी आपसे निवेदन करता हूं, जब आप भाषण देंगे तो निश्चित रूप से इसकी घोषणा करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सभापति महोदय, मंदिर के नीचे तालाब है जो सूख जाता है, यात्रीगण आते हैं, बहुत परेशानी होती है, उस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, वहां पचरी बन जाए, महिलाओं, बच्चों की नहाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, लोग नदी से नहा कर अपने घर में आते हैं, वैसा कोई स्नानागार नहीं है, शौचालय भी नहीं है, सिर्फ एक रेस्ट हाउस है, वह सिर्फ वी.आई.पी. के लिए होता है, अन्य लोगों के लिए कुछ नहीं है। पक्का शौचालय कम से कम 500 हो, वहां 10 लाख, 20 लाख लोग आते हैं, वहां शौचालय नहीं है, ऐसी ऑर्डिनरी शौचालय हो जाता है। वहां शौचालय के काम करने वालों की व्यवस्था हो, ऐसी मैं आपसे मांग करता हूं । दूसरा आपके और बताना चाहूंगा, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में जो राशि है गिरौदपुरी धाम भंडारपुरी के लिए 5 करोड़ 6 लाख है, उसे भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है । विभिन्न स्थलों में जैसे लालपुर में बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के लिए 10 लाख रुपए दिया जा रहा था, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । अमरटापू के लिए 10 लाख था, उसे 15 लाख किया गया है। बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर गए थे तो श्वेत गंगा में 5 लाख जो राशि थी, उसके लिए मैंने 10 लाख की मांग की, उनकी स्वीकृति बजट में प्रावधान किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । श्वेत गंगा में 50 लाख के सामुदायिक भवन के लिए राशि दी गई, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मुंगेली में सतनाम भवन के जीर्णोद्धार के लिए, उसके आसपास की मरम्मत के लिए, अहाता के लिए 25 लाख रूपये की राशि दी गई, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी तरह अगर मैं कहूं तो पूरे भंडारपुरी सहित खरूआ में, कपरीधाम में जो धार्मिक स्थल हैं, उनके लिए भी राशि का प्रावधान हो। जिससे हमारे बाबा गुरू घासीदास जी के विचार और भावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे एक और मांग करूंगा कि मुंगेली में जो मेट्रिक एवं मेट्रिकोत्तर छात्रावास हैं, उनमें से बहुत से जीर्ण-शीर्ण हैं। उसके भवन की आवश्यकता है, इसलिए आप वहां जरूर भवन बनाएंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करूंगा। इन सब बातों से अनुसूचित जाति के विकास में उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है और हमारे एक नए मंत्री बने हैं, जो इंजीनियरिंग भी पढ़े हैं और गुरू भी हैं तो आप हर काम को अच्छे ढंग से शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और देश के विकास और समाज के शैक्षणिक विकास में योगदान देंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (डोंगरगढ़) :- धन्यवाद, सभापति जी। आज मैं हमारे आदरणीय मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब जी को प्रणाम करते हुए अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के विभाग से संबंधित मांग संख्या 15, 49, 53, 64 और 47 पर अपनी बात कटौती प्रस्ताव पर रखने जा रही हूं। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति की सूची अधिसूचित की जाती है ताकि सामाजिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों को लंबे समय तक अस्पृश्यता,

बहिष्कार और सामाजिक अलगाव का सामना न करना पड़े। इसके लिए यह नियम बनाया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग 12.81 प्रतिशत है। सरकार के द्वारा आज तक जातिगत जनगणना की भी शुरूआत नहीं की गई है। सरकार की घोषणा जरूर थी और मोदी जी के अच्छे दिन में जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन आज भी उसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। पिछले सरकार में, हम लोगों की सरकार में बात आई थी कि आरक्षण को बढ़ाया जाए, लेकिन आरक्षण की फाइल भी आदरणीय राज्यपाल जी के यहां लंबित पड़ी हुई है। अभी के समय में बढ़ती जनसंख्या के साथ-साथ अनुसूचित जाति विभाग में कम से कम 13 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ावा मिलना चाहिए। अब जनसंख्या भी बढ़ चुकी है। आज आम जनता में अनुसूचित जाति का महत्व निखर कर आ रहा है, उसको हमको और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि जो लंबित है, उसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज बढ़ती जनसंख्या और बदलते व्यवहार में भी हमारा समाज, हमारा महत्व जाति प्रमाण पत्र से है। लेकिन आज सरल प्रक्रिया को और कठिन कर दिया गया है। आज प्रमाण पत्र आसानी से नहीं बन पा रहा है और बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज बच्चों को पढ़ाई से लेकर, शुरुआती क्षण से लेकर रोजगार के अवसर तक और हर समय जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र डोंगरगढ़ में कई सारे बच्चे जब जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि नियम बदल दिया गया है और प्रमाणीकरण नगरपालिका से न होकर एसडीएम के पास होगा और जब एसडीएम के पास जाते हैं तो वह कहता है कि यह नहीं हो पाएगा। जिससे उनको बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है और आज के दौर में यह व्यवस्था बहुत कठिन है और हम जाति प्रमाण पत्र बना नहीं पा रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति के भाई-बहनों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र को बनवाया जाए और उसके जो नियम हैं, उनको सरलता के तौर पर रखा जाए। हमारे बच्चे पढ़-लिखकर आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आज की स्थिति में हमारा जो साक्षरता अनुपात है, जो 70.28 प्रतिशत था। पूरे राज्य में हमारी अनुसूचित जाति का साक्षरता का प्रतिशत 70.76 प्रतिशत है। जिसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सुविधा की आवश्यकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चे छात्रावास-आश्रम में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वह दूर-दराज से आकर पढ़ाई करते हैं। उनकी मेस के लिए जो 1500 रूपये की छात्रवृत्ति मिलती है, वह बहुत ही कम है। जैसे अभी सभी सदस्यों ने कहा है कि उसे बढ़ाया जाए ताकि उनको सुविधा मिल सके। हमारे पास अभी कुल 25,917 छात्रावास और आश्रम हैं जो कि हर जिले में बनना चाहिए और हर जिले में सबको सुविधा मिलनी चाहिए। हालांकि अभी पोस्ट मैट्रिक छात्रावास-आश्रम हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल एक भी जिले में नहीं हैं। आपसे निवेदन है कि यह शुरूआत की जाये कि पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास बने ताकि जो बच्चे पी.जी. की पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनके लिए छात्रावास नहीं होता और वह प्राइवेट हॉस्टलों में जाते हैं और उनके

पास सुविधा नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें किराए के मकानों पर रहना पड़ता है। हमको उनके लिए छात्रावास खोलने चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो आज निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, उनको सुविधा मिल सके। मंत्री जी, मेरी आपसे यही मांग है कि इसे बढ़ाकर सभी जिलों में पोस्ट ग्रेजुएट छात्रावास, पी.जी. हॉस्टल का निर्माण किया जाए। मैं अपने राजनांदगांव जिले के लिए विशेष रूप से मांग करती हूं कि वहां पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल की बहुत समय से एक मांग आ रही है, आप उसकी घोषणा करें।

समय:

2.00 बजे

सभापति महोदय, आज पढ़ाई के साथ-साथ क्रीड़ा का भी महत्व है। सिर्फ मुंगेली और सक्ती में ही क्रीड़ा परिसर है, जो कि हमारे चारों संभाग में होना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति के बच्चे खेल और पढ़ाई के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में आगे हो और उनकी सुविधा को देखते हुए हमें चारों संभाग में क्रीड़ा परिसर बनाने चाहिए ताकि बच्चे जब संभाग स्तर पर खेलकर आए तो वे क्रीड़ा परिसर में चयनित हो और उनको वहां पर पढ़ाई के साथ-साथ क्रीड़ा की भी व्यवस्था मिले। मैं आपसे यह मांग करती हूं कि चारों संभाग में क्रीड़ा परिसर का निर्माण होना चाहिए। यह हमारे अनुसूचित जाति विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय, आप लोगों ने हमारे क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए और पूरे राज्य के विकास को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति प्राधिकरण में 75 करोड़ रूपये की राशि रखी है। आज अनुसूचित जाति वर्ग के सिर्फ 10 विधायक हैं। आप उन सब के लिए कम से कम 1-1 करोड़ रूपये का प्रावधान रखें और नियम पर ही रखें ताकि हम अपने क्षेत्र की व्यवस्था को बना सकें। आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रूपये से ज्यादा नहीं मिल पाते, 30 लाख रूपये तो बहुत कम राशि है। जिले में चार विधान सभा में केवल एक ही अनुसूचित जाति वर्ग का विधान सभा होता है और हम वहां के एक ही विधायक हैं। यदि वहां आस-पास से कुछ मांग आती है तो हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम दसों विधायकों को कम से कम 1-1 करोड़ रूपये की राशि देते भी हैं तो 10 करोड़ रूपये ही होते हैं और बाकी का जो भी बचता है, आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। सारे जगहों पर समाज की गति को बढ़ाने के लिए हमको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि प्राधिकरण के माध्यम से 1 करोड़ की राशि प्रत्येक विधायक के फंड में दी जानी चाहिए ।

सभापति महोदय, पिछले सत्र में अनुसूचित जाति क्षेत्र के पूरे जिलों में सतनाम भवन और जैतखाम की मांग भी आयी थी और यहां घोषणा भी की गई थी, उसके बाद भी जैतखाम का निर्माण आज पर्यंत तक नहीं हो पाया है। मैं उसके लिए भी आपसे मांग करती हूं कि सभी जिलों में मॉडल जैतखाम का निर्माण होना चाहिए ताकि हमारे बाबा जी की पहचान आगे बढ़े और लोगों तक यह सूचना जाए कि सभी जिलों में मॉडल जैतखाम बन चुके हैं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ यहां जो बच्चे मेरिट आते हैं, उनको उनको पुरस्कार भी देना चाहिए, अभी यह प्रत्येक जिलों में नहीं हो रहा है। प्रतिस्पर्धा की भावना से जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको समाज के भवनों में, सतनाम भवन में पुरस्कार मिलता है और उसके बाद वह वहीं पर सिमट जाते हैं। हमें उनको प्रतिस्पर्धा की भावना से जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रत्येक छात्रावास, प्रत्येक सतनाम भवन में अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वे बच्चे वहां से आगे बढ़े और उनको कोचिंग का लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, आज हम जिस तरह से जातिगत भावनाओं को देखेंगे तो बहुत से कर्मकार अस्पृश्यता की भावनाओं से गुजर रहे हैं। वे बहुत सारे काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। हमें उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई लोग चर्मकार, मल-मूत्र साफ सफाई, कचरा इकट्ठा और ऐसी कई व्यवस्था को देने वाले कार्य कर रहे हैं। ऐसे कर्मकारों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमको उनकी पेंशन योजना के लिए ध्यान देना चाहिए ताकि उनको पेंशन मिले और समाज में उनको सम्मान मिले। क्या बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मकार नहीं हैं, जिनके अस्पृश्यता अत्याचार के कई प्रकरण दर्ज हैं ? लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि उन सफाई कर्मकारों को अस्पृश्यता अत्याचार निवारण के तहत सुविधा भी हो और उनको सम्मान भी मिले। इसके लिए हमको एक ऐसा कुछ नियम या कानून बनाना चाहिए ताकि वह अपने इस समाज में सिर उठाकर काम कर सकें । अगर व न रहें तो वास्तव में आज के दौर में सफाई भी नहीं हो पायेगी तो जब हम यह व्यवस्था चाहते हैं कि हमारे समाज को सफाई की जरूरत है और जो सफाईकर्मी लोग हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए और पेंशन के साथ-साथ यदि ऐसी घटनायें होती हैं तो उसमें विशेष ध्यान देकर इसका निराकरण कराना चाहिए, इसके लिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि जो नियम बना है । अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1979 संशोधन 2015 तथा 2018 के अंतर्गत राहत योजना बनायी गयी थी । उस राहत योजना पर विशेष ध्यान देकर यहां पर संचालन कराया जाये ताकि ऐसी कोई भी घटना न घटे और उनको सुविधा मिल पाये । जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा के लिये आपने यहां बहुत सारी बातें रखीं, जिसे मैं सुन रही थी कि बाहर से यहां पर प्रशिक्षण देने के लिये आयेंगे । मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूं कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति एकदम कम है । इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रों को मात्र 1000 रूपये और पॉलिटेक्निक छात्रों को केवल 600 रूपये प्रतिमाह दिया जा रहा है, आज के महंगाई के दौर में यह राशि छात्रों के पढ़ाई करने के लिये बहुत ही कम है और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिये हमें 5000 रूपये की छात्रवृत्ति देनी चाहिए और कम से कम उनको रहने की व्यवस्था देनी चाहिए। आज इसी प्रकार राज्य से बाहर अध्ययनरत छात्रों को 2000 रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है जो कि वर्तमान परिस्थिति में पर्याप्त नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, बी.पी.एल. परिवार के छात्रों को इंजीनियरिंग में 1000 रूपये, पॉलिटेक्निक में 500 रूपये दिया जा रहा था, उसको बढ़ाया जाये और उनकी जरूरत के अनुरूप उनकी पढ़ाई में हमको सहयोग के रूप में एक तो छात्रवृत्ति दी जाये, जो कि बी.पी.एल. के बच्चों के लिये बढ़-चढ़कर हो और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर पायें । इसके साथ ही प्रदेश के कई शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान हैं जिनके भवन पुराने और जर्जर हो चुके हैं लेकिन उनके नवीनीकरण के लिये बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है । तकनीकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण विषय वर्कशॉप और प्रेक्टिकल प्रशिक्षण होता है लेकिन कई संस्थानों में वर्कशॉप के लिये आधुनिक मशीनें ही नहीं हैं । आज अगर हम मशीन ही उपलब्ध नहीं करवा पायेंगे तो हम उनको कैसे सीखायेंगे ? प्रशिक्षण देने के लिये अगर बाहर से कोई भी अध्यापक आ जाये या प्राध्यापक आ जाये लेकिन हमें यहां पर केवल मशीन से ही सीखाना पड़ेगा । यदि वे मशीन को छुएंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो वे कैसे इंजीनियरिंग का काम कर पायेंगे ? माननीय सभापति महोदय, यदि उनको कहीं पर मशीन ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वे काम कैसे कर पायेंगे इसलिये आपसे निवेदन है कि यहां पर जितने भी इंजीनियरिंग संस्थाएं हैं वहां पर आप मशीनों को व्यवस्थित उपलब्ध करायें ताकि वह सीख सकें ।

सभापति महोदय :- हर्षिता जी, थोड़ा संक्षेप करेंगे ।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- जी । माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार सच में प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना चाहती है या योग्य बनाना चाहती है तो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रवृत्ति और संस्थानों के बुनियादी ढांचा को मजबूत करना होगा । इन्हीं कमियों के कारण मैं मांग संख्या-47 के इस बजट का विरोध करती हूं और सरकार से यह आग्रह करती हूं कि छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाया जाये और जर्जर भवनों का नवीनीकरण किया जाये ।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के जो आई.टी.आई. संस्थान हैं उसको बदलकर आई.आई.टी. कर दिया गया । सरकार की यह जो मुहिम है, यह बहुत ही गलत है । हमारे बच्चों को धोखा देने वाली बात है, मैं जब कवर्धा से गुजर रही थी तो मैंने वहां देखा कि हमारे आई.टी.आई. को आई.आई.टी. कर दिया गया, यह केवल बच्चों को छलावा देने वाली बात है, दिखाने वाली बात है । वास्तव में वहां सुविधायें बढ़ानी चाहिए और सुविधा के साथ-साथ वहां के बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और इस सब में सहयोग करना चाहिए जो कि नहीं हो रहा है और बच्चों को धोखाधड़ी देने वाली बात करते हैं कि हम आई.आई.टी. बना रहे हैं तो ऐसी कोई भी योजना न बनायें जिससे बच्चों को सुविधा न हो, सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमको काम करना चाहिए और ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री सुशांत शुक्ला जी ।

श्री सुशान्त शुक्ला(बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-2027 के श्री गुरूखुशवंत साहेब अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री जी की विभागों से संबंधित मांग संख्या 15, 49 53, 64 एवं 47 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारा गौरव है कि मनखे-मनखे एक समान के नारे को उस व्यावहारिक व्यवस्था के साथ खड़ा करना, जब वंचित समाज मुख्य धारा में नहीं था तब इस धरती में गुरू घासीदास जी का प्रागट्य हुआ और उन्होंने अपने कृत्यों से अपने जीवंत व्यवस्थाओं के साथ संत शिरोमणि की उपाधि प्राप्त की और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी सरकार में उनके वंशज के रूप में सतनाम समाज को मुख्य धारा में अनुसूचित जाति समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य कर रहे, गुरूखुशवंत साहेब काम कर रहे हैं। हमारी सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों शैक्षणिक व्यवस्था एवं विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। उनमें से जवाहर उत्कर्ष योजना एक है वर्तमान में इस विषय से प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थी लाभांवित हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि वहां समस्याएं हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत स्वीकृत सीटें 490 हैं और प्रवेशित सीटें 397 हैं । योजना वर्ष 2026-2027 में 470 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, यह अपने आप में उल्लेखनीय है। इसके साथ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के लिए वर्ष 2026-2027 में बजट में 6 करोड़ 80 लाख रूपये प्रस्तावित किया गया है। क्रीड़ा परिसर के रूप में हमारे पूर्ववर्ती श्री दिलीप लहरिया जी विषय उठा रहे थे मुंगेली और सक्ती में क्रीड़ा परिसर संचालित है वहां 100 सीट के मान से कुल 200 सीटें हैं। इन दो जिलों में खेल परिसर के रूप में काम कर रही है। वहां पर प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक और कन्या आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए प्रतिमाह 2000 रूपये का प्रावधान करते हुए, 127 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। छात्रावासों और आश्रम के संचालन के लिए सरकार बहुत गंभीर है। यह बात सही है कि छात्रावासों की स्थिति बहुत गंभीर है। क्योंकि मैं लगातार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के दौरे पर जाता रहता हूँ। वहां भवन पुराने हो गये हैं इसलिए वहां मरम्मत और नये भवन की आवश्यकता है। उसकी क्षमता भी बढ़ायी जाने की आवश्यकता है। अगर हम प्रदेश को दृष्टिगत करें तो रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, अंबिकापुर रायगढ़ में जहां शिक्षा के नये केन्द्र स्थापित हो रहे हैं वहां पर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि छात्रावास के लिए बजट आवंटन की राशि को बढ़ाते हुए, नवीन छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था ऐसे मुख्यालयों में जरूर हो जो नये शैक्षणिक केन्द्र के रूप में स्थापित हो रहे हैं। इस बार छात्रावास मद में 146 करोड़ रूपये 27 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। आश्रम मद में भी 26 करोड़ रूपये के लगभग का प्रावधान किया गया है। हमारे बजट में ऑन लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है जो 86

करोड़ के रूप में प्रावधानित है और पिछले मुख्य बजट की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। यह अपने आप में बहुत है। लेकिन मैं पुन: स्थापित करता हूँ कि यहां छात्रावासों की आवश्यकता है और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो छात्रावासों में पूर्व छात्र रह रहे हैं उनकी पढ़ाई पूर्ण हो गयी है उनको वहां से रोजगार के अवसर दिलाते हुए अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए, वहां पर नवीन छात्रों को अवसर दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी के पास तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा समुचित विकास एवं समन्वयन स्थापित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह विभाग सदैव इसके लिए तत्पर भी है। प्रदेश में वर्तमान में 33 जिलों में से 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, 2 शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 1 सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो कैमिकल इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, विश्वविद्यालय, एक शिक्षण विभाग स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय अंबिकापुर, संगठक महाविद्यालय, विवेकानंद स्वामी तकनीकी विश्वविद्यालय और 20 अन्य निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं। यहां पर 3 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पॉलिटेक्निक संस्थाएं, 35 शासकीय पॉलिटेक्निक, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, 14 अन्य निजी पॉलिटेक्निक संस्थाएं प्रदेश में संचालित हैं। जिसमें इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की कुल संख्या की चिंता की जाये तो यह 11 हजार 528 होती हैं और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में 8 हजार 408 सीटें उपलब्ध हैं। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा कि एक बार विभागीय तौर पर इन सभी महाविद्यालयों का निरीक्षण जरूर होना चाहिए क्योंकि इसमें शिक्षकों की कमी है, लैब की कमी है और ये आज से नहीं है, विगत कई वर्षों से है । जब मैं आपके बीच में इस बात की मांग कर रहा हूं कि तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए तो इसमें तकनीकी शिक्षा जरूरी है ।

श्री दिलीप लहरिया :- इन दो वर्षों में ज्यादा स्थिति खराब है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं । लेकिन दुर्भावनाओं के साथ न कहें तो ज्यादा अच्छा है । मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि बढ़ते वैश्विक बाजार में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का जीवन में एक बड़ा प्रभाव है और अगर बच्चे व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में शिक्षित होंगे तो रोजगार के साथ रोजगारित करने वाले भी होते हैं, वे अपना व्यापार खड़ा कर सकते हैं, अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में जा सकते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य विश्व स्तरीय तकनीकी मानव संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी (सी.जी.आई.टी.) रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की स्थापना हेतु 1202 लाख और मशीन उपकरण हेतु बजट में 98 लाख का प्रावधान किया गया है, जो अपने आप में उल्लेखनीय है । छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी (सी.जी.आई.टी.) रायगढ़ अंतर्गत अतिरिक्त कक्षों का निर्माण,

आडिटोरियम भवन के जीर्णोद्धार हेतु 25 लाख का बजट प्रावधान है । अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान्, नया रायपुर में स्थापना अनुदान हेतु 2026-27 में 1500 लाख और अतिरिक्त 18 पदों के सृजन के साथ यह व्यवहारिक व्यवस्था खड़ी हो रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कोनी स्थित पॉलीटेक्निक कालेज की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें सेट-अप नहीं है, भवन जर्जर होने की स्थिति में है । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इस बजट में भवन के मरम्मत का प्रावधान स्थापित हो और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस प्रदेश में एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो 1964 में स्थापित हुआ-वह है शासकीय अभियंत्रिकी महाविद्यालय, कोनी, बिलासपुर । वहां से बहुत सारे लोग पढ़कर शासन के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं । अगर आप यह कहें कि जिस महाविद्यालय को शिक्षा क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में छात्र उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षित युवक उपलब्ध कराने के लिए आधी सदी निकल गई, आज वह एक अदद से भवन के लिए तरस रहा है। इस बजट में उस भवन हेतु राशि का प्रावधान करने के लिए मैंने माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा था, लेकिन किसी कारणवश वह जुड़ नहीं पाया है तो प्रदेश के सबसे पुराने महाविद्यालयों में एक शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को एक नवीन भवन मिले क्योंकि वह 1964 से चल रहा है तो वह अपने आप में एक अद्भूत विषय है । अगर यह मिलेगा तो मेरी ऐसी मान्यता है कि बिलासपुर के वंचित क्षेत्र के बच्चे जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के माध्यम से इंजीयरिंग की डिग्री प्राप्त करे छत्तीसगढ़ के विकास में सहभागी बनेंगे, उनको मदद मिलेगी । जब हम आई.टी.आई. की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ वही प्रदेश है, जहां 1950 में आई.टी.आई. कोनी बैरक के रूप में प्राप्त हुई थी और आज भी वह बैरक के अंदर ही आई.टी.आई. चलती है । आई.टी.आई. कोनी प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आई.टी.आई. है, जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड भी है । वहां पर ऐसे-ऐसे एतिहासिक पुराने मशीन हैं, जो इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से बनकर आये हुए हैं । उनके मरम्मत की आवश्यकता है और उसे आईडयल के रूप में रखा जा सकता है कि कभी इन मशीनों से लेथ के काम, इलेक्ट्रिकल के वाईंडिंग के काम और अन्य ट्रेड के काम होते थे । एक अच्छी उपलब्धि यह है कि वहां पर छात्राएं सिलाई के मशीन के माध्यम से बाजार को रेडीमेट कपड़े उपलब्ध करा रही हैं, जो स्कूलों के लिए है। विदेश की बहुत सारी कम्पनियां छत्तीसगढ़ की तरफ मैन पॉवर के रूप में एक हब के रूप में देखी जा रही है । सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरी मांग है कि विदेशी कम्पनियों को उनकी भाषा और उनकी कार्यशैली के आधार पर यहां पर प्रशिक्षण की छूट मिले, ताकि यहां के बच्चे सीमेंस, हुण्डई, फिलिप्स जैसी कम्पनियों में प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें, जिसके लिए वे अपनी तरफ से आग्रह कर रही हैं, जिसका पत्राचार मेरे पास भी आया था और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन कम्पनियों के साथ अनुबंध करके आई.टी.आई. की एक रोजगारित व्यवस्था दी जाये । जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बजट में है, वह तकनीकी शिक्षा का रोजगार पक्ष है । प्रदेश में बेरोजगारों को

रोजगार उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है । सरकार ने शासकीय विभागों में भर्तियों पर प्रतिबंध समाप्त करके एक उल्लेखनीय कदम छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारों के पक्ष में उठाया है और नौकरियों के द्वार खोले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी रोजगार को देखते हुए प्रदेश शासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप, माननीय मंत्री जी के मंशा अनुरूप प्रदेश के युवाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालयों को रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से नियोजित किए जाने का प्रशसंनीय कार्य किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे मेलों से रोजगार प्राप्ति में सरलता हो, इसके लिए 2025-26 में 372 प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से 9,756 आवेदकों को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2026-27 में रोजगार मेला हेतु राशि 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। मैं आग्रह करूंगा कि यह राशि बढ़ाई जाये। इस कार्य हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग को भी बधाई देना चाहता हूं और एक आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सेना भर्ती का मेला कम हो रहा है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि सैनिक कल्याण बोर्ड के प्रशिक्षण के माध्यम से अग्निवीर की प्रशिक्षण की व्यवस्था रोजगार मंत्रालय कर सकता है ? अगर यह होगा तो छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा अंचल के नौनिहालों को अग्निवीर के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ लाभ मिलेगा। मेरा आग्रह है कि गर्मी की छुट्टियों में सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो लगभग विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बंद होने की स्थति में रहते हैं या आंशिक तौर पर बंद होते हैं। इस दौरान उन भवनों का उपयोग उनके रहवास के लिए करते हुए अग्निवीर के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, जिसमें सैनिक कल्याण बोर्ड का सहयोग लिया जाये, जिसमें हमारे बहुत सारे रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, कर्मचारी बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार की व्यवस्था मिलेगी।

सभापति महोदय, कौशल विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेम वर्क कोर्स में ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्तमान में कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में 366 संस्थाएं 192 शासकीय एवं 174 अशासकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं। अन्य बहुत सारे काम हो रहे हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ का युवा रोजगार खोजने के बजाय रोजगार देने वाला बन रहा हे। यह अपने आप में इस सरकार की उपलब्धि है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, बहुत सारे बच्चें बेरोजगार हैं। शिक्षा भर्ती बचा हुआ है, पुलिस भर्ती बचा हुआ है, शिक्षा कर्मी भर्ती बचा हुआ है और आप बोलते हो कि रोजगार देने वाला राज्य है।

श्री सुशांत शुक्ला :- वही तो बता रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- धरातल में कहीं पर रोजगार नहीं है।

श्री सुशांत शुक्ला :- इसमें कोई संदेह नहीं है। अपराध और अपराधियों पर नकेल है। जमीन दलाल रोड में घूम रहे हैं क्योंकि जमीन दलाली बंद हो गई है। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार में जो रोजगारित थे, वे अब बेरोजगार हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभापति महोदय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सम्मानित सदस्या को ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, अभी भी बी.एड., डी.एड. वाले लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह क्या है कि हमारी सरकार बहुत सोच-समझकर बहुत ही धैर्य से निर्णय करती है। आप लोगों ने पिछली बार पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्ती किया था। सब नेताओं के बच्चे डिप्टी कलेक्टर बन गए थे। हमको नेताओं के बच्चों को जो पढ़ने-लिखने में गधे हैं, उनको डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाना है। हमको होशियार बच्चों को बनाना है जो छत्तीसगढ़ के गांव में रहते हैं। इसलिए सब ठीक-ठाक काम करते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब आप ढाई साल में ..।

सभापति महोदय :- आपने अपनी बात कह दी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, ढाई साल में शिक्षा भर्ती नहीं कर पाये। ढाई साल हो गए हैं। 33 हजार शिक्षकों की भर्ती होना था।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, सामने हमारी वरिष्ठ सदस्या हैं। ये वही लोग हैं, जो 5 लाख लोगों को नौकरी देने का होर्डिंग्स लगाते थे और विधान सभा में 25 हजार लोगों की भर्ती होने का जवाब देते थे। दूसरे दिन बैनर उतर जाते थे। ये लोग क्या बोलेंगे ?

एक माननीय सदस्य :- पूरे गांव-गांव में होर्डिंग्स लगाते थे।

श्री सुशांत शुक्ला :- बैनर उतर जाते थे। ये लोग क्या बोलेंगे ? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जमीन कब्जईयां प्रदेश से मुक्ति है, इनका रोजगार छिन गया है। प्रदेश में कालाबाजारी बंद है तो इनका रोजगार छिन गया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 12.7.2024 को एक कमेटी गठित किया था।

सभापति महोदय :- आप बैठिये न। आपने अनुमति नहीं ली है। आप सीधे बात कर रही है। सुशांत जी, आप अपनी बात समाप्त करिये। बहुत लंबा समय हो गया है।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैं समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सुशासन की साय-साय बहने वाली सरकार के साथ माननीय खुशवंत जी के नेतृत्व में रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति की आवश्यकता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- हिन्दी का पेपर लीक हो रहा है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, आपने भोजन कर लिया है, ऐसा लग रहा है।

श्री सुशांत शुक्ला :- मैंने जिसकी मांग आपके माध्यम से की है। मैं बता रहा हूं कि संगीता जी इसलिए चिंतित हैं कि बहुत सारे रोजगार छिन गये हैं। कुछ मुगलियां वंशज के लोग रायपुर में केन्द्रित होकर व्यापार चलाते थे, जिनका जमीन कब्जा करने, रेत, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया ये सब बंद हो गए हैं तो रोजगार छिन गया है, इसलिए चिंतित हैं। इनकी युवा इकाई की ब्रिगेट में अगर पत्थर उछालते थे तो 110 का अपराधी मिलता था, वह रोजगार भी इनसे छिन गया है। क्योंकि सांय-सांय चलने वाली सरकार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं कुछ बोलना चाह रही हूं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री सुशांत शुक्ला :- तो मैं आपके माध्यम से इस बजट में जो प्रावधानित हुआ है, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि जो मैंने मांग की है उस पर अपना सकारात्मक पक्ष माननीय मंत्री जी अपने वक्तव्य में रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय :- श्रीमती कविता प्राणलहरे जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट कविता जी, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की एक छोटी सी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी, तखतपुर विधान सभा के नेवरा गांव में आई.टी.आई. मंजूर है, स्वीकृत है, चल रहा है। उसके भवन के लिए भी 5.5 करोड़ रूपये की स्वीकृति आई थी, टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसका पैसा वह जो पुरानी सरकार के समय की मंजूरी है, करके वापस बुला लिया गया है। तो कृपा करके वहां के लोगों के लिए 5 करोड़, साढ़े 5 करोड़ राशि वहां जरूर भिजवाइयेगा, क्योंकि वहां पर भवन छोटे से कमरे में लग रहा है । तो इसका जरा ख्याल रखिएगा और अगर मिल गया हो तो उसके बारे में भी बता दीजिएगा कि हां, हो गया है ताकि हम जाकर अपनी जनता को बता सकें कि यह किस पोजीशन में है। बिलासपुर जिले में तखतपुर है तखतपुर, तखतपुर में नेवरा है, नेवरा में आपकी पुरानी सरकार के समय में आई.टी.आई. मंजूर हुई थी, उसकी बिल्डिंग के लिए अभी पैसा आया था, टेंडर हुआ था जमीन नहीं मिली थी मैं जमीन भी दिलवा दिया, अभी-अभी विधायक बनने के बाद दिलवाया । तो इस पर जरा जरूर जानकारी दे दीजिएगा।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है । पिछली बार विजय शर्मा जी इस विभाग के पालक मंत्री थे और उन्होंने कोनी आई.टी.आई. गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का दौरा किया था। कुछ मांग उस समय प्रस्तावित थे तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा और आमंत्रण भी देता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में है, प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आई.टी.आई. और इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वहां पर आएं,

निरीक्षण करें, समस्याओं को समझेंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से आग्रह है और स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- कविता जी।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 15, 49, 53, 64 और 47 के अनुदान मांग के लिए बोले के लिए यहां पर खड़े हंव। मैं सबसे पहले प्रणाम करथों संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ला, जेहर अइसे संविधान बनाइस जेमां हर वर्ग के मनला समानता के अधिकार मिलिस। मैं नमन करथों बाबा गुरु घासीदास जी ला, जो मनखे-मनखे एक समान के संदेश ला ए देश में पहुंचाइस। मैं नमन करथों शहीद वीर नारायण जी ला जे हमन बर अपन प्राण ला गंवाइस। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से कहना चाहथौं, पूछना चाहथौं कि 18 मई, 2024 मा बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि गिरौदपुरी मा एक घटना घटे रहीसे और एकर जांच शासन द्वारा समिति गठन कर चुके हे, एकर रिपोर्ट सरकार भी प्रस्तुत कर चुके हे। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहथौं कि ए जांच ला सदन के पटल में आप रखव अइसे मोर मांग हे। माननीय सभापति महोदय, मैं जेन विधान सभा से आथों ओ बिलाईगढ़ विधान सभा पूरा प्रदेश के गौरव के विषय हे, काबर कि संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मभूमि हे। यहां स्थित गिरौदपुरी धाम मा केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि पूरा देश-विदेश के श्रद्धालु अपन आस्था के केंद्र समझथे। हर वर्ष यहां आयोजित होने वाले गिरौदपुरी में मेला लगथे, जेमा माननीय सभापति महोदय, लाखों के संख्या मा श्रद्धालु अपन दर्शन के संदेश आत्मसात करे के लिए गिरौदपुरी पहुंचथे। लेकिन दुख के बात हे कि अइसे प्रदेश में अइसे मोर क्षेत्र बाबा गुरु घासीदास जी के तपोभूमि अइसे बिलाईगढ़ विधान सभा जहां पूरा देश-विदेश के श्रद्धालु आथे, लेकिन सभापति महोदय, आप जा करके देखिहौं अभी भी पर्याप्त रूप में श्रद्धालु मन के लिए न तो शौचालय हे, न पेयजल हे, न कोई धर्मशाला के व्यवस्था हे। आज भी वहां रुके के लिए पर्याप्त भवन के व्यवस्था नहीं हे। मैं मांग करथों माननीय मंत्री जी ला कि गिरौदपुरी मा जो-जो कमी हे, ओला आप पूरा करव। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त राशि होथे अउ राज्य के बजट मा भी डिमांड के अनुसार ये राशि प्राप्त हो हे। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के बहुलता वाले क्षेत्र विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के गठन करे गे हे और ये गठन..।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, हमारी बहन अच्छा बोल रही हैं, लेकिन विषय ऐसा है..।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आप बोल चुके हैं। आपने दो बार अपनी बात रखी है।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय :- मैं आपसे समय मांग रहा हूं। (व्यवधान)

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, वह पहली बार बोल रही हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- गिरौधपुरी धाम के विकास के लिए किस सरकार ने पैसा दिया? किस सरकार ने उस तपोभूमि को विकसित किया? इस पर भी आप जवाब दीजिये। आपकी सरकार ने आपने क्या पैसा दिया है?

श्री दलेश्वर साहू :- सभापति महोदय, वह पहली बार बोल रही हैं। आप आप बोलने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापित महोदय, वह पहली बार बोल रही हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप लाग बार-बार टोका-टाकी कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- मैं उनको शांत कराया है। आप लोग बैठिये। कविता जी, आप बोलिये।

श्रीमती कविता प्राण लहरे :- माननीय सभापति महोदय, प्राधिकरण ला लेकर 50 करोड़ के राशि ला बढ़ा करके 75 करोड़ के प्रावधान करे गे हे। एकर लिए मैं सरकार ला बहुत-बहुत धन्यवाद देत हौं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय मंत्री जी आप ला भी बधाई देत हौ, लेकिन अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए अनुसूचित जाति आरक्षित विधान सभा क्षेत्र में मात्र 30-30 लाख रुपये दे गे हे। अधिकतम राशि अइसे क्षेत्र मा खर्चा करे जाए जहाँ अनुसूचित जाति के बहुलता ही नहीं हे। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति वर्ग क्षेत्र के विकास के लिए अन्याय हे अउ आप ला बताना चाहूँ कि अइसे-अइसे जगह मा ये पैसा खर्च करथे, जहाँ अनुसूचित जाति वर्ग के लोग मन ला सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति जैसे पहले भी हमन के कंडीशन खराब रहिस, आज भी वो स्थिति वैसे की वैसे ही हावय। जब हमन ला पता चलथे कि वो पैसा कहाँ हे, कौन से काम में उपयोग हो हे, एकर विकास कहाँ होथे, हमन ला कुछ पता नहीं चले।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति महोदय, पता कहाँ से चलेगा? पिछली सरकार में पूरा अंदर था। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में तीन गाँव हैं। तीन गाँवों में सब प्लान के 10 करोड़ रुपये प्रावधान था। सबको अंदर कर दिये।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- तोला भी तो बोल के मौका देहे रिहीस। अब ओला बोलन तो दे। (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- अंदर करने वाला कौन? कांग्रेस का नेता। बनाने वाला कौन? कांग्रेस का नेता।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, आपने काफी समय लिया है। कृपया आप बैठिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- सभापति महोदय, हम लोग अनुसूचित जाति से निर्वाचित होकर आये हैं। वहां के जनता ने हमें यहा चुनकर भेजा है। अनुसूचित जाति प्राधिकरण में सिर्फ 30 रूपये मिलता है। 30 लाख में क्या होता है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, वह उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- वह बार-बार टोका-टाकी कर रहे हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- तीन गांव में 10 करोड़ रूपये खा गये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- 75 करोड़ में 30 लाख क्या होता है? लोग लोगों को 75 करोड़ में 30 लाख रुपये मिलता है। हम अनुसूचित क्षेत्र से चुनकर आये हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं तो कहती हूं कि आप इसकी जाँच करवा लीजिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- तीन गांव में 10 करोड़ अंदर कर लिये। मतलब एक गांव में 3 करोड़।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप मन तो पूरे एक साल जाँच में निकाल दे हौ।

श्री सुशांत शुक्ला :- जांच तो करवा रहे हैं। गिरौदपुरी धाम में एक प्रश्न का जवाब दीजिए। गिरौदपुरी धाम में सबसे ज्यादा विकास कार्य किसकी सरकार ने की? उसको देवभूमि तपोभूमि बनाने का प्रयास किसने किया और उसको बर्बाद करने का काम किस सरकार ने किया? (व्यवधान)

श्री शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय जी, गिरौदपुरी धाम में बहुत विकास किए हैं, लेकिन अभी भी विकास की जरुरत है। गिरौदपुरी बाबा जी के मंदिर, के प्रांगण में शादियाँ होती हैं।

सभापति महोदय :- सुशांत जी, शांत हो जाईये न। आप बोल चुके हैं, आप बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- आपकी सरकार ने गिरौधपुरी तपोभूमि में एक रूपया भी दिया होगा तो बताईये? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- सभापति महोदय, वर्ष 2003 में जब हमारी सरकार बनी, तब तपोभूमि में हमारी सरकार ने काम की शुरूआत की थी। हमारी सरकार ने भण्डापुरी धाम में काम किया है, छातापूरी धाम में किया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- गिरौदपुरी बाबा जी के मंदिर के प्रांगण में शादियाँ होती हैं। वहां एक भवन तो बनवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री दीपेश साहू :- हमारी सरकार ने गिरौधपुरी बाबा जी के मंदिर के लिए पूरा समर्पण कर दिया।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपकी सरकार ने ढाई साल में क्या किया है?

श्रीमती भावना बोहरा :- आप सिंगल जवाब दे दीजिये कि कांग्रेस के कार्यकाल में वहां के लिए कितना बजट रखा गया था?

श्री सुशांत शुक्ला :- आप लोग बताईये कि आपकी सरकार ने वहां के लिए कितना पैसा दिया? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- संगीता जी, बैठिये।

श्री सुशांत शुक्ला :- हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। बाबा गुरू घासीदास जी के नाम को हम ही बढ़ायेंगे।

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा आपस में चर्चा न करें।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- वह पहली बार बोल रही हैं। आप उनको बोलने दीजिये। आप उनको बार-बार टोक रहे हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, अभी हिन्दी का पेपर लीक हुआ है, यह आपके शासनकाल में है । हर पेपर का लीक हो रहा है । शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्ट्राचार हो रहा है । आज गंगालूर में महिलाओं का जवाब नहीं आया है । जवाब क्यों नहीं आया है ? (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- बात पलट रही है, जब बजट नहीं बता पा रही है तो यहां पर टॉपिक बदल रही है । (व्यवधान) गिरौदपुरी धाम के लिये आपकी सरकार ने कितना बजट दिया था, यह तो बताईये, फिर शिक्षा के बारे में भी आ जायेंगे ? आप इन सारी चीजों को भी रखिये । जो बोल रही है उसको सुनिये तो । आपकी सरकार का बजट कितना था, यह बता दीजिए ? (व्यवधान)

श्रीमती अंबिका मरकाम :- बहुत अच्छा बोल रही है, उनको बोलने दीजिए । उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आपका सपोर्ट कर रहे हैं कविता जी, आप अच्छा बोलिये । आप भाजपा की तारीफ कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- हमारे युवा मंत्री हैं, जो गुरू घासीदास जी की चिन्ता करते हैं, वह खुद गुरू है । (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप मन ला मंत्री बनाय हे उंहय बइठे रहू । (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय सभापति जी, एक मिनट । कविता पढ़िये, कविता। छोटा सा है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :-आप तो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं...। (व्यवधान)

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माहौल को ठीक कर रहा हूँ । इन लोग इसलिये कर रहे हैं कि उधर से रामकुमार नहीं है । चन्द्राकर जी का स्थान जो रिक्त हो गया है, जो खाली है, उसको पूरा कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्रीमती अंबिका मरकाम :- कविता प्राणलहरे जी खड़ी है तो माननीय मंत्री जी को भी खड़ होना पड़ गया, बताईये ? (व्यवधान)

श्रीमती भावना बोहरा :- आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिये मंत्री जी उनको सहयोग कर रहे हैं । आप लोग बार-बार बोलने से टोक रहे हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मैं माननीय सदस्यों से विनम्र आग्रह करूँगा कि आप लोग सदन का संचालन करने में सहयोग करें और आप दोनों आमने सामने चर्चा करते हैं, यह उचित नहीं है । आपसे आग्रह करूँगा कि आसन्दी से अनुमति लेकर बात करें। इस परम्परा का थोड़ा पालन करेंगे । माननीय कविता जी ।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- माननीय सभापति महोदय, मैं वो समाज के प्रतिनिधित्व करथंव एखर नाते सरकारी आफिस में बचत खर्च के लिये जानकारी लेबर जाथंव त ऊँहा के अधिकारी मन कइथे कि जो राशि आय रहिसे वोहा दूसर कार्य के लिये खत्म होगे । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहथंव कि हमर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये 30 लाख के राशि आथे, एक तो बहुत ही कम राशि ए, माननीय मंत्री जी आप चाहथव कि हमर अनुसूचित जाति, जनजति वर्ग के लोगन मन पिछड़े रह जाये ? हमर राशि ला काबर दूसर कार्य में उपयोग करे जाही ? माननीय मंत्री जी, मोर कुछ मांग हे, एमा अनुसूचित जाति के मद में जो राशि आथे, वोखर हमर समाज के लिये उचित उपयोग हो । अनुसूचित जाति प्राधिकरण के माध्यम से संचालित योजना मन के नियमित समीक्षा करे जाये । दूसरा मांग हे कि अनुसूचित जाति आरक्षित विधान सभा क्षेत्र के लिये विकास राशि बर पर्याप्त राशि हो, जइसे आप मन 50 करोड़ के राशि ला 75 करोड़ बनाये हव । 75 करोड़ 10 सीट तो है ऑल रेडी । 10 सीट म आप मन 30-30 लाख रूपये देवथे, बाकी राशि कहां जावथे ? हमन अनुसूचित जाति के 10 विधायक हन, 5-5 करोड़ के राशि विधायक मद ले देवव, तभे समाज आगे बढ़ही । माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति समाज के लिये कर्मचारी मन के प्रमोशन में भी ओखर अधिकार सुनिश्चित करे जाये।

श्रीमती शेषराज हरिवंश :- 50 रहिस तभो हमन ला 30 मिलत रहिसे अऊ 75 होगे तभो हमन ला 30 मिलथे ।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति समाज के ऊपर जो अत्याचार अऊ अन्याय होय हे, मैं माननीय मंत्री जी ले मांग करहूँ कि आप भी गुरू परिवार के अव...।

श्री आशाराम नेताम :- गुरू परिवार नई, वोहा खुद गुरू ए ।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- आप तो खुद गुरूजी अव । आप ला त अऊ जल्दी फैसला लेना चाही ।

श्री आशाराम नेताम :- हॉ, तत्काल ।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- जो गिरौदपुरी में अत्याचार होय हे एखर फैसला आप मन पटल में रखव । माननीय सभापति महोदय, गिरौदपुरी धाम के विकास के लिये कुछ विशेष योजना बनाय ताकि छत्तीसगढ़ के पावन धरती बाबा गुरू घासीदास..।

श्री ललित चन्द्राकर :- हमर सरकार गिरौदपुरी के विकास के लिये लगातार काम करथे भई । वोला बताय के काय जरूरत हे । गिरौदपुरी पूरा चमक गे हे ।

श्रीमती कविता प्राणलहरे :- बहुत काम करथे बोलथस सदस्य महोदय, मैं यही बात ला तो सदन में रखना चाहथंव । माननीय मंत्री जी, जतका भी बात हम सदन के माध्यम से रखे हन, वोला आप संज्ञान में लेवव । मैं हा आसन्दी ला प्रणाम करथ हुये आप मन बोले के मौका देहव, सबके चरण स्पर्श करते हुये अपन वाणी ला विराम देवथंव । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री प्रेमचंद पटेल जी ।

श्री प्रेमचंद पटेल (कटघोरा) :- सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं वित्तीय वर्ष 2026-27, माननीय मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री के विभागों से संबंधित मांग संख्या 15, मांग संख्या 49, मांग संख्या 53, मांग संख्या 64, मांग संख्या 47 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण हो या अनुसूचित जाति विकास विभाग, भारत के संविधान में हम सब जानते हैं कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान की रचना की गयी, उसमें सभी जाति, वर्ग, समुदाय के लिए एक समान न्याय की व्यवस्था और समानता की व्यवस्था की गई थी। अनुसूचित जातियों को समानता से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के लिए भी रास्ते खोले गए। संविधान के मंशा अनुरूप अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएं बनीं, उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों का विकास यात्रा में शामिल करने का निरंतर प्रयास हुआ। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए, इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुए। शैक्षणिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, छात्रावास सुविधा, कोचिंग योजनाएं एवं उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं भी की गईं। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की गई। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है, जिसमें अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, मुंगेली, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, धमतरी शामिल है। इसके अतिरिक्त जिन ग्रामों, मजरो-टोलों या नगरीय निकाय क्षेत्रों में जहां 25 प्रतिशत से ज्यादा आबादी के लोग रहते हैं, वहां भी ये विकास के कार्य और प्राधिकरण का कार्य होता है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभी हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी हैं। इन विभागों के अलावा और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जो भी कार्य विकास प्राधिकरण में सम्मिलित हों, क्षेत्र के विकास के लिए काम होता है। जैसे हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत सी योजनाएं इस विभाग से संचालित हैं। ऑनलाइन शिक्षावृत्ति वितरण, छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र योजना, स्वस्थ तन-स्वस्थ मन स्वास्थ्य सुरक्षा विशेष सेवाओं हेतु योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, खाद्यान्न सुरक्षा योजना, पंडित जवाहरलाल नेहरू विद्यार्थी उत्कर्ष योजना और हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ा परिसर का भी निर्माण किया गया है। छत्तीसगढ़ में अभी 100 बालक व 100 कन्या के दो क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। मुंगेली में

बालक क्रीड़ा परिसर है, उसमें प्रमुख रूप से तीरंदाजी, बास्केटबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के खेल होते हैं और सक्ती में कन्या क्रीड़ा परिसर है, जिसमें खो-खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल, एथलेटिक्स के खेल होते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए और भी रोजगारमूलक योजनाएं संचालित हो रही हैं। जिसमें प्रमुख रूप से बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में नि:शुल्क अध्ययन की व्यवस्था की गयी है, लगभग 155 विद्यार्थियों को इसमें लाभ भी मिला है। दूसरा, हॉस्पिटलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जहां 50 विद्यार्थियों का चयन करके होटल मैनेजमेंट और अस्पताल में जो कार्य कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा, रविदास चर्म शिल्प योजना है। प्रदेश के जो लोग चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राशि जारी की जाती है। सभापति महोदय, विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सतनाम भवन एवं समाज हेतु सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें प्रमुख रूप से भंडारपुरी में गुरूद्वारा मोती महल हेतु 17 करोड़ रूपये, ग्राम मुंगेली में सतनाम भवन के पुनरूद्धार हेतु 25 लाख रूपये, ग्राम सेतगंगा में सामुदायिक भवन हेतु 50 लाख रूपये, सतनाम भवन भिलाई में डोम निर्माण हेतु 50 लाख रूपये, ग्राम भंडारपुरी में डोम निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये, रायपुर में समाज हेतु 1 करोड़ रूपये, मड़वा में सतनाम धर्मशाला हेतु 50 लाख रूपये की राशि शामिल है। इसके अलावा गिरौदपुरी मेला हेतु वार्षिक 25 लाख रूपये के आबंटन को बढ़ाकर 50 लाख रूपये कर दिया गया है। अभी सब माननीय सदस्यगण गिरौदपुरी धाम की बात कर रहे थे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हुआ करते थे तो कुतुब मीनार से ऊंचा गिरौदपुरी धाम में हमारा जैतखाम बनाने का निर्णय हुआ और बनाया गया और वहां का समुचित विकास किया गया है। मेला के आबंटन को भी बढ़ाकर 50 लाख रूपये किया गया है। आगामी वर्ष से बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती कार्यक्रम हेतु लालपुर थाना में 15 लाख रूपये, सेतगंगा में 10 लाख रूपये, भिलाई में भंडारपुरी मेला हेतु 20 लाख रूपये प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए अनुसूचित जाति प्री-मेट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक बालक-बालिका छात्रावास, एक क्रीड़ा परिसर तथा एक प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कुल 25 करोड़ रूपये, गुरू तीर्थ गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के उन्नयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रूपये प्रावधानित की गयी है। प्रमुख रूप से व्यवसाय से संबंधित जो कार्य हैं, अंतर्व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम से लोन लेकर कोई काम करना हो तो लोन लेकर आगे भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हों, उसमें भी हम सब काम कर सकते हैं। अनुसूचित जाति प्राधिकरण का विकास समुचित अनुसूचित जाति आयोग, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, जहां अनुसूचित जाति की बाहुल्यता वाले ग्राम में

विद्युत की कमी है, वहां विद्युत का पोल हो, वहां पानी की व्यवस्था हो और भी कई कार्य किये जाने चाहिए। गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान, हमारे वरिष्ठ सदस्य, इनके बारे में बताया गया कि इनके द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम कराये जाते हैं। गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव, इसमें भी कार्यक्रम कराकर इनमें कुछ पुरस्कार भी निर्धारित है। चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड में 245 लाख रूपये की राशि आरक्षित की गयी है। मैं हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जहां-जहां भी अनुसूचित जाति के लोग बाहुल्य में रहते हैं, वहां अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से काम हो और पूर्व में भी काम होता रहा है तो निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आगे भी काम हो। तकनीकी शिक्षा छत्तीसगढ़, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पांच क्षेत्र, कृषि, उद्योग, शिक्षा, सेवाएं और प्रौद्योगिकी प्रमुख माने गये हैं, इसके लिए कार्य कुशल एवं तकनीकी कौशलयुक्त मानव संसाधन का विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करती है। तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कम्प्यूटर उपयोजन, फॉर्मेसी जैसी शिक्षा सम्मिलित की गयी है। प्रवेश प्रक्रिया में जाये तो निश्चित रूप से समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों में अर्हताधारी प्रवेश परीक्षा जो पात्र होते हैं, सामान्य प्रवेश परीक्षा में प्राविण्य सूची के आधार पर जो हमारे केन्द्रीकृत संस्थान है, उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। इसमें भी हमारे विद्यार्थियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी गयी है। जिसमें छात्रवृत्ति की सुविधा, बी.पी.एल. छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, जनजाति छात्राओं को विशेष रूप से सुविधा, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को सुविधा, छात्राओं के लिए शिक्षण शुल्क में छूट, शिक्षा का अधिकार का भी प्रावधान किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए हमारी मार्कशीट और हम अनुसूचित स्थानांतरण प्रमाण पत्र लोक सेवा गारंटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय :- पटेल जी, समाप्त करिये।

श्री प्रेमचंद पटेल :- सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा समय लूंगा। तकनीकी शिक्षा विभाग के कार्य हुए कैरियर काउंसलिंग योजना हेतु राशि रूपये 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सिडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड के माध्यम से आई.टी.आई. संस्थानों के उन्नयन के लिए कुल राशि 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचनात्मक कार्य किये जाने एवं मशीनों के क्रय हेतु राशि 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 51 आई.टी.आई. संस्थानों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जगरगुंडा, जिला सुकमा एवं ओरछा, जिला नारायणुर में प्रस्तावित एजुकेशन सिटी के अंतर्गत नवीन आई.टी.आई. की स्थापना हेतु पदों एवं भवनों के लिए कुल राशि 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पी.एम. सेतु योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। आई.टी.आई., नवा रायपुर के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु बजट प्रावधान

किया गया है। राज्य के समस्त आई.टी.आई. संस्थानों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए राशि 3 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिला रोजगार कार्यालयों तथा रोजगार संचालनालय हेतु ई-ऑफिस एवं अन्य गितविधियों के लिए राशि 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे और उनको भी छत्तीसगढ़ की सेवा में लाभ मिलेगा और हम कौशल विकास की बात करेंगे। देश और राज्य मे स्थापित उद्योग संस्थानों एवं बाजार में कुल कुशल एवं आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित युवाओं की आवश्यकता है ताकि वह अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें जिससे देश की आर्थिक स्थिति को बल मिल सके। इसके अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर कम पढ़े लिखे एवं ड्रापआउट तथा बेरोजगार युवाओं को कौशल की आवश्यकता है। उद्योग धंधों, संस्थानों एवं बाजार में मानव संसाधन आवश्यकताओं की बात करें तो युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कौशल विकास के क्षेत्र में बताते हैं और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रमुख रूप से नारा भी है- कौशल भारत, कुशल भारत। इसी उद्देश्य के तहत् हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत संचालन लाइवलीहुड कालेज के माध्यम से और हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संचालन लाइवलीहुड कालेज के माध्यम से कई युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं और आगे भी प्रशिक्षित होंगे और कई लोग प्रशिक्षित हो करके रोजगार भी प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संचालन निश्चित रूप से लाइलवीहुड कालेज के माध्यम से हो रहा है और जो भी उनमें काम करने वाले दर्जी, राजमिस्त्री, कारपेंटर, लोहार, कुम्हार, डलिया, झाड़ू बनाने वाला, मछली जाल बनाने वाले, नाई, धोबी, हथौड़ा टूल किट निर्माता, ये सब मांग के अनुसार कौशल विकास योजना अंतर्गत युवाओं में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. कुस्तुरा विकासखंड दुलदुला जिला जशपुर के भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये एवं रामकृष्ण आश्रम में संचालित आई.टी.आई. के लिये मापदंड अनुसार 02 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिये बस क्रय हेतु 90 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

समय
2.57 बजे

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र की एक प्रमुख रूप से मांग रखूंगा । कटघोरा विकासखंड भी है और विधानसभा का मुख्यालय भी है और वहां आई.टी.आई. नहीं है। हमारे कटघोरा विधान सभा में प्रमुख रूप से खदान क्षेत्र है और प्रमुख रूप से एशिया की सबसे बड़ी खदान है और दो-तीन प्रमुख परियोजनाएं, उद्योग धंधे वहां संचालित हैं। इसलिए वहां से प्रशिक्षित हो

करके हमारे जो बेरोजगार युवक जायेंगे, उन लोगों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी जो बाहर से कंपनियां आती हैं, उनमें प्रशिक्षित लोग रहते हैं। यहां से भी हमारे युवा प्रशिक्षित हो करके निकलेंगे। इसलिए मैं माग करता हूं कि वहां आई.टी.आई. संस्थान की स्थापना की जाये। माननीय सभापित महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे युवा मंत्री जी ने बहुत ही कम समय में बेमेतरा विधान सभा को खासकर हमारे सतनामी समाज के युवा साथियों को; बड़ी सौगात दी है। बेला में पोस्ट मेट्रिक कन्या छात्रावास के लिये माननीय मंत्री जी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ में बेमेतरा में, क्योंकि वहां पर सतनामी समाज की बाहुल्यता है, बेमेतरा मुख्यालय में वहां की मांग थी और आप वहां गये थे 200 सीट छात्रावास के लिये घोषणा भी किये थे, यह भी मेरी मांग है। माननीय मंत्री जी मैं आपसे बेमेतरा देरजा में एक आई.टी.आई. की मांग करता हूं और आपको पुन: बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनक ध्रुव (बिन्द्रानवागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि हमारे गरियाबंद जिला अंतर्गत हमारे बिन्द्रानवागढ़ में भी अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। वह लोग भी धार्मिक आस्था के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं। कई जगह ऐसे भवन की मांग लगातार आ रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बिन्द्रानवागढ़ क्षेत्र में भी अनुसूचित जाति के लिये भवन की पूर्ति करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी, दिनांक 11.07.2024 में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा एक कमेटी गठित की गई। माननीय मनोज पिंगुआ जी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम की कमेटी गठित हुई है और यह कमेटी पदौन्नति में आरक्षण को लेकर की गयी थी । मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जाति के जो पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं, उस कमेटी की आप रिपोर्ट मांग लीजियेगा और मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि रिपोर्ट में पृष्ठ क्रमांक-32 में निगम मंडलों में अनुसूचित जाति के 32.26 प्रतिशत रिक्त हैं, उसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक-94 में श्रेणीवार विभिन्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति के प्रथम...।

समय :
3.00 बजे

सभापति महोदय :- कल अशासकीय संकल्प में यह सब आ गया है । मोहले जी ने सब बता दिया है, केवल अपने क्षेत्र के बारे में बात करना है तो बात कर लीजिये । आप केवल अपनी मांग को रख लीजिये ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात रखूंगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ।

सभापति महोदय :- बाकी वेकेंसी मत बताओ, वह पूरा विस्तार से आ गया है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, यह पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग की आवाज है । मैं इसलिये यह बात रखना चाह रही हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, आवाज नहीं है । मेरा यह कहना है कि अपने क्षेत्र से, देखिये, आपका नाम तो नहीं है ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, मेरा नाम नहीं है इसीलिये मैं उठकर खड़ी हुई हूं ।

सभापति महोदय :- नहीं, मैं सीधा मंत्री जी को बुलाउंगा । आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई बात कर लीजिये ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरे क्षेत्र के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति वर्ग की बात है । माननीय मंत्री जी, आप माननीय पिंगुआ कमेटी की बुक ले आईयेगा । यह क्वांटिफायबल डाटा मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगी और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉपी भी आप निकाल लीजियेगा । मैं आपको बता दे रही हूं कि डब्ल्यू.पी.एस. 9778/2019 आप इसकी रिपोर्ट भी ले लीजियेगा और उस फैसले में माननीय कोर्ट ने क्या कहा है इस आरक्षण के वर्ग के लिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- का होइस तोर क्वांटिफायबल डाटा से ? कइसे, तोर क्वांटिफायबल डाटा से का होही ?

सभापति महोदय :- श्री ईश्वर साहू अपनी मांग रखें ।

श्री अजय चंद्राकर :- तोर सरकार क्वांटिफायबल डाटा आयोग के रिपोर्ट रखे रहिस हे का ? कइसे ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, आप उसका एक-बार अध्ययन कर लीजियेगा । यह अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है । इसको आप रिकॉर्ड में रख लेना ।

सभापति महोदय :- यह रिकॉर्ड में नहीं आयेगा अब ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- [XX][5]

सभापति महोदय :- पढ़ना नहीं है, एक लाईन में अपनी मांग को रखेंगे । भाषण नहीं देना है ।

[XX][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री ईश्वर साहू (साजा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरू खुशवंत साहेब जी से मांग करता हूं कि साजा विधानसभा के ब्लॉक मुख्यालय साजा में नवीन आई.टी.आई. संस्था संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि तकनीकी शिक्षा संस्था नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को दुर्ग-भिलाई में जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- अनुज शर्मा ।

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि धरसींवा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है लेकिन वहां आई.टी.आई. नहीं है और अगर आई.टी.आई. बनाते तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज सी.एस.आर. फंड से उसको गोद भी ले लेती है तो अगर वहां पर धरसींवा के आसपास एक आई.टी.आई. हो जाये तो इंडस्ट्रीज गोद भी ले लेती है उसमें वह फाईनेंशियल सपोर्ट करते हैं तो मेरा आग्रह है कि वहां पर एक आई.टी.आई. जरूर खोलें ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय ।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं माननीय मंत्री जी से एक ही आग्रह करूंगा कि राजिम चूंकि धर्म नगरी है और बड़ा ही सिटी एरिया है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि वहां आपके माध्यम से एक आई.टी.आई. कॉलेज की जरूरत है, जिसकी मांग पूर्व में भी आपको दिया है और आई.टी.आई. कॉलेज खुलवाने की आप स्वीकृति प्रदान कर देते, माननीय मंत्री जी, यही मेरा आग्रह है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री इंद्र कुमार साहू (अभनपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि मेरे अभनपुर विधानसभा में दो आई.टी.आई. हैं तोरला और खुरपा लेकिन भवनविहीन हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि वहां आई.टी.आई. खोला जाये ।

सभापति महोदय :- उत्तरी गनपत जांगड़े ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री गुरू खुशवंत साहेब जी की जो अनुदान मांग है उसका विरोध करती हूं और साथ में...।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, विरोध नहीं करना है । अपने क्षेत्र की मांग करना है तो करो ।

श्री सुनील सोनी :- विरोध करत हस ता मांगत काबर हस ?

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, विरोध नहीं करना है, अपने क्षेत्र की मांग करना है तो करो । कुंवर सिंह जी ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- नहीं-नहीं, एक मिनट दे दओ । माननीय मंत्री जी, आप सारंगढ़ गे हओ । गुरू घासीदास जयंती पुष्प वाटिका में, वहां आप मन अऊ सी.एम. साहब भी गे रहिस हावय, वहां जो जमीन हावय । ओला हमन मांग करे रहेन कि जमीन ला हमर नाम से, समाज के नाम से कर

दओ कहिके लेकिन ओ छोटे जंगल-झाड़ के नाम से नइ हो पइस हे तो ओला भी आपसे आग्रह है कि आप ओला करवाय सकहू काबर कि हमर समाज के आप मंत्री हो अऊ वहां एक ठन भवन एक करोड़ के दे देतोओ तो ज्यादा अच्छा होतिस । साथ में ।

सभापति महोदय :- श्री कुंवर सिंह जी । अंतिम ।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रदेश के मंत्री नो हे, तोर समाज के मंत्री हे ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- आप सब के मंत्री हे ।

श्री अजय चंद्राकर :- प्रदेश के हे कि तोर समाज के हे ? तें हा थोड़ा क्लियर कर न ।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय मंत्री जी, आपसे एक निवेदन है । काबर कि वहां कॉलेज मोड़ में गुरू घासीदास जी के जो जैतखम्भ हे और उहां जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा ला लगा देतेव तो ज्यादा अच्छा लगतिस काबर, ओ जगह हावए तो ओ जगह में बहुत दिन से मांग हावए।

सभापति महोदय :- आप माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दीजिएगा।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, लिखकर दे ला कुछ होए नहीं। इहां बोले में कुछ हो जतिस। हमन लिखकर के रखे रहेन, लेकिन हमर मन के नाम ला नई दिए हावए, काट दिस हावए।

सभापति महोदय :- आप अपनी मांग करिये।

श्रीमती उत्तर गनपत जांगड़े :- माननीय सभापति महोदय, उहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा ला लगा देतेव ता ज्यादा अच्छा लगतिस काबर कि हमर क्षेत्र अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र हे। एखर महिला मन उहां पुष्प वाटिका में बहुत ज्यादा हावए। हमर महिला टीम मन एक कलर के साड़ी ला पहिन के आए रिहिस हे अउ आपसे पूरा गुजारिश करे रिहिन हे कि हमर मंत्री साहब आ आथे अउ हमर समाज, महिला मन के लिए कुछ दिही, लेकिन आप एक 20 लाख के भवन दे देतेव ता ज्यादा अच्छा होतिस। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री कुंवर सिंह निषाद (गुण्डरदेही) :- माननीय सभापति महोदय, गुण्डरदेही विधान सभा अनुसूचित जाति बाहुल्य एरिया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा। मैंने माननीय मंत्री जी को आवेदन भी दिया है। गुण्डरदेही और सुरेगांव में दो आई.टी.आई. है। मैंने दोनों आई.टी.आई. के बाउण्ड्री वॉल के लिए भी दिया था और मैंने कुछ सब्जेक्ट को पदोन्नत के लिए भी दिया है और मेरा आपसे एक निवेदन है कि अर्जुन्दा में 50 सीटर गर्ल्स हॉस्टल है, मैं उसकी संख्या बढ़ाकर 100 सीटर करने की मांग करूंगा क्योंकि वहां पर तकनीकी शिक्षा भी खुल गया है और वहां छात्राओं के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है तो उसको 100 सीटर कर दें और जो बालकों का प्री-मेट्रिक

छात्रावास हैं, उसको प्रोन्नत करके पोस्ट मैट्रिक कर दें तो कम से कम उनके लिए एक राहत मिल जायेगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अटल श्रीवास्तव (कोटा) :- माननीय सभापति महोदय, कोटा विधान सभा क्षेत्र में कोटा से लोरमी के बीच लगभग 30 किलोमीटर का अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि एक तेन्दुआ, धुंमा में आई.टी.आई. खुल जाता तो वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार और पढ़ाई का एक साधन उपलब्ध होता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर आई.टी.आई. खोलने की कृपा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र सामरी विधान सभा है वहां पर आदिवासी के साथ-साथ अनुसूचित जाति समाज के लोग भी निवास करते हैं। मैं वहां पर माननीय मंत्री जी से एक मांग करती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बालिका छात्रावास हो जाता तो बहुत अच्छा होता । मैं अपनी मांग को माननीय मंत्री महोदय को नोट करने के लिए कहूंगी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- माननननीय मंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री (श्री गुरू खुशवंत साहेब) :- माननीय सभापति महोदय, आपको धन्यवाद्। आज मेरे विभाग की सभी अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें आज उसमें सभी माननीय सदस्यों ने अभिमत दिया और सभी ने सुझाव भी दिया। उन्होंने बहुत सारी मांगें भी कीं। इसके लिए मैं सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद् देता हूँ जिसमें विशेष रूप से श्री दिलीप लहरिया जी, माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हमारे पुन्नूलाल मोहले जी का मागदर्शन मिला, हमारी बहुत ही सम्माननीया दीदी हर्षिता स्वामी बघेल जी, हमारे सुशान्त शुक्ला जी, दीदी कविता प्राण लहरे जी, प्रेमचंद पटेल जी, दीपेश साहू जी, जनक ध्रुव जी, शेषराज हरवंश जी, ईश्वर साहू जी, श्री अनुज शर्मा जी, रोहित साहू जी, इन्द्र साव जी, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े जी, श्री कुंवर सिंह निषाद जी, श्री अटल श्रीवास्तव जी, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा जी चर्चा में भाग लिया। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद् ज्ञापित करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास, यह सभी महत्वपूर्ण विभाग हैं। यह विभाग युवाओं और वंचित समाज से से जुड़ा हुआ है जिसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ देश के मानचित्र में बना सिर्फ एक नक्शा नहीं है, छत्तीसगढ़ जंगल, नदी, पहाड़ समेटे हुए भूमि का एक मात्र टुकड़ा नहीं है। बल्कि मेरे लिए छत्तीसगढ़ एक जीवंत इकाई है, हमारी महतारी है, हमारे पौने तीन करोड़ छत्तीसगढ़वासियों की भावनाओं, संस्कृति और परिवार के

एहसास का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ी भाखा में माया इहां के संस्कृति अपार हे। मां कौशल्या के बगिया हे, हमर छत्तीसगढ़ मा संस्कार हे।

माननीय सभापति महोदय, देश के आर्थिक विकास के लिए 5 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कृषि, उद्योग शिक्षा सेवाएं और प्रौद्योगिकी प्रमुख माने जाते हैं। इसके लिए एक कार्य कुशल इंजीनियर और तकनीकी कौशलयुक्त मानव संसाधन का विकास महत्वपूर्ण आवयश्कता है। तकनीकी शिक्षा इसी आवश्यकता को पूर्ण करने का काम करती है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के समुचित विकास एवं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा बहुत अच्छे से सदैव प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके । इसके लिए वर्तमान में प्रदेश के 33 जिलों में 4 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दो शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, एक सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, रायपुर, एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग हमारे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, भिलाई, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर एवं 20 अन्य निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय संचालित हैं तथा 3 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी पॉलीटेक्निक संस्थाएं हैं । 35 शासकीय पॉलीटेक्निक एवं अन्य निजी पॉलीटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं । अगर हम इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के कुल सीटों की बात करें तो इंजीनियरिंग महाविद्यालयों 11,528 सीटें हैं और पालीटेक्निकल संस्थाओं में कुल 8404 सीट उपलब्ध हैं । अगर हम 2018 से 2023 तक इस विभाग के बजट को देखें तो 29565.10 लाख रूपए था, जिसे बढ़ाकर अभी वर्तमान 2026-27 में 37234.99 लाख रूपए का बजट इस बार किया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय, मैं स्वयं भी एक युवा हूं और इतने कम समय में मेरी भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा आभारी रहूंगा । मा कौशल्या की बगिया उन दो युवा लवकुश की धरती है जिसमें स्वयं श्री राम के घोड़ को रोक लिया था । अगर यहां के युवाओं को सही तकनीकी, सही दिशा, सही शिक्षा और समान अवसर मिल जाये तो वे अपने हर लक्ष्य को पाने में सक्षम हैं ।

युवा विवेकानंद का ज्ञान है, युवा अग्नि की उड़ान है ।

युवा विवेकानंद का ज्ञान है, युवा अग्नि की उड़ान है ।
सुर में अगर पिरोए गए तो स्वयं में राष्ट्रगान हैं ।
युवा सुशासन का संकल्प है, हर समस्या का विकल्व है ।
युवा सुशासन का संकल्प है, हर समस्या का विकल्व है ।
भगत सा बलिदानी है वह युवा, वह संविधान का प्रकल्प है । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, आई.आई.टी. जो राष्ट्रीय संस्थान् है । हर बच्चे का यह सपना होता है कि मैं आई.आई.टी. में पढ़ाई करूं और मैं आई.आई.टी. में पढ़कर मैं अपने भविष्य को सुरक्षित करूं, सुनहरा करूं । लेकिन हर कोई उस संस्थान् में एडमिशन नहीं ले सकता । इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सोच के अनुरूप आई.आई.टी. की तर्ज पर ही हमने छत्तीसगढ़ में सी.जी.आई.टी. खोला है, ताकि हमारे बच्चे आई.आई.टी. के तर्ज पर सी.जी.आई.टी. में पढ़कर अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। इसमें विशेष रूप से अभी वर्तमान में रायगढ़, जगदलपुर, कबीरधाम, जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की स्थापना हेतु 1202 लाख और मशीन तथा उपकरण हेतु बजट में 98 लाख का प्रावधान किया गया है । हमारी दीदी कह रही थी कि मैं कवर्धा गई थी, वहां पर कॉलेज को बंद करके नाम बदलने का काम किया गया है । मैं बताना चाहता हूं कि हम वहां नया सी.जी.आई.टी. खोल रहे हैं, ताकि आई.आई.टी. के तर्ज पर सी.जी.आई.टी. होगा । निश्चित ही वहां के बच्चे इससे शिक्षा को और अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे । साथ ही जो रायगढ़ के सी.जी.आई.टी. है, वहां अतिरिक्त कक्षों के निर्माण, आडिटोरियम भवन के जीर्णोद्धार हेतु 250 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान्, नया रायपुर, जो ट्रिपल आई.टी. के नाम से जाना जाता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में एक मात्र है । निश्चित ही हमारी सरकार पूर्व में भी जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अभी वर्तमान में भी माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में नये-नये राष्ट्रीय संस्थान् हमेशा हमारे छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों को उच्च से उच्च और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयासरत् हैं जिसमें हमारा ट्रिपल आई.टी. है, जिसमें निश्चित ही पूरे देश के बच्चे वहां आकर पढ़ाई करते हैं । साथ ही साथ कुल सीटों में से हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं । इससे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी वहां एडमिशन लेकर पढ़ाई कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं । कुछ महीनों में इन कॉलेजों में इस यूनिवर्सिटी में जाने का अवसर मुझे मिला है । मैंने देखा है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जो सपना है, संकल्प है-आत्मनिर्भर का और उस सपने और संकल्प को पूरा करने का काम इस ट्रिपल आई.टी. कालेज के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें मैंने देखा है और हम सब जानते हैं कि सेमी कंडक्टर चिप कहीं न कहीं दूसरे देशों से आयात करने का काम करते आ रहे हैं। आज मेड इन इण्डिया सेमीकण्डक्टर बनाने का कानकेल्व ही इस ट्रिपल आई.टी. में किया गया था। ताकि भारत देश में यह सेमीकण्डक्टर चिप बन सकें। इस प्रकार से अनेक प्रकार के रिसर्च इस ट्रिपल आई.टी. में किया जा रहा है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथी भाग ले रहे हैं। इसको आगे बढ़ाने के लिए नया रायपुर के

स्थापना अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि 1500 लाख एवं अतिरिक्त 18 पदों के सृजन हेतु राशि 50 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है। जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान नया रायपुर के शिक्षक अमले में वृद्धि होगी।

सभापति महोदय, हमारा एक मात्र यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई है, जिसके अधोसरंचना के कार्यों के लिए अनुमानित लागत 4190 लाख रूपये है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में 2026-27 में 1,000 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के अधोसरंचना विकास में वृद्धि होगी। जिसमें छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे सारे इंजीनयरिंग कालेज संचालित होते हैं। चाहे हमारे शासकीय कालेज हों या निजी कालेज हो। निश्चित ही हम पिछले 5 वर्ष पहले का देखते हैं तो इस विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से काम होते थे, हमने देखा है कि रिजल्ट लेट से आते थे, लोगों को मार्कशीट नहीं मिल पाता था। हमने यह भी देखा है कि जो प्रश्नपत्र आते थे, उनमें भी अनेक प्रकार त्रुटियां दिखाई देती थी। साथ ही बच्चों का एडमिशन समय पर होना चाहिए था, समय में एडमिशन भी नहीं हो पाता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष समयबद्ध एडमिशन किया तो 20 प्रतिशत इंजीनयरिंग के एडमिशन में वृद्धि देखने को मिला। तो कहीं न कहीं यह अंतर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आ रहा है।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में विद्यार्थियों की सुविधा एवं अध्ययन हेतु मशीन एवं उपकरण के क्रय हेतु भी एक हजार लाख एवं स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के स्थापना अनुदान हेतु भी 2,000 लाख रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ ही पॉलीटेक्निक कालेज, जिसमें हमारे युवा-युवतियां पढ़ाई करती हैं, डिप्लोमा की डिग्री लेती हैं, जिसमें विशेष प्रैक्टिकल नालेज हमारे युवाओं को देते हैं। इसके लिए रायपुर कन्या पॉलीटेक्निक कालेज दुर्ग, रायगढ़, धमतरी में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकें, हम इसके लिए मशीन एवं उपकरण क्रय हेतु राशि रूपये 200 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे राज्य के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी। शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर के परिसर में हमारी बच्चियां पढ़ाई करती हैं। निश्चित ही वहां हॉस्टल की आवश्यकता है, ताकि हमारी बच्चियां हास्टल में रहकर ज्यादा से ज्यादा अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर पाये। इस बजट में भी 150 सीटर कन्या छात्रावास भवन और वाहन स्टैण्ड निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत रूपये 378 लाख है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 में 200 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। जिससे कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में अध्ययनरत छात्राओं को संस्था परिसर में छात्रावास की सुविधा प्राप्त होगी।

सभापति महोदय, शासकीय पॉलीटेक्निक बस्तर के विभिन्न अधोसरंचना संबंधी कार्यों हेतु वर्ष 2026-27 में राशि रूपये 200 लाख रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे शासकीय पॉलीटेक्निक बस्तर की अधोसरंचना विकसित होगी। साथ ही हमारा जो फार्मेसी महाविद्यालय है, उसकी स्थापना अनुदान हेतु भी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि 300 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के युवाओं को बेहतर फार्मेसी शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। आपको मालूम ही है कि हमारी सरकार हमेशा जीरो टालरेंस की नीति पर चलती है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है। आपने देख ही है कि पिछले 5 साल किस प्रकार विपक्षी दल की सरकार थी, वह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया था। बहुत ही विश्वसनीय परीक्षा जिसे हम पी.एस.सी. की परीक्षा कहते हैं, बच्चे दिनरात मेहनत करके डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसी परीक्षा में भी भ्रष्टाचार करने का काम विपक्ष की सरकार ने की थी। हमने उस समय वादा भी किया था कि हमारी सरकार जब जायेगी तो ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करेगी तो आज मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसी को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो..।

श्री दिलीप लहरिया :- मोदी की गारंटी में 2 करोड़ को कुल नौकरी भी मिल रही है, ऐसा मैसेज आया है। मोदी की गारंटी में किसानों की आय दुगनी भी हो गई है, यह भी थोड़ा बोल देंगे भाई।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- 15 लाख वापस।

श्री नीलकंठ टेकाम :- भले ही कम लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ईमानदारी से तो मिल रहा है। बी.जे.पी. के कार्यकाल की भर्ती में एक भी कोई शिकायत नहीं आई है। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अगर ऐसा कहीं पर बयान हो कि हम 15 लाख देंगे, तो आप उसे दिखाने का प्रयास करें। कहीं पर हमने ऐसा बयान नहीं दिया है। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सदन में 34,000, 33,000 की घोषणा करके अब 5,000 पर आ गए हैं। (व्यवधान)

श्री दीपेश साहू:- किसानों की आय तो बढ़ गई भाई साहब। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- पी.एस.सी. घोटाला कर दिया। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- पहले बोनस मिला है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- 33000 की घोषणा करके आप 5,000 पर आ गये हैं। सदन की घोषणा है। (व्यवधान)

श्री आशाराम नेताम :- उधार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसी कारण से। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आशाराम जी, आप बैठिए।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति जी।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए। मंत्री जी आप जारी रखें।

श्री सुनील कुमार सोनी :- सभापति जी, 5 लाख नौकरी का होल्डिंग लगाए थे। उस समय में यह अजय चंद्राकर जी और सभापति जी ने पूछा– 5 लाख का हिसाब दो। आपने सदन में कहा था–20,000 लोगों को नौकरी लगाए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी जारी रखें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार सिर्फ होल्डिंगवीर थी, सिर्फ होल्डिंग लगाने का प्रयास करती थी।

श्री रोहित साहू :- क्या है वे गोबर बीन रहे थे न, उसको भी नौकरी समझ रहे थे। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- हमारी सरकार की चर्चा होनी है तो उस समय से चर्चा करा लें। (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आपने देखा ही है कि किस प्रकार से घोटाला करने का काम किया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- सभापति जी, बार-बार आप पुरानी सरकार पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- व्यापम घोटाला आपने देखा है, तो युवाओं को कहीं ना कहीं गर्त में डालने का काम किया। आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया।

श्री रोहित साहू :- माननीय राघवेंद्र भैया, माननीय राघवेंद्र जी, आप लोग गोबर बिनवाने का काम कर रहे थे, उनको भी नौकरी समझ रहे थे। (व्यवधान)

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- माननीय सभापति महोदय, आपके दिमाग में जो गोबर है न, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- युवाओं को गोबर बिनवाने में लगा दिया था, उनको भी नौकरी दे रहे हैं, ऐसा समझ रहे थे।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री दिलीप लहरिया :- छात्रवृत्ति हो, छात्र-छात्राएं सब में परेशान हैं। छात्रावास नहीं है।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित ही हमारी सरकार के द्वारा आज प्रत्येक विभाग में लगातार नौकरियां निकल रही हैं, जिसकी परीक्षा इस व्यापमं के माध्यम से होता है और लगातार हमारे युवाओं को अवसर मिल रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) उन्हें अनेक अवसर मिल रहे

हैं, सरकारी अवसर के साथ-साथ हम प्राइवेट में भी कहीं ना कहीं उनको अवसर दिलाने का काम कर रहे हैं। आपको मालूम ही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी पहली विदेश यात्रा जो गए थे, वह भी जापान जाकर वहां भी कहीं ना कहीं वहां से करोड़ों रुपए का एम.ओ.यू. करके आए थे, तब आज 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा प्रस्ताव हमको आज आ चुके हैं। निश्चित ही इन प्रस्तावों के माध्यम से युवाओं को अवसर मिलेगा और आप देख भी रहे हैं–सिर्फ एम.ओ.यू. नहीं हुआ है। मेरा बताने का कारण यह है, क्योंकि पिछले साल भी, पिछले पंचवर्षीय में भी पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत सारे एम.ओ.यू. किए थे, लेकिन एक भी धरातल में नहीं उतरा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में इन ढाई साल के अंदर में ही बहुत सारे एम.ओ.यू. हुए भी और धरातल में भी उतर गए। सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन का, यहां पर चिप का जो नया रायपुर में उसकी भूमिपूजन भी हो गई है। तो ऐसे अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं जिससे हमारे युवाओं को आज अवसर मिल रहा है। साथ ही हम चाहते हैं कि पारदर्शिता से यह परीक्षा हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के स्थापना अनुदान एवं अन्य अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि रुपए 3,000 लाख का बजट में हमने व्यापमं में प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं–स्टार्टअप में हमेशा हम सबको ध्यान देना है, हमारे युवाओं को उनको अवसर देना है, मंच देना है। तो इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में स्टार्टअप के लिए, नवाचार नीति के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, नई सोच के लिए, हम युवाओं के लिए अनेक प्रकार का इस बजट में प्रावधान किए हैं ताकि हमारे युवाओं के अंदर में जो नवाचार है, नई सोच है, नए आइडियाज हैं, उनको मंच मिले और उस मंच के माध्यम से वे खुद तो आर्थिक स्वालंबन की ओर आगे बढ़ें, साथ ही साथ अपने साथी लोगों को भी आगे बढ़ा सकें। उद्योग वे लगा सकें, इसके लिए भी आई-हब, यहां हमारे छत्तीसगढ़ में जो जी.ई.सी. कॉलेज हमारा रायपुर में है, वहां पर आई-हब' हमने बनाया है, स्थापित किया है, जो हमारे गुजरात के आई-हब से हमने एम.ओ.यू. किया हुआ है और उसके माध्यम से हम हमारे युवाओं को मंच दे रहे हैं, अवसर प्रदान कर रहे हैं कि वे अपनी जो नई सोच है, नए विचार हैं, नए आइडिया है, उसको मंच में दें। माननीय सभापति महोदय, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे, कोई भी फील्ड का बच्चा हो, उसमें अपना प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकता है। हमारी सरकार मेंटर के तौर पर हमारे प्रोफेसर, हमारे फैकल्टीज उनको मेंटर करेंगे। उसके बाद जो प्रोजेक्ट अच्छा होगा, जिसको वे उद्योग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आर्थिक अनुदान भी हमारी सरकार उन युवा साथियों को देगी ताकि वे उद्योग लगाकर आर्थिक स्वालंबन की ओर आगे बढ़ सकें। इसके क्रियान्वयन हेतु राशि रुपए 5 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य के छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप और नवाचार हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय अंबिकापुर के स्थापना अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6 करोड़ एवं पूंजीगत

परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) तकनीकी शिक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के आयोजना मद में राशि 33,538.50 लाख एवं आयोजनेत्तर मद में राशि 3,696.49 लाख, इस प्रकार कुल राशि 37,234.99 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि संभव हो सकेगी। माननीय सभापति महोदय, साथ ही हमारा जो प्रशिक्षण पक्ष है। जिस प्रकार सभी सदस्य लगातार आई.टी.आई. की मांग कर रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. हो, मेरे विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. के भवनों को बनाना है, वहां के इक्विपमेंट को सुदृढ़ करना है। इसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के विकास में व्यावसायिक रूप से दक्ष युवाओं का विशेष महत्व है। प्रदेश की युवा पीढ़ी को गुणवत्तायुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक युवाओं को रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के 146 विकासखण्डों में कुल 201 शासकीय एवं 113 निजी आई.टी.आई. संचालित हैं, जिनमें प्रशिक्षण हेतु लगभग 61,000 सीट उपलब्ध हैं। वर्ष 2025-26 में प्रदेश की शासकीय आई.टी.आई. में जब प्रवेश हो रहा था, तब उसमें 84.31% सीटों पर युवाओं ने प्रवेश लिया था। सत्र अगस्त, 2025 के लिए प्रवेश हेतु लगभग 76,000 से अधिक युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया। कहीं न कहीं यह प्रतिशत बताता है कि हमारे युवा साथी प्रशिक्षण लेने के लिए कितना आकर्षित हैं और कितना वह जागरूक हैं। माननीय सभापति महोदय, आपको मालूम ही है कि हमारा बस्तर घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वहां के युवाओं को आई.टी.आई. से प्रशिक्षण मिलें, कौशल से प्रशिक्षण मिलें। कहीं ना कहीं वहां नक्सलवाद एक बड़ी बाधा बनती थी, लेकिन आज मैं सदन के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी को विशेष हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने targeted मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का निर्णय लिया है और आज हम उसका परिणाम देख भी रहे हैं कि नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं और नक्सलवाद समाप्त होने को है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, इसके लिए मैं विशेष हृदय से बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। निश्चित ही इन्हीं सब कारणों से आज हमारा विभाग उस क्षेत्र में भी आई.टी.आई. संचालित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, जो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो आई.टी.आई. विहीन था। ओरछा, नारायणपुर जिला में भी आई.टी.आई. की स्थापना की गई है। इसके साथ ही अब राज्य के सभी विकासखंडों में आई.टी.आई. संचालित हो रहे हैं, जिससे दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्र के युवाओं को भी व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिस प्रकार बहुत सारे सदस्य मांग कर रहे थे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आई.टी.आई. हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के हर एक विकासखंड में आज के समय में आई.टी.आई. संचालित है, जिसके

माध्यम से वहां के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण को अधिक प्रासंगिक एवं रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से विगत 3 वर्षों में हुए प्रवेश एवं ड्रॉप आउट के प्रतिशत के विश्लेषण के आधार पर अप्रासंगिक जो व्यवसाय हैं, उनका चिन्हांकन किया गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश और दुनिया बहुत तीव्र गति के साथ तकनीकी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही हमारे युवाओं को जो आज के समय में जो जरूरत है, आज की जो कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनमें जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वैसा उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हमने कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देखा कि जिन ट्रेडों की आवश्यकता नहीं है, उसको बंद करके जो उद्योग की मांग है, उनके अनुरूप मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सोलर टेक्नीशियन एवं ड्रोन टेक्नीशियन जैसे न्यू एज कोर्सेज प्रारंभ किए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीकों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग के वास्तविक कार्य का अनुभव प्रदान करने तथा उनके रोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्येश्य से आई.टी.आई. में अध्ययनरत् हमारे सभी विद्यार्थियों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वह प्रशिक्षण करते-करते ही वह कंपनी में जाकर प्रेक्ट्रिकल नॉलेज ले सके, जॉब की ट्रेनिंग ले सके । इसे हम संस्था के माध्यम से कर रहे हैं जिसके लिये हमारे स्थानीय उद्योग हैं, उनके साथ हम एम.ओ.यू. किये हैं ताकि बच्चों को हम प्रशिक्षण तथा प्रेक्टिकल नॉलेज दे सके। प्रस्तावित बजट में हमारे जगरगुंडा जिला, सुकमा एवं ओरछा, जिला नारायणपुर में प्रस्तावित एजूकेशन सिटी के अंतर्गत नवीन शासकीय आई.टी.आई. की स्थापना के लिये हमने 16 पदों के सृजन, छात्रावास एवं भवन निर्माण हेतु राशि 300 लाख का प्रावधान है । इसके साथ ही वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक में जीजामगांव विकासखंड कुरूद, जिला धमतरी में भी नवीन आई.टी.आई. के स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है । इस प्रकार शासकीय आई.टी.आई. की संख्या बढ़कर 203 हो जायेगी, जिससे शासकीय आई.टी.आई. की प्रशिक्षण संस्था में भी वृद्धि होगी जो कि 39,496 से बढ़कर लगभग आज के समय में 39,592 हो जायेगी । राज्य में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुये शासकीय आई.टी.आई. में ई-आफिस के क्रियान्वयन के लिये फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय के लिये इस बजट में प्रावधान किये हैं, इसके तहत 350 लाख का बजट प्रावधान है । इसके साथ ही विभागाध्यक्ष कार्यालय में भी ई-आफिस के क्रियान्वयन के लिये कार्यालयीन उपकरण के क्रय हेतु 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । इससे शासकीय कार्यों को और अधिक पारदर्शिता और शीघ्रता से करने की सुविधा उपलब्ध होगी । माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा आई.टी.आई. में निर्धारित मापदण्ड अनुसार अधोसंरचना की पूर्ति करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि युवाओं को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो सके । इसी अनुक्रम में 51 आई.टी.आई. में अतिरिक्त निर्माण, विशेष मरम्मत कार्य हेतु, 500 लाख का प्रावधान किया गया है । इसके साथ ही आई.टी.आई. कस्तुरा विकासखंड दुलदुला जिला जशपुर के आई.टी.आई. भवन एवं 50 सीटर छात्रावास भवन निर्माण के लिये राशि रूपये 100 लाख का प्रावधान किया गया है । माननीय

सभापति महोदय, राज्य के युवाओं को गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण की सुविधा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा 160 शासकीय आई.टी.आई. के उन्नयन का प्रस्ताव हमारी सरकार ने किया है । इसके तहत 105 संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी से संबद्धता प्राप्त की जा सकेगी । यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हमारे युवा साथी इस देश के किसी भी कोने में जाकर इस सर्टिफिकेट के माध्यम से जॉब के लिये आगे बढ़ पायेंगे । इस वर्ष के बजट में 145 आई.टी.आई. में संचालित व्यवसाय के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार मशीन, औजार तथा उपकरण की पूर्ति हेतु 25 करोड़ और 35 आई.टी.आई. में भवनों के निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य हेतु 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की कुशलता में वृद्धि होगी व रोजगार एवं स्व-रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के योग्य होंगे । इसके साथ ही आवासीय सुविधा प्राप्त होने में वह निश्चित होकर अपने प्रशिक्षण एवं पढ़ाई में ध्यान दे सकेंगे। राज्य सरकार दूरस्थ अंचल के शिक्षित युवाओं को भी प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दे रही है । आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर जिले एवं आसपास के अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण वर्ग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शत-प्रतिशत राज्य अनुदान से रामकृष्ण मिशन, नारायणपुर में आई.टी.आई. का संचालन किया जा रहा है । बजट में प्रस्ताव रामकृष्ण मिशन आश्रम में संचालित आई.टी.आई. के लिये मापदण्ड अनुसार 2 अतिरिक्त पदों के सृजन एवं प्रशिक्षणार्थियों के औद्योगिक भ्रमण के लिये 2 बस क्रय करने हेतु 90 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । माननीय सभापति महोदय, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अभी कुछ महीने पहले ही 4 अक्टूबर 2025 को पी.एम.सेतु योजना प्रारंभ किये हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो आई.टी.आई. हैं, उसका उन्नयन करने का प्रावधान किया है जिसके तहत पूरे भारत देश के लिये 60 हजार करोड़ रूपये इस योजना में लागू किया है जिसमें हमारे पूरे भारत देश के कम से कम 1000 शासकीय आई.टी.आई. को उन्नयन करने का काम किया जाएगा जिसमें वहां पर उन्नत तकनीक के मशीन उपकरण होंगे, जिसके माध्यम से हमारे युवा नई तकनीक के साथ प्रशिक्षण ग्रहण कर पाएंगे। निश्चित ही हमारी सरकार द्वारा राज्य में उक्त योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के प्रभावी संचालन हेतु प्रारंभिक स्तर पर छह हब एवं स्पोक क्लस्टर के रूप में छत्तीसगढ़ में कुल 30 ITI का चयन किया है जिसके माध्यम से हमारे यहां के 30 ITI बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इसमें अंबिकापुर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर का माना, दुर्ग एवं बस्तर के ITI को हब ITI के रूप में चयनित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अभी 1 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। माननीय सभापति महोदय, रोजगार डिपार्टमेंट जिसमें मैं कहना चाहूंगा :-

विष्णु का सुदर्शन है, सुशासन का त्योहार।

सपनों को पंख मिलेंगे, हर युवा को रोजगार। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोजगार सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना की गई है। रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार इच्छुक युवाओं का पंजीयन, नवीनीकरण एवं स्वरोजगार के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता है। युवाओं की सुविधा हेतु छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप विकसित किया गया है। क्योंकि आज के समय में हर युवा चाहता है कि उसको घर बैठे सारी जानकारी मिले। हमारा रोजगार डिपार्टमेंट माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में रोजगार ऐप बनाए हैं जो कहीं ना कहीं आज सभी के फोन में डाउनलोड है। आज वर्तमान स्थिति में हम देखें तो 1,75,731 उपयोगकर्ता युवा साथी जुड़े हुए हैं। इस ऐप के माध्यम से हमारे युवा साथी जो नई वैकेंसिस उद्योग, कंपनीस, फैक्ट्रीस की आ रही हैं, उसको वे देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, एप्लाई भी कर पा रहे हैं और एप्लाई करके अपने आप को आर्थिक स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ा पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा जो ई-रोजगार पोर्टल है जिसको हमने आधुनिक रूप से और बेहतर करने का काम किया है। पिछली सरकार में भी यही रोजगार पोर्टल था। विपक्षी दल हमेशा ये सवाल करते रहते हैं कि बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ते जा रही है? सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं, पहले जब आपका ई-रोजगार पोर्टल था तो उनको फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ने पड़ते थे, फिर भी उनके फॉर्म नहीं भर पाते थे। लेकिन हमने हमारे युवा साथियों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि आज का समय डिजिटल इंडिया का समय है, हमने उसको ध्यान में रखते हुए, ई-रोजगार पोर्टल बनाया है और उसको बेहतर किया है। हमारा युवा साथी घर में बैठे-बैठे अपना रोजगार पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है और जो उद्योग से संबंधित वैकेंसी आ रही हैं, उसको भी वह विश्लेषण कर पा रहा है और उसमें भी एप्लाई करके वह नौकरी के लिए आगे बढ़ पा रहा है। इस प्रकार रोजगार डिपार्टमेंट के माध्यम से हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। रोजगार विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 26-27 में 3050 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश के रोजगार कार्यालय के माध्यम से राज्य के निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसर का समुचित दोहन प्रदेश के युवाओं के हितार्थ करने के लिए नियमित रूप से रोजगार मेला, प्लेसमेंट कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी रोजगार डिपार्टमेंट के द्वारा संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय, रोजगार मेला, प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर रही हैं ताकि हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2025-26 में 372 प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 9,756 रोजगार इच्छुक को रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने दिया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु रोजगार मेले के आयोजन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इस बजट में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। (मेजों की थपथपाहट) राज्य के युवाओं को शिक्षण, प्रशिक्षण, भर्ती प्रक्रिया एवं ऋण अदायगियों में सुविधा प्राप्त हो, जिससे वह अपने विकास की राह में आने वाली बाधाओं को सहजता से पार कर अपनी क्षमता का विकास कर सकें, इसी

उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में युवा क्षमता विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय ITI के छात्रों के शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क में 50% की कमी का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट) वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना में मात्र 50 लाख रूपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, 30 मिनट से ऊपर हो गया है। इसके बाद केदार कश्यप जी के विभागों की चर्चा है, फिर मुख्यमंत्री जी के विभागों की चर्चा है। आप थोड़ा सा जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति जी, मेरे चार विभाग हैं। मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहूंगा।

सभापति महोदय :- अभी तो आप एक विभाग में हैं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आप थोड़ा आगे बढ़ें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, भारतीय सैन्य बलों में प्रदेश के युवाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित हो, इस हेतु भी युवाओं को अग्निवीर भर्ती में हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य मांग कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर की जो नौकरियां हैं और सैन्य में भी उनको अवसर मिले, उसके लिए भी बजट में प्रावधान होना चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जो अग्निवीर की भर्ती होती है, उसमें उनको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे वर्ष 2026-27 के बजट में 80 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे सदन के सभी सदस्यों को यह बताना भी चाहता हूं कि वर्ष 2024-25 में 731 एवं वर्ष 2025-26 में 1,930 युवा भारतीय थल सेना में अग्निवीर में हमारी सरकार के कारण चयनित होकर वहां पर गए हैं। राज्य में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ते हुए जिला रोजगार कार्यालयों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन एवं अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के संचालन के लिए कार्यालयीन उपकरण के क्रय हेतु राशि 80 लाख रूपये तथा रोजगार संचालन हेतु राशि 20 लाख रूपये, इस तरह कुल राशि 100 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे शासकीय कार्यों को और अधिक पारदर्शिता और शीघ्रता से करने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

यही टहनी एक दिन पतवार बनती है,

इसी लोहे से एक दिन तलवार बनती है,

रौंदी जाती है मिट्टी जो पैरों तले,

वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, कौशल विभाग। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु हमने कुल राशि 48 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया है।

जीवन के महाभारत का एक ही शास्त्र है,

हुनर आपकी शक्ति और कौशल ही ब्रह्मास्त्र है। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रारंभ से अब तक 4,91,543 युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं तथा प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 2,72,754 युवा नियोजित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कुल 8,929 युवा प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं में से कुल 6,201 युवा नियोजित हो चुके हैं तथा वर्तमान में 6,202 युवा प्रशिक्षणरत हैं। वर्ष 2019 से 2023 तक 5 वर्षों में कुल 8,673 युवाओं को प्रशिक्षित तथा 6,233 युवाओं को नियोजित किया गया है। जबकि वर्ष 2024 से 2026 तक मात्र 2 सालों में ही 16,177 युवाओं को प्रशिक्षित और 11,560 युवाओं को नियोजित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2019 से 2023 तक 5 वर्षों में 237 संस्थाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था, जबकि वर्ष 2024-26 तक मात्र 2 वर्षों में कुल 129 संस्थाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में कुल 366 संस्थाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में पंजीकृत हैं तथा संस्थाओं को वी.डी.पी. के रूप में पंजीकृत करने की कार्यवाही सतत चालू है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-23 में 5 वर्षों में पिछली सरकार ने 53 कोर्सेस में ही कौशल प्रशिक्षण का संचालन किया था, जबकि वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक मात्र 2 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा 81 कोर्सेस में कौशल प्रशिक्षण संचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 से 2023 तक 5 वर्षों में किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षित संस्थाओं के साथ कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुबंध नहीं किया गया था, जबकि विगत वर्ष 5 प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कौशल प्रशिक्षण हेतु अनुबंध किया गया है। वैसे ही वर्ष 2019-23 तक 5 वर्षों में बस्तर संभाग से अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त रूप से किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। अपितु विगत वर्ष बस्तर संभाग के प्रत्येक जिले के विकासखंड में स्किल डेव्हलपमेंट स्थापित कर कौशल प्रशिक्षण संचालित करने की कार्यवाही की गई है तथा इस हेतु शासन द्वारा बजट का भी प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण के लिए गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए भी हमने और हमारे विभाग ने अनेक प्रकार के प्रयास किये हैं, जिसमें TOT (Training of Trainers) प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (TOT) प्रमाणीकरण अनिवार्य प्रशिक्षण को शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के साथ-साथ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रमाणीकृत होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही कौशल प्रशिक्षण के दौरान ऑन द जॉब ट्रेनिंग को भी हमने अनिवार्य किया है, जिसमें हमने हमारे प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के समय में ही सात दिवसों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना अनिवार्य करने का काम किया है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति और हमारे ट्रेनर की भी उपस्थिति को भी हमने आधार एवं फेस आधारित बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से प्रशिक्षित तथा प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रशिक्षणार्थियों की प्रशिक्षण की उपस्थिति को

ऑनलाइन दर्ज करते हुए मॉनिटरिंग की जा रही है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण अनिवार्य है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान सहायक संचालक, जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण के समाप्ति के पूर्व न्यूनतम दो निरीक्षण अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण के अभाव में संबंधित बैच के मूल्यांकन की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है।

सभापति महोदय, आधुनिक क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे एम.ओ.यू. किए हैं ताकि हमारे युवा साथियों को डायरेक्ट नौकरी भी मिले और कहीं ना कहीं आधुनिक ज्ञान भी मिले, जिसमें हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा से एम.ओ.यू. किया है। जिसमें हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुबंध किया है। यह अनुबंध युवाओं को कृषि यांत्रीकरण की जानकारी प्रदान करेगा, क्योंकि आज हम सब जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है तो निश्चित ही उन्हें किसान के उपकरण के बारे में, उसको बनाने के बारे में, उसे सुधारने के बारे में और उसके रखरखाव की भी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हमने कृषि यांत्रीकरण तथा मशीनरी रख-रखाव क्षेत्रों में उनकी रोजगार क्षमता को मजबूत करने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा से एम.ओ.यू. किया है और वर्तमान में मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 101 युवा प्रशिक्षित एवं 600 युवा आज के समय में प्रशिक्षणरत हैं। साथ ही साथ हम सब जानते हैं कि आज का समय इलेक्ट्रिकल व्हीकल का है, EV का जमाना है, तो निश्चित ही हम सबको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में भी जानने की आवश्यकता है और युवाओं को इसका प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी साइब्रोनिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी में उच्च स्तरीय शॉर्ट टर्म स्किलिंग मॉड्यूल शुरू करने के लिए अनुबंध किया है, जिसके अंतर्गत EV सिस्टम डायग्नोसिस, बैटरी टेक्नोलॉजी तथा सुरक्षा में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रदाय की जाएगी तथा रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय मॉडल पर कुशल उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा। हमने नान्दी फाउंडेशन के साथ भी MOU किया है।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप बोल रहे थे कि बच्चों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। मैं आपको एक-एक चीज की जानकारी दे रहा हूं। आप इसको सुनिए और अपने विधान सभा में भी इसके बारे में अपने युवाओं को बताईए ताकि वे प्रशिक्षण ले सकें।

श्री दिलीप लहरिया :- धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मंत्री जी थोड़ा जल्दी करेंगे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- जी, माननीय सभापति महोदय। श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ भी हमने एम.ओ.यू. किया है। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा श्री सत्य

साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के साथ दिनांक 31.12.2025 को अनुबंध किया गया है। श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट उन्नत कार्डियक केयर, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षमता निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाली राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त संस्था है। इस अनुबंध के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में हृदय एवं कार्डियक संबंधी उच्च स्तरीय शॉर्ट टर्म उन्नत स्किलिंग मॉड्यूल शुरू किए जाएंगे। साथ ही लाइवलीहुड कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा कि लगभग हमारे हर जिलों में यह लाइवलीहुड कॉलेज खुल चुके हैं। अभी जो नए जिले बने हैं, वहां भी हमने लाइवलीहुड कॉलेज खोलना प्रारंभ कर दिया है। जहां LWE क्षेत्र है, वहां हम आवासीय लाइवलीहुड कॉलेज चलाते हैं ताकि हमारे बच्चे वहीं रहकर प्रशिक्षण ले सकें और आगे बढ़ सकें, जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत जिलों में संचालित लाइवलीहुड कालेज में 2013 से योजना के प्रारंभ होने से अब तक में हम बात करें तो 67,118 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 2440 युवा प्रशिक्षणरत हैं। प्रशिक्षित युवाओं में से 27,836 को रोजगार एवं 10519 को स्वरोजगार दिया गया है, इस प्रकार कुल 38,355 युवा नियोजित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत लाइवलीहुड कालेज में योजना प्रारंभ से वर्ष 2018 से अब तक 15,004 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित युवाओं में से 3858 युवा नियोजित हो चुके हैं। साथ ही जहां भवनविहीन हैं, छात्रावास नहीं हैं, लैब संचालित नहीं है, वहां के लिये भी हमने राज्य के 26 जिलों में भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है जिसमें कौशल प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा है। राज्य में 6 नवीन जिला गौरेला- पेंड्रा- मरवाही, मोहला-मानपुर-अबागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, माननीय विपक्षी सदस्य जो लाइवलीहुड कालेज के लिये बात कर रहे थे, उसमें बताना चाह रहा हूं कि खैरागढ़ छुईखदान की विधायिका हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ की विधायिका जो मांग कर रही थीं, वहां के लिये भी, सक्ति के लिये भी, एवं दुर्ग में भखारा, भटेली, धमतरी सहित कुल 8 लाइवलीहुड कालेज भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ 26 जिलों में बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 01 जिला दुर्ग में निर्माणाधीन है। बालक छात्रावास 20 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हैं, 06 जिलों में निर्माणाधीन तथा 01 जिला नारायणपुर में छात्रावास हेतु स्थान चिन्हांकित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में लाइवलीहुड कालेजों में निर्मित बालक, बालिका छात्रावास में मूलभूत सामग्रियों की पूर्ति हेतु राशि 190 लाख प्रावधानित किया गया है। साथ ही लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रहे हैं। सभापति महोदय, निश्चित ही 12वीं पास करने के बाद बच्चों को हम प्रशिक्षण देते हैं लेकिन सभी की मांग आती है कि जो तकनीकी के क्षेत्र में कहीं न कहीं ग्रेजुएट हैं, उनको भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम आने वाले समय में खोलने जा रहे हैं। लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फुड प्रोसेसिंग सेक्टर सिखायेंगे। मीडिया में जिस प्रकार से एनीमेशन बच्चों को सीखना होता है, आई.टी. में ए.आई. (आर्टीफिशियल इनटीलिजेंस) है, सोलर है, मेन्युफेक्चर में टूल, डाई इस प्रकार के जो ट्रेड हैं, वह हम

हमारे बच्चों को देने वाले हैं। इसके लिये बजट में 2026-27 में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये भूमि लीज अनुबंध हेतु राशि 200 लाख का बजट में प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक और प्रमुख विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग है जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। क्योकि सभी सदस्य जब चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा कि सभी विशेष रूप से अनुसूचित जाति समाज की ओर फोकस कर रहे थे। निश्चित ही मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो आज आप अनुसूचित जाति समाज के लिये इतना ध्यान दे रहे हैं और इतना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन यही ध्यान अगर पिछले 05 साल हमारे विपक्षी दल दिये होते तो शायद अनुसूचित जाति समाज का और भी तीव्र गति के साथ उन्नति और विकास होता। जिस प्रकार गुरू घासीदास बाबा जी के बारे में बात रहे थे, विभिन्न धार्मिक स्थल के बारे में बात रहे थे, हमारे दिलीप लहरिया जी भी बहुत सारी चीजों के लिये बात रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज के जो विभिन्न धार्मिक स्थल हैं, अगर हम पिछले 05 साल के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो धार्मिक स्थलों के लिये 1 रुपये का भी विकास कार्य विपक्षी दल के द्वारा नहीं किया गया। अनुसूचित जाति समाज में प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, 90 प्रतिशत सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, उनका प्रमुख धार्मिक स्थल गिरौधपुरी धाम है, वहां एक ईटा भी पिछले 05 साल में नहीं रखा गया। यह कितनी बड़ी दु:ख की बात है। आज ये अनुसूचित जाति के उन्नति और विकास की बात कर रहे हैं। अगर इतनी ही चिंता अनुसूचित जाति समाज की है, अभी बता रहे थे कि हम 10 विधायक हैं, प्राधिकरण से हमको 5-5 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आपने अपने 05 साल की जो पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जी से यह सवाल पूछा कि क्या आपने 01 रुपये भी हमारे धार्मिक स्थल के लिये दिया है? क्या अनुसूचित जाति समाज के उन्नति और विकास के लिये किस प्रकार का कोई काम किया? हम विकास के कार्य को देखें तो पिछले 05 साल में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार दृढ़संकल्पित है और अनुसूचित जाति समाज के उन्नति और विकास के लिये काम का रही है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णु देव साय जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और यही मूल मंत्र को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं क्योंकि...।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय सभापति महोदय, हमर शासन तो नइ दे सकिस । अभी आपके शासन चलत हे, हमन आपसे ऐखरे सेतीर मांग करे हन।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- बिल्कुल, अभी मैं पढ़त हंओं । तें हा देखत जा, हमन कतका कन हमर अनुसूचित जाति समाज बर दे हन । आप ला अभी बहुत सारे उदाहरण मिलही । जो आप 5 साल में नइ कर पाये ओला हमन मात्र ढ़ाई साल के अंदर मा करके दिखाये हन, अभी आप ला बतात हन ।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय मंत्री जी, ढ़ाई साल में एक ही काम हुआ है । जो प्राधिकरण का टोटल पैसा आपके विधानसभा में गया है, बाहर गया है । बाकी जगह तो 30-30 लाख रूपये देकर बंद कर दिया गया है, यह भी तो उल्लेख करके बता दीजिये न कि 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ आपके विधानसभा में गया है ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- बिल्कुल, माननीय लहरिया जी, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा कि कहां-कहां विकास हुए हैं और कहां, किस-किस गांव में और किस जिले में विकास हुआ है । मैं आपको इसकी भी जानकारी दूंगा, आप निश्चित ही विश्वास रखें । निश्चित ही सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूलमंत्र के साथ हमारी सरकार चल रही है जिसमें सर्वसमाज को एक-साथ लेकर चल रही है क्योंकि गुरू घासीदास बाबा जी का भी कहना था कि मनखे-मनखे एक समान और उसी संदेश के अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, सबका साथ और सबका विकास के साथ । हमारी सरकार अनुसूचित जाति वर्गों के समक्ष वर्तमान चुनौतियों के प्रति संवेदनशील है । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता का अनुभव होता है कि हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े अनुसूचित जाति वर्गों के सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए तथा उनके शैक्षणिक-सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए समग्र विकास के लिये कृतसंकल्पित है । वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-49 में 7 करोड़ 15 लाख 84,000, मांग संख्या-64 में 565 करोड़ 79 लाख 8000 मतलब 573 करोड़ 4 लाख 92,000 रूपये के बजट का प्रावधान किया है जो पिछले में हम देखें तो 7.88 प्रतिशत अधिक है । यह जो अधिक बजट बना है यह दर्शाता है कि हम अनुसूचित जाति समाज के उन्नति-विकास के लिये कितना दृढ़संकल्पित हैं । अनुसूचित जाति के शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विकास, संस्कृति-परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन तथा विभिन्न प्रकार के शोषण के संरक्षण के लिये तथा समाज की मुख्य धारा में योगदान की दृष्टि से अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, हमेशा इस विभाग को दूसरे विभागों के साथ जोड़कर रखा गया । कभी भी इस विभाग में विशेष रूप से इस समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की संवेदनशीलता दिखाती है कि इस बजट में, इस अनुसूचित जाति विभाग को अलग भी किया और अलग करने के साथ ही साथ 30 नवीन पदों को सृजन करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया । जिसमें 2 करोड़ 26 लाख 4000 रूपये का बजट हमारे इस बजट में प्रावधान करने का काम किया ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री जी, बजट में प्रावधान करना और ओला जमीन स्तर में लाना, यह दो अलग-अलग चीज हे । अगर आप अनुसूचित जाति बर सोचथओ न तो ये मद ला परिवर्तित करके दूसरा विभाग में हमर अनुसूचित जाति के पइसा ला नइ देथा ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दीदी को जवाब देना चाहता हूं । अभी तो मैं बजट प्रावधान प्रारंभ किया है, अभी इन ढ़ाई सालों में जो-जो काम हुए हैं, मैं आपको वह भी बताउंगा । आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें । अभी अनुसूचित जाति समाज का विकास । जिस प्रकार मैं एक ही बात हर जगह बोलता हूं ।

श्री रोहित साहू :- आपकी सरकार के समय जितने भी हुआ होगा, वह इसमें मिलान करियेगा कि 2 साल में और 5 साल में कितना अंतर है ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मिलान भी करियेगा । तर्क भी करिये और परीक्षण भी करिये । मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आज पूरे छत्तीसगढ़ का विकास सांय-सांय हो रहा है तो अनुसूचित जाति समाज का भी विकास भी सांय-सांय हो रहा है । (मेजों की थपथपाहट) आप इसके लिये विश्वास रखिये तो 30 नवीन पद, चाहते तो आपकी सरकार भी अगर अनुसूचित जाति समाज की हितैषी होती तो आपके द्वारा भी इन 30 पदों को स्वीकृत कर सकती थी इसके लिये बजट में पैसे ला सकती थी लेकिन आपकी सरकार ने किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति समाज का ध्यान नहीं दिया, अनुसूचित जाति के विकास का ध्यान नहीं दिया और तो और आज इन दो-ढ़ाई सालों में अनुसूचित जाति समाज का जब तीव्र गति के साथ विकास हो रहा है, विकास की मुख्य धारा में यह अनुचित जाति समाज जुड़ रहा है तो उसको कहीं न कहीं बदनाम करने का भी अनेक प्रकार का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आपने बताया कि गिरौधपुरी में जो जैतखाम का जिक्र आपने किया । मैं जिसमें आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इतना बड़ा दुखद घटना बलौदाबाजार में हुआ, कहीं न कहीं उस घटना को अंजाम देने वाले कौन थे, उस घटना को सुनियोजित ढंग से रचने वाले कौन थे ? मैं यह विश्वास के साथ कहता हूं कि कहीं न कहीं इसमें आपके विपक्षी दल के नेता लोगों का इसमें हाथ है, समाज को बदनाम करने का काम आपने किया है ।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री जी, तभे भोजन व्यवस्था कौन करे रहिस हे, सब जानत हें ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- वह तो सब पता हे कि भोजन व्यवस्था कौन करे रहिस हे ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय मंत्री जी, आपने तो जांच करायी न तो जांच रिपोर्ट में कुछ तो आया होगा ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैं आपको बताना चाहता हूं ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- क्या आया है वही बता दीजिये ।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- क्या बताना है?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय मंत्री जी, शासन ने जांच करवायी है तो जांच रिपोर्ट में क्या आया है और उसमें कौन दोषी है और कौन शामिल है, यह तो आया होगा। आप सदन को वही बता दीजिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, हम सब कुछ बतायेंगे, हम कोई चीज नहीं छिपायेंगे। यहां हम कोई चीज नहीं छुपाते हैं। हमारी सरकार में हर चीज में पारदर्शिता से काम होता है। यहां जीरो टॉलरेंस में काम होता है। यहां हर कुछ तकनीकी के साथ हम ऑनलाईन काम करते हैं।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय मंत्री जी, तो आप यह बता दीजिए। जैसे आप यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी दल के लोगों का हाथ होगा तो आप यहां पर बता दीजिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, हम कुछ मैन्युअल काम नहीं करते हैं। आपके जैसे जिस प्रकार से कोयला को मैन्युअल करके भ्रष्टाचार करने का काम किया था, हम हमेशा ऑनलाईन काम करते हैं, आप निश्चिंत रहिये।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी बजट से हटकर बात कर रहे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैं पारदर्शिता की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी दीदी ने कहा और उन्होंने जो जांच की बात की है। वह भी हम रखेंगे और आपको वह भी देंगे। हम समाज को न्याय दिलायेंगे।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय मंत्री जी, हमारे क्षेत्र के युवा, हमारे समाज के युवा बेरोजार हैं और नशे में लिप्त हो रहे हैं इससे आप बचाईये। आप उन्हें रोजगार दीजिए। वे नशे में चूर है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय दिलीप लहरिया जी, आप मेरी एक बात सुनिये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय मंत्री जी, आप अफीम के सेटअप के बारे में बता दीजिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सदस्य जी, आप एक बात बताईये।

श्री इन्द्र साव :- आपके समय में तो घर में पहुंचाने का काम, आप ही लोग कर रहे थे।

एक माननीय सदस्य :- भईया, सब हो रहा है आप उनको बोलने तो दीजिए। आप लोग सुनिये तो। आप लोगों में सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, उस समय ऑनलाईन दारू मिल रहा था।

एक माननीय सदस्य :- भईया, आप लोग उनको बोलने तो दीजिए। आप लोग सुन नहीं रहे हैं।

श्री इन्द्र साव :- आपके समय में तो घर में पहुंचाने का काम, आप ही लोग कर रहे थे।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, इसीलिए छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती करवाना शुरू कर दिया।

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा :- माननीय सभापति महोदय, अब तुरंत-तुरंत कार्यवाही हो रही है।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपकी विभाग की अनुदान मांगों पर एक घण्टे का समय आवंटित किया गया था। इसमें बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि आप सहयोग करें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी खत्म करूंगा, लेकिन उनको जवाब देना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो न्यायायिक जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कोर्ट में चल रहा है...।

सभापति महोदय :- नहीं। आप अनुदान मांगों पर चर्चा करें, फिर रिपोर्ट की बात कीजिएगा।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, उसमें मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल मैंने देखा कि यहां समाज के ऊपर अनेक प्रकार की घटनाएं हुईं। चाहे धरमपुरा में जैतखम्भ को जलाने की बात हो, चाहे भिलाई में एक सतनाम समाज के युवा को रोड में पीटने की बात हो या अनेक प्रकार की घटनाएं बिलासपुर में हुईं, लेकिन किसी में न्याय दिलाने का काम नहीं किया। लेकिन ...। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। भारत देश में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य महोदय :- जेल में जाने वाले कौन हैं और उसे जलाने वाले कौन हैं ? आप लोग 5 साल थे...(व्यवधान)

श्री सुशान्त शुक्ला :- उसमें कौन आरोपी है।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- आप उन्हें गिरफ्तार करिये।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, अभी तो आपकी सरकार है। (व्यवधान)

श्री सुशान्त शुक्ला :- उसमें कौन आरोपी है।

श्री विक्रम मण्डावी :- आप उन्हें क्यों बचा रहे हैं।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- वह कौन थे , आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं। सरकार में आप लोग बैठे हुए हैं या हम लोग बैठे हुए हैं। आपकी सरकार है, आप जांच करवाईये। आपको कौन मना कर रहा है।

श्री इन्द्र साव :- माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट आएगी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह :- महोदय, आप अभी भी हमसे पूछ रहे हैं। आप जांच करवाईये। आप लोग सरकार में बैठे हुए हैं या हम लोग बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति महोदय, आप लोग जांच करवाईये।

श्री इन्द्र साव :- माननीय सभापति महोदय, सब जांच हो रही है, उसमें सब आएगा। शराब घोटाला का आएगा। शराब घोटाले में अंदर है। उनको संरक्षण तो आप ही लोग कर रहे हैं। आप लोग उनको थोड़ा देखिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग भी बैठिए। मंत्री जी, यहां अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही है। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिये। इसके बाद माननीय केदार कश्यप जी का विभाग है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विभाग है। कृपया आप सब लोग सहयोग करें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- माननीय सभापति महोदय, चर्मशिल्पकार के परम्परागत व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की आजीविका के उन्नयन हेतु सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बजट में राज्य के चर्म शिल्पकारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं सामग्री प्रदाय हेतु रूपये दो करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक हॉस्टल की बातें हो रही थीं, मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में 342 प्री मैट्रिक छात्रावास, 92 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 51 आश्रम संचालित हैं। कुल स्वीकृत सीट 25 हजार 927 है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभांवित किया जा रहा है। विभाग द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, आश्रम, क्रीड़ा परिसर एवं प्रयास विद्यालय संचालित हैं। इनमें से भवनविहीन संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग की प्राथमिकता है। जिससे इन संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके। इस हेतु वर्ष 2026-2027 के मुख्य बजट में बिलासपुर के लिए बात हो रही थी तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिला बिलासपुर के सीपत रोड में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खोला जाएगा। साथ ही मुंगेली के लिए भी बात हो रही थी तो जिला मुंगेली में 100 सीटर अनुसूचित जाति अलग क्रीड़ा परिसर का भी स्थापना की जायेगी। जिला रायपुर में भी 50 सीटर प्रीमैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, समोदा एवं 50 सीटर पोस्ट अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जिला जशपुर में भी स्थापित किया जाएगा। जिला रायपुर में अनुसूचित जाति कन्या प्रयास आवासीय विद्यालय, रायपुर में स्थापित किया जाएगा। अभी दीपेश जी ने धन्यवाद दिया । जिस प्रकार बेमेतरा जिला के लोगों की मांग आ रही थी, उसके अनुरूप जिला बेमेतरा में भी 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बेरला के निर्माण हेतु कुल 25 करोड़ का बजट प्रावधान नवीन मद के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।

सभापति महोदय, प्रदेश के बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालय में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राएं प्रवेश लेते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सभी को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराना मुश्किल होता है । इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में नई योजना प्रारंभ की है । इस योजना का नाम है-मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना । इसके माध्यम से हमारे बच्चे कहीं पर भी रहेंगे और उनका जो किराया है, उसे हमारी सरकार देगी । इसके लिए 2 करोड़, 50 लाख का बजट प्रावधान नवीन मद में प्रस्तावित किया गया है । विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रावास में निवासरत् छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन

तथा सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में ज्ञानार्जित अभिरूचियों के विकास हेतु शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण कराये जाने का प्रस्ताव है । इस कड़ी में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण हेतु 1 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान नवीन मद के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।

सभापति महोदसय, शासन द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है । इस हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है । विभाग द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की ऑनलाईन स्वीकृति एवं वितरण किया जाता है । छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण से जुड़ी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय मद में 60 लाख रूपए का बजट प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है ।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को कलेक्टर, एस.पी. या राज्य के अन्य प्रशासनिक परीक्षा होती है, उसमें नि:शुल्क शिक्षा हमें देनी चाहिए । हमारी हर्षिता दीदी बोल रही थीं कि सतनाम भवन में नि:शुल्क पढ़ाई करानी चाहिए, ताकि वे निश्चित ही कलेक्टर, एस.पी. या और बड़े अनेक पद में वे जा सकें तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में काम किया है । प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के विद्यार्थियों के सपनों को उड़ान देने उन्हें उत्कृष्ट कैरियर निर्माण हेतु अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने नई योजना सी.जी.स्टेट फार काम्पीटिव एग्जामिशन के शुभारंभ का प्रस्ताव किया है । इस योजना को हमने तीन घटक में किया है । इसको माननीय विपक्षी दल विशेष जानें क्योंकि इसके माध्यम से आप भी इसका प्रचार करें, ताकि हमारे बच्चे कलेक्टर, एस.पी. और बड़े-बड़े पदों में पहुंच सकें । उड़ान, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं निजी संस्थाओं में अध्ययन के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा । शिखर, जिसमें यूपीएससी एवं सीजी पीएससी प्रतियोगी परीक्षा तथा मंजिल, एसएससी, रेल्वे एवं बैंकिंग सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रशिक्षण हेतु इस बजट में 7 करोड़, 47 लाख, 70 हजार का बजट में नवीन मद में प्रावधान किया गया है ।

गुरू घासीदास बाबा जी के मार्ग पर चलने का दृढ़ विश्वास है ।

गुरू घासीदास बाबा जी के मार्ग पर चलने का दृढ़ विश्वास है ।

अनुसूचित जाति का उत्थान हमारा संकल्प है ।

हमारा लक्ष्य सर्वांगीण विकास है, हमारा लक्ष्य सर्वांगीण विकास है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय निगमों द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एवं राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं वित्त विकास के लिए ऋण राशि के

भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावासी सरकारी वित्त एवं विकास निगम हेतु रूपए 56 करोड़ का बजट प्रावधान नवीन मद के रूप में किया गया है । साथ ही सतनाम पंथ के महान प्रवर्तक बाबा गुरू घासीदास जी का जन्म एवं तपोभूमि गिरौधपुरी धाम से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु हमारी सरकार सतत् प्रयासशील है । इसमें आप लोग बोल रहे थे कि गिरौधपुरी के लिए इन दो सालों में आपने क्या किया है । पहले तो शुरूआत मैं पूर्व से करूं, माननीय सदस्यों ने भी कहा है । हम सब चाहते हैं कि बाबा गुरूघासीदास जी का जो संदेश है, वह सिर्फ एक समाज के लिए नहीं थे, पूरे देश और पूरी दुनिया, सर्व समाज के लिए संदेश हैं। निश्चित ही बाबा जी का संदेश देश और दुनिया तक जाना चाहिए। इस सपने को इस संकल्प को पूरा करने का काम पूर्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। वहां गिरौधपुरी में विश्व का सबसे ऊंचा, गगनचुंबी जैतखम्भ बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। (मेजों की थपथपाहअ) साथ ही इसी कड़ी में तीर्थस्थल से जुड़े हुए ग्राम केलासी से भण्डारपुरी धाम, क्योंकि गुरूघासीदास बाबा जी के अनेक धाम हैं। केलासीपुरी धाम, भण्डारपुरी धाम, अन्य बहुत सारे धाम है। जिसमें केलासी से भण्डारपुरी धाम तक जाने वाले रोड में स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही गिरौधपुरी में अमृत कुण्ड से पंचकुण्डी होते हुए छाता पहाड़ को सतनाम मार्ग के रूप में विकसित करने तथा गिरौधपुरी धाम एवं छाता पहाड़ को तीर्थ के रूप में विकसित करने हेतु 50 लाख तथा ग्राम भण्डारपुरी में सामुदायिक भवन हेतु 50 लाख का बजट इस नवीन में प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, गिरौधपुरी-भण्डारपुरी समन्वित विकास योजना, मैं इस योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने भी इस योजना को लाया था, पिछली सरकार ने भी इस योजना में बजट का प्रावधान किया था। लेकिन इसमें एक रूपया भी खर्च नहीं किया गया, एक भी विकास कार्य न तो गिरौधपुरी के लिए हुआ न भण्डारपुरी के लिए हुआ। आप जाकर देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में न तो गिरौधपुरी में एक ईंट रखा गया न भण्डारपुरी में एक ईंट रखा गया। कोई विकास कार्य नहीं किया गया था। लेकिन हमारी सरकार आते ही मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, आप पूछ रहे थे कि पिछले ढाई साल में क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम पूज्य गरूघासीदास बाबा जी के कर्मस्थली भण्डारपुरी धाम, जहां आज भी मोती महल अधूरा है, हम सब उसका निर्माण चाहते हैं, उसके लिए 17 करोड़ 11 लाख 22 हजार रूपये हमारी सरकार ने दी है, जिसका टेण्डर भी लग चुका है, वर्क आर्डर भी हो गया। सिर्फ भूमि पूजन करना है। हम सब मिलकर उसका भूमिपूजन करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) साथ ही साथ वहां का जो मेला स्थल है, मेला स्थल में निश्चित ही समाज पंडाल लगाता है तो वहां पर लाखों रूपये खर्च हो जाते हैं। समाज के आर्थिक नुकसान को भी बचाने के लिए 1 करोड़ रूपये का डोम शेड निर्माण कार्य की स्वीकृति हमारी सरकार ने दी है। ऐसे ही हमारे सरकार द्वारा 2024-25 एवं 2025-26 में गिरौधपुरी-भण्डारपुरी समन्वित विकास योजना अन्तर्गत मेला स्थल मे शेड,

जिला बेमेतरा में जोड़ा जैतखम्भ निर्माण, जिला मुंगेली में लालपुर में गुरूघासीदास जयंती स्थल का सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्य एवं भण्डारपुरी में भी विकास कार्य, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023 तक विभाग द्वारा राशि 1900 लाख रूपये का बजट प्रावधान किए जाने बावजूद भी ग्राम गिरौधपुरी विभिन्न कार्यों में स्वीकृत कार्य नहीं किया गया था। आपकी सरकार ने 1900 लाख रूपया स्वीकृत किया था, लेकिन उसमें एक रूपये राशि भी खर्च नहीं किया गया था। बाबा गुरूघासीदास के सामाजिक समरसता का संदेश ''मनखे-मनखे एक समान'' के अनुरूप हमारी सरकार बाबा गुरूघासीदास के दिखाये मार्ग पर चल रही है। उनके महान विचारों को कार्य के रूप में परिणित करने हेतु सतत प्रयासशील रहेगी। इसी प्रेरित राज्य के अनुसूचित जातियों के उन्नयन एवं विकास हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार निरन्तर कार्य करते रहेगी। हमारी सरकार ने चाहे गिरौधपुरी-भण्डारपुरी हो, जिस प्रकार हमारे दिलीप लहरिया जी बात कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे धाम हैं। वह भण्डारपुरी की बात कर रहे थे, वह गिरौधपुरी की बात कर रहे थे, वह खड़वापुरी धाम की बात कर रहे थे, वह अमरटापू धाम की बात कर रहे थे, वह छटवापुरी धाम की बात कर रहे थे, वह बाराडेरा धाम की बात कर रहे थे, ऐसे अनेक धाम के बारे में बात कर रहे थे। मुझे आज बताते हुए खुशी होती है कि हमारे भण्डापुरी में मेला लगाने हेतु प्रतिवर्ष 20 लाख रूपये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। (मेजों की थपथपाहट) वैसे हमारे गिरौधपुरी धाम, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है, कुछ दिन पहले ही गिरौधपुरी धाम का मेला लगा था, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जब वहां मेला का शुभारंभ हुआ, उसमें भी राशि देने का काम किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पिछले 5 साल इनकी सरकार रही, लेकिन राशि को बढ़ाने या राशि आगे करने की बात या वहां निर्माण कार्य की बात हो, किसी प्रकार का काम नहीं किया गया और आज सवाल पूछ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 25 लाख रूपये गिरौधपुरी धाम के मेले को संचालित करने के लिए मिलता था, अब उसे बढ़ाकर डबल 50 लाख रूपये कर दिया गया है और इस बार मेले में वह 50 लाख रूपये मिला भी और आज 50 लाख रूपये से बहुत ही सुचारू रूप से उस मेला की व्यवस्था भी हुई, साथ ही साथ हमारे जो श्रद्धालु हैं..।

श्रीमती चातुरी नंद :- माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अनुसूचित जाति यानी केवल सतनामी समाज ही नो हे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैंने इसमें चर्म शिल्पकार की भी बात की, उसकी भी बात बताई।

श्रीमती चातुरी नंद :- अनुसूचित जाति मा 44 जाति आते, बाकी समाज ला भी आप ध्यान देवा।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- बिल्कुल, उसके लिए भी ध्यान देंगे। हॉस्टल में जो बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, उसमें सभी लोग पढ़ते हैं, सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं पढ़ता। आप इसको भी ध्यान रखिए, उनके भी करियर मार्गदर्शन का भी काम कर रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सभी समाज के लिए कर रहे हैं। इसमें मैं विशेष रूप से जो धार्मिक स्थल का आपने सवाल उठाए, तो मैं

उसका जवाब आपको दे रहा हूं। 25 को 50 लाख किया, साथ ही साथ माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से विपक्ष को बताना चाहता हूं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो संत समाज है, जो मैंने देखा है कि गिरौदपुरी में मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक दंडशरण प्रणाम करते हुए, भुइयां नापते हुए, वे नारियल कोस नापते हुए मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। लेकिन उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने 3 करोड़ रुपया का मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक शेड निर्माण की स्वीकृति दी और आज वह काम भी चालू हो चुका है । साथ ही हमारे सभी सदस्य यहां पर मांग कर रहे थे कि गिरौदपुरी में एक बड़ा सामुदायिक भवन होना चाहिए, सभी मांग कर रहे थे कि वहां शौचालय का निर्माण होना चाहिए, वहां मांग कर रहे थे कि स्नानघर होना चाहिए। मैं आप सभी अनुसूचित जाति समाज के विधायक लोग आप सब यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप जानते भी हैं कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी इतने संवेदनशील हैं, इसका आकलन आप इसी से लगा सकते हो कि जब अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की जब पहली बार बैठक हुई, तो सबसे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हमारे जांजगीर-चांपा में इस बैठक को आयोजित किया ताकि समाज जागरूक हो सके, समाज को हक अधिकार मिल सके और वहां उन्होंने एक घोषणा किया था आप सभी को मालूम है कि हम सभी लोगों ने मांगें की थीं - आपने भी मांग की थी, हमने भी मांग की थी, हमारे माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी मांग की थी कि शौचालय होना चाहिए, स्नानघर होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां 2 करोड़ रुपये की घोषणा वहां के समूचे विकास के लिए किया था, आज उसकी राशि भी लगातार मिल रही है।

श्रीमती चातुरी नंद :- एको रुपया नहीं मिले है मंत्री जी, एको रुपया नहीं मिले हे, केवल कागज में ही दिखत हावे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- सब मिल रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक 3 करोड़ रुपये का शेड निर्माण जिसकी स्वीकृति भी चालू है, काम भी चालू हो चुका है। तो ऐसे काम भी चालू हो चुका है, आप वहां जाएंगे तब दिखेगा। आपके बिना जाए दिखेगा नहीं। आपको कांग्रेस वाला चश्मा हटाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा।

श्री रोहित साहू :- दीदी, आप गिरौदपुरी धाम नहीं गे रहेव का?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- बिल्कुल-बिल्कुल मंत्री जी आप सही कह रहे हैं शेड निर्माण का काम चालू हो गया है, लेकिन सामुदायिक भवन अभी नहीं बना है, आप किसकी बात कर रहे हैं? शेड निर्माण चालू हो गया है।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- अभी बनेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इसका भी जवाब आपको देना चाहता हूं । हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का जो पद होता है, जिसमें हमारे जब S.C. के रामनाथ कोविंद जी जब उस पद में सुशोभित हुए थे और वे गिरौदपुरी धाम आए थे तो उन्होंने 2.5

करोड़ रुपये का बहुद्देशीय भवन की घोषणा की थी और आज मुझे बताते हुए खुशी होती है कि वह भवन बनके गिरौदपुरी में तैयार हो चुका है, जिसमें आज कहीं न कहीं समाज को उसमें कहीं न कहीं अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से हर प्रकार का काम...।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- मंत्री जी, कहां पर बना है, कहां पर बना है?

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- गिरौदपुरी धाम में बना है।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- गिरौदपुरी धाम में कहीं पर दिखता नहीं है, कितना बड़ा बना है? हम लोग तो नहीं देखे हैं।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- गिरौदपुरी धाम में बना है, आप जब जाएंगे तो दिखाई देगा। आप लोग कृपया करके कांग्रेस का चश्मा हटाके जाएं तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। कांग्रेस का चश्मा लगाएंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- कांग्रेस और बी.जे.पी. नहीं है। माननीय मंत्री जी, वह भवन दिख नहीं रहा है। मैं अभी 4 दिन पहले गिरौदपुरी होकर आयी हूं, मुझे नहीं दिख रहा हे।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- आप मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा, मैं आपको ले चलूंगा, मैं आपको भवन भी दिखाऊंगा, शेड निर्माण का कार्य भी दिखाऊंगा। आपको छाता पहाड़ जाने वाले रोड की भी स्वीकृति भी दिखाउंगा।

श्री शेषराज हरवंश :- नहीं, शेड निर्माण का कार्य तो चालू हो गया है, दिख रहा है, लेकिन भवन अभी तक नहीं दिखा है।

श्री रोहित साहू :- उनके लिए धन्यवाद तो दे दीजिए, मंत्री जी को धन्यवाद दे दीजिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- मैं हमेशा गिरौदपुरी जाता हूं।

श्री शेषराज हरवंश :- बिल्कुल धन्यवाद है, मंत्री जी को धन्यवाद है, शेड निर्माण का जो कार्य चालू हुआ है, उसमें कृपया करके वे मोटे जूट की दरी जो है, वह बिछवा दीजिए।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- ढाई करोड़ का बहुद्देशीय भवन भी बहुद्देशीय भवन भी बनकर तैयार हो चुका है, उसका भी आप धन्यवाद दीजिए क्योंकि वह भी आपके काम आया है।

श्री आशाराम नेताम :- जो नहीं बना है, उसको बजट में बोल रहे हैं न, वह बनेगा।

सभापति महोदय :- बैठ जाएं। आप लोग भी बैठ जाएं। जल्दी करें मंत्री जी, जल्दी करें।

श्री गुरू खुशवंत साहेब :- इस प्रकार के सभी काम करने का। बस दो-पांच मिनट टाइम, पांच मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। एक और कुछ और जो उपलब्धियां हैं, हमारी सरकार की मैं अनुसूचित जाति समाज के लिए बताना चाहता हूं । क्योंकि बड़े-बड़े काम हो रहे थे, लेकिन गुरु घासीदास बाबा जी को सम्मान किसी प्रकार से नहीं मिल रहा था। मैं जब राजनांदगांव गया था मिनी माता जी की पुण्यतिथि थी, वहां समाज के लोगों ने मांग किया कि महाविद्यालय का नाम गुरु घासीदास बाबा जी के

नाम से हो, तो मुझे बताते हुए खुशी होती है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने घोषणा किया और आज वह महाविद्यालय गुरु घासीदास बाबा जी के नाम से वहां पर राजनांदगांव जिला में वह जाना जाता है। इस प्रकार हर जगह, हम बाराडेरा की बात कर रहे थे सभी धाम की, तो बाराडेरा में हम सब गुरु अमरदास बाबा जी के नाम से वहां मेला भराता है और तालाब के इतिहास को हम सब जानते हैं। लेकिन पिछले पांच साल उस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, तालाब के विकास के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। लेकिन मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से उस बाराडेरा धाम के लिए 50 लाख रुपये उस तालाब के लिए स्वीकृति हुई है, जिसके माध्यम से वह तालाब विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। वहां हाई मास्ट लाइट भी लगाए जा रहे हैं, वहां के मेला स्थल को भी सुंदर करने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से हर धामों को, हर जगह को विकसित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हो रहा है। साथ ही मैं अंतिम क्षण में हूँ। हमारे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए मैं विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूँगा क्योंकि इस प्राधिकरण का गठन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। इस प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज का बाहुल्य है इसलिए निश्चित ही उनके क्षेत्र में विकास की अति आवश्यक होती है। इस योजना को प्रारंभ करने का भी काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने किया था, इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज विपक्ष के लोग हमसे माँग कर रहे हैं कि हमारे प्राधिकरण का हमारे विधान सभा क्षेत्र में इतना काम दीजिए, उस विधान सभा क्षेत्र में इतना काम दीजिए, यहाँ वह करिए, इसका पैसा वहाँ लग गया, उसका पैसा वहाँ लग गया, इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल जब इनकी सरकार थी, तब उन्होंने कभी भी प्राधिकरण के राशि को बढ़ाने के बारे में न सोचे, न समझे। लेकिन हमारी सरकार अनुसूचित जाति समाज के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्होंने घोषणा किया कि अनुसूचित जाति प्राधिकरण के 50 करोड़ को 75 करोड़ किया गया, जो इस बजट में भी आ चुका है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। अभी माननीय सदस्य ने जो बात की कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में 30 लाख आया, हमारे विधान सभा क्षेत्र में इतना पैसा आया और दूसरे जगह ज्यादा खर्च हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले हैं, जिसमें जांजगीर-चाँपा, शक्ति, सारंगगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, महासमुंद, राजनांदगांव, खैरागढ़ एवं धमतरी शामिल हैं। ये सभी जिले अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले हैं, इन सभी जिलों में 50 करोड़ की की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें आपने बोला कि सिर्फ 12 करोड़ ही खर्च हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में 50 करोड़ 50 लाख का प्रावधान था, जिसमें हमारी सरकार ने 50 करोड़ 48 लाख 85 हज़ार हर जिलों में आवंटित करने का काम किया, ताकि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों का उन्नति और विकास हो सके। इस बार 75 करोड़ आ रहा है, जिसके माध्यम से समाज का उन्नति और विकास होगा। निश्चित ही हमारी सरकार

दृढ़ संकल्पित है और गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश 'मनखे-मनखे एक समान' पर चल रही है, उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित ही इसके माध्यम से हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। जिन माननीय सदस्य इसमें भाग लिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सभी के जो सुझाव आए हैं, मैंने सारे सुझाव को नोट किया है कि कहाँ किस भवन को सुदृढ़ीकरण करना है, कहाँ लैब को सुदृढ़ीकरण करना है, कहाँ I.T.I. खोलना है, कहाँ छात्रावास की माँग है, उन सभी माँगों को मैंने नोट किया है। हमारी सरकार संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और हमारे अनुसूचित जाति समाज के उन्नति विकास के वे लगातार बजट में पैसे दे रहे हैं। निश्चित ही विश्वास रखें आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार सभी कार्य स्वीकृत किए जाएँगे और हम समाज का पूर्ण रूप से कल्याण करने का काम करेंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूँगा कि मेरे विभाग के सभी अनुदान माँगों को सर्वसम्मति से पारित करने का काम करें, ताकि अनुसूचित जाति का तीव्र गति के साथ 'साय-साय' विकास हो सके। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूँगा..।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, थोड़ा समय में वृद्धि किया जाए, ताकि शिष्यवृत्ति और भोजन सहाय योजना में बच्चों के लिए जो माँग था, उसमें वृद्धि की जाए। यह बात नहीं आई है। इसलिए थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा। प्रश्न यह है कि माँग संख्या 15, 47, 49 एवं 64 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किए जाएँ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं माँगों पर मत लूँगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या	-	15	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता के लिए- एक सौ तिराही करोड़, पैंसठ लाख, सोलह हजार रूपये
मांग संख्या	-	47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार के लिए- चार सौ नवासी करोड़, सोलह लाख, अट्ठाईस हजार रूपये
मांग संख्या	-	49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए-सात करोड़, पन्द्रह लाख, उनतालीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 53 अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए-एक सौ चौरासी करोड़, चार लाख, सत्रह हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए-बारह हजार पांच सौ सन्तानबे करोड़, दो लाख, बयानबे हजार तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) **मांग संख्या 10 वन एवं जलवायु परिवर्तन**

मांग संख्या 17 सहकारिता

मांग संख्या 28 राज्य विधान मण्डल

मांग संख्या 36 परिवहन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च, 2027 कोसमापत होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 10 वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिये- दो हजार आठ सौ सड़सठ करोड़, तीस लाख रूपये,

मांग संख्या - 17 सहकारिता के लिये- तीन सौ नवासी करोड़, चालीस लाख, पचासी हजार रूपये

मांग संख्या - 28 राज्य विधान मण्डल के लिये- एक सौ बाईस करोड़, पैंसठ लाख रूपये तथा

मांग संख्या - 36 परिवहन के लिये-दो सौ तिरालीस करोड़, पचास लाख, पचास हजार रूपये तक की राशि दी जाये

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे । कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है । प्रस्तावक सदस्य कानाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव पुस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे ।

मांग संख्या-10

वन एवं जलवायु परिवर्तन

1. श्री कवासी लखमा 2
2. श्रीमती शेषराज हरवंश 2

मांग संख्या-17

सहकारिता

1. श्रीमती शेषराज हरवंश 2

मांग संख्या-36

परिवहन विभाग

1. श्री लखेश्वर बघेल 3

सभापति महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये ।

सभापति महोदय :- अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी श्री विक्रम मंडावी ।

श्री विक्रम मंडावी (बीजापुर) :- सभापति महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी की मांग संख्या 10, 17, 28 और 36 पर अपनी बात रखने के लिये खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदय, वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है । प्रदेश का वर्तमान वन क्षेत्रफल लगभग 59 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे प्रदेश में 44 प्रतिशत वन क्षेत्र आता है । माननीय सभापति महोदय, 26 जुलाई 2022 को इस सदन में अशासकीय संकल्प जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ था, सदन का यह मत है कि हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किया जाये, इस सर्वसम्मति के संकल्प के बाद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हसदेव अरण्य के कोल फील्ड में कोयला उत्पादन को पूरी तरह से रोक दिया था । माननीय सभापति महोदय, दिसम्बर 2023 में विधान सभा चुनाव के मतगणना के पश्चात् मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण के पहले ही 11 दिसम्बर 2023 को हसदेव क्षेत्र के आवंटित कोल ब्लॉक की भूमि पर खड़े वृक्षों को काटने की दी गई है । माननीय सभापति महोदय, प्राय: देखने में आ रहा है कि वन विभाग लगातार 2 सालों से वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन में पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है । इस सरकार के कार्यकाल में दो वर्षों में ही 9 बाघ, 38 हाथी और 500 से ज्यादा दुर्लभ प्रजाति के हिरण और चीतल जैसे जानवरों की असामयिक मौत हुई है । सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में लगातार अवैध शिकार हो रहे हैं, इस ओर जिस प्रकार से हमारे वन विभाग को ध्यान देना चाहिये, वह कहीं पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। पूरे प्रदेश में, खासकर अगर मैं बस्तर की बात करूं, चाहे

सरगुजा की बात करूं, जहां सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, उन क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा शिकार हो रहा है। लेकिन पिछले एक-दो सालों में शिकार के मामले में जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी, वह वन विभाग के द्वारा नहीं हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा बाघ को त्रि-स्तरीय सुरक्षा दी जाती है, हम सब कहते हैं। माननीय मंत्री जी, उसके बाद भी नौ-नौ बाघों की मौत हुई है, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में एक चीतल के मारने से सलमान खान को जेल भेज दिया गया था। लेकिन यहां नौ-नौ बाघ और और दुर्लभ जानवरों की मौत होती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व है, अगर उनकी गणना की जाए तो पहले की अपेक्षा टाइगर, बाघ लगातार कम होता जा रहा है, अन्य जो भी पशु हैं, वह भी कम होते जा रहे हैं। मैं उस ओर भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, जिस तरीके से अवैध शिकार हो रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर हम अपने पड़ोसी प्रदेशों में देखेंगे, बस्तर के पड़ोसी महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड है, उन प्रदेशों में कहीं न कहीं बाघों की जनसंख्या, अन्य पशुओं की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारे यहां लगातार कम हो रही है।

समय :

4.32 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, एक और विषय की ओर अपनी बात रखना चाहता हूं, आज पूरे वन भूमि पर अतिक्रमण लगातार बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। वन क्षेत्रफल लगभग 44% माना जाता है, लेकिन अगर प्रतिशत की मात्रा में देखा जाए तो कहीं न कहीं 20-22% में ही वनभूमि पाया जा रहा है। बाकी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वहां पर अतिक्रमण हुआ है। एक तरफ हमें सोचना चाहिए, जो वन भूमि है, उस पर वृद्धि होना चाहिए, लेकिन वहां पर उल्टा वन क्षेत्रों से और कम हो रहा है, इसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है, पहले हमारी सरकार में इस पर बहुत अच्छा काम हुआ था, लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। जो कैम्पा मद है, एक बड़ा मद होता है, कैम्पा की राशि केंद्र से आती है, एक बड़ी योजना के साथ यह राशि आती है, लेकिन इस पर जिस तरीके से खर्चा होना चाहिए, इसका जो सदुपयोग होना चाहिए, वह कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है और लीपापोती या जहां पर जरूरत नहीं है, वहां पर उसका उपयोग ज्यादा किया जाता है। अगर वन की बड़ी राशि से वृक्षारोपण की बात करें, यहां सदन में बार-बार बताया जाता है कि कैम्पा मद से वृक्षारोपण किया जा रहा है लेकिन आप पूरे क्षेत्र में देखेंगे, पूरे प्रदेश में देखेंगे, जहां भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहां आप साल-दो साल में चले जाइए वृक्ष नहीं मिलेगा। हम लगातार वृक्षारोपण पर इतनी बड़ी राशि खर्चा कर रहे हैं, फिर भी उसका जो उपयोग हो रहा है, उसकी बनिस्बत जो हमें इसका लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं

मिल पा रहा है। जहां तक मैं सोचता हूं, कैम्पा मद में एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका भी सही उपयोग करने की ज़रूरत है। एक अच्छी नीति-नियम बनाकर ज्यादा से ज्यादा वन क्षेत्रों में, वनवासी, हमारे आदिवासी भाइयों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। माननीय सभापति महोदय, हम आप सभी बस्तर से आते हैं। वर्तमान समय में बस्तर में लगातार तेंदूपत्ता का सीजन चल रहा है और हमारे मंत्री जी भी बस्तर से आते हैं। तेंदूपत्ता नीति एक ऐसा नीति था, जहां पर हमारे ग्रामीण आदिवासी साल भर उस तेंदूपत्ता के लिए इंतजार करते थे, कब तेंदूपत्ता का सीजन आएगा और हम कब तेंदूपत्ता तोड़ेंगे और तेंदूपत्ता का पैसा या पारिश्रमिक हमको मिलेगा। लेकिन वर्तमान समय में कहीं न कहीं सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछले दो वर्षों से तेंदूपत्ता तोड़ाई नहीं हो पा रही है।

श्री आशाराम नेताम :- सभापति महोदय, कांग्रेस कार्यकाल में कितने दिन हुआ था? बस्तर में तेंदूपत्ता कितने दिन खरीदते थे? पिछली सरकार मात्र एक दिन खरीदती थी। हमारी सरकार लगातार खरीद रही है और हमारे आदिवासी भाइयों की लगातार चिंता कर रही है।

श्री विक्रम मंडावी :- माननीय सभापति महोदय, आपने तो मोदी की गारंटी में 15 दिन खरीदने की बात की थी। अब आप कितना दिन ले रहे हैं ?

श्री आशाराम नेताम :- पान आता था, उतना दिन ले रहे हैं और नहीं आ रहा है तो क्या जबरदस्ती खरीदेंगे ? सभापति महोदय, जितना दिन आता है उतना दिन खरीदते हैं।

सभापति महोदय :- आशाराम जी बैठिए।

श्री विक्रम मंडावी :- सभापति महोदय, मोदी की गारंटी में आपने 15 दिन लेने की बात कही थी। अभी आप एक दो दिन भी नहीं ले पा रहे हैं।

श्री आशाराम नेताम :- आप लोग एक दिन खरीदते थे। वह भी रातोंरात खरीदकर बंद कर देते थे।

सभापति महोदय :- आशाराम जी, सीधा बात न करें, आसंदी की तरफ देखकर बात करें।

श्री विक्रम मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे थे कि आप 15 दिन की बात कर रहे थे, 4,500 रूपये बोनस देने की बात कर रहे थे, लगातार वहां पर ग्रामीणों की मांग पर नया तेंदूपत्ता फड़ खोलने की बात कर रहे थे। आज तेंदूपत्ता सीजन चल रहा है, आप बस्तर की स्थिति पता लगाकर देख लीजिए। आप खुद बस्तर से आते हैं। आज वहां पर लगातार इस बात का विरोध हो रहा है कि तेंदूपत्ता की जो नीति पहले मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में थी, वही तेंदूपत्ता की नीति फिर से यहां लागू की जाए। तेंदूपत्ता वहां के ग्रामीण आदिवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। उस पर ग्रामीण बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हैं। इस बात को हम सभी और पूरा सदन जानता है, खासकर बस्तर से हमारे जो सदस्य आते हैं, वह सभी जानते हैं कि किस तरीके से तेंदूपत्ता वहां के

आदिवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। यदि आदिवासी किसी चीज पर आत्मनिर्भर होते हैं तो तेंदूपत्ता पर रहते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद लगातार तेंदूपत्ता नीति को कमजोर करने का प्रयास किया गया है। अगर मैं बीजापुर जिले की बात करूं तो पिछले साल वहां पर 70 से 80 करोड़ रूपये का भुगतान होता था, लेकिन आज वहां पर मात्र 10 करोड़ रूपये के लगभग का भुगतान किया गया है। हमारे कवासी लखमा जी बैठे हुए हैं। उनके सुकमा जिला में लमसम 90 करोड़ से 100 करोड़ रूपये के बीच में भुगतान होता था, लेकिन आज वहां पर भी मात्र 10-15 करोड़ रूपये के अंदर भुगतान सिमटकर रह गया है। इस तरीके से तेंदूपत्ता नीति को कमजोर करने का काम वर्तमान में भाजपा की सरकार ने किया है। वर्तमान में तेंदूपत्ता की जो नीति है, कहीं न कहीं उसके लिए जो एक नीति बनना चाहिए और जो शुरुआत में बनी थी, वह उससे हटकर है। आपने इसमें दिया है कि पहली बार सरकार तेंदूपत्ता की खरीदी के लिए ऋण लेने जा रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज तक कभी भी तेंदूपत्ता की खरीदी के लिए ऋण लेने का प्रावधान नहीं था। आज ऐसी क्या नौबत आ गई है, ऐसी क्या जरूरत महसूस हो रही है कि जहां तेंदूपत्ता बड़े फायदे का व्यापार था और जिससे लगातार सरकार को, विभाग को फायदा होता था, उसकी खरीदी के लिए आज आप ऋण ले रहे हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार आप ऋण लेकर तेंदूपत्ता की खरीदी करने का काम कर रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जहां तक बोनस की बात है तो इस बजट में आपने बोनस का भी कोई उल्लेख नहीं किया है। आपने जो 15 दिनों तक तेंदूपत्ता तोड़ाई की बात की थी, लेकिन वर्तमान समय में उसकी मुश्किल से एक दिन, दो दिन भी तोड़ाई नहीं हो रही है। यह हकीकत की बात है। माननीय सभापति महोदय, बस्तर के आदिवासी इस बात को लेकर लगातार चिंतित हैं कि तेंदूपत्ता जो उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत है, उसके लिए एक अच्छी नीति-नियम बनाकर, ज्यादा से ज्यादा तेंदूपत्ता तोड़ने के जो पुराने नीति-नियम थे, ग्रामीणों की मांग पर तेंदूपत्ता फड़ खोलने और जो पहले ठेकेदारी प्रथा थी, उस नीति से अगर किया जाए तो कहीं न कहीं ज्यादा से ज्यादा लाभ वहां के बस्तर के आदिवासियों को मिल सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। दूसरा, वनोपज। हम सभी जानते हैं कि लघु वनोपज, जो बस्तर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सरगुजा में सबसे ज्यादा पाया जाता है और पिछली बार हमारी सरकार बनने के बाद हमने लगभग 57 वनोपजों की समर्थन मूल्य से खरीदी की थी और बड़े पैमाने पर पूरे बस्तर और सरगुजा तथा जहां भी वन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में समर्थन मूल्य के माध्यम से उनकी खरीदी करने का काम हमारी सरकार ने किया था। वर्तमान समय में वनोपज को समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए, लेकिन चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो या अन्य जो भी क्षेत्र हों, कहीं पर भी उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी देखने को नहीं मिल रही है। उससे भी ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हैं। इस बार भी इसका उल्लेख बजट में नहीं है कि किस तरीके से आने वाले समय में वह वनोपज की खरीदी करेंगे और उनको बेहतर व अच्छा मार्केट कहां से उपलब्ध कराएंगे? ग्रामीणों

को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, इस बात का भी कोई उल्लेख नहीं है। माननीय सभापति महोदय, वनोपज के साथ-साथ बस्तर और अन्य वन क्षेत्रों में औषधि पाई जाती है। बस्तर के दुर्गम अंदरूनी क्षेत्रों में वह बहुत ज्यादा पायी जाती है। वह वहां के बहुत सारे ग्रामीणों की आजीविका का माध्यम भी है। जब तबीयत खराब होती है या सांप काटने जैसा कुछ भी होता है तो वह औषधि के रूप में अपनी देशी जड़ी-बूटी से इलाज करते हैं। चूंकि औषधि पदार्थ के लिए बोर्ड बना है तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा उन क्षेत्रों में इसका कैसे उपयोग किया जाए, इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। ऐसी जो भी औषधि उन अंदरूनी क्षेत्रों में मिलती है, जिसके बारे में आज तक आपको या हमको पता नहीं चल पाया है, उन क्षेत्रों के बारे में मालूम करके उसको भी अच्छे से करने की जरूरत है। हमारे माननीय वन मंत्री जी के विभाग में लगभग 2,500 से ज्यादा पद खाली हैं। कहीं न कहीं आज वन विभाग में शासकीय वन भूमि का जो अतिक्रमण हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है, चूंकि उसमें पदों की संख्या बहुत कम है और उनमें भर्तियां नहीं हो रही हैं तो जहां तक मैं समझता हूं कि वह भी उसका कारण है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द भर्तियां की जायें। इसके अलावा तेंदू पत्ता का बोनस जो पिछले दो सालों से नहीं बंट रहा है, उस बोनस को भी बांटा जाये। हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार के समय बोनस दिया जाता था, जिससे ग्रामीणों को तुरंत उसका लाभ मिलता था लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद सुकमा में जो बोनस घोटाला हुआ है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बोनस को भी बांटने नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय, हर वर्ष बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर जो वृक्षारोपण दिखना चाहिए, वह कहीं भी नहीं दिख पाता है। माननीय मंत्री जी के पास सहकारिता विभाग भी है। जिस तरीके से सहकारी सोसायटियों के माध्यम से 122 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया था और दूसरी ओर वन भूमि पट्टाधारियों से धान की खरीदी नहीं की गयी है। ऐसे बहुत से वन भूमि पट्टाधारी किसान हैं, जिनसे धान नहीं लिया गया है। ऐसे में वह जो ऋण लिये हैं, तो उस ऋण की अदायगी वह कैसे करेंगे ? इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि कोण्डागांव में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना हुई है। संयंत्र लगने के समय शुरूआत से ही उसका विरोध हो रहा था। उससे निकलने वाले मलबा और गंदे कचरा से वर्तमान समय में वहां के ग्रामीण बहुत परेशान हैं और लगातार उसका विरोध कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहां बोला गया था कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, वह रोजगार भी अभी तक उस संयंत्र से नहीं मिला है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सहकारिता विभाग में धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाना चाहिए।

श्री नीलकंठ टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, यह जो कोण्डागांव की बात आ रही है। सहकारिता में कोण्डागांव में तो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में बात हुई थी और 42 हजार किसानों ने

वहां की मेंबरशिप ली थी। उन्होंने 8 करोड़ रूपये का अंशदान जमा किया था। लेकिन यह इथेनॉल प्लांट लगाने का काम किसने किया है ? इथेनॉल का उसमें कोई प्रोव्हिजन था ही नहीं। जब कांग्रेस की सरकार आयी थी तब उन्होंने मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को बदलकर इथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया। आज वहां पर लोगों के जीने मरने की समस्या उत्पन्न हो गयी है। यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री विक्रम मण्डावी :- उस समय वहां कलेक्टर साहब कौन थे ?

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय में धान खरीदी केंद्रों की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़ायी गयी थी। उस समय के बाद से वर्तमान में एक भी धान खरीदी केन्द्र का विस्तार नहीं हो रहा है, यह उसकी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। भाजपा सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद हर सरकार में हम धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान लेंगे। हर पंचायत में तुरंत भुगतान होगा। लेकिन आज पर्यंत तक किन्हीं भी पंचायतों में न धान खरीदी केन्द्र खोला गया है और न ही धान खरीदी का तुरंत भुगतान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, दो मिनट। इसी में कुछ कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री महोदय, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट से है। मैं केवल बिलासपुर के अचानकमार टाइगर रिजर्व के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आखिरी में बोल देना न तो।

श्री केदार कश्यप :- क्या आप भागने वाले हैं ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- नहीं, मैं भागने वाला नहीं हूं।

सभापति महोदय :- चलिये बैठिये।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मंत्री जी, अचानकमार टाईगर रिजर्व की बात आयी थी इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि वहां बार-बार यही हो रहा है कि अभी वहां पिछले डेढ़ साल से 3 गांवों की शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है लेकिन एक भी गांव शिफ्ट नहीं हुआ है। वहां 19 गांवों को शिफ्ट करना है। वहां अधिकारी बार-बार बदल दिये जाते हैं। अचानकमार ही एक ऐसा टाईगर रिजर्व है, जिसको आप बहुत अच्छे से डेव्हलप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा आपके ध्यान की जरूरत है। आप वहां अधिकारियों को परमानेंट नियुक्त करें और उनको टारगेट दीजिये कि वह 2-3 साल के अंदर वहां के गांवों को शिफ्ट करें और अचानकमार को अच्छा बना सके।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के विभाग की मांग संख्या 10, मांग संख्या 17, मांग संख्या 28 और मांग संख्या 36 की मांगों के और उसमें उल्लेखित राशि उनको दी जाये, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति

महोदय, यह नौजवान मंत्री हैं। यह जब-जब जीतते हैं, तब-तब मंत्री बनते हैं और जब-जब जीतते हैं तो हमारी सरकार बनती है। सबसे लंबे समय तक मंत्री बनने का रिकॉर्ड अब एकाध साल में टूट जायेगा। यदि मध्य प्रदेश को जोड़ दे तो अभी उसमें बृजमोहन जी का नाम है। 15+3=18, यहां के 5 और 6 महीने और वहां के 33 महीने जोड़ दे तों एकात साल में आप सबसे लंबे समय तक मंत्री रहने का एक अनुभव पास में है। सामाजिक, राजनीतिक जीवन का एक लंबा इतिहास है, यशस्वी पिता की यशस्वी संतान हैं। तो विरासत में मिला है, एक स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि शानदार काम करेंगे, शानदार परफार्म करेंगे। उनको जो महती दायित्व मिला है, इस देश में माननीय मोदी जी ने पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकार से समृद्धि तक देश को नारा दिया। आज पूरी दुनिया में ''स्टार्ट अप'' एक शब्द आया है। दिन-चार लोग मिलते हैं, तकनीकी, मेघा, कुछ फाईनेंस ये सब जोड़कर नये क्षेत्र तलाश कर कुछ काम शुरू करते हैं। किसी समय में सहकारिता में जो काम शुरू होते थे, वह एक तरह का स्टार्ट अप ही होता था। रायपुर का जिला सहकारी बैंक देश के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। वह 1918 के आसपास का होगा। तो किसानों को शोषण मुक्त कैसे बनाया जाये, उसका विकल्प क्या है? जब देश में कुछ बैंक होते थे तो उन्होंने कहा कि सब मिलकर चलो बैंक बनाते हैं। आदरणीय भोलाराम साहू जी इसको हम स्टार्ट अप तो कह सकते हैं। आज यदि सरकार की पूरे देश में स्थिति देखें, दुनिया में कह लें तो जो आकार प्रकार में, सोच में, चिंतन में परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं ए.आई. का प्रभाव कहें या विषय का प्रभाव कहें, कहीं भू-राजनीतिक स्थिति कहें। रोजगार के अवसर, सरकार के आकार सब बदल रहे हैं। रोजगार एक बड़ी समस्या है और उस बीच में यदि आशा की किरण दिखती है तो वह सहकारिता है और सहकारिता समाज के मूल्यों को भी मजबूत करती है और सामाजिक दायित्व को पैदा करती है। पूंजीवाद के या कम्यूनिज्म के या किसी विचारधाराओं की विकृतियां यदि दूर होते दिखती हैं तो सहकारिता में ही विचारधाराएं दूर होती दिखती हैं। उनकी विकृतियां दूर होते दिखती हैं। लोगों की पूंजी लोगों के हाथ में है और लोग उसका संवर्द्धन कर रहे हैं और देखरेख कर रहे हैं। सरकार एक कस्टोडियल की भूमिका में होती है, नीति निर्धारक की भूमिका में होती है, नियंत्रणकर्ता की भूमिका में नहीं होती है। मेरी केदार कश्यप जी से एक ही अपेक्षा रहेगी कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, सरकार की मंशा दिखती है। लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद हम जहां पर खड़े थे, उससे पीछे गये हैं। अब आपको बड़ी अपेक्षा के साथ मोदी जी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। भोलाराम साहू जी, आलोचना, प्रत्यालोचना मैं आपके लिये छोड़ देता हूं। सहकारिता क्षेत्र में मैं आलोचना नहीं करता और वैसे भी मैं ट्रेचरी बेंच का आदमी हूं। लेकिन वह सहकारिता यदि हम मजबूत करते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिये अवसर उपलब्ध करवायेगा, चाहे वह सुदूर बस्तर हो, अंबिकापुर हो, सरगुजा हो, मध्य छत्तीसगढ़ हो। आप देखिये कि कैसे उसका जनजीवन में प्रभाव पड़ता है। आप उस सरकार में मंत्री थे। देश की पहली सरकार बनी, पहला प्रांत छत्तीसगढ़ बना, अमर अग्रवाल जी वित्त मंत्री थे, वह बैठे हैं, जिन्होंने 14 प्रतिशत, 9

प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और आज 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दे रहे हैं और 6 हजार करोड़ रुपया ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना, किसानों की इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा कमिटमेंट, यह कहां से पैदा हुआ, ये छत्तीसगढ़ की धरती इसी विधान सभा से पैदा हुआ कि किसानों की सेवा की जायेगी। छत्तीसगढ़ में लघु, सीमांत कृषक हैं। अधिकांश सबसे छोटे आकार का जोत हिन्दुस्तान में मिलेगा तो बस्तर, सरगुजा में मिलेगा। बडे जोत नहीं मिलेंगे। उन किसानों को मनी लेंडर के चंगुल से मुक्त कराने का काम यदि किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। (मेजों की थपथपाहट) आप धान खरीदी करते हैं, अलग-अलग विभाग भी करते होंगे, लेकिन धान खरीदी का एकाउंट तो सहकारिता विभाग में आयेगा ही । पैक्स के माध्यम से आप ही खरीदी करते हैं । पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य बना जिन्होंने संस्थागत सोसायटी के माध्यम से धान खरीदी शुरू की और आज चाहे ब्याजमुक्त ऋण हो, चाहे वह एक रूपया चावल हो, चाहे धान खरीदी की व्यवस्था हो और धान खरीदी की व्यवस्था के साथ-साथ लघु वनोपज इनकी खरीदी को भी सहकारिता विभाग में जोड़ दें, तेंदूपत्ता नीति की जो बात हो रही थी उसको जोड़ दें तो जन-जीवन में आज साढ़े 5 हजार रूपये से ऊपर तक के भाव को यदि देखते हैं, यदि उसको जोड़ दें तो जन-जीवन में परिवर्तन दिखता है, साहब । आप किसी भी तरीके से ले लें, यदि आगे आंकड़ें आयेंगे तो उसमें बात भी कर लेंगे कि इसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए ? मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि छत्तीसगढ़ से बाढ़ही प्रथा खत्म हो गयी, नंदा गे हे, कइसे भोलाराम जी सहमत हे कि नइ ऐखर से? खुज्जी में अभी भी बाढ़ही खाथे का ?

श्री भोलाराम साहू :- कर्जा में डूब गे हंओ, अभी दे हंओं न ।

श्री अजय चंद्राकर :- एक-एक बात ला कर न, मैं बाढ़ही पूछत हंओं । खुज्जी के बात करत हंओं ता तें हा मानपुर-मोहला काबर जात हस ?

श्री भोलाराम साहू :- ओखर मतलब एके हे न भई । बाढ़ही के मतलब कहीं भी घुमा के ले बाढ़ही उही हर हे ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा, ओखरे सेती गोड़ टूटे हे का ? चल ठीक हे ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसान के धान रइही ता बाढ़ही के बात करही ।

श्री भोलाराम साहू :- आज भी कई किसान 1 लाख 20,000 में, 3 लाख शहर में देत हओ, ग्रामीण में 1 लाख 20,000 देत हओ । ओ मकान नइ बना सकत हे, खेती बेचत हे ।

सभापति महोदय :- भोलाराम जी, इधर देखकर बात करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, चूंकि जल्दी खत्म करने का निर्देश है इसलिये मैं जल्दी-जल्दी बोलूंगा ।

श्री भोलाराम साहू :- माननीय सभापति महोदय, यह सहकारिता के बात करत हे । 15 साल से कुमरदा में बैंक खोले के आवेदन आये हे ।

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- अरे भाई साहब, बाढ़ही प्रथा खत्म होए हे कि नहीं होए हे ?

श्री भोलाराम साहू :- नइ होए हे ।

श्री अजय चंद्राकर :- होथे, अभी खुज्जी में का भाव हे बता, चल मैं लूहूं, कौन दिही ते । कोनो आदमी हा घर में धान नइ रखे है, तें हा बाढ़ही खाते कहथ । एक ठन आदमी, तें हा घर में धान नइ रखस । कौन ला बाढ़ही दे दरबे तें हा ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अधिकारी लोग घर के अंदर घुस-घुसकर चेक किये हैं। चंद्राकर जी बाढ़ही की बात कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जिस दिन इस योजना की नींव पड़ी । छत्तीसगढ़ में 26 साल में यह रजत जयंती वर्ष है, एक किसान की नीलामी नहीं चढ़ी, यह सामाजिक प्रभाव इस योजना का है और सरकार की योजना वही है । सही है जो सामाजिक प्रभाव, जो जन-जीवन पर प्रभाव डालती है और आप उसमें सफल रहे, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बधाई देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने पैक्स की जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी हैं । पैक्स का आप डिजिटलीकरण कर रहे हैं, पैक्स को बहुउद्देश्यीय बना रहे हैं । सहकारिता की नयी नीति आ चुकी है, बहुउद्देश्यीय बनाने में, डिजिटलीकरण में जो स्पीड है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, चंद्राकर जी बहुत क्लासिकल भाषण दे रहे हैं ।

सभापति महोदय :- इस विभाग में चर्चा में आपका भी नाम है । उसमें बात रख लीजियेगा न ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, बहुत आंकड़ों की बात कर रहे हैं । अगर सीधे साधे शब्दों में बात करूं तो किसान लोग धान बेचने के लिये कोई पेड़ पर ओ.टी.पी. के लिये चढ़ रहा है, कोई कहीं चढ़ रहा है ।

सभापति महोदय :- बैठिए देखिये, आपका भी इस विभाग में बोलने के लिये नाम है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, इतने परेशान हैं तो थोड़ा सा सिंपल भाषा में बात करें तो हम लोग भी समझें । हम लोगों को क्लासिकल भाषा समझ में नहीं आती है ।

सभापति महोदय :- जो बार-बार टोका-टाकी करेगा उसका फिर दर्ज नहीं होगा।

श्रीमती अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पैक्स के आधुनिकीकरण। पैक्स का बहुउद्देश्यीय होना, अपेक्स बॉडी के मैम्बरशिप 100 प्रतिशत लें । आपने जो 515 समिति बनायी है वह अपेक्स बॉडी के मैम्बरशिप लिये हैं या नहीं लिये हैं । वह बहुउद्देश्यीय तभी बनेंगी जब सभी अपेक्स बॉडी के वह मैम्बरशिप ले लेंगे । नयी समितियों में वह व्यवस्था है या नहीं है, इसमें आगे बात होगी तो

आपकी यह मंशा, मोदी जी की यह मंशा, विष्णुदेव साय जी की यह मंशा इसमें तेजी आये । प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र, उसकी संख्या छत्तीसगढ़ में है, उसका लाभ किसान उठा रहे हैं । आप इसमें जब किसान समृद्धि केंद्र करते हैं तो मोदी जी का एक ड्रोन दीदी का सपना है । मैंने छत्तीसगढ़ में कृषि अभियांत्रिकी वालों को पूछा था कि क्या ड्रोन वाला कोई मिलेगा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां उसका कोई स्पेसिफिक आदमी नहीं है, आप दोनों मंत्री बैठे हैं तो सोसायटी में यदि इस तरह की चीजें हों तो जो ड्रोन दीदी मोदी जी ने कई जगह उसका सम्मेलन किया । ग्रामीण भण्डारण के लिये बजट में पैसे हैं, उसमें माननीय मंत्री जी बोलेंगे, मैं तो सिर्फ आपको बधाई दे देता हूँ कि धान की खरीदी और उसके लिए जो कृषि क्षेत्र को लॉजिस्टिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहां भण्डारण की सुविधा से लॉजिस्टिक सुविधा मिलेगी। मैंने सहकारी समितियों से जुड़ाव के बारे में कहा। आप ब्याज मुक्त जो ऋण देते हैं। साहब, तीन तरह के ऋण है अल्पकालीक, मध्यमकालीक और दीर्घकालीक ऋण। अब इसमें कौन सी चीजें लिखी है यह मध्यमकालीक ऋण है, कौन सी चीजें दीर्घकालीक ऋण है। आपने अल्पकालीक ऋण को तो ब्याजमुक्त कर दिया, लेकिन माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि जो ऋण नीति है, यह बाजार के अनुकूल बने। स्टेट लेवल की जो नाबार्ड की टेक्निकल कमेटी है या जो जिला लेवल की कमेटी है, हम बाजार से समकक्ष उस लिमिट को बढ़ाते चले। नहीं तो मनी लैण्डर से मुक्त नहीं होंगे। किसी दिन रेट बढ़ गया। अब इस बार का एक उदाहरण बता देता हूँ। यहां पर लोगों ने खुले बाजार से यूरिया खरीदा, मान लीजिए आप आपने अल्पकालीक ऋण में यूरिया 100 रूपये बोरा देते हैं उन्होंने 170 रूपये में खरीदा है। जो बाजार से अपग्रेड करें, यह 5 लाख की सीमा नहीं है, यह 7 लाख तक भी जाता है। तो किसानों की मदद होगी, लेकिन ऋण नीति के तहत हो। जब ऋण नीति में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की इंकम को दुगुना करेंगे तो इस दुगुना करने के लक्ष्यों में कृषि अभियांत्रिकी के लिए भी ऋण सुविधा, ब्याज दर को कम कीजिए। उसमें इस बात को सोचिए कि यहां ब्याज दर कम हो तो अभियांत्रिकीकरण होगा, आजकल लेबर नहीं मिल रहे हैं। यह समस्या है तो किसानों को मदद होगी और जो दोहरी इंकम की ओर सपना है, हम उस ओर बढ़ेंगे। चलिए, ठीक है मैं दीर्घकालीक ऋण में बात नहीं करता हूँ। मैंने सहकारी संस्था समितियों से, राष्ट्रीय सहकारी समितियों से जुड़ाव पर बातचीत की। मैं प्रसंस्करण उद्योग पर कहना चाहूंगा। अभी प्रसंस्करण उद्योग में एक बात आयी। आपने कोण्डागांव के मक्का प्रसंस्करण केन्द्र पर बताना चाहूंगा। माननीय भोलाराम जी, बस्तर का कच्चा माल प्रसंस्करण के लिए पाटन आएगा, दिल्ली की पूरी फंडिंग है, माननीय रमन सिंह जी जगह का चयन नहीं कर पाये। सरगुजा का कच्चा माल प्रसंस्करण के लिए पाटन आएगा, जशपुर का कच्चा माल प्रसंस्करण के लिए पाटन आएगा। आप समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिये। वह कच्चा माल पाटन में क्यों आएगा, आप उसको तो जान लीजिए। ओ समय तो तोर टिकट कट गे रिहिस हे।

श्री भोलाराम साहू :- टिकट नहीं कटे रिहिस हे। में तो लोकसभा लड़े रेहेंव। आप आने वाले भविष्य के चिंता करव। आगे का हो ही।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं का बोलने वाला हों, ते ओला सुन। तें ओ समय नइ रेहेस। ओ हा तोर टिकट काट दे रिहिस हे।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री भोलाराम साहू :- अजय जी, फुड प्रोसेसिंग में हमर खुज्जी विधान सभा के पागेंरी में खुले हे। उहां सब ला भिजवाबे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तत्कालीन वन मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। सवा डेढ़ सौ करोड़ रूपये है पाटन में वनोपज के प्रसंस्करण केन्द्र को खोल लीजिए। वहां से कच्चा माल आएगा। कांग्रेस की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन ऐसे ही करते हैं। जशपुर, सरगुजा से यहां कच्चा माल आएगा। अब दूसरा मक्का प्रसंस्करण केन्द्र के बारे में बताऊंगा। माननीय केदार जी, आप उस रास्ते से जाते हैं मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा। इन्होंने एथेनाल को जोड़ दिया, उस सरकार को एथेनाल का भूत चढ़ा था। आज की तारीख में प्रदूषण के कारण गांव वालों ने उसको बंद करवा दिया। मैं आपको बता दूं कि उसका कोई सेटअप मंजूर नहीं है। भोलाराम जी, तैं फेर सुन ले। कोई सेटअप मंजूर नहीं है तो रेग्युलर कर्मचारी हे, वह भी प्रसंस्करण के विशेषज्ञ नहीं हैं। यह काम चलाऊ सरकार है वहां 200 कुछ लोग काम करते हैं वे ऐसे ही हैं। वह कब चालू होगा, उसे कोई नहीं जानता है। उसमें सेटअप स्वीकृत नहीं था और इथेनाल को जबरदस्ती जोड़ दिया। आज वह सिर्फ प्रसंस्करण केन्द्र रहता तो वह बंद नहीं होता, वह घाटे में नहीं जाता।

श्री भोलाराम साहू :- अब तो इनको, सरकार को व्यवस्था करनी है।

समय :-
5.00 बजे

श्री अजय चन्द्राकर :-तैं जे गड़बड़ करे हस तेला मही ठीक करहूं। आज एथेनाल की स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में जितने लोग किसी भी तरह से एथेनाल लगाये हैं, वह सब बर्बाद हो गये हैं। अब मैं आपको छोटी-छोटी बात बोल देता हूँ। यहां पर आपने 4 गन्ना कारखाने खोले। आप उसका अध्ययन कर लीजिए, मैं उन सभी में बोल सकता हूँ कि यह सब क्यों घाटे में है, वह कैसे फायदे में आएगा, उसमें एक बहस हो सकती है, लेकिन हमने सहकारी संस्थाओं को घाटा प्रतिपूर्ति के लिए ही बनाया है। उन चारों में 600 करोड़ रूपये के आसपास का घाटा चारों में पहुंच गया है । इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है । कहां पर हैं, घाटे की प्रतिपूर्ति कैसे होगी ? आपने गन्ना आयुक्त बनाया है । आपने यह नहीं बताया कि हमारी खानसारी की नीति क्या होगी, गन्ना की नीति क्या होगी, कब तब बनेगा, उसके सहायक उद्योगों के लिए परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ? कौन सी

चीजें हैं जिसको हम लागू कर सकते हैं-इथेनॉल टाईप में । कौन सी ऐसी चीजें देखते हैं, उसको सिरा से अंग्रेजी में क्या मालीक्यूल्स कुछ बोलते हैं । उससे और क्या-क्या चीज बन सकती है, उनके और क्या सहायक उद्योग बन सकते हैं तो आखिर किन कारणों से दिल्ली की सरकार का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, रिकव्हरी रेट कितना है, क्वालिटी क्या है, कितने दिन में बिकती है ? इन सब चीजों को ऊपर से नीचे तक देखने की जरूरत है। नहीं तो हमारी सहकारी संस्थाओं को हम सिर्फ क्षतिपूर्ति देते रहेंगे । यह रोजगार की बड़ी जगह है, इसमें काम करने की जरूरत है क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान उसमें हिस्सेदार हैं । आप निजीकरण के बारे में भी सोचेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उसका समर्थन करूंगा । क्योंकि जो सरकार की स्थिति है, सहकारी सेक्टर या तो अमूल के माडल पर चले । और भी सहकारी संस्थाएं हैं । अभी एक भारत कैब लांच हुई है । आखिर उसके लिए नीति बनाने की जरूरत है । नहीं तो सरकार सिर्फ प्रतिपूर्ति की संस्था बन जाएगी ।

माननीय सभापति महोदय, मैं विपणन संघ के बारे में बोल देता हूं । आपने प्रतिवेदन में लिखा है-29 । मेरी जानकारी के हिसाब से 43 किसान राईस मिले हैं । मुझे इस बात पर बड़ा दुख है । मैं इस विषय में 25 साल से लगा हूं । परिसमापन चल रहा है । उसका परिसमापन कौन कर रहा है, समझ में नहीं आता । एक मिल का परिसमापन करके उसकी अनुमति दे दोगे तो पूरे 43 राईल मिल का कर्जा छूट जाएगी । नूतन राईस मिल, रायपुर के पास मध्य रायपुर में 10 एकड़ जमीन होगी और उसका कम से कम रेट, बाजार रेट में 5 हजार रूपए वर्गफीट होगा। कौन परिसमापन कर रहा है, बोलते हैं कि 13 राईल मिल चल रही है । प्रतिवेदन में तो चल रही है, नहीं लिखा है, पर मेरी जानकारी में तो चल रही हैं । अब कैसे चल रही हैं ? क्या परिसमापन करेंगे, क्या नीलामी की अनुमति लेंगे ? अब आप देखिए कि जगह सरकार की है, सबको लीज में मिली है । लीज की अवधि समाप्त । मशीन सरकार की, बैंक का फाईनेंस ब्याज के ऊपर दंड ब्याज । क्या परिसमापन होगा ? एक नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है । मैंने कहा कि 13 एकड़ को करोगे तो बाकी जितनी जमीन है, आज शहर के मध्य में है । मेरी किसान राईस मिल बीच कुरूद में है, 6 एकड़ जमीन है, सिर्फ उसमें अवैध कब्जा हो रहा है । उसमें कुछ नहीं है । उतनी पड़ी प्रापर्टी परिसमापन के लिए खड़ी है । कौन करेगा, कब करेगा, इसकी नीति बन बनेगी, उसका भगवान मालिक है ।

सभापति महोदय, आपने 515 या 517 जितनी भी सोसाईटी बनाई है, उसको पूरी तरह से तैयार करना, उसकी सदस्यता, उसकी अंशपूंजी, उसके कर्मचारी जितने आपके बैंक चल रहे हैं, उनमें रिक्त पदों की भरमार है । आपके ऊपर वित्तीय भार नहीं आएगी। आप रजिस्ट्रार रिक्त पदों की भर्ती करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहा है, मैं आजतक समझ नहीं पार रहा हूं । मैंने आपकी प्रशंसा झूठ नहीं की । जनसेवा आपको विरासत में मिली, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि छत्तीसगढ़ को उस दिन से आवाज दी, जब विपक्ष की आवाज लोग नहीं जानते थे, उस आवाज को आपके परिवार ने दी । मैं भी

उसी क्षेत्र से आता हूं, मेरे परिवार नहीं थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के हितों की लड़ाई लड़ी और जब करने का समय आया तो बिल्कुल ठीक करेंगे, क्यों ठीक नहीं करेंगे ?

सभापति महोदय, मैंने आपसे मक्का प्रसंस्करण केन्द्र के बारे में बात की । अब इसके इथोनॉल के बाद उसका सी ओ 2 है । अभी जलवायु परिवर्तन में बात करेंगे तो सी ओ 2 को कहां किया जाये । कोकोकोला को देंगे या आप अभी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, उससे देंगे । किसको देंगे, क्या देंगे, लेकिन यदि इसको सोचा नहीं जाएगा तो कोण्डागांव बरबाद हो जाएगा । छत्तीसगढ़ी में एक ठो हाना हे आंजत-आंजत कानी होगे । खोले हन काहीं बर, हो गे काहीं । तो इसे देखने की जरूरत है । दूसरी बात खाद्य वितरण । आपके साथ मंत्री जी बैठे हैं । आप तो वितरण बस करते हैं, लेकिन खाद की कमी न हो और खाद के वितरण की नीति बने कि जब प्राईवेट सेक्टर को तभी देंगे या जितना देंगे, उनको भी देना जरूरी है। लेकिन हम डिमाण्ड क्रियेट करते हैं, उसको पूरा कर लें या फिर 80 प्रतिशत को देंगे, लेकिन पहले निजी क्षेत्र को देकर सहकारी सेक्टर को बाद में दें, यह हमारी सोच के विपरीत है। आपके अंदर बहुत सारी को-आपरेटिव संस्थाएं हैं, उनके चुनाव नहीं होते हैं। मैं एक संस्था बता देता हूं, आवास संघ। आवास संघ का चुनाव कब होता है ? कितनी सोसायटियां हैं ? उनके कितने सदस्य हैं ? क्या मेम्बरशीप है ? छत्तीसगढ़ बनने के बाद एक आदमी अध्यक्ष बनता है, वही राष्ट्रीय प्रतिनिधि बनता है वही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, टेबल में उसके चुनाव हो जाते हैं। जितनी अपेक्स संस्थाएं हैं, आप को-आपरेटिव सेक्टर को छोड़ दो तो भी बाकी नियंत्रक तो ये ही हैं, प्रशासकीय विभाग दूसरा हो सकता है, परन्तु को-आपरेटिव एक्ट से ही बनी है। को-आपरेटिव एक्ट के तहत ही संचालन होगा, तो उसका चुनाव कब होगा ? मैं तो बोलता हूं कि आप एक बार आवास संघ का चुनाव करवायें। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जो संस्थाएं हैं, आप पशु आहार सेन्टर का दौरा कीजिये, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ले जाईये, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप उसको देखकर, अध्ययन करके आईये वह कितना चलता है, क्या स्थिति में है और क्या किया जा सकता है ? 16 जिले में जिला सहकारी संघ हैं, 3 या 4 जिले में कार्यरत हैं। मुख्य कार्य क्या है कि सहकारिता का प्रचार-प्रसार करना है। मुख्य काम प्रशिक्षण का है। आपने ही उसकी बजट कटौती कर दी और आज कोई अंश पूंजी नहीं दे रहा है। कहां सहकारिता की समृद्धि होगी ? आप क्षमतावान मंत्री हैं। आज उपभोक्ता भण्डार की उपयोगिता है या नहीं ? इस पर चर्चा करने की जरूरत है। यदि चर्चा करेंगे तो फिर नीतिगत निर्णय होगा, कोई समिति इसकी चर्चा करें, आज जिला सहकारी संघ की जरूरत है या नहीं ? प्रचार-प्रसार के लिए एक ही अपेक्स बाडी को रखें और बाकी जिला को बंद कर दें और किसी तरह उनकी परिसम्पत्तियों का समापन करें। वर्ष 2025 से सरकारी मुद्रणालय को प्रिटिंग नहीं दे रहे हैं। सरकारी काम का ही प्रिटिंग सरकारी क्षेत्र को न मिले तो निजी क्षेत्र के हैदराबाद की मशीन का मुकाबला तो हमारे प्रिंटिंग नहीं करेंगे। अब आप इस बात की जांच करिये कि उसको प्रिंटर क्यों नहीं मिल रहा है ? जिला सहकारी संघ के अंशपूंजी को तत्काल दिलवाईये।

उसकी बजट कटौती को सप्लीमेन्ट्री में कव्हर करिये और सहकार से समृद्धि की ओर बढ़िये। सहकारिता का प्रशिक्षण, जब तक सारी चीजों को लोग नहीं जानेंगे, तब तक कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं होंगी।

सभापति महोदय, सहकारी क्षेत्र में चाहे वह वनोपज सहकारी समिति हो, चाहे अपेक्स हो, चाहे शक्कर कारखाना हो चाहे कोई भी सहकारी बैंक हो, एक नये तरीके से राष्ट्रीय सहकारिता नीति के परिप्रेक्ष्य में, उसके प्रकाश में छत्तीसगढ़ में जो सहकारिता के सेक्टर हैं, मूल रूप से वह जिस सेक्टर से आते हैं, माननीय अमित शाह जी देश के गुजरात सहकारिता क्षेत्र आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र सहकारिता क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता है। वे दूसरी तरह से संचालित करते हैं। परन्तु उस मॉडल एक्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में उसको कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है, आप अध्ययन करवाईये। एक सशक्त समूह बने, सभी संस्थाएं जो कार्यरत हैं, जो रूग्ण हैं, बीमार हैं और जो कार्यशील नहीं हैं, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उस पर तत्काल निर्णय लीजिये। यह ऐसा सेक्टर है, जिसमें हम प्रदेश की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, गरीबों के लिए अवसर बन सकते हैं। यहां दुग्ध उत्पादन समितियां हैं, वह तो विभाग ही नहीं जानता है कि कितनी कार्यशील हैं कितनी क्रियाशील हैं, कितनी दूरी में है, कितना गठित करना है, किसको मेम्बर बनाना है, समुदाय आधारित समिति बन सकती है, यादव समाज के लोगों को प्राथमिकता में दीजिये। मत्स्य पालन में पहले शेयर होल्डर प्रशिक्षित मत्स्य कृषक बाद में होंगे। पहले मुछआरा, निषाद समुदाय के लोग होंगे। उसकी जगह नहीं मिलती है तो उस सेक्टर में प्रशिक्षित मत्स्य कृषक लोग उस समिति का संचालन करेंगे। उस दिन 7 नंबर में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था। जंगल में तालाब है, जगल में डेम है, आखेट की नीति क्या है? मैंने आपत्ति ली थी, भूपेश बघेल जी ने जब नई मछुआरा नीति लायी थी, नाम नहीं लेना चाहिए एम.आर. निषाद जी उसके अध्यक्ष होते थे जगदलपुर सेक्टर क्षेत्र के ही हैं, वह शायद। मेरे सामने यह कहा गया यह मछुआरों की नीति नहीं है, यह प्रदेश की मत्स्य नीति है। यहां के परंपरागत व्यवसाय करने वालों का अधिकार यदि स्वाभाविक जल क्षेत्र पर उनका नहीं रहा, उनको उस समिति में प्राथमिकता नहीं मिली तो छत्तीसगढ़ बनने का अर्थ खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे यह आग्रह है कि मत्स्य सहकारी वनोपज की सहकारी समिति हो, मत्स्य सहकारी समिति हो, जल क्षेत्र पर सहकारिता के ही प्रथम अवसर उनको मिलने चाहिए, यह आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी-मोटी बातें थीं, मैं आपके ध्यान में लाने के लिए ही बोला। अब मैं वन विभाग में थोड़ा बोल देता हूं। मैंने आपको कहा था कि वन विभाग में नहीं बोलूंगा, लेकिन बोल देता हूं, क्योंकि मुझको आपसे सहकारिता में ही बात करनी थी । पढ़ा तो नहीं मैं फारेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को (F.C.I.) को देख रहा था, सबसे अधिक पेड़ लगाने वाले राज्यों में तृतीय स्थान में आप हैं, बधाई लीजिए। आपके अधिकारी भी सुन रहे हैं उनको भी बधाई दे देता हूं। राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, फिर से आप मेरी बधाई लीजिए । पेड़ों की कटाई के मामले में आप सातवें स्थान में हैं इसको और नीचे खिसकिये जीरो में लाइये, यहां पेड़ कटाई बिल्कुल नहीं होती करके। मैं

आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले विधायक निधि का हिसाब किताब लगाया तो 1 लाख 30 हजार रुपया बाकी था, उसको मैंने वृक्षारोपण के लिए दिया। मैं पहली बार विधायक बना था तो भी वृक्षारोपण के लिए विधायक निधि से पैसे देता हूं। अब आपको बता दूं। बंद करूं क्या जी?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं बंद कर दूं, ओ तो गारी देथे मोला।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, कितना बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, ये सामने मैं देख रहा हूं संगीता जी, अडानी काट लिया, अडानी जंगल को काट लिया और चिंता होती तो यहां खड़े होकर बैठ कर चर्चा नहीं करते । कितना अफ़सोस है इतने महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारा जो काम है वह चंद्राकर जी कर रहे हैं। हम तो धन्यवाद देते हैं सहकारिता में इतनी अच्छी बात रखे मैंने बोलने के लिए जो नोट किया था, वह सब चंद्राकर जी ने बोल दिया तो मैं धन्यवाद देती हूं। अब ओला काटथौं, ओ बोल डारिस तो मैं का बोलहूं। अब अडानी वाले में हम लोग हैं न बैठे हैं, अभी सुनेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप रानी लक्ष्मीबाई बनकर बैठी हो न, तो बोलना। इन सब लोगों को बोलो कहां हैं?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आ रहे हैं, आ रहे हैं सब कोई लंच कर रहे हैं लंच।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी लंच करेंगे 5:00 बजे? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- संगीता जी, मैं आपको गंभीरता से बात बताता हूं, अपेक्षा सबसे नहीं होती, अपेक्षा उसी से होती है जो पूरा कर सकता है। मैं केदार जी के विभाग में बोलूंगा बोला था और मैं पक्ष-विपक्ष की बात नहीं करता मैं छत्तीसगढ़ के हितों की बात करता हूं। तीसरी बात सुन लो आपको आलोचना करना नहीं आता, आपके नेता 12:00 बजे तक रहते हैं, जिस समय प्रेस में छपते हैं न हुल्लड़ हुआ करके और यहां से 12:30 बजे निकल जाते हैं जब छत्तीसगढ़ के हितों की चर्चा होती है उस समय। तो जिसने आलोचनाओं को सहा है वही उत्तम से सर्वोत्तम हुआ है समझ रहे हैं वह क्षमता इधर है लोगों में।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आलोचना की बात कर ही नहीं रही हूं, मैं तो यह बोल रही हूं जो मुझे दिखा उसको हम बोलने वाले थे, उसको चंद्राकर जी ने कहा तो मैं धन्यवाद दी।

सभापति महोदय :- देखिये आपकी बारी आए तो उस बात को रखियेगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं तो धन्यवाद दी कि कितनी अच्छी बातें बोले हैं।

सभापति महोदय :- बैठिये-बैठिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं हमेशा अच्छा बात करथौं। माननीय अजय चंद्राकर अच्छा बात करे बर पैदा होए हे। समझ गेस। माननीय सभापति महोदय, वन क्षेत्र प्रतिशत में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है, उसके प्रबंधन करने वाले माननीय मंत्री जी उनके सहयोगियों को मैं बधाई देता हूं। घने वनों का क्षेत्रफल यह भी बहुत संग्रह है। लघु वनोपज संग्रहण में बात हो रही थी आप कर रहे थे, लगभग 20 लाख लोग इससे आजीविका पाते हैं। जितनी सुविधा इनको दे सकते हैं, दीजिये। राष्ट्रीयकृत वनोपज के अतिरिक्त जो हमारे वनोपज हैं, उसको और अधिक संख्या बढ़ाइये कि हम उसमें कौन-कौन से वनोपज को खरीद सकते हैं और धर्म भैया, धर्म भैया, आना ऐती ते इहीं करा कुरकुर-कुरकुर में ध्यान बंट जाते वैसे बंटना नहीं चाहिए। यहीं नजदीक में बैठे हो न असल बात। तो ढाई से तीन हजार करोड़ का व्यापार यह होता है और सही प्रबंधन सही जगह से सही पहुंचे तो वनोपज के आधार पर ही प्रकृति का संरक्षण करते हुए जनजीवन में बदलाव लाया जा सकता है और अब स्थितियां और अनुकूल हो रही हैं। तेंदूपत्ता उत्पादन में तो हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं, आप उसको और बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया कीजिए, उसके लिए आपको बधाई है। आपको नया टाइगर रिजर्व मिला है। मेरे पास पर्यटन विभाग था तो मैंने मिस्टर थापर से एक बात किया था। वह खतम हो गए हैं। शशि कपूर की लड़की संजना कपूर के वह पतिदेव थे। मैंने उनसे बात किया कि आप प्रस्ताव बनाओ, हम चीता लाते हैं। जो विलुप्त हो गया है, उसको भारत सरकार के माध्यम से लाते हैं। अब तो कुनो में आ गया। अच्छा है, जो नहीं है उसको लाना। कैम्पा निधि से जो पेड़ हुआ है, 'एक पेड़ माँ के नाम' में भी आपने लगभग 4 करोड़ पौधे रोपित करवाया है।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सरगुजा से हाथी ले आइये।

अजय चंद्राकर :- अभी मैं हाथियों के विषय में बोलूंगा, फिर आप मेरे ऊपर भड़केंगे। वन अधिकार अधिनियम में पट्टा देने में भी छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों में से है।

श्री जनक ध्रुव :- माननीय सभापति महोदय, पिछले दो सालों से पट्टा वितरण में एक भी पट्टा नहीं दिया जा रहा है। माननीय वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं।

सभापति महोदय :- ध्रुव जी, बैठिये। आपका भी नाम है, आप बार-बार टोका-टोकी न करें। आपकी बारी आएगी, तब आप बात रखना।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कुछ दूसरी चीज़ों में बात करूंगा। आप सब काम अच्छा कर रहे हैं। अब जिन-जिन चीज़ों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं उसको बोल देता हूँ। आप आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ेंगे तो वर्ष 2024-25 में 1409 हेक्टेयर जंगल कम हुए हैं। इससे पहले 2022-23 में 2283 हेक्टेयर थे। उससे पहले वर्ष 2021-22 में मेरे ख्याल से जंगल कटाई का स्टार्टअप शुरू किया था, क्योंकि 7647 हेक्टेयर की कमी हुई है। यह मैं नहीं बोल रहा। वनाच्छादन में तो ज़्यादा हैं। आपके विभाग ने ही आर्थिक सर्वेक्षण योजना विभाग को भेजा होगा। इस साल जो आपने टेबल में रखा है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपके वनाच्छादन में कमी आई है। अब यह क्या है, इसको आप चेक कीजिये। उसमें तो

और खतरनाक बात है, अभी वह उल्लेख के लायक नहीं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भी घटा-बढ़ा है। मान लीजिये नदी कटाव में कुछ एरिया चल दिया होगा तो फिर वह कैसे बढ़ गया होगा? मतलब वह कार्रवाई करने की स्थिति बनती है। मैं सोचता हूँ कि उस डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। अब वह इसलिए हमको पता नहीं लगता क्योंकि उन लोग समझते होंगे कि वह कोई पढ़ता नहीं होगा, कुछ भी लिख के भेज दो चल जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो कई चीज़ें Eye-Opening रहती हैं। इसलिए इसको देखने की ज़रूरत है। वनों के क्षेत्रफल में प्रति वर्ष जो कमी दिखाई दे रही है, वह Eye-Opening है।

समय :
5.18 बजे

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सभापति महोदय, मैं दो-तीन चीज़ और बोल देता हूँ। भैया, तैं हर नियोनेटल केयर (Neonatal care) ला दौरा कर। जंगल सफारी में कितने विशेषज्ञ हैं, यह आप मुझको बताएंगे? आप वहां की स्टाफ की जानकारी दे देना, मैं आपके ध्यान भर में ला रहा हूँ क्योकि मैंने उसको देखा है। जैसे जनजातीय संग्रहालय को मैंने देखा है। मैं जनजातीय संग्रहालय को देखने गया था, तब आपको मैं बोला कि वहां क्या है? माननीय सभापति महोदय, हाथी-मानव द्वंद्व, कुमकी हाथी, कॉलर आई.डी. मालूम नहीं, एलीफेंट कॉरिडोर, 'हमर हाथी हमर गोठ', कितनी प्रकार की योजनाएं हैं, लेकिन हाथी करंट से मर रहे हैं, गड्ढे में जाकर मर रहे हैं, क्या-क्या करके नहीं मर रहे हैं। साहब, विशेषज्ञों लोग प्रयत्न कर रहे हैं। यह आरोप नहीं है, लेकिन जितना मरना चाहिए, उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। सब दुर्घटना नहीं है। मुझे लगता है कि करंट से मारने वाले लोग कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह होंगे जो ऐसे बुद्धिमान लोगों को यहां संरक्षण मिल रहा है। आदमी के बाद सबसे बुद्धिमान प्राणी हाथी को माना जाता है। इसलिए इसका रक्षण, इतनी बड़ी वन संपदा हमको मिली है।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, एक मिनट।

सभापति महोदय :- एक मिनट, चंद्राकर जी।

श्री राकुमार यादव :- सभापति महोदय, ओला आराम दिलवा देवौ।

सभापति महोदय :- तैं आराम मत दे।

श्री प्रबोध मिंज :- बुद्धि के बात होत हे।

सभापति महोदय :- आप बोलिये न, भई।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जल्दी बोलकर खत्म करूंगा।

सभापति महोदय :- आपको मौका दिया गया है, लेकिन आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- जब आप मन जंगल ला उजाड़िहा तस हाथी शहर तरफ नहीं आही ता कहाँ रही?

श्री अजय चन्द्राकर :- मोर इलाका से ही जंगल शुरू होथे। कुरुद से जो जंगल शुरू होथे, तेन हा बस्तर के आखिरी तक जाथे।

श्री रामकुमार यादव :- जंगल ला उजाड़िहौ तो ये दारी हाथी हा आप मन ला खोजही।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप इधर देखकर बात किया करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- टाईगर रिजर्व, जिसमें की संख्या घट-बढ़ रही है, अब दो चीजें बोलकर इसे खत्म करता हूँ । एक तो वेट लैण्ड में प्रश्न होने के बाद, आप समझे गये होंगे । आपने वेट लैण्ड में कार्यवाही शुरू की है । वेट लैण्ड में ज्यादा काम करने की जरूरत है । रामसर कन्वेक्शन के अनुसार हम उनकी संख्या बढ़ायें और अभी उसके लिये आवश्यक कार्यवाही करें । हम लोग सेमिनार तक है, एक-डेढ़ साल पहले शुरू हुआ है । आप इसमें काम करिये और बांध के अंदर निर्माण कार्य है उसको तोड़वाईये । मैंने तो आपको बताया था कि रिसार्ट बनाकर रखे हैं । वह माफिया लोग हैं कहीं भी पहुंच जाते हैं । एकाध तो योगी जी के पास जाओ और बुलडोजर वहीं का ले आओ । दूसरी बात, जलवायु परिवर्तन । आज के पेपर में है कि हिमालय बचेगा कि नहीं बचेगा । ग्लेशियर जिस तेजी के साथ पिघल रहे हैं और कभी भी बाढ़ आ सकती है । रायपुर में मार्च का तापमान 40 डिग्री जा सकता है । हमने राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ पहली बार देखा है, जो अवेयरनेस की जरूरत है, आप अवेयरनेस कर रहे हैं लेकिन क्रियान्वयन धरातल पर दिखे । हम क्या-क्या उपाय कर रहे हैं, भाषण तो ठीक है, अवेयरनेस भी ठीक है । सब चीज ठीक है, लेकिन जलवायु परिवर्तन पक्ष-विपक्ष का विषय नहीं है, रियो डि जेनेरियो को कन्वेशटन चार्टर आप देख लीजिए । मैंने बोला कि अपेक्षा उसी से होती जो कर सकता है । हम समसामयिक विषयों पर भाषणों तक न रहें, चेम्बर से निकलें । मैं आपको बता देता हूँ कि वृक्षारोपण में जब जाता हूँ तो कुरूद में भाषण देता हूँ, आपके विभाग वाले बता देंगे कि मैं बहुत प्राण खाता हूँ । आप डीएफओ से पूछ लीजिएगा । यहां वृक्षारोपण करिये, वहां वृक्षारोपण करिये, आपको कुरूद में नदी साईड वृक्षारोपण बहुत मिलेंगे । आपको रोड साईड वृक्षारोपण बहुत मिलेंगे । मैं भाषण देता हूँ और पब्लिकली बोलता हूँ कि कुरूद का टेम्प्रेचर रायपुर से 2 डिग्री कम होना चाहिये । मैं यह सपना देखता हूँ । मैं सिर्फ सपना नहीं देखता हूँ । मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, वहां एक आदमी तय करके रखा हूँ, दो वार्ड मिलाकर 1 लाख 30 हजार मिट्टी पलाई करके पेड़ लगायेंगे । उसके बाद बस्ती लगी है और महिलाओं के घूमने के लायक जगह बनेगी । मैं उससे पूछता हूँ जिस दिन घर पहुंचता हूँ कि पेड़ कितना जिन्दा है और कितना मर गया है । मैंने अपने डीएफओ को कहा कि सभी स्कूलों में लगाना है । मैं एक स्कूल गया, वहां एक पेड़ भी नहीं था । उसको बताया कि यहां पेड़ लगना चाहिये, आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दूँगा, लेकिन यहां पेड़ लगना चाहिये । मनरेगा में आप अभिसरण करिये । पेड़ लगाने के लिये हो, रिचार्जिंग के लिये हो, आपके पास बहुत सारी योजनायें है, चार्टर है । दुनिया में जो प्रभाव पड़ने वाले हैं जो पड़ रहे हैं, विशेषज्ञ बोल रहे हैं उसको दोहरा भर दिया । जो उधर भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं,

इधर भी सुन रहे हैं, सब जानते हैं इसलिये उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है । आप एक बात मुझको बताओ कि आपके पास पशु चिकित्सक कितने हैं, हाथी मरता है तो पोस्ट मार्टम कौन करता है ? जानवर मरते हैं तो उसका ईलाज ...।

श्री रामकुमार यादव :- अण्डा बटे सन्नाटा । कोई नहीं है । पद रिक्त है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तैंहा जेन समझ में नइ आय तेम कार बोलथस यार । मैं यह चाहता हूँ कि आपके सेट अप में पशु चिकित्सा का एक प्रकोष्ठ बने । मोदी जी वनतारा जामनगर वैसे गये थे, मुझको नाम का उल्लेख करना नहीं चाहिये । लोग उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गये थे कि साहब यहां धंधा होता है, प्रचार होता है, यह होता है, वह होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हर मामले में अपना समय खराब नहीं करूँगा, वहां काम सही हो रहा है । मैं पूँजीपति के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ । हमारे यहां के जो मूक पशु हैं, हम तो उसकी भी पूजा करते हैं । बंदर कोनो मेर रेता गे तो मंदिर बनबे करही । वोहा बजरंग बली ए । आपके प्रतिवेदन में उसके लिये कहीं उल्लेख नहीं है । परम्परागत् चीजों से हटकर मैंने बोला कि मैं जो भी विधान सभा में बोलूँगा तो मेरा विषय यही रहेगा कि रिफार्म टू परफार्म । मोदी जी के इन शब्दों को हमको आत्मसात करके कियान्वित करना है और भविष्यवाचक शब्दों का इस्तेमाल बंद करना है और निश्चयादिबोधक शब्द करेंगे, होगा, देखेंगे, देख रहे हैं, राजीव गांधी जी का भाषण होता था, हमें देखना है हम देख रहे हैं, करना है करेंगे कर रहे हैं, वह उनकी स्टाईल थी ।

श्री रामकुमार यादव :- ये 2047 वाला कोन ए, अउ सपना दिखाए हो, ए 2047 वाला काखर ऐ बतावव न। जब राजीव गांधी जी के ला बतात हे। अभी धान काबर नई बेचाईस, 2047 में बिकेगा। अभी वोट चाहिए तो 2047 में होगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, राजीव गांधी जी का नाम लिए हैं। पंचायत उन्हीं की देन है।

श्री अजय चंद्राकर :- हमें देखना है, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे। ओ समय तो ते हां पैदा नई होए रेहेस।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, वे 21वीं सदी को उजागर करने का काम किए हैं। वे 21वीं सदी पर ले गए थे। 2047 की बात करते हैं, उसकी देन राजीव गांधी जी हैं।

सभापति महोदय :- नाम लेना कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। आप बैठिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं आपत्ति नहीं कर रही हूं, हम देखते हैं, हमें करना है, मैं उस बात का रिप्लाई दे रही हूं।

सभापति महोदय : नहीं-नहीं, वे इतना रिफरेंस दे सकते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, भैया, उनकी भाषा है बोला, मैंने आलोचना नहीं की। मैं आलोचना करूंगा, लेकिन नाम लेकर नहीं करता, आपकी नीति की आलोचना करूंगा। इसके बाद अभी विधानसभा चार दिन और बचा है, आप चिंता मत करिए।

माननीय मंत्री जी, परिवहन विभाग है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप वरिष्ठ मंत्री हैं, अभी तो मौजूदा में आप सबसे वरिष्ठ मंत्री हो। मैंने उस दिन एक प्रश्न उठाया था, आपके मंत्रालय में कार्य आवंटन नियम क्या हैं? केदार जी, कार्य आवंटन नियम क्या है? सड़क दुर्घटना माप लेते हो। ध्यानाकर्षण की सूचना गृह में प्रश्न लगता है, एक विभाग करता है, नगरीय निकाय विभाग बोलता है कि साहब, इतने सारे अंतर्विभागीय समिति बनी है, उसमें हम लोग विचार-मनन-चिंतन कर रहे हैं। हम सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना वाले प्रदेश में हैं। वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, साहब, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है, यदि मानव जीवन सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, खाने के लिए नहीं है जो मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं तो जीने का अधिकार ही हमारे पास नहीं है, असमय काल कवलित हो रहे हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य खत्म हो जाता है । आप मानवीय आपदा है, जीरो नहीं कर सकते लेकिन कम से कम करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? एक विभाग का काम नहीं है और विभाग जुड़ेंगे। मैंने तो उस दिन कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी इसमें जिम्मेदारी से जुड़े, अत्याधुनिक ट्रामा बिलासपुर रोड पर बने, अंबिकापुर रोड पर बने, बस्तर रोड पर बने, राजनांदगांव रोड पर बने, सरायपाली से राजनांदगांव के बीच में बने, स्वास्थ्य विभाग भी उसमें काम करे। हम क्या-क्या कदम उठाएंगे जिससे दुर्घटना को कमतर कर सकते हैं, कम से कमतर कर सकते हैं? दूसरा, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रेनिंग और रिसर्च वाला है। उस दिन आप प्रश्न में उत्तर दे रहे थे, वह बीमार इंस्टिट्यूशन है, मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूं। उसको नया रायपुर में खोला है, वह बीमार इंस्टिट्यूशन है, उसको ठीक करिए। आजकल जिस तरह की गाड़ियां आ रही हैं, उसको अप्रशिक्षित ड्राइवर नहीं चला पाएंगे। मैंने एक दिन चलाने बैठा तो पूछा क्लच कहां पर है, मैं जिस समय गाड़ी चलाता था, क्लच होता था। मेरे को फिर नए तरीके से सीखना पड़ा। मैंने अभी बोल दिया रोड में नहीं चलाता, भैया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- भाई साहब, उसमें ब्रेक था या नहीं ?

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, टेस्टिंग स्टेशन, आपने गाड़ियों की टेस्टिंग की है, फिटनेस जांच की है, लेकिन आप नियम बना सकते हैं। स्कूल, सार्वजनिक परिवहन, ये सब चीजें इतने दिन में आपको फिटनेस टेस्ट देना है, यदि हम औचक टेस्ट करेंगे, यदि अनफिट वाहन मिलते हैं तो हम क्या करेंगे? आजकल सरकारी स्कूल से ज्यादा प्राइवेट स्कूल की संख्या बढ़ रही है। तीसरी बात, आपसे जुड़ा है या नहीं जुड़ा है आप तय कर लीजिएगा, लेकिन परिवहन शब्द तो आपसे जुड़ा है। हिंदुस्तान में सबसे महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ में है, बल्कि ये कहें कि आपने स्वीकार किया है, दूसरे स्थानीय शासन विभाग में 13 बसें चल रही हैं । 13 बसें कहां-कहां चल रही हैं कोई नहीं जानता, 3 करोड़

आबादी के लिए 13 बसें चलें तो समझ में नहीं आती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई चीज है, इसको हमको जिंदा करना है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि हवाई अड्डे से रेलवे स्टेशन आप पहुंचोगे जितना पैसा पटाओगे, उतनी देर में उतने पैसे में आप नागपुर पहुंच जाओगे, इतना अंतर किराया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, अकारण लूट होती है। उसके बाद जो आपके अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं, आपने एक अच्छी योजना मुख्यमंत्री बस योजना शुरू की है, उसके पूरे नियम कानून मुझको आज ही मिले हैं। मैंने प्रश्न पूछा था तो पूरा परिवहन विभाग का मिला है। मेरी रूचि इसमें दो-तीन चीजों में है, सड़क दुर्घटना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता हो, ट्रेनिंग और रिसर्च है। वाहन के फिटनेस है, जो प्रदूषणकारी वाहन हैं, वह हटें। आप अच्छी योजना बना रहे हैं, बस्तर में उसका विस्तार हो, सरगुजा में उसकी जरूरत है तो सरगुजा में उसका विस्तार हो। अब अंत में, एक छोटा सा विभाग है। मैं उसमें भाषण तो नहीं दूंगा। लोग बोलते हैं कि विधानमंडल पर चर्चा नहीं होती, उसकी परंपरा नहीं है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। क्या हम स्थापित परंपराओं का पालन कर रहे हैं? सिर्फ बोलने के लिए परंपरा नहीं है और तोड़ने के लिए परंपराएं हैं। मैं केवल एक लाइन पढ़ रहा हूं। एक दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। विधान सभा, विधान मंडल, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली में कार्य, अधिकार, उत्तरदायित्व व अन्य सब चीजें स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। छत्तीसगढ़ में आपके रहते यदि बैठकें कम होती हैं या बैठकों की संख्या गिर रही हैं तो क्या विधानमंडल की रुचि सिर्फ सरकारी काम करने में है या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? फिर हम गर्व से इस बात को क्यों कहते हैं कि नक्सल समस्या पर यहां पर गोपनीय बैठक हुई और चर्चा की गई? उस दिन तो कोई सरकारी बिजनेस नहीं था। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? जनता की अभिव्यक्ति का यह सबसे बड़ा मंच है। जन समस्याओं पर चर्चा और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कहीं टकराव नहीं है। चेक एंड बैलेंस या हमारा संविधान जब बोलता है तो विधायिका के प्रति जो जवाबदेह संस्थाएं हैं, उसके सबसे निकट में कार्यपालिका है। यदि कार्यपालिका की जवाबदेही उनके अच्छे कार्य या बुरे कार्य से प्रकट होती है। मैं बुरे कार्य क्यों बोलूंगा, अच्छे कार्य से प्रकट होती है तो विधान सभा के माध्यम से अभिव्यक्त होगी या यदि आपके विभाग के प्रतिवेदन आए, यदि सरकारी बिजनेस कम है, छोटे राज्य हैं तो आज तक एक प्रतिवेदन में चर्चा हुई और उस रविशंकर विश्वविद्यालय के एक प्रतिवेदन पर मैंने ही चर्चा की थी। बिजनेस की कमी नहीं है। बस हमारे मन में विधानमंडल के प्रति या विधायिका के प्रति सम्मान लाना है कि हम अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ के हितों की चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि आप चौथी बार और लगातार मंत्री हैं। विधायिका का सम्मान बढ़ेगा तो जनता का सम्मान बढ़ता है। आप इस बात को देख लीजिए कि जब-जब विधायिका को पंगु या कमजोर करने की कोशिश हुई तो पूरा देश उसका परिणाम भुगता। आपातकाल उसका एक उदाहरण है। अंत में दो साल से ऊपर ढाई साल, मुझे दिन, महीने, समय, घंटे

समेत याद भी था कि संविधान सभा की बहस कितनी देर तक हुई। जितनी प्रकार की प्रणाली है, चाहे वह मोनार्की हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे कुछ भी हो।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, एक मिनट।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, में आपको समाप्त करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक 5 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूं, सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जितनी भी प्रणालियां हैं। जनता की अभिव्यक्ति संसदीय प्रणाली में ही होती है। यदि एकाध घटनाओं को छोड़ दे तो 75 सालों से कोई दोष परिलक्षित नहीं हुआ है और इसलिए हमारी जो स्वीकृत वेस्टमिंस्टर प्रणाली है, वह आज दुनिया में सबसे अच्छी प्रणाली है। हम जब बाहर जाते हैं। हम पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में दो-तीन बार गए हैं। वह हमेशा बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की परंपराएं उत्कृष्ट हैं। यदि हम इस प्रोसिडिंग व स्थापित परंपराओं से छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी पीढ़ी को माफ नहीं करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि अच्छी चर्चा का मंच बने। जितनी अच्छी हम चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ का उतना ही हित होगा। आपको ऐसे तत्व मिलेंगे, जो यही बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में इतना चलता है, मध्य प्रदेश में इतना चलता है तो मैं गुस्से से बोलता हूं कि हरियाणा में दो दिन चलता है। हम हरियाणा के दो दिन के बजाय एक दिन में कर देंगे। जैसे रात भर यहां बैठते हैं, हम सुबह से शाम तक बैठेंगे और एक दिन में पूरा निपटा देंगे। फिर गर्व पालने की क्या जरूरत है? अब थोड़ा सा आगे बढ़े। एकाध लाइन है। आपके पास संसदीय कार्य विभाग में आश्वासन का क्रियान्वयन भी है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। तत्कालीन मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में राम वन गमन पथ के सोशल ऑडिट के लिए एक कमेटी बनेगी। फिर मैंने उसमें दूसरे तरीके से प्रश्न लगाया। उसमें उत्तर आया है कि एक समिति बनी है उसमें यह अध्यक्ष हैं और यह-यह सदस्य हैं। मुझे आज तक उसका नोटिफिकेशन नहीं मिला। उसकी बैठक क्या होती है, यह आज तक मैं नहीं जानता। वे बोलते हैं कि उसकी जांच प्रक्रिया में हैं। वास्तव में ऐसा उत्तर देते हैं। सभापति महोदय, आप अनुमति दें तो मैं उस अधिकारी के ऊपर प्रिविलेज मोशन करता हूं कि वह बोलते कुछ है और करते कुछ है। विधान सभा को कोई वस्तु मत समझे कि उसकी स्वेच्छाचारिता का यह मंच है कि वह जो लिख पढ़कर देंगे, वह चलेगा। हम ऐसा होने नहीं देंगे। आश्वासन समिति काम करती है, आप उसके अतिरिक्त भी विधान सभा सचिवालय से ले सकते हैं कि कितने आश्वासन लंबित हैं और उसमें से कितने क्रियान्वित हुए। मैं दूसरी स्थिति बता देता हूं, उसमें

बहस नहीं होती, मैं उसमें बहस नहीं कर रहा हूं। यदि एक माननीय विधायक हैं, तो उनको कौन-कौन सी संस्था में प्रतिनिधि बनाने का अधिकार है ? हमने किसी समिति के माध्यम से इसका जवाब मांगा लेकिन हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। हमको आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। शासन को इसका उत्तर देने में क्या परेशानी है ? वह नहीं है तो नहीं है। ऐसे छोटे-छोटे अनेक विषय हैं, जिसमें इनके प्रिविलेज है। प्रिविलेज पर बहस हो सकती है। हिंदुस्तान में प्रिविलेज कोडिफाइड नहीं है। जहां तक मेरा नॉलेज है जो जन्मदात्री जगह है, वहां ब्रिटेन में भी प्रीविलेज कोडिफाइड नहीं है। लेकिन जो छोटे-मोटे प्रीविलेज है, बैठक में जाने के, आने के, प्रतिनिधि बनाने के, वे उसकी भी जानकारी देने में हिचकते हैं। इसका मतलब उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वह क्या कर सकते हैं, यह बताने में उनके अधिकारों में क्या कटौती हो सकती है ? इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सक्षम हैं। इन छोटी-छोटी चीजों को ठीक करने से हम विधायिका की गरिमा को बढ़ायेंगे, हम कार्यकुशलता को ही बढ़ायेंगे और आप यह कर सकते हैं। आपके लिए एक सद्भावना व्यक्त करते हुए चारों विभागों में, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन के विषय में, वेटलैंड के विषय में, कोऑपरेटिव्ह की जो बीमार संस्थएं हैं और जो गलत दिशा की ओर बढ़ रही है, उन संस्थाओं के लिए और जो नई नीति आयी है, उसके आलोक में आप छत्तीसगढ़ में कौन-सी नीति बनायेंगे, मैंने इन विधायिका के बारे में बात कही। आपको इतिहास याद करेगा कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में यह-यह चीजें हुई थीं। हम बोलते हैं कि अंग्रेजों के समय जो विधान सभा हुई थी, उसके बाद अभी हुई है। हम ऐसी बहुत सारी चीजें बोलते हैं। इसी विधान सभा में ऐसे-ऐसे कानून बने हैं जो भारत देश के लिए नजीर बने हैं। चाहे वह साक्षरता के कानून हो, चाहे वह स्वच्छता के कानून हो, चाहे इनफोर्समेंट के कानून हो, चाहे खाद्यान्न सुरक्षा के कानून हो, वे सब इसी विधान सभा से निकले हैं, इसी बहस से निकले हैं। इसको कमजोर करने की कोशिश होगी, इस बात को हम स्वीकार नहीं कर सकते, हमारी पीढ़ी स्वीकार नहीं कर सकती। आप इन बातों को ध्यान देंगे, आप में वह क्षमता हैं, आपके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया, आपके ऊपर माननीय मोदी जी के विजन को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर विश्व के सामने जलवायु परिवर्तन, वेटलैंड जैसी जो चुनौतियां हैं, उससे लड़ने की जिम्मेदारी है, आप उस जिम्मेदारी के निर्वहन में सफल होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, यह सद्भावना व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी-बालोद) :- सभापति महोदय, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री के विभागों की मांग संख्या-10, वन और जलवायु परिवर्तन, मांग संख्या-17, सहकारिता, मांग संख्या-28, राज्य विधान मण्डल, मांग संख्या-36, परिवहन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सभापति महोदय, सबसे

पहले मैं आदरणीय चन्द्राकर जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने बहुत ही जोरदार बात रखी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत आवश्यक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सिन्हा जी, यदि मेरी बात वास्तव में जोरदार है तो कटौती प्रस्ताव वापस लीजिए, इसका समर्थन करिये और बजट को सर्वसम्मति से पारित करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, उन्होंने जो बात रखी उसके लिए मैंने उनकी तारीफ की। लेकिन जो बजट आया है, उसका उपयोग कहां-कहां पर है, क्यों है, कितना है, उसके बारे में हम लोग भी एक बात रख लेते हैं। फिर हम कटौती प्रस्ताव में बतायेंगे कि समर्थन देंगे या नहीं देंगे। माननीय सभापति महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूं जो इस बार की जो धान खरीदी हुई है वह एक इतिहास बन गया है। अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में ऐसी धान खरीदी आज तक नहीं हुई है जिसमें किसानों को परेशान होना पड़े। खाद के लिये मैं बात में बात करूंगी, सबसे पहले मैं धान खरीदी की व्यवस्था की बात करूंगी। वर्ष 2024-25 में 75 लाख 65 हजार 598 क्विंटल मीट्रिक टन धान खरीदी हुई थी और वर्ष 2025-26 में 70 लाख 41 हजार 634 क्विंटल मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। अगर दोनों वर्ष का अंतर निकालूं तो 5 लाख 23 हजार 964 क्विंटल मीट्रिक टन का अंतर है, धान खरीदी कम हुई है। माननीय सभापति महोदय, 5 लाख 23 हजार 964 क्विंटल मीट्रिक टन कोई कम आंकड़ा नहीं है। सरकार इतना कम खरीदी होने का कारण बता दे? क्योंकि रकबा में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है और किसानों की धान भी भरपूर हुई है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी में इतना अंतर क्यों आया? सभापति महोदय, किसानों से रकबा समर्पण कराया गया। सबसे पहले तो मैं धान खरीदी के बारे में माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगी कि कोई भी कार्य की जब तैयारी होती है, जैसे शादी का भी काम हो, चाहे कोई भी काम हो, उसके लिये तैयारी लगती है। लोग 4-6 महीने पहले से तैयारी करते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी धान खरीदी की तैयारी की शुरूआत नहीं किये थे? माननीय मंत्री जी जो धान खरीदी होती है, हमारे किसान भाई हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख आवक धान होती है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और क्योंकि सबसे ज्यादा धान की आवक है और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य धनहा क्षेत्र है। धान खरीदी कब शुरू होनी है यह तो पहले से डिसाइड है। जब धान खरीदी की शुरूआत होनी है तो माननीय मंत्री महोदय जी को पहले से तैयारी कर लेनी भी जो कि पूर्ववर्ती सरकार करती थी। पूर्ववर्ती सरकार हमेशा धान खरीदी की तैयारी पहले ही करती थी।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, पूर्व की सरकार खरीदी खुरू करती थी, बोरा की कमी महसूस होती थी। किसानों से बोरा मंगाया जाता था और अभी कहीं बोरा की कमी है तो बताईये।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, पहली बार आप मन के सरकार में अइसने हय कि धान खरीदी शुरू रहिस हे अउ कर्मचारी मन आंदोलन में रहिस हे।

श्री दीपेश साहू :- रामकुमार भाई, किसकी धान खरीदी नहीं हुई है, दो दिन एक्स्ट्रा धान खान खरीदी हुई।

श्री आशाराम नेताम :- अभी बोनस आया कि नहीं आया। .. (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठिये। ऐसा कोई भी खड़े होकर एक दूसरे बात नहीं कर सकते। वह बोल रहे हैं तो आपको सुनना चाहिए। आप बोलिये कि आप क्या बोल रहे थे। आप बैठिये, थोड़ा 2 मिनट सुनिये।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में बोरा के लिये किसान परेशान हुआ। जब से सहकारी मंत्री आये, बोरा की पूरी चिंता किये और सब किसानों को बोरा मिला। अभी भी धान खरीदी होने के बावजूद भी उस सहकारी समिति में बोरा है। सभापति महोदय, ये बोरा की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। आप क्या बोल रहे हैं? आप सीधा बात करिये न।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर हमर वरिष्ठ विधायक ह जो बात ला रखिस हवय। पहले से तैयारी एकर खातिर नइ रहिस हवय, जैसे देखे होंगे कि धान खरीदी शुरू हो गये रहिस हवय अउ 15 से 20 दिन तक इहां के छत्तीसगढ़ के धान खरीदी के प्रभारी मन, आपरेटर मन आंदोलन में रहिस हवय। धान खरीदी केन्द्र में ओकर कहीं पर कोई एक आदमी बैठाइया नइ रहिस हय। सरकार के कोई तैयार नई रहिस, ये सिद्ध कर दिस हवय।

सभापति महोदय :- आप क्या बोल रहे थे? आप सीधा बताईये कि क्या बोलना चाहते हैं?

श्री दीपेश साहू :- माननीय सभापति महोदय, एक-एक किसान की धान खरीदी हुई थी और जो बचे हुए थे उसके लिये 02 दिन शेष में और धान की खरीदी हुई है। हमारी सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से हमारे राज्य का गठन हुआ है सबसे ज्यादा धान की खरीदी इसी साल में हुई है।

सभापति महोदय :- आप बैठिये। अब आप संगीता जी बोलिये। ऐसा नहीं कि वह बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। उनको बोलने दीजिये, उनका भाषण चल रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं धान खरीदी की तैयारी के बारे में कहना चाह रही थी। जब मैं पहले दिन गई कि धान खरीदी हो रही है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्षेत्र का दौरा किये कि जो क्षेत्र में धान का एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है । पहला दिन जब धान खरीदी होती है तो छत्तीसगढ़ राज्य में तौल की पूजा करते हैं और हम सब पूजा-पाठ से शुरूआत करते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, जब मैं दौरे पर निकली कि धान खरीदी शुरू हो गयी है तो वहां कहीं पर धान खरीदी नहीं हो रही थी । उस दिन तो ऐसा भी दिन था कि पूरे आधे सोसायटी बंद थे, यह बालोद जिला की ही बात नहीं कर रही हूं । यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में था कि कई जो सोसायटी है वह बंद था और क्यों बंद था, मैं उसका कारण बता देती हूं । माननीय सभापति महोदय, जब धान खरीदी

होने वाली थी उससे पहले ऑपरेटर और जो प्रबंधक है वह हड़ताल में बैठा था और जब लगातार हड़ताल में बैठे थे तो क्या मंत्री जी को उसकी जानकारी नहीं थी ? क्या मंत्री जी उसकी तैयारी में थे कि जब ऑपरेटर धान खरीदता है, जो टोकन कटता है और धान खरीदी होती है तो उसमें ऑपरेटर की, प्रबंधक की बहुत जरूरत रहती है । मंत्री जी, आपने उसे क्यों संज्ञान में नहीं लिया ? चूंकि यह छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ा हुआ मामला है और वह प्रबंधक लगातार हड़ताल में रहे उनको संज्ञान में नहीं लिया गया, आनन-फानन में तुरंत नये ऑपरेटर की भर्ती किये । कई ऑपरेटर को तो उसमें एंट्री करना आता ही नहीं था । नये-नये ऑपरेटर की एंट्री की और कई जगह कई दिनों तक नहीं खुला, 15-20 दिनों तक बंद रहा, यह सोसायटियों की धान खरीदी की स्थिति है । किसी तरह चालू हुआ तो दूसरी समस्या आ गयी । दूसरी समस्या ओ.टी.पी. की आयी जो आपका ओ.टी.पी., कोई धान खरीदी के लिये पेड़ में चढ़ रहा हैउसका नंबर लगवाने के लिये, टॉवर नहीं रहता था, ओ.टी.पी. नहीं आता था । बेचारे गांव वाले, उनके पास तो कई लोगों के पास मोबाईल भी नहीं रहता है, कोई पेड़ में चढ़ रहा था, कोई छत में चढ़ रहा है, 8 बजे शुरू होता था और 8 बजकर 3 मिनट में सब चीज खत्म हो जाता था । कौन नंबर लगाता है, कौन धान खरीदी के लिये टोकन कटवा रहा है, किसी का टोकन कटता ही नहीं था । माननीय सभापति महोदय, मैं इसको इसलिये संज्ञान में लेना चाह रही हूं कि इस बार जो धान खरीदी हुई है ऐसी धान खरीदी अगली बार न हो, लापरवाही न बरती जाये । सर्वर डाऊन के कारण बहुत किसान भटके हैं ।

श्री रोहित साहू :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें माननीय सदस्य जी को यह बोलना चाहूंगा कि इसके पहले जो आपकी सरकार में पैसा देकर ही टोकन कटाने की आदत बना दिये थे । आज हमारी सरकार में घर बैठे ही टोकन काटने की ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करायी है । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- बैठिए ।

श्री रोहित साहू :- मानीय सभापति महोदय, कई दिनों तक लाईन लगाते थे । किसान 4 बजे उठकर सोसायटी में लाईन लगाने जाते थे लेकिन आज विष्णुदेव साय जी की सरकार में माननीय मंत्री जी के माध्यम से घर बैठे ऑनलाईटन टोकन कट रहा है, हमारे किसानों को इतनी सुविधा मिली है ।

सभापति महोदय :- ठीक है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, हमारे किसान भाई लोग टोकन की व्यवस्था से बहुत समस्याओं से गुजरे उसके बाद टोकन और ऑफलाईन काटने की सुविधा प्रदान की गयी और ऑफलाईन में टोकन भी कटा । समस्या कहां आती थी, भेदभाव की । मैंने पकड़ा है, मेरे यहां दर्रा-खर्रा में हुआ है । जब मैं देखने के लिये गयी कि व्यवस्था कैसी है तो एक किसान आया, उसने शिकायत की कि दीदी मोर उन्नीसवां नंबर में रहिस हे, अट्ठारह नंबर तक बने चलिस हे और उन्नीसवां के बाद इक्चालीस नंबर के धान ला ले लिस । यह एक जगह की समस्या नहीं थी, वह तो मैं एक जगह गयी

थी तो यह समस्या आयी । मंत्री महोदय जी, कई सोसायटी में ऐसा हुआ है कि अपने लोगों का धान पहले ले लिया गया और जो किसान वहां पर नंबर लगाये थे उनको पीछे कर दिया गया । दर्रा-खर्रा हुआ है, मैं आपको सब चीज दे दूंगी तो ऐसा हुआ है । धान खरीदी केंद्र में इतना भेदभाव हुआ है । माननीय सभापति महोदय, नया शब्द समर्पण आया, मैंने उस दिन कहा था कि समर्पण आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं था, यहां पर यह पहला शब्द है, समर्पण शब्द । जैसे कोरोना है, सेम वह समर्पण शब्द आया । 5 एकड़ खेत वाला व्यक्ति आया उसने कहा कि दीदी, मैं 2 एकड़ भेजा हूं, 3 एकड़ अपने आप समर्पण हो गया। मैं उसको कलेक्टर के पास लेकर गयी थी। कलेक्टर महोदया मुझसे बोलीं कि हम इसका धान बिकवायेंगे और समर्पण को हटवायेंगे। आखिरी दिन तक उसका समर्पण नहीं हुआ। आखिरी में हमने फिर विरोध किया, तब उसके समर्पण को खोला गया। वहां केवल एक ही किसान नहीं था। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सनौद सोसायटी में गयी। जो बड़े-बड़े किसान हैं जिनका 15, 20, 25, 30 एकड़ रकबा है वहां एक साथ 18 लोगों का समर्पण हुआ था, हमने सोसायटी में ताला लगवाया था।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय :- आप बार-बार नहीं बोलेंगे।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। माननीय सदस्य महोदया समर्पण की बात कह रही हैं।

सभापति महोदय :- आप बैठिए। भाई, ऐसा नहीं होता है।

श्री रामकुमार यादव :- मूसवा वाले मन का बोलही। बार-बार खड़े हो जाथव।

सभापति महोदय :- ऐसा नहीं होता है। आप बार-बार नहीं बोलेंगे।

श्री आशाराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, समर्पण किसानों के धान की चिंता करता है। हमारे माननीय विष्णु देव साय जी चिंता करते हैं तो यह समर्पण की बात कहां से आयी।

श्री रामकुमार यादव :- ओ भईया, मूसवा वाले भईया तोर हाथ जोड़त हौं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, आपके यहां समर्पण नहीं हुआ।

सभापति महोदय :- माननीय संगीता जी, आप एक मिनट रूकिये। मैंने आपको पिछली बार मौका दिया है। मैंने आपको भी बोला था। लेकिन आपको थोड़ी-थोड़ी देर में इच्छा होगी कि मुझे बोलना है तो मैं आपको मौका नहीं दे सकूंगा। क्योंकि यहां भी 8-10 लोग बोलने के लिए बचे हैं। यह बड़ा विभाग है और इसकी लम्बी चर्चा होनी है। कृपा करके आप सहयोग करिये। संगीता जी, आप इससे और आगे बढ़कर, दूसरे विषय में भी आ जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय, मैं सोसायटियों में ही बोलूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्यायें हैं। यहां पर समर्पण आया है तो मैं थोड़ा शार्ट कर देती हूँ। वहां पर जो बड़े-बड़े किसान हैं उनका समर्पण हुआ है, जिन्होंने यह नहीं किया, उनका अपने आप समर्पण हो गया। किसी से

पूछा नहीं गया, कागजी तौर पर वहां सोसायटी में बैठे-बैठे यह बात आयी और जब मैं कलेक्टर के पास गयी तो कलेक्टर का कहना है कि अभी नये ऑपरेटर आये हैं, उन्होंने गलती से कर दिया है। यह बात भी आयी थी। हमारे यहां समर्पण से बहुत किसान धान बेचने से वंचित रह गये। मेरे पास उसका आंकड़ा है। मेरे यहां बालोद में 8 हजार लोगों का जो धान है, उनका एक दाना नहीं बिका है। ऐसे किसान हैं, जो अपने धान का एक दाना नहीं बेच पायें। जब हमने विरोध किया और सड़क की लड़ाई लड़ी, उसके बाद दो दिन के लिए सोसायटी खुली। उसका पोर्टल खुला। अगर मैं अपने बालोद की बात करूं तो वहां बालोद में 8 हजार से ज्यादा लोगों का धान नहीं बिका है। उनका के.सी.सी. में बैंक में लोन है। वहां किसी का 8 एकड़ खेत है और वह एक दाना नहीं बेच पाया।

समय

5.53 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, उसने डेढ़ लाख रूपया लोन लिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस किसान ने डेढ़ लाख रूपया लोन लिया है, जो अपने धान का एक दाना नहीं बेच पाया। उसका ऋण माफ किया जाये। मैं मंत्री महोदय जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी। एक मिनट। मेरे बालोद में ऐसे बहुत से किसान हैं जिनका धान नहीं बिका है और उन्होंने जो बैंक से लोन लिया है , किसी का डेढ़ लाख रूपया लोन है, किसी का दो लाख रूपये है और उनका धान नहीं बिका है। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहती हूँ कि या तो उनके कर्ज को माफ कर दिया जाये या तो फिर से उनकी धान खरीदी कर ली जाये। केवल मेरी यह दो मांगे हैं। आप या तो उनके कर्ज को माफ कर दें। वह इस हालत में नहीं हैं कि वह अपना कर्ज पटा सकें। वहां पर तीसरी परेशानी सत्यापन की आयी, किसान भाई अपने ही घर में धान को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आपके लोग अधिकारी, एस.डी.एम.,तहसीलदार सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने सत्यापन किया, यह ठीक है, लेकिन उसके बाद एक नयी परेशानी आ गयी कि उनका दो बार सत्यापन करने का नियम आ गया। उनके घर में जाकर, उनकी कोठी को भी देख रहे हैं। उनके घर में धान है उसको चेक कर रहे हैं। जिनका रकबा है और गिरदावरी में सब चीज है उसके बावजूद उनके घरों में जाकर छानबीन कर रहे हैं और सत्यापन कर रहे हैं। उसके बाद वह धान को लेकर ट्रेक्टर में लाता है और उसको सोसायटी में खड़ा कर दिया जाता है, उसे सोसायटी में क्यों खड़ा कर दिया जाता है और सोसायटी में क्यों खड़ा कर दिया जाता है ? जब तक तहसीलदार उसका सत्यापन फिर से नहीं करेंगे, तब तक उनका धान नहीं खरीदेंगे । छत्तीसगढ़ का बहुत दुर्भाग्य है कि किसान भाई अपने ही धान को बेचने के लिए दो-दो बार सत्यापन करवा रहे हैं और दूसरे बार के सत्यापन में हमारे किसान भाइयों को डराया-धमकाया गया है कि आप इतने रकबे को समर्पण करिए, तब हम आपका धान लेंगे । यह बालोद जिले में हुआ है । यहां तक उनको अधिकारियों द्वारा यह भी

कहा गया है कि आप अपने खाने के लिए धान को रखो, क्यों बेच रहे हो ? यह सब क्या है । किसान भाई दिन-रात मेहनत करता है, अपने घर के शादी-ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा करता है । वही उसका आवक है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री केदार कश्यप) :- संगीता जी, आप बोल रही हैं कि किसानों को डराया गया, धमकाया गया तो इस वर्ष 142 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुआ, वह फिर कहां से हुआ । आप के समय में कितना धान खरीदी होता था, एक बार वह भी बताएं । आपके समय में तो पानी में डूबो कर देखते थे । आपको मालूम है या नहीं मालूम है ? पानी में डूबोकर देखते थे इसीलिए तो पानी में डोब दिए ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैंने बालोद जिला की बात की । मंत्री जी, आप चाहें तो जांच भी करा सकते हैं, यह बात आई है । मैं तो यह भी बोलती हूं कि यह मेरे ही जिला में ही नहीं, धमतरी में भी हुआ है, बेमेतरा जिला में भी हुआ है । धमतरी से भी मेरे पास कॉल आया था । यह सब घटना हुई है । शायद मंत्री महोदय के पास ये बात नहीं पहुंची है क्योंकि इस बार जितने भी प्रश्नकाल हुआ है, हमने देखा है कि कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है । हम आपको बार-बार आवाज दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे क्या ? पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । उस दिन लता उसेंडी का भी प्रश्न लगा था, वह आपके पक्ष की हैं । वह भी चिल्लाती रह गईं । उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती । आपके अधिकारी आपको जो आंकड़ा देते हैं, आप उसको मान लेते हैं । आप धरातल पर नहीं जाते । आप धरातल पर देखिए । मंत्री जी, जब धान खरीदी होती है तो आप दौरा कीजिए। मैं आपको बोलती हूं कि अगली बार धान खरीदी के समय आप बालोद आईए, मैं आपको हर सोसायटी में ले जाऊंगी, जहां-जहां पर समस्या है । मैंने तो एक क्षेत्र की बात रखी, पर यह हर विधायक की समस्या है । कई किसान ऐसे हैं जिनके रकबे में त्रुटि थी । वे लगातार अधिकारी के पास जाते रहे, पर आखिरी तक उसके रकबे में कहीं पर कुछ नहीं हुआ । आखिरी तक उसका धान नहीं बिका ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- सभापति जी, इनका रथ का पहिया धान खरीदी में फंस गया है, आगे निकल ही नहीं पा रहा है ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्योंकि धान खरीदी में इतनी सारी समस्याएं हैं । किसानों की सभी समस्याएं मैं रखना चाहती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगली बार यह समस्या हमारे यहां बालोद जिले में न रहे । आपके प्रशासनिक अधिकारी पोर्टल को नहीं सुधारे इसलिए वह व्यक्ति धान बेचने से वंचित रहा । कई सोसाइटी में धान लिमिट कर दिया गया । हमारे यहां दुर्भाग्य है कि पूर्व विधायक धान नहीं बेच पाए । वे धरना प्रदर्शन अरमरी गांव में बैठे थे । अब सब्बो समस्या ला बोले ला तो पड़ही, मैं पूर्व विधायक के नाम ला नहीं लेवथौं । अरमरी गांव में पूर्व विधायक और उनका पुत्र वर्तमान में जनपद सदस्य अपना धान बेचने के लिए धरना में बैठे हुए थे। शाम-रात तक उनका धान नहीं बिका । पूर्व

विधायक का नाम बता दूं ? पूर्व विधायक कुमारी बाई बैठी थीं और उनके बेटे जो हैं, वे जनपद में सभापति हैं । आपने नाम करने का उल्लेख किया तो मैंने उनका नाम बता दिया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- संगीता जी, आप इतनी वरिष्ठ विधायक हैं, दूसरी बात की विधायक हैं । नाम बोलने में, रिफरेंस देने में कोई आपत्ति थोड़ी है । आरोप लगाने में आपत्ति है तो बता दीजिए । आपने कहा कि वे जनपद सदस्य भी हैं ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उनका बेटा जनपद सदस्य है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैंने सोचा कि विधायक जी भी जनपद सदस्य बन गईं क्या ? थोड़ा चिंतित हो गया था ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार धान खरीदी में नाकाम है और सरकार धान खरीदी में फेल है । या तो सरकार धान खरीदना नहीं चाहती इसलिए आपने सबको एक मुश्त पैसा देने का वायदा किया था । पहले आप कैश में देने वाले थे, पंचायत में पंडाल लगाकर देंगे, कहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

सभापति महोदय, खाद वितरण का कार्य का विभाग भी आपके पास है। अब मैं खाद वितरण में आती हूं। डी.ए.पी. खाद की हमेशा समस्या रही है। जैसा कि चन्द्राकर जी ने भी कहा कि निजी दुकानदारों को बाद में खाद दिया जाये, सबसे पहले सहकारी क्षेत्र वालों को खाद दिया जाये। बिलकुल सही बात है, मैं उनसे सहमत हूं। सहकारी में खाद का रेट 1350 रूपया है, वहीं अगर निजी दुकान में खाद ख़रीदने जाते हैं तो लोगों ने 2 हजार, 22 सौ रूपया में खाद खरीदा है। कहां से नैनो खाद आ गया, नैनो खाद के साथ एक छोटी सी लिक्विड की शीशी देते थे, उसको भी लेना आवश्यक है। क्यों ? किसान को जिसकी आवश्यकता है, वह खाद दीजिये, आप उसकी व्यवस्था कीजिये। आपने, खाद की व्यवस्था क्यों नहीं किया ? आपको पता है कि डी.ए.पी. खाद की आवश्यकता होगी, यूरिया की आवश्यकता होगी, आपने क्यों तैयारी नहीं की थी ? सभापति महोदय, धान को स्थिति बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहती हूं कि अगली बार जब आप लोग धान खरीदी शुरू करें तो कृपया इस क्षेत्र में ध्यान दें कि आपरेटर सही जानकार रहे, धान का रकबा न काटें। जैसा कि कोरोना भाग है आज तक वापस नहीं आया है, वैसे समर्पण को भी दोबारा मत लाईयेगा।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक मात्र शक्कर कारखाना है। मैं शक्कर कारखाने के बारे में बताना चाहती हूं कि गन्ना खरीदी के शुरूआत के दिन होते हैं, पहले दिन से ही 5 दिन तक, पूरे ट्रक-ट्रैक्टर आकर रूके हुए थे और 5 दिन तक कारखाना बंद था। पूरा काम बंद था। मैं गई तो बोले कि जो मशीन को चालू करता है, वह इंजीनियर नहीं आया है, सभापति महोदय जी, जब इंजीनियर नहीं आया था तो क्यों किसानों को परेशान किया गया ? आपने क्यों किसानों का गन्ना ट्रेक्टर में मंगवाकर खड़ा करवा दिया ? मेरे यहां के औद्योगिक क्षेत्र में सिर्फ एक कारखाना है। मैं दूसरे कारखाने की मांग भी

नहीं करती हूं। मैं तो सिर्फ यह चाहती हूं कि जो एक कारखाना है, वह सुचारू रूप से चले। सभी किसानों का ट्रैक्टर 5 दिन तक खड़ा रहा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 5 दिन के ट्रैक्टर का किराया कितना होता है ? कई किसान ऐसे हैं, जो ट्रैक्टर किराये से लेकर आते हैं, वह ट्रैक्टर 5 दिन तक खड़ा रहा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ? क्या आपके अधिकारी जिम्मेदारी लेंगे ? क्या अधिकारी उस अवधि का पेमेन्ट करेंगे ? वहां कोई सुनवाई नहीं था। अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां किसानों के साथ भी भेदभाव हुआ। वहां बेमेतरा, दुर्ग, साजा से आए हुए ट्रैक्टरों के गन्ने को खाली करा दिया गया और मेरे क्षेत्र के लोकल किसानों के ट्रेक्टरों को खड़ा करा दिया गया, यह स्थिति है। मैं निवेदन करती हूं कि बोनस को बढ़ाया जाये, रकबा भी बढ़ाया जाये। क्योंकि आप बोनस नहीं दे रहे हैं, बोनस की कमी के कारण गन्ना का रकबा घट रहा है। मैं निवेदन करती हूं कि गन्ना का रकबा बढ़ाने के लिए बोनस की व्यवस्था करें, वहां का उचित ख्याल रखें ताकि मेरे औद्योगिक क्षेत्र में एक ही काराखाना है, न उसका निजीकरण हो, न उसमें कोई समस्या आये।

सभापति महोदय जी, परिवहन का मामला आया है। मैं परिवहन विभाग में भी बोलना चाहूंगी। दुर्घटनाएं तो बहुत हो रही हैं। मैं बीच में आकड़ें भी बताई थी, अगर रायपुर में देखा जाये तो एक दिन में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग एक हजार से दो हजार तक तक खत्म हो रहे हैं। आप उसके लिए विशेष तौर पर कुछ तो व्यवस्था कीजिये, जिससे दुर्घटनाएं कम हों, रात में अंधेरे में पशु दिखते नहीं हैं, उनकी व्यवस्था कर देते। जो गाड़ियां स्पीड में चल रहे हैं, आप उन गाड़ियों को नियंत्रित कीजिये। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि मेरे यहां जो एन.एच.-30 है, वहां पर पुरूर है, जो पुरूर नेशनल हाईवे है, वहां पर डिवाइडर बना हुआ है, मैं वहां पर लाईट की मांग लगातार कर ही रही हूं, उस डिवाइडर में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं । आपका आवागमन होता है, आप क्षेत्र जाते हैं। वह रात को दिखता नहीं है। जब मैं उस विभाग में बात की तो एक ड्रम को पोतकर रख दिये हैं, कुछ नहीं किये हैं। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूं कि वहां पर एक लाइट लगवा दीजिये ताकि वहां डिवाइडर दिखे । पुरूर में कई मौतें हो चुकी हैं।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी, हमर दीदी आर.टी.ओ. विभाग में बहुत अच्छा बोलत हे । मोर कुछ आपके माध्यम से बस एक मिनट में माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आर.टी.ओ. जो विभाग रथे, ओहर बड़े-बड़े महंगा गाड़ी रथे मर्सिडीज़ कार ओला कभू नहीं रोके। कोन ला रोकथे? गांव के गरीब, कुछु इलाज पानी में आवत हे ओला रुकवाथे, ओमन कने पैसा अईठथे। मोर आपसे प्रार्थना हे कि आप ऐसे आर.टी.ओ. मन ला सब्बो डाहर भेजो ताकि ओ हर जेमे एक्सीडेंट होते ओला रोके जाए, न कि गरीब आदमी ला परेशान करे के ओहर एकठो माध्यम बन जाय। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहत हौं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, ये तो हुआ पुरूर का महोदय जी, मंत्री महोदय जी से कहना चाहती हूं कि तुरंत के तुरंत वहां पर एक लाइट की व्यवस्था या रेडियम की व्यवस्था कर दें ताकि वहां पर एक्सीडेंट रुके। आदरणीय सभापति महोदय जी, NH-30 पर उड़नदस्ता टीम बहुत वसूली कर रही है। आदरणीय सभापति महोदय जी, जो मेरे यहां मरका टोला घाट है, जगतरा हमारा टोल प्लाजा है, वहां दुकान लगती है । अभी लगातार पेपर में आ रहा है, वह वसूली का अड्डा बन गया है। सभापति महोदय जी, भोले-भाले ग्रामीण जाते रहते हैं, आते रहते हैं। हाइवा भी गुजरता है, ठीक है, मैं नहीं कहती कि सभी में कार्यवाही न हो। लेकिन सभापति महोदय जी, जो वसूली का अड्डा बनना, लगातार हमारे यहां पेपर में आ रहा है, वहां मैं आपको पूरा पेपर दे दूंगी, वहां की स्थिति बहुत खराब है। उड़नदस्ता टीम को आप सतर्क कीजिये। आप उनको बोलिये कि जो लोग हैं, उन्हें वे व्यर्थ परेशान न करें। कोई खेत जा रहा, उसको एक कागज को लेकर, हेलमेट को लेकर रोक दिया जाता है । ठीक है सभापति महोदय, आप नियम कानून करिये लेकिन उसको अड्डा मत बनाइये । सभापति महोदय जी, इसको विशेष तौर पर ध्यान दीजियेगा। आप वहां गुजरते हैं, नारायणपुर जाते हैं, वहां पर अब अड्डा बन चुका है और लगातार प्रेस में आ रहा है। आज के पेपर में भी आया है, कल के में भी आया है, हम आपको प्रूफ भी दे देंगे। तो उस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। सभापति महोदय जी, मैं मछली विभाग में कहना चाहती हूं जो केज कल्चर का मामला आया था और उसमें एक अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे । सभापति महोदय जी, वह निषाद समाज को जाना चाहिये, उसका मैं समर्थन कर रही हूं। आदरणीय हमारे चंद्राकर जी भी इस बात को बोले और मैं भी बोल रही हूं। सभापति महोदय, जो समाज का अधिकार है, उसको वह देना चाहिये, जो मछुआरा लोगों का है। उसी तरह यादव समाज को दूध का अधिकार है। हमारे यहां दुग्ध की गंगा है। बहुत अच्छा चलता है। लेकिन मैं चाहती हूं अगर जहां पर दुग्ध गंगा है, जहां पर दूध की पैदावार है, आवक है, वहां पर कुछ ऐसी फैक्ट्री भी लगाना चाहिये कि उसका कुछ हम कर सकें। मंत्री महोदय से निवेदन है कि दूध के लिये फैक्ट्री की घोषणा कर देते, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती । बहुत सारे विभाग बचे हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।

सभापति महोदय :- धन्यवाद। श्री प्रबोध मिंज जी।

श्री ललित चन्द्राकर :- सभापति जी। सभापति जी। एक मिनट। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा..।

सभापति महोदय :- बाद में अपनी बात रखियेगा। प्रबोध मिंज जी।

श्री प्रबोध मिंज (लुण्ड्रा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 10, 17, 28 और 36 के समर्थन में आज बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, विशेष रूप से आज जो हमारा विभाग

है, यह विभाग वास्तव में पूरे छत्तीसगढ़ के लिये बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और ऐसा विभाग है कि छत्तीसगढ़ में 43-44 प्रतिशत भू-भाग हमारे वनों से आच्छादित क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों में विशेष रूप से रहने वाले जो ट्राइबल समाज हैं, वह लगभग 30.6 प्रतिशत की आबादी में वहां निवास करता है। ऐसा ट्राइबल क्षेत्र जो जंगलों के माध्यम से कालांतर समय में हम लोग देखें और अभी तक भी देखें, तो उससे उसका जीविकोपार्जन चलता है, उसमें उनका निस्तार है और उनकी परंपराएं वहां उसमें जीवित रहती हैं। ऐसे विभाग की हम लोग बात करते हैं, तो इतने बड़े भू-भाग में रहने वाले लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिये और उनके निस्तार के लिये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में इस विभाग को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही है। इसी संबंध में हमारा अनुदान मांग आया हुआ है और इसमें जो मांगें रखी गई हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ताकि हम सब लोगों के विकास के लिए और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित हों। मैं जिस बात को कह रहा था कि आदिवासी समुदाय जिन जंगलों में रहते हैं, वह वहां वनोपज के ऊपर निर्भर रहते थे। उसी वनोपज के माध्यम से उन्होंने कालांतर में भी अपना जीविकोपार्जन किया है और आज भी बहुत बड़े भू-भाग पर वह समाज वनोपज के माध्यम से अपनी जीविका को आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। इन लघु वनोपजों के माध्यम से इन क्षेत्रों में जो वनोपज हैं, जिसमें चार चिरौंजी, महुआ, सरई और अन्य प्रकार के बहुत सारे वनोपज हैं, जिनको वे लोग आज विक्रय करके उनके साथ सहकारिता के माध्यम से वनोपज के चीजों को संग्रहण करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे वे लाभान्वित होकर आज आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमारी सरकार बहुत सारे महिला समूह और अन्य माध्यम से लघु वनोपजों का क्रय करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सरकार में इस बार वनोपज व्यापार और विकास मद में लघु वनोपज संग्रहण की जो योजनाएं हैं, उसमें 30 नवंबर, 2025 की स्थिति में लगभग 423.22 करोड़ रुपये मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। वर्ष 2024-25 में भी इस योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1558 लाख के लघु वनोपज क्रय किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 के नवंबर महीने तक लगभग 5365 लाख मूल्य के वनोपज का संग्रहण किया गया है। इतने बड़े लघु वनोपज संग्रहण करके ट्राइबल क्षेत्र के आदिवासी वनोपज से आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसमें यह प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण को बढ़ावा देने के लिए 139 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ष 2019-20 में कुल 2085 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक केंद्र के लिए 15 लाख रूपये अनुदान राशि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। उक्त योजनांतर्गत स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण, उपकरण व्यवस्था, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण हेतु चक्रीय राशि का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से P.M.J.V.M. के तहत वन धन विकास केंद्र से कुल 6093 महिला स्व-सहायता समूहों की लगभग 70,000 से अधिक महिला सदस्य लाभान्वित हो रही

हैं। इनमें से वन धन विकास केंद्र में लगभग 17,324 महिला सदस्य लघु वनोपज प्रसंस्करण का कार्य करती हैं। इतना बड़ा महिला समूहों को इन क्षेत्रों में काम करके आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत संचालित गतिविधियां हैं, इसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति में लघु वनोपज संग्रहण विशेष प्रावधानित जनजातीय समूहों के केंद्रों के माध्यम से 24-25 में 328 क्विंटल लघु वनोपज का क्रय कर वन धन विकास केंद्रों में महिला समूह के माध्यम से किया गया है। इसी P.V.T.G. वन धन विकास केंद्रों में केसोडार में माह जनवरी, 2024 से दिनांक 30.11;25 तक की स्थिति में लगभग 153.92 लाख का औषधि उत्पाद निर्माण कर आयुष विभाग को आपूर्ति एवं N.W.F.P. मार्ट के माध्यम से विक्रय किया गया है। इसी संबंध में चार, चिरौंजी, महुआ आदि लघु वनोपज के माध्यम से हमारी सरकार इन क्षेत्रों में आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय तेंदूपत्ता का आता है, जिससे हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में उसका संग्रहण करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तेंदूपत्ता के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी ने योजना बनाकर इसका संग्रहण का काम बहुत अच्छे शुरू किया गया था। इसमें राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्रहण सुरक्षा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 में 50 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए यह बहुत उपयोगी होगा। इसी के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण हानि क्षतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 204 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वनवासियों के हितों एवं सुविधाओं के प्रति सोच के अनुरूप वनवासियों के वनों में नंगे पैर जाने से जो तकलीफ होती थी उसके लिये चरण पादुका के रूप में बहुत अच्छी योजना चालू करके आदिवासी महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने का काम, उनकी तकलीफों को समझकर ...।

श्री रामकुमार यादव :- एक मिनट, आप अगर चप्पल भी दिहव त स्केचर के दिहव । रिबोक के दिहव । प्लास्टिक के ला झन देहव ।

श्री प्रबोध मिंज :- आप मन अपन सरकार में चप्पल देना बंद कर दे रेहेव । अभी ज्ञान देवथव । अतका आदिवासी महिला के चिन्ता हे, तेंदूपत्ता संग्राहक के चिनता हे तव सरकार में बहुत अच्छा चीज देना रहिसे ना । सब बन्द कर दे हव ।

श्री रामकुमार यादव :- बतांव का । सभापति समझथे कि काय दे हन ।

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे चीजों को जो संवेदनशील है, जो महिलाये जंगल और पहाड़ों में रहती है, पेट के लिये और पेट के भूख को मिटाने के लिये, बाल-बच्चों की चिन्ता के लिये, उनके पालन-पोषण के लिये, इतनी गहरी पीड़ा करके जंगलों में गरमी के दिनों में, पहाड़ों में नंगे पांव जाकर कंकड़, पत्थर और कांटों की परवाह न करते हुये, संग्रहण करके उसको गड्डी बनाकर, जमा करके बेचने का कठिन परिश्रम करती थी । ऐसे संवेदनशीलता के साथ

हमारी सरकार चरण पादुका के लिये योजना बनाकर बड़ा मिसाल कायम की है और उनकी मदद के रूप में उनको दिये हैं । पैसा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनकी सुविधायें और सम्मान देने का काम हमारी भाजपा सरकार ने किया है । ऐसी चरण पादुका योजना को उन्होंने शुरू की थी और नंगे पांव से उनको जो तकलीफ होती थी, उसे राहत दिलाने के लिये प्रदेश में लगभग 902 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को 12.40 लाख महिला सदस्यों को 2025 में चरण पादुका को वितरण किया गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-2015 से राज्य में लागू की गई है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा 204.91 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया था । इस तरह से तेंदूपत्ता के क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार महिलाओं को और वनोपज को संग्रहण करने के लिये योजना बनाकर कार्य कर रही है । ऐसे ही हमारे जंगलों और पहाड़ों में विशेष रूप से आदिवासी अंचलों में हम सब लोगों के समय मेडिकली जो परेशानियां थी, आदिवासी अंचलों में सिस्टम था कि उनके जो बैगा रहते थे, औषधियों के जो जानकार रहते थे, दवाओं के अभाव में वर्तमान में जंगल की जड़ी-बूटी थी, उन सारी चीजों को पहचान रखते थे । उसके आधार पर दवा बनाकर उन सब लोगों की सेवा करते थे, उनका उपचार करते थे । जंगलों के जानकार लोग जिस प्रकार से जड़ी-बूटियों से चाहे वह सांप काटने का हो, बीमारी का ईलाज हो, बुखार का हो, अन्य बड़े-बड़े जो रोग हो जाते हैं, उसकी पहचान नहीं हो पाती थी । अपने तरीके से उन वनौषधियों से उनका उपचार करते थे । ऐसे उपचार करने वाले हमारे समूहों के लोगों से हमारी जो सरकार है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्येश्य से नियद-नेल्लानार योजना बनाई गई है, जिसके अंतर्गत औषधि पौधों के रोपड़ के माध्यम से ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिये कई अवसर प्रदान करती है । इसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर कोंडागांव जिले में सर्पगंधा के 5 लाख और शतावर के 5 लाख औषधि पादपों का कुल 10 लाख औषधि एवं सुगंधित पादपों के रोपण का कार्य भी किया जा रहा है । ऐसी औषधियों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । इसी तरह से हमारी सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में वैद्यों का प्रशिक्षण, उनके सम्मेलन, इसके लिये वर्ष 2025 में 11 वनमंडलों में वैद्य सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें कुल 1685 वैद्य लाभान्वित हुये । जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार संपूर्ण प्रदेश के स्थानीय निकायों में पंचायत, जनपद, नगरीय एवं जिला स्तर पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक कुल 12,008 BMC का गठन एवं 11,177 PBR का निर्णय किया गया है। चूंकि वह जंगलों, पहाड़ों, हमारी जंगली क्षेत्रों, ट्राईबल क्षेत्रों में, हमारी जो पारंपरिक आस्था की प्रतीक हैं, हमारे पूजन की पद्धति थी, हमारे देवगुड़ियों के माध्यम से हमारे देवताओं का पूजन करते थे, अर्चना करते हैं, आज भी है। हमारी परंपरागत अनुसार प्रत्येक क्षेत्रों में अलग-अलग ट्राइबलों के अलग-अलग जातियों में, अलग-अलग गुड़ी प्रथा है, हमारी इस तरह की अनेक जो आस्था के केंद्र हैं, उसमें देवगुड़ी के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है। सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ राज्य के

सुदूर अंचलों में निवासरत करने वाले आदिवासी और वनवासी जो लोग हैं, उनकी आस्था का केंद्र देवगुड़ी है, सरना देव का स्थल है, उन सबको संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। कैम्पा मद से विगत् वर्षों में 34.45 करोड़ की लागत से 782 देवगुड़ियों का संवर्धन का कार्य किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2.45 करोड़ की लागत से 49 देवगुड़ियों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है और कैम्पा मद से वर्ष 2026-27 में 73 देवगुड़ियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 3.65 करोड़ का प्रावधान देवगुड़ी में किया गया है। वनों के क्षेत्र में आज वनों का विनाश और कई चीजों के चलते वनों की कमी हो रही है, वन क्षेत्र कम हो रहे हैं, सरकार वृक्षारोपण के माध्यम से उसको बढ़ाने का काम कर रही है। किसान वृक्ष मित्र योजना है, उसमें मोबाइल एप के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। किसान वृक्ष मित्र योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्षेत्रों का सीमांकन कार्य डी.जी.पी.एस. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किए जाने का काम हो रहा है, उसमें उनकी सीमाओं का चिन्हांकन करने का काम हो रहा है। वनों में जो अग्नि प्रबंधन का काम है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45 करोड़ 15 लाख 10 हजार का बजट प्रावधान किया गया है। उसी तरह से शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का काम ग्रीन इंडिया मिशन योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस योजना के तहत पिछले दो वर्षों में 3,473 हेक्टेयर में नवीनीकरण का कार्य किया गया है जिसके लिए 992 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ग्रीन इंडिया मिशन के रूप में जो काम हो रहा है, उसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8 करोड़ 74 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से जो कांक्रीटीकरण हो रहा है, बड़े-बड़े कांक्रीट की सड़कें बन रही हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं, उसके चलते वनों में तापमान की अधिकता हो रही है, तापमान ज्यादा बढ़ रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए हरित सौंदर्यपूर्ण वातावरण का निर्माण करके पौधों और जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसके लिए शहरी क्षेत्रों के 10 किलोमीटर के दायरे में क्षेत्रों का चयन करके पिछले दो वर्षों में छह नगर वन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 9 करोड़ 86 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी तरह हमारे वनों के क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी हमारी सरकार के कार्यकाल में चार टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829.387 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात के 118वें संस्करण में 19 जनवरी, 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के गठन पर भी प्रसन्नता व्यक्त की थी। वन्यजीव संरक्षण के लिए वर्ष 2026-27 में लगभग 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अचानकमार टाइगर रिजर्व में भी लगभग 18 (10 वयस्क और 8 शावक) इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 8, भोरमदेव अभयारण्य में 3, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में 6, इस प्रकार 35 बाघ प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। इन बाघों की संख्या भी हमारे

छत्तीसगढ़ की टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में बढ़ रही है। इसी तरह वन्य प्राणी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 14 करोड़ 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक हाथियों के द्वारा भी जनहानि के 38 प्रकरण में 2 करोड़ 30 लाख 75 हजार रूपये और जो जन घायल हुए थे, उनके 8 प्रकरणों में 4 लाख 13 हजार रूपये, पशु हानि में 35 प्रकरणों में 6 लाख 26 हजार रूपये और फसल हानि के 5,085 प्रकरणों में 1,691.585 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 3 करोड़ 93 लाख 91 हजार रूपये की राशि और मकान हानि के लिए 907 प्रकरणों में 1 करोड़ 99 लाख रूपये की तथा संपत्ति हानि में 293 प्रकरणों में 22 लाख रूपये, इस प्रकार कुल 6,366 प्रकरणों में 8 करोड़ 56 लाख 64 हजार रूपये का भुगतान इन परिवारों को किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सरगुजा जिला भी हाथियों से प्रभावित क्षेत्र है और उसके लिए भी अनेक कार्य हो रहे हैं। आज नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐप का निर्माण करके लोगों को जानकारी देकर उनके बचाव का भी कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में हाथी रहवासी क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2026-27 में 20 करोड़ रुपये के बजट का भी प्रावधान किया गया है। इन हाथी प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में मैं मंत्री जी से थोड़ा सा आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि वनवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में विशेष रूप से हाथियों का विचरण होता है और जब रात के समय में हाथी आते हैं तो बिजली विभाग के द्वारा सुरक्षा के लिए लाइट को काट दिया जाता है और अंधेरे में दुर्घटना होने, हाथियों से द्वंद होने या उससे मुठभेड़ होने की संभावना रहती है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में कम से कम सोलर लाइट के माध्यम से भी जगह-जगह गांव में, मोहल्लों में रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनका बचाव हो सके, क्योंकि हाथियों का स्वभाव होता है कि वह जिस रूट पर जाते हैं, लगभग लगातार हर वर्ष उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, तो उससे उनका बचाव भी होगा। दूसरी चीज, हाथियों से जन-धन की जो हानि होती है, उसके मुआवजे की दर बहुत कम है और उसकी दर को भी आज के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उसके मुआवजे के रेट को बढ़ाएं और उसके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है। इसी तरह से युवाओं को भी ट्राइबल क्षेत्रों में जो पद हैं, उसके माध्यम से बढ़ाने का काम करें। वर्ष 2026-27 में प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों का कौशल विकास करने के लिए 23 करोड़ 49 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। ऐसी बहुत सारे चीजें हैं जिनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए हमारे परिवहन के क्षेत्र में ज्यादा न कहते हुए मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप करना चाहूंगा। शहरी क्षेत्रों या उसके अगल-बगल के क्षेत्रों में लोगों की व्यवस्था के लिए परिवहन के रूप में ट्रांसपोर्टर सेक्टर में हमारी सरकार ईवी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत 100 करोड़ रूपये से ज्यादा की पुरानी लंबित सब्सिडी वाले जो प्रकरण थे, उसके 150 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है। शहरी क्षेत्रों में विशेष योजना चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने के लिए विशेष ट्रांसपोर्टर्स के रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे

हैं। चूंकि सहकारिता का भी विषय है तो सहकारिता के क्षेत्र में भी वर्ष 2025-26 में 15 लाख 55 हजार 836 किसानों को अब तक 7,822 करोड़ रूपये का अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों को उपलब्ध कराया गया है। हमारी सरकार में डॉ. रमन सिंह जी के समय ही किसानों के लिए सहकारी माध्यम से शून्य प्रतिशत की ब्याज की राशि से हम सब लोगों को ब्याज देने का काम कर रहे थे और आज भी हमारी सरकार यह कर रही है। विशेष रूप से मैं सहकारिता के क्षेत्र में मंत्री जी का थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगा। शक्कर कारखाना का भी विषय आया था। हमारे सरगुजा संभाग में भी शक्कर कारखाना है। उन क्षेत्रों में भी नुकसान तो हो रहा है, काफी नुकसान में सरकार के शक्कर कारखाने चल रहे हैं। विशेषकर मेरे लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र में भी गन्ने की बहुत बड़ी खेती होती है। उसकी सुविधा के लिए गन्ना खरीदी केंद्र था, उस पर विचार हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उसकी भी शुरूआत करें जो बंद हो गया है ताकि किसानों को गन्ना के क्षेत्र में भी लाभ मिले और विशेष रूप से एक चीज और कहना चाहूंगा कि गन्ने के रूप में जो खांडसारी गुड़ का उत्पादन होता है, उसके लिए छोटे किसान गन्ना कारखाने में उस गुड़ को छोटे रूप में देते हैं, उसको पकड़ने का, उसको रोकने का काम करते हैं, छोटे किसानों को उसकी छूट देने की आवश्कता है ताकि उसमें उनको ज्यादा दिक्कत न हो। इसी तरह से विशेष रूप से हमारे धान और बाकी चीजों की सहकारी माध्यम से खरीदी हो रही है, इसके पहले हमारी माननीय सदस्या, संगीता जी कह रही थी कि धान खरीदी की व्यवस्था नहीं है, बाकी सब चीज है। वह अपने क्षेत्र की बात कर रही थी लेकिन मैंने भी अपने क्षेत्र में देखा है कि जो धान खरीदी होती है, वह उत्साह से किसानों के स्वागत के साथ होती है। सभी केंद्रों में बहुत अच्छे से धान खरीदी की व्यवस्था हुई थी। इस वर्ष भी हमारी सरकार ने अतिरिक्त दो दिन बढ़ाकर किसानों का धान खरीदने का काम किया है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करिये।

श्री प्रबोध मिंज :- सभापति महोदय, धान खरीदी बहुत अच्छे से हुई है। मैं इस संबंध में इस विभाग की मांग संख्या- 10, मांग संख्या-17, मांग संख्या-28 और मांग संख्या-36 का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- धन्यवाद। अभी 7 से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलना है इसलिए मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि अपनी बात 5-5 मिनट से कम समय में रखेंगे। मैं सबसे ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2026 - 2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री चैतराम अटामी (दंतेवाड़ा) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आज वर्ष 2026-27 के इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे बस्तर और सरगुजा में बहुत सारे किसान लघु वनोपज से जुड़े हुए हैं और जब वे तेंदुपत्ता तोड़ते हैं तो सभी के घरों में सीधे खाते में पैसा जाता है। जिस प्रकार से वहां का किसान धान बेचता है, वैसे ही वहां तेंदुपत्ता का पैसा भी जाता है और उनको बोनस भी मिलता है। अभी हमारे दंतेवाड़ा जिले में भी बहुत अच्छी तरीके से तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है। यदि किसी सरकार ने तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बढ़ाया है। हमारी सरकार ने तेंदुपत्ता का 5,500 रूपये के समर्थन मूल्य में खरीदी की है। किसानों को बोनस अलग मिला है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तेंदुपत्ता के हितग्राहियों को जीवन बीमा का लाभ भी दिया है और साथ ही साथ चरण पादुका भी दी है। पूर्ववर्ती सरकार ने वहां के हितग्राहियों को मिलने वाली चरण पादुका और उनकी दुर्घटना बीमा को बंद कर दिया था। हमारी सरकार फिर से आयी और इस योजना के तहत पूरे तेंदुपत्ता की खरीदी कर रही है। मैं इसके साथ ही मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि फड़ में जो हमारा तेंदुपत्ता खरीदते हैं, वह फड़ मुंशी होते हैं, उनकी मृत्यु होने पर भी उनके परिवार को जीवन बीमा के तहत 1 लाख रूपये की राशि दी जाती है। यह बहुत बड़ी राहत है कि उनके परिवार को इस राशि का लाभ मिलता है। ऐसे ही जो हितग्राही होते हैं, यदि उनकी दुर्घटना होती है तो उनको दुर्घटना में भी बीमा का लाभ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पढ़ने वाले बच्चे, जो मेधावी के रूप में वहां पर पास होते हैं, उनके लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है और 9वीं, से 11वीं, 12वीं के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को भी छात्रवृत्ति के रूप में विभाग के द्वारा दिया जाता है। यह बहुत बड़ी राहत है। और जो बच्चे आगे मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिये भी तेंदूपत्ता तरफ से बहुत बड़ी सहायता राशि दी जाती है। ऐसा बहुत ही लाभ हमारे हितग्राहियों को दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से, स्वहायता समूह के माध्यम से जो औषधियां होती हैं, हम देख रहे हैं कि जंगल में धीरे-धीरे वह औषधियां लुप्त होती जा रही हैं, उसकी भी अभी खेती कराई जा रही है और आने वाले समय में उनको भी बहुत सारे प्रोत्साहन के लिये इस बजट में लाया गया है। तेंदूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय की व्यय घटाकर 80 प्रतिशत राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। तेंदूपत्ता संग्रहण हानि प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राशि रुपये 204 करोड़ 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान लाया है, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारी सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की वनवासियों के हितों एवं सुविधाओं के प्रति सोच के अनुरूप वनवासी वनों में नंगे पैर चलते हैं, हम सब

जानते हैं कि जब कड़ी धूप में तेंदूपत्ता तोड़ने का सीजन आता है और गांव की माता-बहनें खाली पैर तेंदूपत्ता तोड़ने जाती थीं जिसको देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने देखा कि गांव की माता-बहनें खाली पैर तेंदूपत्ता तोड़ने जाती हैं जिसके लिये हमारी सरकार द्वारा चरणपादुका योजना लाई गई है और उसका लाभ हमारे हितग्राहियों को दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं इस प्रकार हमारी सरकार अंतिम व्यक्ति की भी चिंता करती है। तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के 12 लाख 40 हजार महिला सदस्यों को वर्ष 2025 में चरणपादुका वितरित की जा चुकी है। न्यूतनम समर्थन मूल्य योजना वर्ष 2014-15 से राज्य में लागू की गई है जिस हेतु भारत शासन द्वारा 204.91 करोड़ रुपये प्रदाय किये गये हैं। सहकारिता विभाग में सोसायटी में अल्काकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से हमारे किसानों के लिये ब्याज ऋण मुक्त दिया जाता है, हमारे किसानों के लिये किसी प्रकार का ब्याज नहीं है। जब धान बुआई का समय आता है तो किसान आसानी से सहकारिता बैंक से ऋण ले लेते हैं और धान फसल की कटाई करने के बाद उस ऋण की पूरी वहां पर भरपाई करते हैं। यह बहुत ही अच्छी योजना है। वर्ष 2025-26 में 15 लाख 55 हजार 836 किसानों को अब तक 7822 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण सहकारी समितियों से उपलब्ध कराया गया है। कृषकों का शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदाय करने हेतु ब्याज अनुदान के रूप में वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान में रुपये 300 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें, अपने क्षेत्र की कोई बात हो तो उसको रख लें ।

श्री चैतराम अटामी :- जी । माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से यहां पर कुछ मांग रखना चाह रहा हूं । अभी फड़ मुंशी के लिये जीवन बीमा राशि दी जा रही है, उनकी वर्षों से मांग है, कम से कम वह एक महीना पूरा भुट्टा कटाई से लेकर और तेंदूपत्ता खरीदी तक लगभग 2 महीने काम करते हैं, फड़ मुंशियों को कम से कम 2 महीने का मानदेय दिया जाये, मंत्री जी से ऐसी मेरी मांग है । मेरा माननीय मंत्री जी से और भी मांग है कि जहां तेंदूपत्ता फड़ होती है, वहां पर कई फड़ों में खरीदी केंद्र होता है, फड़ होता है वहां पानी की व्यवस्था नहीं होती है और वहां बहुत सारे लोग महिला और सारे लोग आते हैं उनके लिये वहां पर पानी की व्यवस्था और एक शौचालय होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है और जहां तेंदूपत्ता खरीदी होती है, एक समिति होती है, समिति में बारिश आने से तत्काल पत्ता को बचाने के लिये दिक्कत होती है इसलिये सभी समितियों में गोदाम की व्यवस्था दी जाये । मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री फूल सिंह राठिया - (अनुपस्थित)

श्री आशाराम नेताम - (अनुपस्थित)

सभापति महोदय :- श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी ।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (खैरागढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश की वन समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । हमारा प्रदेश प्राकृतिक संपदा से भरा प्रदेश है और हम घने वनों के लिये जाने जाते हैं । वन केवल पेड़ और पौधे समूह नहीं हैं बल्कि यह हमारे पर्यावरण, जल स्त्रोतों, वन्य जीवों और वनवासियों का जीवन आधार भी हैं लेकिन आज कई क्षेत्रों में अवैध कटाई, वन संरक्षण की कमी के कारण प्रदेश वन पर्यावरण के लिये समस्या गंभीर रूप ले रही है।

माननीय सभापति महोदय, कैम्पा मद से तथा विभागीय मद से लगातार भारी-भरकम धनराशि का व्यय किया जाना बताया जाता है परंतु कहीं पर भी संरक्षण तथा संवर्धन का कार्य दिखायी नहीं देता है, जो थोड़े बहुत जंगल बचे हुए हैं उनकी भी वर्षों से लगातार अवैध कटाई की जा रही है ।

माननीय सभापति महोदय, वन भूमि पर सैकड़ों हैक्टेयर में अतिक्रमण करके जंगल पूरी तरह से उखाड़ दिये गये हैं । कई वन बीट तो ऐसे भी हैं जहां अब 2-4 वृक्ष खड़े हैं और बाकी वृक्ष काट दिये गये हैं । विकासखंड छुईखदान के ग्राम मुरूम खदान, निजामडीह, हाथी झोला और गेरू खदान सहित बगरकट्टा तथा साल्हेवारा वन क्षेत्र में पूरे जंगल ही में अवैध कटाई के कारण जंगल अब समतल मैदान बन गये हैं। रिकॉर्ड में तो 50 पेड़ों का समूह काटा जा रहा है, ऐसा बताया जाता है लेकिन हमने जानकारी ली तो उस जानकारी में हमको यह मिला कि 500 पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, अवैध पेड़ों की कटाई वन विभाग के अमले की मिलीभगत से चल रही है जिससे विभागीय लगाम और कार्रवाई करने की आवश्यकता है । माननीय सभापति महोदय, संयुक्त वन प्रबंधन समिति की राशि में जो बताया जाता है उससे वास्तव में कोई कार्य नहीं किया जाता, फर्जी प्रमाण बनाकर राशि का बंदरबांट कर लिया जाता है । जिसका उदाहरण लाभांश की राशि का उपयोग क्षेत्र की जगह डी.एफ.ओ. कार्यालय खैरागढ़ में इंटरएक्टिव डिप्लयर सहित अन्य सामग्रियों की खरीदी में किया गया है जो कि नियमविरूद्ध है लेकिन शासन की लचर और भ्रष्ट तंत्र के कारण अधिकारी ऐसे कार्यों को करने से नहीं घबराते हैं । सभापति महोदय, वन भूमि पर जो जंगल बचे हुए हैं, वहां इतने विरले हैं कि उनमें बड़े वन्य प्राणी नहीं रह गये हैं। छोटी प्रजाति तथा खरगोश, लोमड़ी, बिल्ली आदि ही दिखायी देते हैं। उनकी भी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, वहीं खैरागढ़ वन क्षेत्र में अत्याधिक वनों की कटाई से भौगोलिक परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं बिगड़े वनों के सुधार के कार्य में भी अत्यधिक राशि बजट में स्वीकृत की गयी थी, परन्तु प्रशासनिक उदासीनता के कारण राशि खर्च नहीं हो पा रही है। प्रदेश में वहां 10 करोड़ की राशि में से सिर्फ 35 लाख 86 हजार रूपये का ही काम हुआ है और साथ में 2100 करोड़ रूपये में सिर्फ 89 लाख 71 हजार रूपये ही खर्च कर पाये हैं। वहां पर मुनारा का निर्माण कर

खुलाटोला नर्सरी में बनाया गया, जिसे वन परिक्षेत्र में रखा जाना था, परन्तु विभागीय अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और वह निर्माण स्थल पर ही रखा गया है। जिससे राशि व्यय कर भूल गयें या हम यूं कहें कि उस राशि का बंदरबांट कर लिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, वन विभाग का मैदानी अमला अपने निर्धारित मुख्यालय पर नहीं रहता है। वहां सभी कर्मचारी शहरी क्षेत्र में ही परिवार के साथ रहते हैं, जिससे अतिक्रमणकारी अवैध कटाई करने वालों तथा अवैध शिकारियों को पकड़े जाने का भय नहीं रहा। खैरागढ़ वन मण्डल में तेन्दूपत्ता तथा अन्य लघु वनोपज भी बहुत कम मात्रा में शेष है। इस प्रकार खैरागढ़ वन मण्डल की दशा बहुत ही खराब है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देंवे।

सभापति महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं वन अधिकार पट्टा से वंचित लोगों को वन अधिकार पट्टा प्रदाय की जाये, मैं इसके लिए मांग करती हूँ और खैरागढ़ वन मण्डल में कई स्थानों पर अवैध कटाई और वन भूमि अतिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होती हैं। वन संरक्षण के लिए पर्याप्त वन अमला, आधुनिक निगरानी, व्यवस्था तथा सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। वन क्षेत्र से जुड़े ग्रामीणों की आजीविका मुख्य रूप से लघु वनोपज पर निर्भर है। तेन्दूपत्ता, महुंआ, चार, हर्रा, बेहरा आदि के संग्रहण भण्डारण और उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। जिले के कई गांवों में जंगली-जानवरों के कारण फसलों को नुकसान तथा ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़े मामले सामने आते हैं।

समय
6.48 बजे

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए मुआवजा प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा जाये और माननीय मंत्री जी के द्वारा रोकथाम के उपाय के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाये। खैरागढ़ वन क्षेत्र में प्राकृतिक सौन्दर्य और जैव विविधता की अच्छी संभावना है। यदि वहां पर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाये तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है और क्षेत्र का विकास भी हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वहां पर छिंदारी डेम है, जहां वन विभाग की ओर से वर्ष 2025 में छिंदारी के परिंदों के लिए जो राशि खर्च करके 50 लाख रूपये का बनाया गया है, जब उसे बनाया गया तो हम बहुत खुश हुए और हम वहां देखने के लिए भी गये । यह हम भी वहां देखें कि जब लोग बाहर से देखने और घूमने के लिए आते हैं तो हमने वहां जाकर देखा तो वहां पर पूरा बांस का कीचन शेड बना हुआ था, चिड़ियों के लिए भी बांस का बना था, कुर्सी भी बांस की बनी थी। वहां पर 50 लाख रूपये का काम हुआ था और मजदूरी, वहां के लोकल लोगों के नाम से मजदूरी लिखी गयी थी, लेकिन वहां पर जिन मजदूरों ने काम

किया था, हमने वहां उस गांव में जाकर, लोगों को बुलाकर पूछा तो उस गांव के मजदूरों का नाम ही नहीं है। हमें खुद पता चला कि वहां पर जंगल की लकड़ी, जंगल का बांस और वन विभाग के पूरे कर्मचारियों ने काम किया है और अपने नाम से पूरी राशि आहरण की है। उसी तरह कूप में तार फेंसिंग का काम भी किया गया था, उसमें भी हमने डिटेल में जानकारी मांगी तो उसमें यह जानकारी दी गयी थी कि कूप के नंबर में 19 लाख, 20 लाख की ऐसी जानकारी दी गयी। हमने वहां पर कूपों में जाकर देखा तो वहां सीमेंट पोल के नाम से राशि आहरण की गयी थी, जबकि हमने उस जगह पर जाकर देखा तो वहां सीमेंट के पोल की जगह लकड़ी के पोल लगाए गए थे और सीमेंट के पोल के नाम से वहां राशि आहरित की गई थी । सभापति जी, वन विभाग में बहुत बड़ी गड़बड़ी और पूरे पैसे का [xx] किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि वहां सुधार किया जाये । कई वन ग्रामों में सड़क, बिजली और पेय जल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब भी है । बजट में इन सुविधाओं के विकास हेतु विशेष योजना बनानी चाहिए । जलवायु परिवर्तन को देखते हुए जिला में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, पौधारोपण की देखरेख तथा हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान की आवश्यकता है । सभापति जी, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वन मंत्री जी के सभी विभागों के अनुदान मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं पहले कुछ-कुछ बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यानाकृष्ट कराना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी मंशा के अनुरूप ''एक पेड़ मा के नाम'' जो महत्वाकांक्षी योजना का उन्होंने आह्वान किया था, उसके तहत 3 करोड़, 72 लाख, 81 हजार पौधों का रोपण किया गया और 2025 में 1 करोड़, 65 लाख पौधों का रोपण किया गया । इस तरह से बहुत बड़ी संख्या में हमने वृक्षारोपण करके पौधे लगाकर न केवल हरियाली को यहां पर स्थापित किया, बल्कि भावनात्मक रूप से लोगों को पर्यावरण और वृक्ष के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए मां जैसे पवित्र रिश्ते को भी उसमें जोड़ने का काम किया है। नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों का विकास योजना के अंतर्गत 50 से अधिक नैसर्गिक पर्यटन केन्द्रों को स्वावलम्बी बनाया गया है और 20 पर्यावरण पार्कों में ईको पर्यटन पार्क विकास कार्य कराये जा रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, हम सिर्फ जंगलों में ही वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो प्रमुख नदियां हैं जैसे महानदी, इंद्रावती, अरपा-पैरी, शिवनाथ, तैतरिया, सासू, कुशमाहा, हंसदेव, लीलागर, मोरन, सबरी, चुक्का-बुक्का आदि नदियों के तटों को भी भू क्षरण से रोकने और नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाए रखने के उद्देश्य से नदी तक वृक्षारोपण योजना विभाग के द्वारा की जा रही है और इसके लिए वर्ष 2026-27 में 7 करोड़ रूपए के बजट का प्रावधान किया गया है । ये इस विभाग की जागरूकता का परिचायक है । वन प्रबंधन समितियों को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में

राज्य सरकार श्री विष्णु देव साय जी की सरकार सतत् प्रयासशील है । इस योजना के तहत वन प्रबंधन समितियों का लाभांश के रूप में विगत् दो वर्षों में अब तक 61 करोड़ रूपए की राशि दी जा चुकी है ।

माननीय सभापति महोदय, जलवायु परिवर्तन पर आधारित ग्रीन इंडिया मिशन योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है । दो वर्षों में 3473 हेक्टेयर में वनीकरण का कार्य किया गया है । इस हेतु 992 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है । 2026-27 में 8 करोड़, 74 लाख रूपए का बजट माननीय मंत्री जी ने इन कार्यों के लिए किया है । वनों को अग्नि से बहुत खतरा होता है । गर्मी के दिनों में आग लग जाती है, हजारों एकड़ जंगल जल जाते हैं। परन्तु हमारे केदार कश्यप जी के मंत्री बनने के बाद वनों में आगे लगने की घटनाएं कम हुई हैं। इसके लिए वनों में अग्नि प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45 करोड़ 15 लाख 10 हजार रूपये का बजट रखा गया है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है। जंगलों में आग लगने का खतरा रहता है। आग लगने के बहुत से कारण हैं। कहीं चूंक होती है। कहीं कुछ लोग बदमाशी से आग लगाते हैं, वगैरह-वगैरह कारण हैं। लेकिन आप जागरूक हैं और जंगल का रक्षा करना हम सब का नैतिक दायित्व है और यह काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे इस सरकार के कार्यकाल में 4 टाईगर रिज़र्व में गुरूघासीदास तमोरपिंगला टाईगर रिज़र्व 2829 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा टाईगर रिज़र्व है। लहरिया जी, टाईगर रिज़र्व में गुरूघासीदास तमोरपिंगला टाईगर रिज़र्व 2829 वर्ग किलोमीटर का है, जो पूरे हिन्दुस्तान में तीसरे नंबर का टाईगर रिज़र्व है। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी गुरूघासीदास तमोरपिंगला टाईगर रिज़र्व के बारे में गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। हमारे वन मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं। वन्य जीवों के सरंक्षण और विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 12 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है। हम वन्य जीवों की रक्षा करना चाहते हैं। कोशिश है कि उनके जीवन की सुरक्षा रहें।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां हानि हुई है। फसल की क्षति हुई है। जहां हाथी नहीं आना चाहिए, हमारे सीपत तक आ चुका है।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं हाथी पर आऊंगा। मैं आपको हाथी के बारे में बताऊंगा। आप थोड़ा रूकिये। मैं अभी दूसरे वन्य प्राणियों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं हाथी में आऊंगा। अभी तो बहुत बोलूंगा भाई। इस कागज को दो मिनट के बाद रख दूंगा। वन विभाग के द्वारा योजनाबद्ध तारीके काम किया जा रहा है। उसके कारण बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अचानकमार टाईगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र से 3 गांवों को विस्थापित करने का काम भी किया जा रहा है और विस्थापन कार्य हेतु कैम्पा मद की राशि 14.10 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है। हम गांव को भी बाहर निकाल रहे हैं ताकि वन्य प्राणी सुरक्षित रहें। वर्तमान में अचानकमार टाईगर रिज़र्व में 18 बाघ, 10 वयस्क और 8 शावक हैं। इन्द्रावती टाईगर रिज़र्व में 8, भोरमदेव अभ्यारण्य में 3, गुरूघासीदास तमोरपिंगला टाईगर रिज़र्व में 6,

इस तरह से कुल 35 बाघ प्रदेश के सरंक्षित क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी के आने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बाघ लोग भी समझ गये हैं कि उनके राज्य में हम यहां सुरक्षित रहेंगे इसलिए यहां बाघों की संख्या बढ़ गई है, लहरिया जी।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय सभापति जी, मंत्री जी बतायेंगे कि कितने बाघों की मृत्यु हुई है ? अभी कुछ ही दिन पहले इसी विषय पर मेरा प्रश्न लगा था। मंत्री जी ने 3 बाघों की मृत्यु की संख्या बताई थी, जिनमें से 4 से 5 वर्ष के बाघ भी हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप गीता नहीं पढ़ी हैं, लगता है ? जो इस दुनिया में आयेगा, वह यहां से जायेगा (हंसी)

श्रीमती शेषराज हरवंश :- उम्र से पहले चले गये। उनको तो सरंक्षित करने के लिए केन्द्र से भी राशि आती है। हम उनको उम्र से पहले इस तरह से सरंक्षित कर रहे हैं। जब आप हाथी की बात करेंगे तब भी मैं हाथी पर बोलूंगी। करंट से और अज्ञात वाहन की ठोकर से मरे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- यह बताईये ?

समय :

7.00 बजे

श्री रामकुमार यादव :- माननीय जी, ये मिला के बताहा, नरेन्द्र मोदी जी हा जेला कैमरा में खींचे रहिसे बघवा, ओकर देखे साथ बघवा मर गे। तो कहां ले लाने रहिस ओला बीमरहा ला, एला बताहव जरूर।

श्री धर्मजीत सिंह :- सबके जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में होती है। (हंसी) वह जब चाहे तब खींच लेगा और जब चाहे तब छोड़ देगा। तो यहां पर बाघ हैं। जनहानि भी होती है। उसके 6,366 प्रकरणों में 856 लाख रुपये का मुआवजा भी लोगों को दिया गया है। राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई है। इसमें वर्ष 2026-27 के लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हां, अब यह तो सरकारी आंकड़ा है। आप यह बताइए कि जो सबसे शांत प्रदेश है, वहां पर अपराध होता है या नहीं?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- बिल्कुल होता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- इस दुनिया में हत्या होती है या नहीं? इस प्रदेश में ऐसे गिरोह भी हैं जो हमारे वन्य प्राणियों के जान के दुश्मन हैं और ये कोई विष्णु देव साय जी की सरकार बनने के बाद ही नहीं हो रहा है। हम जब वहां बैठते थे, जब आपकी यहां सरकार थी, तब हम पूछते थे कि ये शेर को करंट से मारा गया, हाथी को करंट से मारा गया तो जवाब आता था, हां, जैसा अभी आता है। लेकिन यह हम सबके लिए लज्जाजनक घटना है । हस सबके लिए इस सदन में बैठकर हमको चिंतित होकर बात करनी पड़ेगी कि हम अपने वन्य प्राणियों की रक्षा कैसे करें। आपको मालूम है मैं अभी कुछ दिन

पहले वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक में था। माननीय वन मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, सारे बड़े अधिकारी थे। उन लोगों ने डेमोंस्ट्रेशन दिया, पिक्चर में प्रोजेक्टर में दिखाया, कैसे गांव के अंदर लकड़ी फंसा करके, वायर खींच करके, करंट तो छोड़िए वैसे ही फंसा करके मार देते हैं। अगर यह होता है तो उसके लिए कौन दोषी है? हम दोषी हैं, आप दोषी हैं, गांव में रहने वाले वे लोग दोषी हैं जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। तब उनको बचाने के लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा। उसके लिए मुहिम चलाने का निर्णय हुआ है। उस मुहिम में आप भागीदारी बनिए। कौन चाहेगा हाथी का बच्चा मरे? हम तो हाथी में भगवान श्री गणेश को देखते हैं। हाथी को मारने की हिम्मत किसमें है? शेर को हम माता दुर्गा का वाहन मानते हैं। उसको मारने की हम और आप सोच सकते हैं? लेकिन ऐसा होता है, इस बात को स्वीकार करने में इनकार नहीं है। लेकिन इस प्रकार के कृत्य पर रोक लगाएंगे। जब जंगल में वन्य प्राणी रहेंगे, वही वन्य प्राणी हमारी खूबसूरती हैं, हमारे प्रदेश की वह धरोहर हैं और उनको हम..।

श्री दिलीप लहरिया :- तो मनुष्य को शेर की उपाधि क्यों दी जाती है कि 'ये शेर आया, शेर आ रहा है' ऐसा करके? मनुष्य को क्यों शेर कहा जाता है?

श्री रामकुमार यादव:- गणपति महाराज का वाहन मुसवा काहे बदनाम करत हो? गणपति भगवान के वाहन हे मुसवा हा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सुनिए, उसको क्यों कहा जाता है, वह भी बताता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- सभापति जी, लगता है न रामकुमार के दिमाग में मुसवा हर बिला बना के घुस गेहे है, मुसवा-मुसवा निकलथे।

श्री रामकुमार यादव :- जैसे चन्द्राकर के दिमाग में गोबर घुस गे रहिसे, ओतो मोर में नहीं घुसे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसको शेर क्यों कहा जाता है, मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। सभापति महोदय, दो प्राणी हैं वन्य प्राणी या जीव जंतु–एक सांप और एक शेर। एक सांप पूरे रायपुर शहर को काटकर मारने के लिए पर्याप्त होता है। अगर वह दौड़-दौड़ कर काटना शुरू करे, लोग भागना शुरू करेंगे और ज़हर से मार डालेगा। लेकिन वह डरता है और जब डरता है तो वह मर जाता है। उसके मरने का कारण उसका डर है। एक शेर, जब आप कभी जाएंगे और शेर को निकलते हुए देखेंगे, आपकी गाड़ी में आप चाहे कितने भी बड़े आदमी हों, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी बड़ी लाइट हो, जब शेर चलता है तो उसकी चाल में एक इंच भी ऊपर और नीचे नहीं होता। वह उसी चाल में चलेगा जिस स्पीड में वह चलता है और शेर अपनी बहादुरी के कारण ही मारा जाता क्योंकि वह शिकारियों के निशाना गोलियों का बनता है। अगर वह भी सांप के सरीखे भगता तो उसको कोई नहीं मार पाता। इसलिए लोग बोलते हैं कि रामकुमार सरीखे जो बहादुर व्यक्ति होता है, उसको हम लोग शेर बोलते हैं। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- शेर के मतलब जानवर होथे। का मैं हर जानवर हौं? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- शेर मतलब उसका स्वभाव है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पहले कन्फर्म करिये कि वह शेर के बारे में जानता हैं या नहीं जानते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, कुछ नहीं जानता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह गौवंशीय, भैंसवंशीय पशुओं के बारे में जानता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हाँ।

श्री रामकुमार यादव :- मैं हर बताय रहेव न कि मैं गाय भी दुह थौ अउ जरूरत पड़ही ता तहु ला भी दुह देहौ। (हंसी)

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- रामकुमार, तैं हर मूंछ नहीं हो सकस, तैं हर पूछ जरूर हो जाबे।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी को गुस्सा मत दिलाईये, नहीं तो वह शेरनी को दूहने के लिए चला जाएगा। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत वन है। अभी इन दो सालों में 300-400 वर्ग मीटर और बढ़ गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जो शेरनी वाली बात बोला है। मैंने उस दिन उनसे पूछा था कि तैं हर बइला तक दुह देबे? ता ओहर शेर ला भी दुह सकत हे। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार है तो सब संभव है। मंत्री जी, आपका विभाग द्वारा बहुत अच्छे-अच्छे काम किए गए हैं। एक तो अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ और मैं आपके बहुत से अफसरों को कई ऐसे अवसरों पर मिला हूं, वह सब आपके अच्छे स्मार्ट और समर्पित अफसर हैं। मैं यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह किसी मामले को बिल्कुल seriously लेते हैं, कोई चीज को सुनते हैं, कोई Complain करो तो सुनते हैं, कोई Compliance करते हैं, किसी मुहिम में जब आपका कोई संदेशा जाता है तो वे लोग सबको जनभागीदारी कराते हैं। जब आपकी सरकार में मैं वहीं बैठा था, तब एक निवासखार गाँव में एक रेंजर ने 72 साल की बैगा महिला को बाल घसीट कर मारा था। जब मैं विधान सभा में यह प्रश्न उठाया तो बड़ी मुश्किल में उसको ले-देकर सस्पेंड करवा पाया था। बाद में महीने भर के बाद वो Reinstate हो गया। उसके बाद एक नेता के यहाँ सब्जी लाने के लिए उसकी ड्यूटी लग गई थी। शाम को वह रेंजर कांग्रेस के उस नेता के घर में सब्जी पहुँचाता था। आज आप बताइए कि पिछले 2 सालों में किस रेंजर ने गरीब आदमी के साथ मारपीट किया? हम सख्ती से पेश आते हैं। जंगल की रक्षा करने वाला आदिवासी है और जंगल, जल, और जमीन पर पहला हक उसका है। कोई भी अफसर और कोई भी नेता उसको जाकर अगर तंग करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, यह हमारी सरकार की नीति है, नीयत है। इसलिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि माननीय मंत्री जी, हमें जंगल की रक्षा करना है, वन्यप्राणियों की रक्षा करना है, हमारे प्रदेश की हरियाली बढ़ानी है, लेकिन किसी उलटे-सीधे मामले में किसी गाँव वालों

को मारपीट करना ठीक नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारा नवा रायपुर बना है और यहां हमारे सभी माननीय मंत्रियों का बंगला भी बना है। अभी वहाँ तीतर बहुत दिख रहे हैं। अब देख लेना क्योंकि मैंने विधान सभा में बोल दिया है कि तीतर दिख रहे हैं तो पता चला एकाध हफ्ते बाद वह गायब मत हो जाए। (हंसी) उसके संरक्षण के लिए भी वहाँ पर कुछ जरूर करिए। मैं कोपरा जलाशय में बोलते-बोलते दूसरी बात में आ गया था। मैं वन मंत्री जी को, श्री विष्णु देव साय जी को और उनके पूरे उन अधिकारियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हिंदुस्तान में 75 रामसर साइट बने हैं। यह 76 रामसर साइट तखतपुर विधान सभा क्षेत्र के कोपरा जलाशय में है । यह 92 है तो 93 हो गया होगा । उसमें साइबेरियन पक्षी, विदेशी पक्षियां आती है । उनकी कलाबाजियों को देखने के लिये लोग आते हैं, उनकी सुंदरता देखने के लिये लोग आते हैं । रामसर साईट बोलने में भगवान राम का मंदिर वाला रामसर साईट मत समझना । यह ईरान का कोई प्रोजेक्ट है, वहां से आया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामसर कन्वेंशन ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो भी है, उससे क्या है हमारे पक्षियों को सहारा मिलेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे गांव के बच्चों को वहां पर काम मिलेगा, हमारे गांव की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, हमारा शहर उससे अट्रैक्ट होगा, बिलासपुर के लोग देखने के लिये रामसर साईट आयेंगे । आपने यह बहुत अच्छी पहल की है । मैं उसके लिये आपको बहुत दिल से बधाई देना चाहता हूँ । हमारे चन्द्राकर जी ने वहां वेट लैण्ड के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था और माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ.रमन सिंह साहब उसको बहुत गंभीरता से लिये थे, आप और हम सभी को उन्होंने वन विभाग का प्रेजेन्टेशन उन्होंने दिया, उसमें आपको बुलाये थे । आप लोगों में से वहां गये भी होंगे। उसको देखने के बाद वैट लैण्ड क्या है, कैसा होता है, कितना होता है, क्या-क्या हो सकता है, यह सब पहली बार तो हम खुद देखें हैं । आपको उसके लिये धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दो को छूते हैं, जिसके बारे में जानकारी नहीं है और यह बात सही है कि अगर जानकारी नहीं है तो निश्चित रूप से हमको जानना चाहिये । अचानकमार टाईगर रिजर्व में 29 गांव है, उसमें 3 गांव आप हटा रहे हैं । हम बाकी गांव को हटाने में व्यवस्था कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इसी गति में चलेगा तो लगभग 50-100 साल लगेंगे । आप एनटीसीए से पैसा नहीं आता है तो आप अपने मद से कैम्पा मद से, सरकार के मद से, हर रोज और हर साल, 2-2, 3-3 गांव हटवाईये । वह 2-4-5 साल में हटेगा तो वह हटेगा तो शानदार टाईगर रिजर्व रहेगा। मैं कई साल पहले जब वहां का विधायक था तो 3-4 गांव हटे थे । अभी सुना हूँ कि 3 गांव की पहल चल रही है । यह बहुत अच्छी बात है । आपको उसमें कोई दिक्कत हो तो बताईये ? हम गांव वालों को समझायेंगे, हम गांव वालों को प्रेरित करेंगे, परन्तु उन्हें कहीं पर बसाकर जमीन भी दें क्योंकि वह जंगल के रहने वाले हैं, एक गांव का बैगा अगर है, उसको शहर के नजदीक लाकर बसायेंगे तो वह जिंदा नहीं रह सकता है । वहां पर एडजेस्ट नहीं हो सकता । उसको गांव के ही, जंगल के ही वातावरण में, जंगल के ही दूसरे

एरिया में, जो टाईगर रिजर्व के बाहर हो, वहां उसको बसाने का काम करें । उसको खेती दे दीजिए और उसको एक मकान दे दीजिए । वह इससे ज्यादा मांगता नहीं है । वह हम कर सकते हैं, इस दिशा में भी आप जरूर विचार करियेगा । माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर में एक पेण्डारी कानन है, जो बहुत वर्ष पुराना है, वहीं पर लगा हुआ स्मृति वाटिका है । राजीव वाटिका है या ऐसा कुछ है । यह दोनों तखतपुर विधान सभा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वह हमारे बिलासपुर से लगा है और यह मानिये कि वह बिलासपुर का है । वहां पर हजारों की सख्या में सैलानी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, त्यौहारों पर लोग वहां जाते हैं, उसके उन्नयन के लिये विचार करियेगा । स्मृति वाटिका और वन चेतना केन्द्र जो बना हुआ है, उसके विकास के लिए भी अगर आप कुछ करवा रहे होंगे तो जरूर बताइएगा, नहीं करा रहे होंगे तो कर दीजिएगा, क्योंकि आप हैं तो उम्मीद है कि वह होगा। सभापति महोदय, पण्डरिया जंगल के अंदर बदौरा में अंग्रेजों के जमाने का एक रेस्ट हाउस है। हम लोग छोटे-छोटे थे तो बदौरा में जाते थे, मैं जब पण्डरिया का विधायक था, तब भी मैं वहां उस रेस्ट हाउस में रहकर पदयात्रा या दौरा करने जाता था। छोटा सा है, एक छोटा सा पहाड़ी का टीला है, उस पर एक रेस्ट हाउस है, लेकिन वह चौपट हो गया है। मैं कई बार बोल चुका हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- पूरी जर्जर स्थिति में हो गई है। दीवारें पूरी नीचे गिर रही हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो चाह रहा था कि आप ही बोलें। मैं दो तीन बार इधर पलटकर देखा, आप नहीं दिखीं तो मैंने कहा मैं ही बोल देता हूं। आप आ गई हैं तो एक बार बोल लीजिए।

श्रीमती भावना बोहरा :- निवेदन दोनों सदस्यों की साईड से है। इसे स्वीकार कर लें। कुकदुर और बदौरा दोनों जगह की रेस्ट हाउस की स्थिति बहुत जर्जर है, चूंकि ये मध्यप्रदेश से जुड़ता हुआ क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है और बहुत प्राकृतिक सौन्दर्यता से भरा हुआ है। इसमें अगर रेस्ट हाउस की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा हो जाता।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, ये मध्य प्रदेश के डिण्डौरी जिले के नीचे जो पहाड़ी हम चढ़ेंगे, ऊपर में डिण्डौरी है और उसके नीचे हम हैं। ये बहुत पुराना है, इसमें पैसा भी ज्यादा नहीं लगना है। एक-एक करोड़ रुपया लगेगा, दोनों रेस्ट हाउस को बनवा दीजिए। वह न केवल रेस्ट हाउस होगा, वहां बरसात के दिन में, गर्मी के दिन में अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करने में बहुत दिक्कत होती है तो उसको जरूर बनवाइयेगा और मेरी दिली इच्छा है, वह मेरे गांव का रेस्ट हाउस है, मैं चाहता हूं आप बनवा दिए रहेंगे तो हम लोग भी थोड़ा आनंद उठा लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- किस टाईप का आनंद ?

श्री धर्मजीत सिंह :- जिस प्रकार का बोलोगे वैसा आनंद, कोई दिक्कत नहीं। च्वाईस आपकी है।

श्री अमर अग्रवाल :- अजय को बुलवाना, उसका उद्घाटन उसी से करवाना।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार को भी बुलवा लेंगे और उधर से जिनको बोलेंगे बुलवाएंगे, पर वह अच्छी जगह है, सुंदर है। सर, मैंने वहां भालू को लुढ़कते देखा है। मैं बदौरा का महत्व बता रहा हूं। बदौरा के रेस्ट हाउस के नीचे भालू फुटबॉल के समान गुलाटी मारते हुए, ऐसा मैंने वहां देखा है। भाई, उसको तो बनवा दीजिए, विभाग कोई कमजोर तो है नहीं, वन विभाग तो सबसे बढ़िया विभाग है, वन विभाग में ही माल टाल है, आप चाहो तो कर सकते हो। (हंसी) सर, अब और सुनिए बेलगहना में सिद्ध बाबा का मंदिर है और उसके नीचे अजीत जोगी जी, रेणु जोगी जी, राजेंद्र शुक्ला जी जाते थे तो वहां एक छोटा सा रेस्ट हाउस खपरे का था। विभाग के लोगों ने उसको भी मेंटेन नहीं किया और वह खत्म हो गया। अगर आप वहां पर भी जाएंगे तो आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, वह हाट बाजार का शेड है, उसी के नीचे बैठना पड़ेगा तो उसको भी बनवा दीजिए। पेण्ड्रा जाते तक कोई भी नेता, कोई भी आदमी पेण्ड्रा जाएगा तो केंदा के पास एक रेस्ट हाउस बनाना जरूरी है, क्योंकि उस पूरे 100 किलोमीटर में एक भी रेस्ट हाउस नहीं है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे तो मैं खुद साथ में था, धरमपानी में एक रेस्ट हाउस बनवाया गया। उसको कितने शानदार लोकेशन में फॉरेस्ट के लोगों ने रेस्ट हाउस बनवाया है, वह आज भी बहुत खूबसूरत रेस्ट हाउस है और अमरकंटक में हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र सहारा है जो हमको कभी इमरजेंसी में वहां सहारा मिल सकता है, जो फॉरेस्ट का है। उसके नीचे, पहाड़ी के नीचे, घाट के नीचे राजमेरगढ़ में उसको टूरिज्म का हब बनाना है, टूरिज्म का हब बनाना है, आज तक के टूरिज्म का ट तक नहीं देखा, न वहां पर कुछ बना और न कुछ हुआ। आप कम से कम एकठो अच्छा रेस्ट हाउस बनवा दीजिए। आपका कोई गेस्ट अमरकंटक जाए तो आप फोन करो रेस्ट हाउस में रुकेगा, 15 मिनट में अमरकंटक दर्शन करेगा, आएगा, खाना खाएगा, वापस। आप एक रेस्ट हाउस जरूर नोट करिए।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- गगनई में ?

श्री धर्मजीत सिंह :- गगनई में नहीं, मैं गगनई में गया हूं, वह तो अंदर है, वह मरवाही तरफ है। राजमेरगढ़ मतलब अमरकंटक....।

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, उस इलाके के जितने रेस्ट हाउस हैं ये सबको देखें हैं और सब में रुके हैं, सब में इनके संस्मरण हैं, नहीं तो पूछ लीजिए। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- है न? वहां गगनई में ..।

श्री अजय चंद्राकर :- आप एकाध का संस्मरण भी सुनाईए।

श्री केदार कश्यप :- आज आप हंटिंग ड्रेस में भी हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- वहां गगनई में टेंट वाला है। वहां टेंट लगा है। वह डेम के ऊपर है। बहुत सुंदर है। हम प्रकृति प्रेमी हैं, सौंदर्य प्रेमी हैं। आपको दिक्कत क्या है?

श्री अजय चंद्राकर :- आप एकाध संस्मरण भी बता दीजिये। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप इसका भी ख्याल कर लेंगे। दूसरा, आप हाथी के बारे में बोल रहे थे। हाथी वाले कहां गये? हाथी के बारे में किसने पूछा था?

श्री दिलीप लहरिया :- भैया, मैंने पूछा था, लेकिन उसमें रामकुमार जी का ही नाम होना चाहिए। जो भी आएगा, रामकुमार जी के लिए आएगा। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- हुजूर, आप तो छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन हैं। आपके बात ला कोई काट नहीं सके।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, इस प्रदेश में 800 से ऊपर हाथी हैं। हाथी एक दिन में 22 किलोमीटर तक चलता है। हाथी 20-22 साल पहले जिस जगह में गया होता है, उसकी याददाश्त उसके दिमाग में रहती है। हाथी के पैर में सेंसर लगा रहता है। हाथी का जो पैर होता है, जिसमें वह आदमी को कुचलता है, उसके जो तीन गद्दे रहते हैं, उसमें सेंसर होता है। हाथी जब रेल की पटरी को पार करता है तो वह पैर को पहले रेल की पटरी पर रखता है और उसकी झनझनाहट से जान जाता है कि ट्रेन किस तरफ से आ रही है। उसके बाद भी वह कन्फर्म करता है। हाथी सूंड को मोड़कर रेल की पटरी में रखता है और उस झनझनाहट को जानने के बाद जब उसको तसल्ली होती है कि ट्रेन नहीं आ रही है, तब वह क्रॉस करता है। अगर हाथी यहां खड़ा है और ब्लास्ट उधर हुआ तो हाथी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। हाथी कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि उसको पिंजड़े में रखा जा सके। हाथी को स्वच्छंद वातावरण में घूमना होगा और उसी के लिए यहां एक प्रोजेक्ट बना है, एलीफेंट कॉरिडोर बना है, लेमरू प्रोजेक्ट बना है, लेकिन वह छोटा है। वह उतने हाथियों के लिए उपयुक्त नहीं है। हाथी जिस गांव में जाता है, वहां वह और किसी झोपड़ी को नहीं तोड़ता। किसी की झोपड़ी में जिस कमरे में अनाज रखा होता है, वह उसी अनाज के कमरे को तोड़ता है और अनाज की खुशबू से उस कमरे को तोड़कर अनाज खाता है। हाथी की भी रक्षा जरूरी है। हाथी को भी लोग करेंट से मार रहे हैं तो उनके ऊपर आप सख्त कार्रवाई करिए। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवैध शिकार करते हुए पकड़ाए गए तो उन पर आप कानूनी कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों का आप थाने में भी जरा ठीक से स्वागत-सत्कार कराया करिए, ताकि थोड़ा डर और भय पैदा हो। यह तरीका ठीक नहीं है। हाथी छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। यह वह हाथी है, जो हमारे गरीब लोगों को अपने पैरों के तले कुचलता है। यह वह हाथी है, जो गरीबों के आशियाना को उजाड़ देता है। यह वह हाथी है, जो फसल को 5 मिनट के अंदर चौपट कर देता है। सभापति महोदय, मैं बैंक के बारे में भी बोलना चाहता हूं। आप कोऑपरेटिव बैंक में वन टाइम सेटलमेंट को एक बार फिर से लागू करिये। उसको आप इसलिए लागू करिए कि किसान के ऊपर जो भी कर्जा है, अगर वह उसको दो-तीन-चार साल तक नहीं पटा पाया है तो उसका कर्ज बहुत बढ़ जाता है। आपकी सेटलमेंट की स्कीम नहीं है। सेटलमेंट करने से आज धान के कारण उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है, धान के कारण उनकी संपन्नता है। यदि वह उस पैसे को पटाएंगे तो बैंक को भी पैसे मिलेंगे और वह

भी कर्ज से मुक्त होगा, वरना उनको बहुत दिक्कत हो रही है। आप कोऑपरेटिव बैंक के भवन भी बनवाइये। हर आदमी को आजकल हर चीज के लिए कोऑपरेटिव बैंक में जाना पड़ता है। चाहे पेंशन लेनी हो, चाहे महतारी वंदन के पैसे लेने हो, चाहे और कुछ लेना हो। आपका एक भी जगह बैंक कहां है? जरा आप पूरे प्रदेश में सर्वे करवाइये। कोऑपरेटिव बैंक के भवन बहुत कम जगहों पर हैं, बाकी जगहों में किराये में हैं। उसमें न तो बैठने की जगह है, न उनके पानी पीने की जगह है, न धूप से बचने के लिए छाया है । इस पर भी चरणबद्ध तरीके से कुछ काम कराने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी, जैसा कि माननीय चंद्राकर जी ने परिवहन विभाग में भी बोला है कि परिवहन विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। मेरे पास वह आंकड़ा है कि आप पूरे प्रदेश में बहुत लंबी गाड़ी चलवा रहे हैं। ठीक है। हेलमेट के लिए जागरूकता करवाईये और अनिवार्य करिये।

श्री केदार कश्यप :- अनिवार्य है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अनिवार्य है वह तो ठीक है। कोई एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हेलमेट की चेकिंग करते हैं। यदि चेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा ? लोग मरते हैं तो बोलते हैं कि एक्सीडेंट में मर गये। हेलमेट पहनने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि हेलमेट की चेकिंग हो रही है। आप कहां से धान में समर्पण-समर्पण कर रहे थे। मंत्री जी, यह कह रहे थे कि धान में समर्पण हो गया, समर्पण हो गया। मैंने अभी तक नक्सली समर्पण सुना था कि नक्सली लोग समर्पण कर रहे हैं। समर्पण करने के बाद वे यहां विधान सभा की कार्यवाही देखने भी आये थे। देखिये, हम धान खरीद रहे हैं और बहुत पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके समय में कोई कमी बेशी न हुई हो। ऐसा भी नहीं है कि अभी-भी नहीं हुई होगी। लेकिन जब इतनी बड़ी मुहीम चलती है तो हम थोड़ी बहुत कमी को दूर करने की कोशिश भी करेंगे और कमी होने से कोई दिक्कत भी नहीं है, उसको हल किया जायेगा। लेकिन आप सिर्फ गलती मत निकालिये ना। रामकुमार जी,

"इतनी चालाकी से दिल को मेरे तोड़ा तुमने
ऐसा छोड़ा कि कहीं का नहीं छोड़ा तुमने" (मेजों की थपथपाहट)

हमको अपने वनों की रक्षा करना है और वन मंत्री जी, आपसे बड़ा वन पुत्र और कौन होगा ? आप तो जंगल में ही पले हैं, बढ़े हैं, पैदा हुए हैं और मंगल मनाते हुए बड़े हुए हैं और मंगल मनाईये। भगवान आपसे खूब मंगल मनवाते रहे। आपने मेरे यहां जंगल विभाग के तहत कुछ-कुछ काम दिया है, मैं बहुत खूश हूं और मैं चाहता हूं कि वन विभाग में अमला बढ़ाईये। वन विभाग में जो हमारे डेली वेजेस वाले हैं, आप उनकी तन्ख्वाह भी टाईम पर भिजवा दिया करिये। वह बेचारी गरीब बच्चियां हैं और वहीं की लोकल बच्चियां हैं। कोई गाईड हैं, कोई कुछ हैं। किसी ने शिकायत नहीं की है, मैं बता रहा हूं कि उनकी पेमेन्ट टाईम पर हो जाये। उनको थोड़ी सुविधा दीजिये और शिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करिये। उनको पहले थाने में भी कुटवाईये फिर जेल भिजवाईये। वे बहुत बदमाशी करते हैं। इसके

अतिरिक्त जो लोग जंगल में कहीं पर भी बैठकर शराब पीते रहते हैं, कांच फोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगवाईये। इसके अतिरिक्त राजमेरगढ़ में एक रेस्ट हाऊस बनवाईये। छत्तीसगढ़ के लोग भी अमरकंटक जाते हैं, हम भी जाते हैं और हम अमरकंटक तो बहुत ज्यादा जाते हैं। कृपा करके वहां पर एक रेस्ट हाऊस बनवा दीजिये। आप भी जब जायेंगे तो वहीं रूकेंगे। आपको तो अमरकंटक में सर्किट हाऊस मिल जायेगा लेकिन हम लोगों को थोड़ी न मिलता है। इसलिए हमारे लिये कराईये। दूसरा, मेरे विधान सभा के सावतपुर गांव में ए.टी.आर. का एक गेट खोलने की बात हुई थी। अगर वह खुल सकता है तो अच्छा है, क्योंकि उससे वहां के लोगों का भी थोड़ा भला हो जायेगा। आपका विभाग वाईल्ड लाइफ की रक्षा के लिए बहुत प्रयत्नशील है। मैं आपके इन प्रयासों को देख भी रहा हूं और मुझे अच्छा भी लग रहा है और मैं उसमें पूरी मदद भी करूंगा। मैं चाहता हूं कि हमारे जंगल की रक्षा हो, हमारे लोगों की रक्षा हो, हमारा प्रदेश हरा भरा रहे। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात और करके अपनी बात खत्म करूंगा। मंत्री जी, चंद्राकर जी ने संसदीय कार्यों के बारे में मांग की। आप संसदीय कार्यमंत्री हैं और यहां पर जो 90 विधायक बैठे हैं, यह सब हमारे मित्र हैं। इसमें आप मंत्री लोगों को बिल्कुल छोड़ दीजियेगा, किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। इन लोग अपना-अपना इंतजाम कर ही लेते हैं। कोई टेक्सटाईल देखने जाता है, कोई ऑटो एक्सपो देखने जाता है, कोई अध्ययन करने जाता है। मंत्री जी, हम लोगों को भी तो विदेश घुमवा दीजिये। (मेजों की थपथपाहट) हम लोगों को विदेश घुमाने का इंतजाम करवाईये। आप अभी फिर बोल देंगे कि एक बार विदेश का प्रोग्राम बन रहा था। उस समय स्पीकर साहब डॉ. चरणदास महंत जी थे। उन्होंने उसके लिए मीटिंग रखी थी, जिसमें विदेश जाने की स्कीम बन रही थी और उसी दिन कोरोना आ गया। यह खत्म हो गया । अब आप विदेश घूमवा दीजिये। अब ये मत हो कि ईरान और इजराइल युद्ध हो रहा है। अगर उधर युद्ध हो रहा है तो जहां उसकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती है, उस देश में ले जाईये। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ईरान की मिसाइल नहीं पहुंचेगी तो आप वहां ले जाईये। रामकुमार यादव जी, आप बोले थे कि जंगल कट रहा है।

श्री विक्रम मंडावी :- आप रामकुमार से आगे बढ़ ही नही रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैंने यहां पर 01 घंटे 15 मिनट हसदेव बचाओ के लिये भाषण दिया था। तत्कालीन अध्यक्ष माननीय डॉ. चरणदास महंत जी ने विशेष रूप से अनुमति दे करके मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं उसमे बताया था कि अगर हसदेव जंगल कटा तो कितने नदियों का जल स्त्रोत हसदेव में आना बंद होगा, कितना पानी खत्म हो जायेगा, कितनी सिंचाई खत्म होगी, कितनी बिजली कम होगी और क्या-क्या उसके दुष्प्रभाव थे, सब कुछ बोलते हुए जब मैं बोला तो तीन बात बोला था कि आप आरोप जहां पर भी लगा रहे हों, लेकिन उस वक्त आपकी सरकार थी। आपकी ही सरकार में उस चबूतरे का मदनपुर के गांव के पास उस जगह का जहां पर ये सरकार बनने के 2018 के पहले आपके सबसे बड़े नेता आकर के भाषण दिये थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहां के

आदिवासियों को बेदखल नहीं होने दूंगा। उसी चबूतरे के गांव को बेदखली का नोटिस आपकी सरकार में जारी किया गया है। यह मैं आपको प्रमाण सहित और नोटिस सहित दिखा दूंगा। 4-3 फॉरेस्ट क्लीयरेंस और माइनिंग क्लीयरेंस जो होता है, वह तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में ओ.एम.डी. जो अडानी थे, उनको आपकी सरकार ने दिया है। पोलैंड की मशीन भी आकर काट रही थी, मैं तो विरोध किया था। मैं अभी भी झाड़ कटने का समर्थक नही हूं। लेकिन आप जब यहां थे तो आपकी भाषा अलग थी, आप जब वहां हैं तो आपकी भाषा अलग है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए विकास होगा, जंगल की रक्षा होगी, जानवरों की रक्षा की जायेगी और इन सबसे ज्यादा सर्वोच्च हमारे वनवासियों की रक्षा और उनकी खुशहाली का काम होगा, चाहे वह तेंदूपत्ता के माध्यम से हो। सभापति महोदय, मैं कल ही बैठा था, एक बात और बता देना चाहता हूं। हमारे आदिवासी भाई जंगल की कैसे रक्षा करते हैं। कल कोई हमारे ही विधायक साथी बोले कि हमारे बस्तर में इमली, आम कुछ भी हो जाये, जब तक वहां कोई एक पूजा होती है, वहां कोई पूजा होती है क्या ?

श्री चैतराम अटामी :- वहां पण्डुम मनाते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब तक पूजा नहीं होती, तब तक उस फल को नहीं छूते, बच्चे तक नहीं खाते। ये प्रकृति का प्रेम है। सभापति महोदय, एक बार 10-15 साल पहले डाबर वालों से शायद फॉरेस्ट का एग्रीमेंट हुआ था कि जंगल से आंवला तोड सकते हो। ऐसा वो लहट लगाये कि वहां लोग जाकर के आंवला का झाड ही काट-काट कर ले आये। एक वो है और एक ये बस्तर के लोग हैं। इसीलिए आज वह बस्तर हरा-भरा है, सुंदर है, स्वर्ग है, जहां नक्सलियों का जो अभिशाप लगा था, उसको खत्म कर दिया गया है। अब वह स्वर्ग हमको मिलेगा। और जहां ऐसे पुजारी हों जो पण्डुम बगैर मनाये फल को छूना भी पसंद नहीं करते, उससे ज्यादा रक्षा करने का संदेश किसी और को कहीं से नहीं मिल सकता। इसलिए हमको सीखना चाहिए। जो चीज हमको नहीं मालूम है, अगर इनको मालूम है तो इनसे सीखना चाहिए। आपको मालूम है तो आपसे सीखना चाहिए और अच्छी चीज को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बेबश वन्य प्राणी को मारने से कोई फायदा नहीं है। हिरण और चीतल मारकर क्या करोगे? जाओ बकरा खरीद लो, बाजार में गली-गली बिक रहा है। तीतर को मारकर क्या करोगे? मुर्गी मिल रही है, खा लो। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा प्रकृति के लिये प्रेम रखिये। अगर प्रकृति है तभी हम सब जिंदा हैं। अगर प्रकृति में हरियाली है तभी हम जिंदा हैं। यह हमारी जिंदगी को थामने वाली चीज है। इसलिए इसका विनाश न हो, इसके लिये हमको कोशिश करनी है। माननीय मंत्री जी, आपके ऊपर पूरा भरोसा है और आपके नेतृत्व में वन विभाग अच्छा काम कर रहा है, विकास के काम कर रहा है । मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं और मैंने जो 2-3 चीजें बोली हैं तो आप उसका जरा विशेष ख्याल रखियेगा । मेरे कानन-पेंडारी को ठीक करवा दीजिये, वहां पर स्मृति वाटिका है उसको थोड़ा ठीक कराईये । बिलासपुर शहर के लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां जायेंगे, वहां अंबानी वन तारा बना रहा है तो आप हमारे स्मृति वन को ही छोटा-मोटा

खूबसूरत जगह बना दीजिये न । हम इसी में काम चला लेंगे और वन्य प्राणियों की रक्षा करना है, जंगल की रक्षा करना है । आप लोग भी न खाली अडानी, अंबानी मत करो, आपने खुद अडानी को काटने की परमिशन दी है, आपकी सरकार में परमिशन दिये हैं नहीं तो मेरा भाषण निकाल लो, मैंने उसमें तारीख सहित उल्लेख किया है । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये जो समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी । चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिये अब मैं समझता हूं कि मंडावी जी के बाद में सीधा मंत्री जी को ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी (भानुप्रतापपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या -10, 17, 28, 36 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बजट के विरोध में अपनी बात रखने जा रही हूं ।

माननीय सभापति महोदय, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख वनाच्छादित क्षेत्र है जिसे साल वनों का दीप कहा जाता है । यहां के आदिवासियों का जीवन वनों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो अपनी संस्कृति, आजीविका और परम्पराओं के लिये पूरी तरह से वनोपज चाहे वह हर्रा हो, बेड़ा, आंवला, महुआ, ईमली इन पर यह निर्भर रहते हैं अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि इनके एम.एस.पी. में वृद्धि की जाये ताकि बस्तर के हमारे आदिवासी भाई-बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके । आदिवासियों को वनों से विशेष लगाव रहा है, जिसे जल, जंगल और जमीन के मूल मंत्र से समझा जा सकता है । वे सदियों से वनों के रक्षक रहे हैं, वे वन संरक्षण के प्रति बहुत ही जागरूक हैं और केवल आवश्यकतानुसार ही वनों का उपयोग करते हैं लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम एक पेड़ मॉ के नाम लगाकर जो ढिंढ़ौरा पीटते हैं और हजारों पेड़ कटने के बाद भी हम चुप्पी साधे रहते हैं तो आज विकास की आड़ में छत्तीसगढ़ के बेशकीमती जंगलों को उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है । जिसके लिये संरक्षण के लिये भी बजट में विशेष प्रावधान होना था जो कि नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, वृक्षारोपण, पर्यावरण संतुलन और कॉर्बन उत्सर्जन को कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिये अत्यंत आवश्यक है लेकिन हम सबके लिये यह बड़े ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है कि वन विभाग की ओर से हर वर्ष वृक्षारोपण पर करोड़ों रूपये खर्च किये जाते हैं लेकिन विभाग की ओर से उचित देखभाल के अभाव में कुछ गिने हुए पेड़ वहां पर बचे रहते हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि जहां-जहां पर भी वृक्षारोपण किया जाता है उनकी रक्षा के लिये कड़ा प्रावधान सुनिश्चित किया जाये । माननीय सभापति महोदय, तेंदूपत्ता संग्राहकों को सरकार की ओर से चरणपादुका प्रदान करने के लिये इस वर्ष बजट में 40 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिये एक बढ़िया योजना है । जब पिछली डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी तो उस समय जो उनका जूता था वह अलग-अलग नंबर का मिला था । किसी को 7 नंबर का मिला था और किसी को 8 नंबर का जूता मिला था, इस तरह का जूता उस समय बांटा गया था तो वह जो जूते

थे वह निम्न और घटिया क्वालिटी का था जिसे लोग पहनना भी पसंद नहीं करते इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि चरणपादुका की राशि सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खाते में डाला जाये ताकि लोग अपने मनपसंद ब्राण्ड का जूता-चप्पल खरीद कर पहन सकें। माननीय सभापति महोदय, जंगलों में वन्य जीवों के भोजन और पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते आज जंगली जानवरों का रूख गांवों की ओर बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जंगली जानवरों के हमले से जान गंवाने वालों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, वन्य प्राणियों की असमायिक मौत जो देश के राष्ट्रीय पशु बाघ की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे। माननीय मंत्री, मुझे वन विभाग के लोगों ने ही बताया कि बाघ की रक्षा के लिए विभागीय अमले का तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा रहता है तो इतना बड़ा घेरा देश-प्रदेश के अति विशिष्ट व्यक्तियों का रहता है, उसके बाद भी पूरे वन विभाग के अमले पर मात्र एक शिकारी भारी पड़ जाता है। वहां इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद भी बाघ का शिकार हो जाता है और आपके शासन में बाघ जैसे दुर्लभ वन्य प्राणी असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं। वहां हाथी को करंट में फंसा कर मार दिया जाता है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। क्योंकि जब आप दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में हाथी ला रहे थे तो वह रास्ते में ही बीमार पड़ गया। यहां आकर वह मौत का शिकार हो गया। बाघिन 6 माह तक बीमार थी। जंगल सफारी के अधिकारी-कर्मचारी, राज्य के पशु चिकित्सक उसकी बीमारी का पता तक नहीं लगा पायें। उसे उपचार के नाम से वनतारा ले गये और वहां उसकी मौत हो गयी। काले हिरण की मौत पर, यह सबको मालूम है कि सलमान खान जैसे हीरो को जेल जाना पड़ा। आपने जंगल सफारी में काले हिरण की मौत पर क्या कार्यवाही की। शायद किसी कर्मचारी को नोटिस तक भी जारी नहीं किया होगा, यही आपकी उपलब्धि है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बांधों की सुरक्षा पर बोलना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश में बांधों की स्थिति जर्जर है, वहां गेट की स्थिति खराब है जिसके कारण जल भराव नहीं हो रहा है और पानी बह जाता है।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय भाभी जी, आप वन विभाग में बोलिए, परिवहन विभाग में बोलिए, सहकारिता विभाग में बोलिए। आप शायद जल संसाधन में बोल रही हैं। पिछली बार मेरे पास जल संसाधन था, अभी नहीं है।

श्री रोहित साहू :- दीदी, आप थोड़ पेपर को देख लीजिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि फॉरेस्ट को बड़े-बड़े उद्योगपतियों और जितने भी संत महात्माओं को हजार एकड़ जमीन को बिना नियम प्रक्रिया के अधीन कर देते हैं। जो हमारे वहां के कृषक हैं, जो कृषि क्षेत्र में हैं और लोकल लोग हैं। आप उन लोगों के लिए सब नियम बताते हैं तो इस नियम में भी सुधार लाने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा क्षेत्र ज्यादातर वन मार्गों वाला क्षेत्र है जहां पर सड़कें और पुल-पुलियों की सख्त आवश्यकता है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगी कि कांकेर वृत्त के वन परिक्षेत्र दुर्ग कोंदल अंतर्गत ओड़ाहूर से कोड़ोगांव तक तीन किलोमीटर, गुदूम से सादुमीचगांव तक तीन किलोमीटर, दोर्देकादा से सलियारापारा तक एक किलोमीटर डब्ल्यू. बी. एम. सड़क निर्माण की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार 2 मीटर के मान से विभिन्न जगहों पर 15 नग आर.सी.सी. पुलिया निर्माण और 9 जगहों पर पुलिया निर्माण खेड़ेगांव बी.एफ 929 में अरदन डैम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे। माननीय मंत्री जी कहां चले गये।

सभापति महोदय :- वह आ रहे हैं।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, तो अभी नोट कौन कर रहा है?

सभापति महोदय :- माननीय लखनलाल देवांगन जी नोट कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिए।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्या बता रही हूँ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे नोट कर रहे हैं । विभागीय मंत्री जी आ गए ।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- अभी मैं अपने क्षेत्र की समस्या बता रही हूं।

श्री केदार कश्यप :- आप सड़क के बारे में बता रही थीं तो मैंने सुन लिया था।

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी :- जी, थैंक्यू । सभापति जी, डेम निर्माण की स्वीकृति प्रदान करेंगे । मैंने जितना भी बताया है, उस ओर ध्यान देंगे, ताकि क्षेत्र में आवागमन सुलभ हो सकी । मैं मांग की सूची आपको उपलब्ध करा रही हूं । सभापति जी, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- सभापति महोदय, एक छोटा सा विषय था ।

सभापति महोदय :- आप वन विभाग में कहां आ गए ?

श्री रिकेश सेन :- वन विभाग का ही है । एकदम छोटा सा है, अति आवश्यक है । एक लाईन का है ।

सभापति महोदय :-बस एक लाईन में बोलिए क्योंकि समय बहुत हो गया है ।

श्री रिकेश सेन :- बस एक लाईन का है । सभापति महोदय, भिलाई में मैत्री गार्डन है, जो लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है । अब भिलाई स्टील प्लांट ने अपनी सम्पत्ति को देखने के लिए हाथ खड़ा कर दिया है । वहां तमाम जानवर सफेद टाईगर, भालू, हिरण, बारह सिंघा तक सब कुछ है । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि भिलाई स्टील प्लांट से राज्य शासन एम.ओ.यू. कर ले और उसे अपने अधीन कर ले और उसे राज्य शासन संचालित करे, बस ये छोटी सी मांग है ।

श्रीमती रायमुनी भगत (जशपुर) :- सभापति महोदय, जशपुर में बादलखोल अभ्यारण्य है, उसमें सड़क मार्ग है, जो 10 से 15 गांव पहुंचमार्ग को जोड़ती है । एक मार्ग है-बछरॉव से गैलूंगा पहुंच मार्ग में उच्च स्तरीय पुलिया बहुत जरूरी है । वहां 6 माह तक आवागमन रूक जाती है । दूसरा है-बेंद । बेंद से सुतरी पहुंच मार्ग भी 10 से 15 गांव को जोड़ती है । वहां भी 6 से 7 महीने तक आवागमन बाधित हो जाती है । तीसरा है-पंड्रापाट में वन विभाग का रेस्ट हाऊस था, वह पूरा गिर गया है, उसका निर्माण करने की आवश्यकता है । वेंटलेंड की बात आई । लिमगांव वहां बड़ा जलाशय है । वहां नवम्बर से साईबेरियन पक्षी आने लगती है और वहां पहुंचमार्ग नहीं है । वहां पहुंचमार्ग का निर्माण बहुत जरूरी है । बस इतना ही कहना था । धन्यवाद ।

श्री दिलीप लहरिया (मस्तूरी) :- माननीय सभापति महोदय, मस्तूरी क्षेत्र में खोंधराकनई जो एरिया है, वह हमारे वन क्षेत्र में आता है । इसमें मेरी एक मांग है, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां एक डियर पार्क स्थापित किया जाये। खोंधरा में डियर पार्क की मांग है और सोंठी से खोंधरा तक की जो सड़क है, वह अत्यंत जर्जर है । उस सड़क का भी निर्माण किया जाये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- सभापति जी, जो दिलीप लहरिया जी मांग कर रहे हैं, वह चार विधान सभाओं का केन्द्र है । पाली विधान सभा क्षेत्र की हरनमुड़ी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की मंजूरपहरी, मस्तूरी का खोंधरा और सोंठी । यह चार विधानसभा का केन्द्र है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 में डॉ. रमन सिंह जी ने उसको डियर पार्क के रूप में घोषणा की थी, तत्कालीन समय में बिलासपुर में सोनमणि वोरा जी कलेक्टर थे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि डियर पार्क में अगर डेव्हपल होगा तो पर्यटन के क्षेत्र और वन्य प्राणी के लिए वह क्षेत्र डेव्हपल होगा । कटघोरा भी जुड़ा हुआ है ।

श्री ललित चन्द्राकर (दुर्ग ग्रामीण) :- माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना है कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के पंचायत निकुम विकासखण्ड, दुर्ग में नये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की मांग है और हमारे रिसाली नगर निगम में भी नये ब्रांच की मांग करता हूं । हमारे दुर्ग जिला में ऐसे बहुत सारे जगह हैं, जहां पर ब्लैक स्पॉट है । वहां पर लगातार दुर्घटना होती रहती है तो वहां पर ब्लैक स्पॉट को कैसे ठीक करें, उसका मंत्री जी से निवेदन है ।

श्री दीपेश साहू (बेमेतरा) :- माननीय सभापति महोदय, बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र के दारगांव में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और रामसोड़ में सेवा सहकारी केन्द्रीय बैंक खोला जाये । साथ-साथ 3 नये धान उपार्जन केन्द्र तिवरैया, रेवे और बड़ेंगा में भी खोला जाये । साथ ही पिछले समय 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री जी और सभी अधिकारियों का आगमन बेमेतरा हुआ था। वह ड्राइ एरिया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां बहुत कम पानी गिरता है। वहां पानी की समस्या रही

है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो योजना बनी होगी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक चीज बोलना भूल गया था। तखतपुर में एक विजयपुर गांव है, वहां पर एक छोटा वाला बैंक खुलवाने का प्रयास करियेगा। क्योंकि उनको पैसा लेने के लिए लोरमी जाना पड़ता है। अगर वहीं पर एक बैंक खुल जाये तो मेहरबानी होगी। क्या तरीका है, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए आप जरा देख लीजियेगा। धन्यवाद।

श्री ईश्वर साहू (साजा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे साजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चेचानमेटा बिरनपुर में वर्ष 2019-20 से संचालित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक केहका में आज तक किराये के भवन से संचालित हो रहा हे। मैं इसके भवन निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने कीकृपा करेंगे। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रणव कुमार मरपची (मरवाही) :- सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में भ्रमण के दौरान घोषणा किए थे। उसको विभाग नोट कर लेंगे। हो सकता है कि इसका डाक्यूमेंट बाद में आयेगा। यह विभाग के पास पहले जानकारी नोट रहे। दूसरा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की मांग है मरवाही क्षेत्र में एक ही बैंक है, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वहां एक बैंक खुल जाये। धन्यवाद।

श्री रामकुमार टोप्पो (सीतापुर) :- धन्यवाद सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मांग है। सीतापुर नगर में पिछले 7 साल से अधिक समय सहकारी बैंक का भवन निर्माणाधीन है। लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैंने विभाग को भी कई बार बोला हूं। उसको जल्दी पूरा कराने से जो असुविधा हो रही है, वह ठीक हो जायेगा।

दूसरा, सीतापुर विधान सभा क्षेत्र में हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वहां तोड़फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं। छोटी-छोटी बसाहटें हैं। पहले कालोनी बनाया गया था, लेकिन कोरवा समाज के लोग एक छोटे से बिल्डिंग में धांध देने से वे नहीं रहते हैं। इसलिए मेरा इसमें निवेदन है कि एक प्रोजेक्ट बनाकर छोटी-छोटी बसाहट बनाकर उनको लोकल परिवेश में रखा जाये, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री भूलन सिंह मरावी (प्रेमनगर) सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रेमनगर में एक ग्राम पंचायत देवनगर है। देवनगर से 12-13 किलोमीटर दूर रामानुजनगर और सूरजपुर की दूरी है। उसमें 35 ग्राम पंचायतों का बीच सेन्टर है, वहां के लिए बहुत दिनों से मांग आ रही है कि वहां जिला सहकारी बैंक खोला जाये। ताकि वहां के किसानों का लाभ मिल सकें। धन्यवाद।

श्री रोहित साहू (राजिम) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष आग्रह करना चाहूंगा। चूंकि गरियाबंद जिला वनाचंल क्षेत्र है और हाथी प्रभावित क्षेत्र है। वहां कई घटनाएं भी घटी हैं और कई मौतें भी हुई हैं। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से वहां के लिए ऐसी कुछ योजनाएं बनाई जाये। उस क्षेत्र के लोग बहुत डरे हुए रहते हैं। एक और विशेष मांग है। एक पांडुका क्षेत्र है, जहां लगभग सौ ऐसे गांव होंगे, जहां जिला सहकारी बैंक नहीं होने के कारण 35 किलोमीटर लंबी दूरी को तय करना पड़ता है।

सभापति महोदय :- आप केवल नाम बता दीजिये। भूमिका मत बांधिये।

श्री रोहित साहू :- पांडुका में जिला सहकारी बैंक की नई स्वीकृति प्रदान कर देंगे। आपके माध्यम से पूर्व में भी आवेदन आमंत्रण हुआ है। मंत्री महोदय, विशेष आग्रह है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- सभापति महोदय, मोर बस 3 ठन मांग हे। मंत्री जी नोट करत हे, नोट कर लेही। चन्द्रहासिनी मां के मन्दिर पूरा प्रदेश मा शक्तिपीठ के नाम से बाहर-बाहर से आथे। उहां पार्क नहीं हे। तो एक ठन पार्क बनाय के मांग करत हव। दूसरा, धुरकोट मा जिला सहकारी बैंक खुल गय रहिस हे, आप भी जानत हव। मैं आपक गने गय रहेव। रिजर्व बैंक से परमिशन नइ मिलिस, काबर रूके हावय, ओला आगे बढ़ा देता। तीसरा, वहां बाहर-बाहर से दर्शन करे आथे, वहीं पर आर.टी.ओ. आफिस मा पैसा उतारने वाला मन बैठे हे। गरीब आदमी ओखरे डर में दर्शन करे नइ आ पाय। कम से कम ओ आर.टी.ओ. वाला मन ला धूरिहा कर देवा। ओ मन दर्शन करे आथे तो ओ मन से उल्टा पैसा ले लेथे। ये तीनों मांग हे भईया, ओला देख लेहा।

श्री नीलकंठ टेकाम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, केशकाल विधान सभा क्षेत्र से दो मांगे हैं। एक तो सहकारी बैंक के बारे बड़ेराजपुर के लिए आलरेडी प्रस्ताव जा चुका है। लेकिन आर.बी.आई. से परमिशन नहीं मिलने की वजह से चालू नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बड़े डोंगर में भी बहुत आवश्यकता है। वह इलाका अभी नक्सलवाद से फ्री हो रहा है। तो इन जगहों को प्रमोट करने से फायदा हो जायेगा। तीसरा है केशकाल में वहां पर जो गेस्ट हाउस बना हुआ है, बहुत कॉटेज बने हुए हैं, लेकिन वहां पर अभी भी सी.आर.पी.एफ. का कुछ establishment बचा हुआ है तो उसको अब वहां से हटाकर उसको अब एक अच्छे पर्यटन के लिए उपयोग किया जा सकता है।

श्री ब्यास कश्यप (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी सोच है कि सहकारी क्षेत्र में ध्यान देना है। तो जो सरकार की मंशा है कि विकेंद्रीकरण करना है, तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, बिलासपुर जो क्षेत्रफल से बहुत बड़ा है और एक बार अखबार में पढ़ने को भी मिला था कि जांजगीर को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का दर्जा मिलेगा। भाई रामकुमार ने जो कहा कि धुरकोट और केरा, दो बैंक खोलने के प्रस्ताव लंबित हैं, उसको शामिल कर लिया जाए। धान खरीदी केंद्र चूंकि धान का उत्पादन हमारे यहां बहुत है, परंतु धान खरीदी केंद्रों की संख्या कम है, तो पोड़ी, जो

नवागढ़ पोड़ी बोलते हैं और पचेड़ा गांव, दो को खोला जाए। महोदय, एक और विशेष बात पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की जो मण्डियां हैं, उन मण्डियों की हालत दिनों-दिन कमजोर होती जा रही है। एक मात्र कारण है कि मार्कफेड के द्वारा जो राशि मण्डियों को प्राप्त होनी चाहिए, वह राशि नहीं मिल पा रही है, तो दैनिक वेतन देने के लिए भी आने वाले समय में परेशानी होगी। तो मण्डियों का जो हिस्सा बनता है मण्डी निधि का, वह मण्डी निधि का हिस्सा मार्कफेड के द्वारा मण्डियों को दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ की मण्डियों की आर्थिक हालत सुदृढ़ होगी, तब काम होगा महोदय।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मुंगेली क्षेत्र के कुकुसदा और अमोरा में कोऑपरेटिव बैंक खोलने की मैंने पूर्व में मंत्री जी को आवेदन दिया था और विभाग से भी आ चुका है, आर.बी.आई. में कुछ कारण वह रुका हुआ है, वह खोलेंगे ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। दूसरा है, मेरे क्षेत्र में प्लेन एरिया है, मुंगेली के पदमपुर गांव है, डेढ़ से दो सौ हिरण हैं और कहीं उसमें जंगल-वंगल नहीं है, वह नदी के किनारे रहन नाला में रहते हैं और कई प्रकार की घटना होती है और शिकारी लोग मारकर ले जाते हैं। उनके रख-रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए वहां बैरिकेटिंग हो, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करूंगा।

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा (सामरी) :- सभापति महोदय, सामरी विधान सभा की मेरी दो मांग है । शंकरगढ़ विकासखंड में बहुत पुराना जर्जर कारपेटू भवन बना है और वहां बरसात में अब बहुत पानी चूता है । तो जर्जर हो गया है, उसको डिस्मेंटल करके नया भवन बनाया जाए। दूसरी राजपुर विकासखंड में मेरी मांग है, यहां पर एक सहकारी बैंक है और क्षेत्रफल बड़ा फैला हुआ है। मैं मंत्री महोदय जी से मांग करूंगी कि बरियों में एक नया सहकारी बैंक खोलने की मांग करती हूं। उसी तरह से राजपुर में ही हरितमा पार्क है। हरितमा पार्क में वहां पर जानवर घेराव नहीं होने की वजह से जानवर इधर-उधर बाहर घूमते रहते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उस हरितमा पार्क को किसी तरह से उसका घेरावा कर दें ताकि वहां के जानवर वहीं पर पार्क में ही रहें। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री मोतीलाल साहू (रायपुर ग्रामीण) :- सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक नंदनवन है, कभी रायपुर का आकर्षण का केंद्र था । जंगल सफारी बनने के बाद में वहां से सभी जानवरों को शिफ्ट कर दिया गया है रायपुर जंगल सफारी में। अब उसको चिड़ियाघर के नाम से डेवलप करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन आज तक उसमें किसी प्रकार की कोई गतिविधियां हुई नहीं। माननीय मंत्री जी विजिट किए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उसको चिड़ियाघर में परिवर्तन करें ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, आज वन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य विभाग के अनुदान मांगों पर विपक्ष के श्री विक्रम मंडावी

जी, संगीता सिन्हा जी, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी, सावित्री मनोज मंडावी जी और कुछ सदस्यों ने अपनी मांगें रखी हैं जैसे दिलीप लहरिया जी हैं और बाकी और भी नाम हैं। पक्ष से आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर जी और प्रबोध मिंज जी, आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, चैतराम अटामी जी, रिकेश सेन जी, रायमुनी भगत जी, ललित चंद्राकर जी, सुशांत शुक्ला जी, दीपेश साहू, रामकुमार टोप्पो, ईश्वर साहू जी, प्रणव कुमार मरपची, भूलन सिंह मराबी जी, रोहित साहू जी, मोतीलाल साहू जी, उद्धेश्वरी पैकरा जी, पुन्नूलाल मोहले जी, नीलकंठ टेकाम जी, इन सभी ने अपनी-अपनी बातों को रखा है मैंने उन सबकी बातों को पूरी गंभीरता के साथ में नोटिस किया है और आने वाले समय में हम उन सभी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे।

समय :

8.00 बजे

श्री राकुमार यादव :- मंत्री जी, महूं रखे रहे हौं।

श्री केदार कश्यप :- हां। रामकुमार यादव जी, तोर मांग ला घलौ पूरा कर देबो और नई होही ता जब हमन ला पांच साल अउ मौका मिलही तब फेर तोर मांग ला पूरा कर देबो। (मेजों की थपथपाहट) ओकरे बर मै तोर नाम ला नई केहेंव। तोर और मांग होही ता नोट करा देबे।

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी बाते हैं, जिन बातों को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने यहां पर अपने-अपने तरीके से अपनी बातें प्रस्तुत की है। किसी ने कहा कि जूता की जगह पर पैसे देने चाहिए, किसी ने कहा कि पेड़ों की कटाई हो रही है, किसी ने कहा कि बाघों की मृत्यु हो रही है, किसी ने कहा कि धान खरीदी में गड़बड़ी हो रही है। लेकिन जब वे लोग विपक्ष में आते हैं, तब उनको यह अवसर मिल जाता है कि वह इस तरीके के बातों को करें और सुझाव दें। जब वे लोग यहां पर सत्ता में रहते हैं, तब इन बातों को लेकर कभी भी किसी भी तरीके से कोई अपनी ओर से संज्ञान में नहीं लाते और किसी भी तरीके से ऐसी कोई योजना नहीं बनाते हैं, जिसके माध्यम से आने वाले समय में इन सब चीजों का लाभ हम आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। यह काम करती है तो हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार काम करती है। (मेजों की थपथपाहट) इसके तहत आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का जो विज़न रखा है, उस सपने को साकार करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आगे बढ़ रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा। मैं लंबा भाषण दूंगा, लेकिन हमारे बहुत सारे सदस्य कह रहे कि जल्दी खत्म हो। मैं उन्हीं के भाषा में बात करूंगा कि :-

हुनर है, हौसला है, हम अपनी हद जानते हैं,
हमें अपनी फिक्र नहीं, हम दूसरों का दर्द जानते हैं,
तुम चाहे कहो कुछ भी,
लेकिन सब तुम्हारा किरदार पहचानते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ वनों आच्छादित राज्य है। वन हमारे जीवन का मुख्य बिंदु है, यह हमारी अमूल्य धरोहर है। वन केवल पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से नहीं, बल्कि हमारी आजीविका एवं हमारी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। यदि हम जल सुरक्षा, जैव विविधता की बात करें तो हमारे यहां पर लाखों लोग रहते हैं, जिनकी आजीविका का वन है। यह हमारा वन विभाग है और वन विभाग के माध्यम से वनों की सुरक्षा के दृष्टि से हम लगातार काम करते हैं। वन प्रकृति की अनुपम निधि और मानव सभ्यता का सतत् अस्तित्व का आधार है। भारतीय परंपरा में वनों का जीवन, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना गया है। माननीय सभापति महोदय, वनांचलों में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसलिए हमारी सरकार के लिए वन संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आर्थिक उन्नति सर्वोपरि है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से नवाचार पूर्ण नीतियों में छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की प्रतिबद्धता हेतु हम आभारी हैं। उन्होंने विकसित भारत का लक्ष्य पूरे देश को दिया और उसको साकार करने के दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न 2047 की परिकल्पना की है। वर्ष 2047 में हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़े, किस तरीके से हमारा राज्य भी विकसित राज्य की श्रेणी में आए और समृद्ध राज्य की श्रेणी में स्थापित हो, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। इस बजट में वन क्षेत्र के विकास के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विज़न 2047 के लक्ष्य के अनुरूप प्रावधान किया गया है। हमारे राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप 'एक पेड़ मां के नाम' तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किये जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार बिलासपुर के बारे में आदरणीय धर्मजीत सिंह जी ने अपने संबोधन में बताया है । कोपरा जलाशय को रामसर साईट के रूप में पहली बार घोषित किया गया और देश का 98 वां रामसर साईट अधिसूचित किया गया है । यह ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य की जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और जल जीवन के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के माईल स्टोन 2030 के अनुरूप वर्ष 2030 तक 20 वेटलैण्ड को रामसर स्थल के रूप में नामित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं । इसी परिप्रेक्ष्य में बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा वेटलैण्ड काम्पलेक्स को रामसर स्थल अधिसूचित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोदी जी की गारण्टी को प्रभावी रूपसे क्रियान्वित करते हुये हमारी सरकार को बने हुये 2-3 महीने हुये थे, उसके पश्चात् जो हमारा वादा था कि हम अपने तेंदूपत्ता संग्राहक भाईयों को उनके तेंदूपत्ता की जो कीमत है, प्रति मानक बोरा 4000 से बढ़ाकर हम 5500 रूपये करेंगे और मुझे बताते हुये बड़ी खुशी होती है कि हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में जो तेंदूपत्ता की कीमत है उसे 4000 से बढ़ाकर 5500 रूपये किया है और तेंदूपत्ता संग्राहकों के

परिवारों को पहले की तुलना में अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ है और आर्थिक दृष्टि से उनका परिवार भी मजबूत हुआ है । (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, चरण पादुका के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को चरण पादुका मिल रहा था, हमारे वनवासियों को मिल रहा था, इसे कौन बंद किया ? हमारे प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों को मिल रहा था, उसे किसने बंद किया ? गरीबों के साथ अन्याय करने वाले लोग आज यहां पर खड़े होकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि कैसे हम लोगों को लाभ देंगे ? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जब प्रदेश का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने पुन: पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो चरण पादुका योजना प्रारंभ हुई थी, इसको कांग्रेस की सरकार ने बंद किया था, आज हमारी सरकार ने उसे फिर से प्रारंभ करने का काम किया है और हमारी माताओं को हमने प्रथम चरण में चरण पादुका वितरित करने का काम किया है और इस योजना के तहत भी हम अपने तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का लाभ देंगे । माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुये आज 25 वर्ष पूरे हो गये हैं । 25 वर्ष में हमारे यहां पर पहली बार 1050 क्षेत्रीय अमला और 106 अन्य पदों पर नवीन सेट अप के पद को स्वीकृति मिली है । (मेजों की थपथपाहट) हम इसके लिये अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं । माननीय सभापति महोदय, आज हमारा छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश का तीसरा बड़ा राज्य है । यहां पर वन है, जल स्त्रोत है, वन्य प्राणी है, समस्त जीव-जन्तुओं में विराजमान और समस्त हमारे देवी देवताओं का हम सम्मान करते हैं और उसे नमन भी करते हैं । प्रदेशवासियों की आय और उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, इस दृष्टि से लगातार हम प्रभावी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग की अनुदान मांगों पर बजट प्रस्तुत किए हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 हेतु प्रस्तावित आयोजना बजट में राशि 1669 करोड़ रुपये प्रावधानित किया गया है। वर्षा ऋतु 2026 में लगभग 3.50 करोड़ पौधों का रोपण एवं वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस, वनों के पुनरुद्धार योजनांतर्गत वर्ष 2026-27 में 80 करोड़ का बजट प्रस्तावित है, जिससे बांस वनों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ बांस आधारित कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामवासियों की आजीविका में वृद्धि होगी। बिगड़े वनों में सुधार योजनांतर्गत वर्ष 2026-27 में 310 करोड़ बजट में प्रस्तावित है। माननीय सभापति महोदय, राज्य के वन क्षेत्रों में कई ऐसे स्थल हैं जो नैसर्गिक पर्यटन के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जहां पर आज भी लोगों की पहुंच नहीं हो पाई है, ऐसे लगभग 200 स्थानों को चिन्हांकित करके उनको ईको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय समितियों को बड़ी संख्या में रोजगार एवं आय का सृजन हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारे उन स्थलों में, नैसर्गिक पर्यटन स्थलों के विकास को लोग देखने जाएं, उसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में पर्यावरण वानिकी योजनांतर्गत राशि 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों मेरा रायपुर के नजदीक मोहरेंगा जाना हुआ था। मोहरेंगा बहुत ही अच्छा है, मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा वहां जाएं। मोहरेंगा, पुराने विधानसभा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर आप एक बार जाकर उसका अवश्य अवलोकन करें, वहां पर विभाग के माध्यम से बहुत ही अच्छा रिसॉर्ट बनाया गया है। मोहरेंगा, रायपुर शहर के निकट हैं, इसमें ईको पर्यटन विकास हेतु लगभग 4 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, इसके माध्यम से शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ईको पर्यटन का लाभ और पर्यावरण जागरूकता विकसित की जा रही है। नदियों के तटों के भू-रक्षण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाए रखने के उद्देश्य से नदी तट वृक्षारोपण योजना संचालित की जा रही है जिसके लिए 7 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि करने एवं वनस्पति विहीन क्षेत्रों में भू-संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्य हेतु भू-जल संरक्षण योजना संचालित की जा रही है, भू-जल संरक्षण योजनांतर्गत हेतु 120 करोड़ रुपये बजट में प्रावधानित है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला मुख्य मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग किनारे वृक्षारोपण हेतु इस बजट में लगभग 15 करोड़ का प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत सारे साथियों ने वनांचल क्षेत्रों में बारहमासी आवागमन की दृष्टि से वहां पर रपटा, पुलिया और सड़कों के निर्माण की दृष्टि से उन्होंने लगातार अपनी बात कही है, रपटा पुलिया के लिए वन मार्गों में वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 5 करोड़ का प्रावधान है, सड़कों और मकान निर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, काष्ठ एवं बांस कूपों के विदोहन उपरांत प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वन वर्धनी कार्य एवं भू-जल संरक्षण कार्य किए जाने हेतु वर्ष 2026-27 में सहायक प्राकृतिक पुनरुत्पादन कार्य योजना अंतर्गत 300 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2025-26 में प्रावधानित आयोजनेतर बजट राशि रुपये लगभग 1348 करोड़ में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 1410 करोड़ रुपये प्रावधानित किया गया है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वन मार्गों में मरम्मत हेतु लगभग 10 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है और विभागीय भवनों के लिए लगभग 15 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा ग्रामीणों को उनके मालिकाना हक की भूमि से इमारती लकड़ी के विदोहन उपरांत क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए योजना क्रमांक 535 इमारती लकड़ी अंतर्गत राशि रूपये 183 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीणों में पौधारोपण के प्रति लगाव बढ़ेगा। जन सहभागिता के सिद्धांत पर संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वन विभाग में वनों के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से किया जाता है। इसके लिए समितियों को लाभांश प्रदाय करने के लिए 45 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। वन्य प्राणी संरक्षण, संवर्धन एवं रहवास विकास हेतु 321 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय धर्मजीत जी आज बहुत ही अच्छे तरीके से वन्य जीवों के संदर्भ

में बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। किस तरीके से वह अपने बाल्यकाल में बाघों और भालूओं का वर्णन कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और निश्चित तौर पर वह।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- वह बाललीला दिखाये।

श्री केदार कश्यप :- बाललीला दिखाये। हां, मैं बता ही रहा था कि इन्होंने तो बाघ और भालू को देखा है, उधर तो वह बकरी और भैंसे को देखकर बोल रहे थे।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मैं शेर ला पानी पिलाने वाला हो। बकरी भी अउ शेर भी।

श्री केदार कश्यप :- अच्छा, ते कब एला पानी पिलायेस?

श्री रामकुमार यादव :- भाई अब ते देख ले।

श्री केदार कश्यप :- नहीं, का ते धर्मजीत भैया ला पानी पिलायेस?

श्री रामकुमार यादव :- नहीं, ओ तो हमर गुरूदेव हे। हुजूर हा अमिताभ बच्चन हे।

श्री केदार कश्यप :- भैया, भालू फूटबॉल खेल रहा था। समझ लो।

श्री सुशांत शुक्ला :- भैया, यह कांग्रेस विधायक दल के चेंदरू हैं।

श्री केदार कश्यप :- भाई, वह चेंदरू कहां से हैं? चेंदरू टाइगर ब्वाय हैं।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- रामकुमार भाई, आप ऐसा कीजिये कि हमारे पाली-तानाखार के विधायक जी से मिलकर वह ले लेना। (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी, मैं का ले लुहूं? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- जड़ी।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, बाघों के संरक्षण-संवर्धन हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना संचालित है। यह योजना राज्य के चार टाइगर रिजर्व में लागू है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि नवंबर, 2024 में गठित गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसके लिए वर्ष 2026-27 में 23.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) राज्य के अन्य राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणी के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लगभग 11 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य के कवर्धा जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे हुए भोरमदेव अभ्यारण्य में हम अभी सफारी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। हम इसका भी शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी में स्थित नंदनवन चिड़ियाघर एवं जंगल सफारी, जहां हमारे माननीय मोतीलाल साहू जी बता रहे थे, उसको विश्व स्तरीय मापदंडों पर स्थापित करने हेतु लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। साथ ही बिलासपुर जिले में स्थित कानन-पेंडारी चिड़ियाघर के विकास हेतु भी विभाग प्रतिबद्ध है। इन दोनों चिड़ियाघरों के विकास हेतु लगभग 41 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) प्रदेश में वर्तमान में लगभग 451 जंगली हाथियों

का विचरण है। जिसमें से लगभग 180 हाथियों का विचरण लेमरू हाथी रिजर्व तथा उसके आसपास क्षेत्रों में हो रहा है। लेमरू हाथी रिजर्व के प्रबंधन के लिए लगभग 10 करोड़ रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। हाथी रहवास क्षेत्र का विकास योजनांतर्गत राशि रूपये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हाथी मित्र दल, ट्रैकिंग दल को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मुखबिरी तंत्र को हम और सुदृढ़ करेंगे। हाथियों की विद्युत करेंट से मृत्यु की रोकथाम हेतु वन क्षेत्र में गुजरने वाली 11 एवं 33 के.व्ही. की विद्युत तारों को इंसुलेट करने, कम ऊंचाई वाले तारों की मानक ऊंचाई संधारित करने हेतु विद्युत विभाग के साथ में संयुक्त बैठक कर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इसके संदर्भ में बहुत चिंता भी व्यक्त करते हैं और उनकी बातों को हम लोगों ने विशेष तौर पर ध्यान रखा है। वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, जन घायल, पशु हानि, संपत्ति हानि, फसल हानि, मकान हानि किए जाने पर आर्थिक सहायता हेतु इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में 27 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं, जिसके तहत हम तत्काल उनको लाभ प्रदान कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जैव विविधता की दृष्टिकोण से अत्यतं महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 20226-27 में जैव विविधता संरक्षण हेतु राशि रूपये 15 करोड़ एवं नैसर्गिक पर्यटन हेतु लगभग 9 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हाथी-मानव द्वंद को नियंत्रित करने की दृष्टि से हमारे बहुत सारे साथियों ने अपनी बातों को यहां पर रखा और हम उस दृष्टि से बहुत सारे नए नवाचार भी कर रहे हैं और विभाग इसमें लगातार सतत प्रयास कर रहा है। इसके तहत गज संकेत ऐप के माध्यम से एवं हाथी मित्र दल के द्वारा हाथियों से जनहानि एवं फसल रोकने की सुरक्षा में हमने सफलता हासिल की है। वन्यप्राणी बचाव एवं पुनर्वास कार्य हेतु वन्यप्राणी संरक्षण हेतु 18 करोड़ रुपये का वर्ष 2026-27 के इस बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, कैम्पा मद के बारे में भी बहुत सारे साथियों ने अपनी बातों को रखा और कैम्पा मद के माध्यम से योजनाबद्ध उपयोग, वनों के संवर्धन एवं सुरक्षा, वृक्षारोपण, वन्यप्राणियों के संरक्षण तथा विभागीय अधोसंरचना के विकास में किया जाकर वन क्षेत्रों एवं वनों के आस-पास के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। कैम्पा ए.पी.ओ. वर्ष 2026-27 में राशि रूपये 714 करोड़ तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। साथ ही इन कार्यों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वनों के समीप में जो कुएं खुले स्वरूप में रहते हैं, वहां वन्यप्राणियों के गिरने से अनेक घटनाएं घटित होती हैं। उनको रोकने और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इस वित्तीय वर्ष 2026-27 में वनों के आस-पास कुल लगभग 2,964 कुओं को चिन्हांकित किया गया है। खुले कुओं को ढंकने के लिए लगभग 13.51 करोड़ रुपये का प्रावधान कैम्पा ए.पी.ओ. के मद में किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में हमारे जो वन क्षेत्र हैं, क्योंकि हम वनों की भी देवता के रूप में पूजा करते हैं। वहां पर हमारी कई पूजा होती है। हमारे आदरणीय चैतराम अटामी जी इसके संदर्भ में बता रहे थे किस तरीके से पंडुम के माध्यम से हम अपने क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से अपने देवी-देवताओं से अनुमति लेकर उन फलों को चखते हैं और यह एक पूजा पद्धति होती है। पूजा पद्धति के माध्यम से हम हमारी पीढ़ियों तक इस बात का संदेश ले जाते हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। इस संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, वहां के देवी-देवताओं को संरक्षित करने के लिए, हमारी उन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैम्पा मद से विगत वर्षों में लगभग 34.45 करोड़ रूपये की लागत से लगभग 782 देवगुड़ियों का संवर्धन का कार्य किया है (मेजों की थपथपाहट) और इस वित्तीय वर्ष में भी हमारे लगभग 49 देवगुड़ियों के संरक्षण का काम किया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में 73 देवगुड़ियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इस बजट में लगभग 3.65 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में चल रहे भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए विगत वर्ष 2024-25 में ई-कुबेर के माध्यम से लगभग 4.5 लाख श्रमिकों के खाते में सीधे तत्काल भुगतान किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 204 करोड़ रूपये का भुगतान विगत वर्ष में किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 के अंतर्गत FDS 2.0 ई-कुबेर हेतु सम्मान प्राप्त हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, अग्नि दुर्घटना में त्वरित कार्रवाई हेतु विभाग ने एक स्वचालित अलर्ट प्रणाली विकसित की है जो कि FSI द्वारा एक समर्पित ई-मेल पते पर भेजे गए वन अग्नि घटना के निर्देशांकों (Coordinates) को स्वतः प्राप्त करती है। ई-मेल से जानकारी प्राप्त करने से लेकर संबंधित फील्ड स्टाफ को अलर्ट भेजने तक की पूरी प्रक्रिया में अब केवल 5 से 10 मिनट का समय लगता है (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, वन विभाग के अंतर्गत विगत दो वर्षों में तृतीय श्रेणी के 313 रिक्त शासकीय पदों, जिसमें भारी वाहन चालक के 75, हल्का वाहन चालक के 58, वन रक्षक के 180 पदों पर समयबद्ध एवं पारदर्शी रूप से भर्ती की कार्रवाई पूर्ण की है। दिवंगत शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्यों को तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के रूप में 150 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। वनरक्षक के लगभग 1484 पदों एवं सहायक ग्रेड-3 के 50 पदों के सीधी भर्ती हेतु व्यापम द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। माननीय सभापति महोदय, राज्य के जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों के प्रबंधन हेतु 10 वर्षीय जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्ययोजना SAPCC-2 का निर्माण वर्ष 2021-2030 हेतु किया गया है। उक्त कार्य योजना का अनुमोदन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फरवरी 2024 में किया जा

चुका है। उक्त कार्य योजना में शासकीय विभागों को सम्मिलित किया गया है। समस्त 12 विभागो में विभागीय जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय वनोत्तर क्षेत्र में हरियाली वृद्धि हेतु हमारी सरकार द्वारा किसान वृक्ष मित्र योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100 प्रतिशत तक तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किये जाने का प्रावधान है। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना के तहत 2024-25 में 23 हजार हितग्राहियों को लगभग 38 हजार एकड़ भूमि में 2.25 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किये गये हैं। वर्ष 2025-26 में 14 हजार हितग्राहियों के लगभग 24 हजार एकड़ भूमि में 1.42 करोड से अधिक पौधे रोपित किये गये हैं। किसान वृक्ष मित्र योजना के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.5 करोड़ नग वाणिज्यिक पौधा रोपण का लक्ष्य निर्धारित है। इस हेतु वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत 13 विकास कार्यों हेतु 1 हेक्टेयर से कम के वन भूमि को ग्राम पंचायत की अनुशंसा उपरांत व्यपवर्तित किये जाने का प्रावधान है। इसके तहत कुल 757 प्रकरणों में 400 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि व्यपवर्तित की गई है जिससे राज्य के आदिवासी बाहुल्य वन क्षेत्रो में विकास का कार्य शुरू हो पा रहा है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विशेष अत्यंत पिछड़ी जनजाति की बसाहटों को मुख्य मार्ग से पक्की सड़कों से जोड़ने हेतु पी.एम. जनमन योजना अंतर्गत विगत 02 वर्षों में 408 सड़कों की स्वीकृति प्राथमिकता से जारी की गई है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय मंत्री जी, भय गवा ना, अब जान डारेन हन। जल्दी करा, उती मुख्यमंत्री ला अघोरत हन, हमन कुछु दिही।

श्री केदार कश्यप :- आप तो अभी 4 घंटा सुनाये हो।

श्री रामकुमार यादव :- मुख्यमंत्री दिही, ओकरे हमन अघोरत हन, कुछु दिही करके।

श्री केदार कश्यप :- तैंहा बीच में खड़े नई हो ना।

श्री रामकुमार यादव :- आप ला कुछ देना है नई, खाली हाथी ऐसे किया, घोड़ा वैसे किया।

श्री केदार कश्यप :- आप बीच में खड़े मत हो, सब जल्दी हो जाही।

श्री रामकुमार यादव :- सिर्फ हाथी, घोड़ा पालकी, अतिकीच ही गोठ हय बस।

श्री केदार कश्यप :- घोड़ा ले ज्यादा तो तैंहा कूदथस।

श्री रामकुमार यादव :- मैं कौन हवं, मैं यादव यदुवंशी हवं।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार जी, रामविचार नेताम जी बताये न कि मरवाही के विधायक मरपच्ची जी से मिलो, वहां भालू बहुत होता है। वह ऐसी दवाई देंगे कि यहां आपको मांगने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय सभापति महोदय, रामकुमार को देखकर भालू मत भग जाये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये चरणपादुका वितरण योजना के तहत में विगत् वर्ष 2025-26 में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार 20 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 60 करोड़ रुपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। संग्रहण वर्ष 2025 में लगभग 12 लाख संग्राहक परिवारों द्वारा 13.57 लाख बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया गया है एवं राशि 746.55 करोड़ रुपये संग्रहण पारिश्रमिक रूप से वितरित की गई है। संग्रहण वर्ष 2025 में संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में किया गया है। त्वरित भुगतान होने के कारण से हमारे सभी संग्राहकों में एक सीधा-सीधा उनके खातो में गया है । कुल भण्डारित मात्रा 13.51 लाख मानक बोरों में से 12.30 लाख मानक बोरा का औसत रूपये 6329 प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय किया गया है जिससे लगभग 778 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। माननीय मंत्री जी जरा याद करिये, मुझे थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा है कि आपने उनको बोनस देने की भी बात कही उसके लिये 2 साल से तो कुछ नहीं दिख रहा है, आप याद कर लीजिये, मैं भी गलत हो सकता हूं ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, बोनस भी दिया जायेगा । आप निश्चिंत रहिये, अभी हमारे तेंदूपत्ता की जो खरीदी हो रही है उसके बाद उनका बोनस दिया जायेगा ।

श्री रामकुमार यादव :- 2047 तक ।

श्री केदार कश्यप :- नहीं, हम पहले देंगे । 2047 तक देंगे । हम 2047 तक देंगे, हमारी सरकार 2047 तक देगी । आप चिंता मत करिए । (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- 2 साल में जो देना है दे डरा, बाकी दे नइ सका ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 13.50 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा का संचालन किया जा रहा है । इस योजना के तहत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो की मृत्यु विकलांगता की स्थिति में, सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रूपये, दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 4 लाख रूपये, पूर्ण नि:शक्तता की स्थिति में राशि 2 लाख रूपये और आंशिक नि:शक्तता की स्थिति में 1 लाख रूपये की सहायता दी जाती है । राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत् में 75 प्रतिशत की राशि राज्य शासन द्वारा और 25

प्रतिशत की राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा वहन किया जाता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3600 दावा प्रकरणों की लगभग राशि 53 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-27 के बजट के इस योजना हेतु लगभग 50 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है । छत्तीगढ़ राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का मुख्य आधार बनाया गया है । प्रदेश में वन क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर लगभग 11,185 ग्राम स्थित हैं । उक्त ग्रामों में गठित 7887 वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वन के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जाता है । संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2026-27 के वित्तीय वर्ष के इस बजट में 10 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में जड़ी-बूटी आधारित स्थानीय चिकित्सा परम्पराओं को मजबूत करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परम्परा एवं औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की गयी है जो स्थानीय जड़ी-बूटी के जानकार वैद्यों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण होम और हर्बल गार्डन की स्थापना औषधि पौधों का नि:शुल्क वितरण एवं औषधीय पौधों की व्यावसायिक कृषिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 40 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा राज्य की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्य किये जा रहे हैं । बायोडायवर्सिटी बोर्ड द्वारा राज्य वेटलेण्ड अथॉरिटी के सचिवालय के रूप में भिन्न कार्य करता है । राज्य में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण एवं अन्य विविध कार्यों हेतु लगभग 13 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है । वैटलेण्ड के लिये लगभग 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है । कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को यानी कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को से विश्व विरासत स्थल World Heritage Site की अंतरिम सूची में टेंटेटिव लिस्ट में सम्मिलित किया गया है, यह अत्यंत हर्ष का विषय है । (मेजों की थपथपाहट) यह हमारे प्रदेश के लिये गौरव का विषय है, इस संबंध में भारतीय वन्य जीव संस्थान दैहरादून के साथ वांछित जानकारी तैयार करने हेतु एक एम.ओ.यू. भी किया जा चुका है । मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट में शामिल अतिमहत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित करने हेतु 10, 41 एवं 64 में प्रावधानित 3400 करोड़ रूपये का बजट में अनुमोदन का प्रस्ताव किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मेरे पास सहकारिता विभाग है। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने सहकारिता के संदर्भ में बहुत ही अच्छे सुझाव दिये और उन्होंने बहुत ही अच्छी बातों को रखा है। मैं उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग को लेकर लगातार समीक्षा की हैं। हमारे देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी लगातार इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने लगातार इसमें दो बैठकें आयोजित की हैं, जो हमारे प्रदेश में हुई है और उसके अलावा भी दिल्ली और गुजरात में इसकी बैठकें हुई हैं और उसके साथ-साथ उन

राज्यों में भी गये जहां पर सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, उनमें हम अपने राज्य के लिए क्या अनुकूलन कर सकते हैं, उन्होंने उसके लिए भी कहा है । आपने जो सुझाव दिया है, आपके कुछ प्रश्न भी थे मैंने उसके संदर्भ में भी आपको बताना चाहूंगा कि एक तो हमारे वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में लगभग 572 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत मांग संख्या 17 में 379.41 करोड़ रूपये, मांग संख्या 41 में 338.47 करोड़ रूपये और मांग संख्या 64 में 44.12 करोड़ रूपये, लगभग 572 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। सहकारिता विभाग क्योंकि हमारा जो विभाग है, वह मूल रूप से अभी विशेष तौर से धान की खरीदी को करता है और हमारे किसानों के हितों के लिए लगातार ऐसे कार्य जिसके माध्यम से हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और उनकी दृष्टि से लगातार हमारे जो पेक्स समितियां हैं, उसी दृष्टि से काम करती हैं। पेक्स समितियों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में, लाख उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में शून्य प्रतिशत ब्याज पर नीयत सीमा तक साथ ही गौ पालन हेतु अल्प ब्याज दर पर पात्रता अनुसार अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विभाग की इस योजना के फलस्वरूप आज किसानों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2025-2026 में 15 लाख 55 हजार, 836 किसानों को अब तक 7 हजार 822 करोड़ का अल्पकालीन ऋण पेक्स समितियों के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2026-2027 में कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण करने हेतु लगभग 300 करोड़ रूपये का इस वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधान किया गया है। सहकारी संस्थाओं को अनुदान देने का प्रावधान, जिसके तहत में हमारी सरकार के द्वारा सरकार से समृद्धि की संकल्पना के अंतर्गत वर्ष 2025-2026 में नवगठित 515 पैक्स के संचालन तथा कर्मचारियों पर होने वाले व्यय संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रति पैक्स रूपये 1 लाख 50 हजार रूपये के मान से समस्त 515 पेक्स के लिए लगभग 7 करोड़ 72 लाख, 50 हजार रूपये का प्रबंधकीय अनुदान भी दिया जाना, इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय अजय चन्द्राकर जी ने इसके संदर्भ में कहा था कि हमारे जो 515 पेक्स हैं, उन्होंने क्या अपेक्स की सदस्या ली है या नहीं ली है। यह हमारा वर्ष 2026-2027 का है। यह वर्ष 2026-2027 के बाद ही अस्तित्व में आएंगे। तो उसके बाद उससे संबंधित जो कार्यवाही है, वह हम करेंगे। हमारी सरकार ने सहकारी संस्थाओं के लिए जो सहकारी बैंक एवं समितियों के उधार ग्रहण की क्षमता में वृद्धि एवं व्यवसाय हेतु पूंजी उपलब्ध कराने के लिए उनकी अंशपूंजी में शासकीय धन का निवेश कर रही है। ताकि यह समितियां कृषकों को अधिक ऋण वितरण करते हुए, अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकें। वित्तीय वर्ष 2026 के बजट में सहकारी बैंकों एवं अन्य सहकारी समितियों के साथ वृद्धि तथा व्यवसाय हेतु पूंजी उपलब्ध कराने हेतु अंश पूंजी निवेश के लिए लगभग 10 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है। हमारे अनेक सदस्यों ने यहां पर बहुत सारे विषय रखें

और जो हमारे नये पेक्स हैं उनके गठन, पुनर्गठन और सरकार की समृद्धि को लेकर जो गोदाम की क्षमता वृद्धि के विषय को लेकर अपनी बातों को रखा। 515 पेक्स समितियों को कार्य करने के लिए, सक्षम बनाने की दृष्टि से आधारभूत संरचना निर्माण करने के लिए 200 मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण के लिए लगभग 131.63 करोड़ तथा भारत सरकार के सहकारी क्षेत्र के विश्व के सबसे बड़े अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत 50 पैक्स में ढाई हजार मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए पैक्स को सहायता राशि हेतु 18.37 करोड़ रूपए । इस प्रकार लगभग 150 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान 2026-27 के बजट में किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित परियोजना डिजीटाईजेशन आफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को-आपरेटिव्ह सोसायटी अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के पंजीकृत 2028 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का कम्प्यूटरीकरण किया गया है । इस योजना की कुल लागत 62 करोड़, 68 लाख है। इसमें भारत सरकार के मध्य और राज्य सरकार के मध्य 60/40 की हिस्सेदारी है । राज्य के प्रथम चरण में चयनित सभी 2028 पैक्स गो-लाईट तथा 2836 पैक्स ई पैक्स हो चुके हैं । वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में पैक्स कम्प्यूटरीकरण हेतु 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है । सहकारी समितियों के पंजीयन उप विधि में संशोधन, विवाद समाधान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी, दक्ष एवं पेपर लेश बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के पंजीयक कार्यालयों को कम्प्यूटरीकरण की केन्द्र प्रवर्तित योजना लाई गई है । परियोजना की कुल लागत 2 करोड़, 72 लाख, 38 हजार रूपए है, जिसमें से हार्डवेयर कम्पोनेंट की लागत भारत सरकार एवं राज्यसरकार के मध्य 60/40 के अनुपात में वहन किया जाना है और इसके राज्य सरकार के द्वारा उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 48 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है ।

सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ को अनुदान की दृष्टि से राज्य के सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सहकारिता के प्रचार-प्रसार हेतु सहकारिता अधिनियम अंतर्गत राज्य सहकारी संघ स्थापित है । राज्य सहकारी संघ द्वारा एक प्रशिक्षण संस्थान् तथा बस्तर संभाग के एक संभागीय कार्यालय का संचालन किया जा रहा है और राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी शिक्षा सत्र के अंतर्गत डिप्लोमा इन को-आपरेटिव्ह मैनेजमेंट का कोर्स चलाया जा रहा है तथा विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं । इसलिए राज्य शासन द्वारा राज्य सहकारी संघ को स्थापना तथा अनुदान दिया जाता है । इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 1 करोड़, 10 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के सदस्य बनाने के लिए अंशक्रय का अनुदान किया जाता है । हमारे कई सहकारी समितियों में आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा अंश क्रय का

अनुदान दिया जाता है । इसके लिए भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है । जनजातिय सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकीय अनुदान के लिए भी प्रावधान है । प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 667 लैम्प्स संचालित है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से प्रबंधकीय व्यय की पूर्ति नहीं कर पाते । इन समितियों के प्रबंधकीय अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसके तहत में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है ।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मेरे पास में परिवहन विभाग है और परिवहन विभाग के बारे बहुत सारे सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं । जैसा कि हमारी मंशा है कि प्रदेश के जो परिवहन व्यवस्था बेहतर हो और सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था सुगम, सुरक्षित, पारदर्शी तकनीकी आधारित और जनहितकारी बनाया जाये । मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उन क्षेत्रों को, जो पहली बार नैक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण उन क्षेत्रों में जहां पर सड़कों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जहां पर हमारे यात्री बसों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी । उन क्षेत्रों में पहली बार मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना प्रारंभ की गई थी। जिसके तहत वहां के लोगों को यात्री बस की सुविधा का लाभ मिल रहा है। यह योजना पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, 2024-25 से प्रारंभ की गई थी। इसके प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभागों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें वित्तीय सहायता के रूप में बस संचालकों को 3 वर्ष तक मासिक करों में पूर्णत: छूट देते हुए अधिकतम 26 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 80 चयनित मार्गों में 81 बसों का संचालन किया जा रहा है। 6 नवीन मार्गों हेतु परमिट सुनवाई किया जा चुका है ताकि 21 नवीन मार्गों पर बस संचालन हेतु निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। उक्त बसों के संचालन में 560 गांवों तक पहली बार बस की सुविधा पहुंच पाई है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारी सरकार इलेक्ट्रानिक मानीटरिंग के तहत इलेक्ट्रानिक मानीटरिंग को बढ़ावा दे रही है। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर, चिन्हित स्थानों पर ए.एन.पी. कैमरा, लेडार कैमरा की स्थापना की जा रही है। राज्यों में प्राप्त होने वाले विशेष पूंजीगत सहायता के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक इनफारमेशन को सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु एवं आधुनिकता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2026-27 में लगभग 50 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। ई-ट्रेक, जिसमें हमारी सरकार ड्रायविंग लायसेंस प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के प्रति गंभीर है। 8 जिलों क्रमश: अम्बिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, जशपुर, रायगढ़ एवं महासमुन्द में ई-ट्रेक की स्थापना हेतु स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ हो चुका है। वर्ष 2026-27 में 8 जिलों बलौदाबाजार, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, कवर्धा, बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर और कोण्डागांव में ई-ट्रेक की स्थापना हेतु 15 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार सड़क दुर्घटनाओं पर कार्य करने हेतु बहुत गंभीर है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से, उसमें कमी लाने की दृष्टि से तथा मृत्यु का दर कम हो, इस दृष्टि से बहुआयामी रणनीति के तहत काम कर रही है। अन्तर्विभागीय समन्वय से जन जागरूकता और अभियांत्रिकी सुधार एवं प्रवर्तन, आकस्मिक उपचार के प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना रोकने के अनुक्रम में ब्लेक स्पाट का चिन्हांकन एवं सुधारात्मक कार्य ई-चालान एवं आई.टी. आधारित प्रवर्तन प्रणाली के माध्यम से नियम उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। जिसके सन्दर्भ में आप कह रहे थे। आपने कहा कि वहां पर गाड़ियों को रोककर उनके साथ कार्रवाई कर रहे हैं। यदि हम सब इन बातों को नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि उससे दुर्घटना बढ़ेगी। यदि हम किसी को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करेंगे तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सब चीजों के लिए उनको प्रेरित करें, ताकि हमारे यहां दुर्घटनाएं कम हों।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं हेलमेट के लिए नहीं बोली हूं। आर.टी.ओ. वाले अवैध वसूली कर रहे हैं, मैंने उसके लिए बात की है।

श्री केदार कश्यप :- अवैध वसूली नहीं कर रहे हैं। मेरे पास जानकारी है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अवैध वसूली कर रहे हैं। लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

श्री केदार कश्यप :- यदि कोई अपनी गाड़ी का फिटनेस नहीं करा रहा है, कोई प्रदूषण फैला रहा है, कोई बिना लायसेंस के वाहन चला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर किनके ऊपर कार्रवाई करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मेरा कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री केदार कश्यप :- सभापति महोदय, यह नियमित प्रक्रिया है। यदि उनके ऊपर चालान करने का प्रावधान है तो उसमें चालान तो करना ही होगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, आप उसमें कार्रवाई करें। हम कार्रवाई करने से मना नहीं कर रहे हैं। आप उसको पैसा लेकर क्यों छोड़ रहे हो।

श्री केदार कश्यप :- पैसा लेकर नहीं छोड़ा जा रहा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, छोड़ते हैं। मेरे पास रिकार्ड में है।

श्री केदार कश्यप :- आप गलत कह रही हैं। उसमें चालान किया जाता है। चालान का पेमेन्ट कैश के रूप में जमा करा सकता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन कर सकती हूं। क्योंकि ऐसा हो रहा है।

श्री केदार कश्यप :- यदि कहीं पर ऐसा है तो आप दीजिये, आप उसको प्रमाण के साथ प्रस्तुत करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मैं आपको दे दूंगी और यह हुआ है। उसके रोक के लिए कुछ तो उपाय होना चाहिए।

श्री केदार कश्यप :- ठीक है। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पिछले दिनों हमारे देश के आदरणीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी जी ने बैठक आनलाईन करके हमारे चिकित्सा मंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ में ऑनलाइन बैठक हुई थी और उन्होंने पूरे देश के लिए पी.एम. राहत योजना के तहत लांच किया था, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के गोल्डन hour के समय में उपचार के लिए निकटतम जो ट्रॉमा सेंटर है या अस्पताल हैं, वहां सात दिनों के लिए लगभग 1.5 लाख रूपये तक का कैशलेस उपचार की योजना छत्तीसगढ़ में लागू किया है और पूरे देश में लागू किया है। सभापति महोदय, इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलेगा। इसमें अब उनको सीधा-सीधा लाभ होगा, नहीं तो अधिकतर दुर्घटना में घटित होने के बाद हमारे यहां पर पैसे नहीं होने के कारण से उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन अब ये सात दिनों तक में उसको 1.5 लाख रूपये तक का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, इसके लिए हम अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का हम विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी योजना आज पूरे देश को समर्पित की है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, सड़क दुर्घटनाओं के कारणों में एक कारण सड़क में अनफिट वाहनों का परिचालन होता है, जिसके तहत में अनफिट वाहनों के परिचालन के विरुद्ध में हमारे परिवहन विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। मैंने आपको इसके संदर्भ में बताया भी है । वाहनों के फिटनेस, सुरक्षा मानकों और तकनीकी परीक्षण में अधिक पारदर्शी और वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (A.T.S.) प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में लगभग आठ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का संचालन किया जा रहा है। वहीं जिला जांजगीर-चांपा, बलौदाबाज़ार, सूरजपुर, धमतरी, कांकेर एवं बालोद में A.T.S. की स्थापना हेतु अनुमति दी गई है, जिसके कार्य प्रगति पर है। सभापति महोदय, भारत सरकार द्वारा कंडम वाहनों के निराकरण हेतु प्रारंभ की गई वाहन स्क्रैपिंग सुविधा रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी योजना हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है। वर्तमान में रायपुर जिले में दो आर.वी.एस.एफ. प्रारंभ हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त रायपुर में एक, दुर्ग में दो, जगदलपुर में एक आर.वी.एस.एफ. निर्माणाधीन है। आर.वी.एस.एफ. के माध्यम से अभी तक 2,569 शासकीय वाहनों का तथा 2,351 निजी वाहनों का स्क्रैप किया गया है। माननीय सभापति महोदय, इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी को लेकर हमारी सरकार ने जो गंभीरता दिखाई है– वर्ष 2022-23 और 23-24 की यदि हम बात करें, तो वर्ष 2022-23 में 5 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान था और वर्ष 2023-24 में मात्र 10 करोड़ रूपये का

प्रावधान था। लेकिन हमारी सरकार आने के पश्चात इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी हेतु बजटीय प्रावधान वर्ष 2024-25 में 80 करोड़ रूपये, वर्ष 2025-26 में 65 करोड़ रूपये और वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रूपये का इसमें प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) सभापति महोदय, तेल कंपनियों के माध्यम से पेट्रोल आउटलेट्स पर तथा सार्वजनिक स्थानों में निजी क्षेत्रों की भागीदारी से इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में 347 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन क्रियाशील हैं।

सभापति महोदय, लोक सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार गंभीर है। इस अनुक्रम में राज्य में स्थापित पांच नवीन जिलों क्रमश: सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में परिवहन कार्यालय स्थापना हेतु 3 करोड़ रूपये का इस बजट में प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, आम नागरिक हेतु ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य परिवहन संबंधी कार्यों के लिए परिवहन विभाग द्वारा परिवहन सुविधा केंद्र खोले गए हैं। राज्य में 324 परिवहन केंद्र संचालित हैं। छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण केंद्र योजना के तहत वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु शासन द्वारा प्रदूषण जांच केंद्रों को अधिकृत किया गया है, जिनके द्वारा वाहनों की प्रदूषण जांच की प्रक्रिया ऑनलाइन करते हुए प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। वर्तमान में 264 प्रदूषण जांच केंद्र संचालित हैं। माननीय सभापति महोदय, जन सुविधा के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष भी ऑटो एक्सपो आयोजन किया गया था, जिसमें जीवनकाल (लाइफटाइम) जो सभी वाहनों पर 50% मोटरयान कर में छूट प्रदान की गई थी। ऑटो एक्सपो 2025 में जहां 24,910 वाहन विक्रय हुए, वहीं 2026 में ऑटो एक्सपो में 44,792 वाहन विक्रय हुए। माननीय सभापति महोदय, यह उल्लेखनीय है कि इस वर्ष ऑटो एक्सपो में वाहन स्वामी को अपने जिले में पंजीयन की सुविधा दी गई थी । छत्तीससगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों की हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (H.S.R.P.) लगाया जाना अनिवार्य किया किया गया है। वर्तमान में H.S.R.P. अभियान के तहत 10 लाख वाहनों पर H.S.R.P. लगाये जा चुके हैं और शेष वाहनों पर H.S.R.P. लगाया जाना प्रचलन में है। माननीय सभापति महोदय, परिवहन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1761 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2059 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2333 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया गया है। इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। माननीय सभापति महोदय, परिवहन विभाग का उद्देश्य केवल परिवहन सेवाएँ प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सुरक्षित यात्रा संस्कृति का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में सड़क सुरक्षा को हम मजबूत कर रहे हैं और दुर्घटनाओं में कमी लाने के दृष्टि से हम लगातार काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं

संसदीय कार्य विभाग के संदर्भ में जानकारी लाना चाहता हूँ। संसदीय कार्य विभाग विधान सभा सचिवालय तथा राज्य शासन के सभी विभागों के मध्य समन्वय आदि का कार्य करता है। माननीय अजय चंद्राकर जी ने जिन बातों को रखा है, उन्होंने बहुत अच्छी बातों को रखा है। चन्द्राकर जी, आपने विधान सभा पर लगातार बैठकों की व्यवस्था और उनके संदर्भ में चिंता व्यक्त की है, तो उसके संदर्भ में भी...।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको एक बात और कह देता हूँ कि मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी की प्रशंसा करने के लिए भूल गया था।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- नहीं-नहीं, आपने एक बार प्रशंसा की है, मैंने सुन रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- पक्ष-विपक्ष इतनी देर तक स्थापना से रजत जयंती वर्ष तक परस्पर सहयोग से पूरी कार्यवाही संपादित करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी विधान सभा एकमात्र छत्तीसगढ़ की विधान सभा है, उसके लिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का अभिनंदन करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट) जो भी उस कुर्सी में बैठते हैं, उसका अभिनंदन करता हूँ और आप स्थायी रूप से बैठे हैं, इसके लिए मैं आपको सद्भावना देता हूँ। (हंसी) (मेजों की थपथपाहट)

श्री केदार कश्यप :- आपने बहुत बड़ी बात कही है। लगातार 2047 तक या और आगे तक? (हंसी) माननीय सभापति महोदय, विभाग द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों एवं माननीय पूर्व सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ तथा माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ते आदि से संबंधित कार्य संपन्न कराए जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, माँग संख्या 28, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल राशि 124 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजनावार प्रावधान के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा - 1. योजना क्रमांक 125 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भत्ता भारित के अंतर्गत 1 करोड़ 35 लाख रुपये, 2. योजना क्रमांक 4007 में विधानसभा के अंतर्गत 75 करोड़ रुपये, 3. योजना क्रमांक 4009 में विधान सभा सचिवालय के अंतर्गत 29 करोड़ रुपये, 4. योजना क्रमांक 4312 में संसदीय कार्य विभाग के लिए के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये, 5. योजना क्रमांक 6493 में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NEVA) के अंतर्गत 15 करोड़ रुपये, 6. योजना क्रमांक 6582 में भारतीय संसदीय संघ को अंशदान के अंतर्गत 1 करोड़ 65 लाख रुपये, इस प्रकार माँग संख्या 28 के अंतर्गत कुल 124 करोड़ रूपये की अनुदान माँग की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैंने यहाँ पर अपने समस्त विभागों के संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं। माननीय सदस्य श्री धर्मजीत जी ने और श्री अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। हमारे माननीय धर्मजीत जी ने और हमारे अजय चन्द्राकर जी ने बहुत सारी बातें रखी है, संगीता जी ने और आदरणीय सावित्री मनोज मंडावी जी ने अपनी बातें रखी है तथा पंडरिया और भदौरा के बारे में भी बातें आई है । माननीय सभापति महोदय, आपने भी हमारे बैंक के ब्रान्च के संदर्भ में कहा है और हम प्राथमिकता के साथ में इन सब बातों को

करायेंगे । माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर दूँगा तो बहुत लम्बा हो जायेगा और समय भी बहुत हो चुका है । मैं चाहूँगा कि मेरे इन सभी विभागों के अनुदान मांगों पर सर्वसम्मति से पास करायें । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूँगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10, 17 एवं 38 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुये ।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूँगा ।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य के संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को-

मांग संख्या	-	10	वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिये- दो हजार आठ सौ सड़सठ करोड़, तीस लाख रूपये,
मांग संख्या	-	17	सहकारिता के लिये- तीन सौ नवासी करोड़, चालीस लाख, पचासी हजार रूपये
मांग संख्या	-	28	राज्य विधान मण्डल के लिये- एक सौ बाईस करोड़, पैंसठ लाख रूपये तथा
मांग संख्या	-	36	परिवहन के लिये-दो सौ तिरालीस करोड़, पचास लाख, पचास हजार रूपये तक की राशि दी जाये

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) :- सभापति महोदय, मैं जानना भी चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ । अभी हम लोग 4 घण्टे और बैठने के लिये तैयार हैं । यदि माननीय मुख्यमंत्री जी की मांगों पर चर्चा करानी हो तो करा लीजिए। हमारे सभी साथी यहां पर बैठने के लिये तैयार हैं । चूँकि कल हमारा धरना है, शायद आ नहीं पायेंगे । हमारी अनुपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी की मांगों पर चर्चा हो जायेगी तो वह उचित नहीं लगेगा । या तो उनकी चर्चा को कल के बजाय परसों करा लें या अभी करा लें । हम लोग 4 घण्टे बैठने के लिये तैयार हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- कल तो आप लोग एक घण्टे के लिये ही जाने वाले हैं ।

डॉ.चरणदास महंत :- घण्टों लग सकते हैं । अब देखते हैं कि कैसे घेराव करना है । हम लोग यहां नहीं आयेंगे तो अच्छा नही लगेगा ना ।

श्री केदार कश्यप :- आप लोग बुलाये हैं कि आप ही लोग घेराव करेंगे ।

डॉ.चरणदास महंत :- घेराव तो हम यहां करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपकी सदाशयता का तो स्वागत है कि आप बैठने के लिये तैयार हैं और यह बात भी आपने बहुत अच्छी कही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुदान मांग आपकी अनुपस्थिति में अच्छा नहीं लगेगा । लेकिन जैसा टाईम शेड्यूल है, मैं सोचता हूँ कि कल जो बोलने वाले हैं, वह सब को बोलवा लें और आप जो है परसों बोल लें, ऐसा कर सकते हैं । परसों मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष का भाषण हो जाये । कल बोलने वालों को खत्म कर देते हैं, सरकारी बिजनेस कर लेते हैं । आप उसमें देख लो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- रामकुमार को बोलवा लें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चलिये अब समापत कीजिए ।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, हमने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप जैसा उचित समझें आदेश दें, उसका पालन करेंगे।

श्री रामकुमार यादव :- ईहू ला दिल्ली ले पूछबो झन कईहा ताहन।

श्री अजय चंद्राकर :- हमने उनकी प्रशंसा की, आपको तो समझ में नहीं आएगा।

सभापति महोदय :- कल कितने बजे तक वापस आ जाएंगे ?

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, हम लोग कल बहिष्कार करके निकलेंगे।

श्री केदार कश्यप :- माननीय नेता जी, कल यदि आप उसके बाद आएं तो उसके बाद...।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं हम लोग कल नहीं आ पाएंगे।

सभापति महोदय :- नहीं बाकी सदस्य...।

डॉ. चरणदास महंत :- नहीं, वह भी नहीं आ पाएंगे।

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी बोलिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, आज की कार्यवाही तो समाप्त करें फिर चर्चा करेंगे, सदन में बैठकर ऐसे इस तरह की चर्चा नहीं हो सकती। आप आज की कार्यवाही संपादित कर लें फिर संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता जी से चर्चा कर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह कर लेंगे। इस तरह की चीजों का हाउस में निर्णय नहीं हो सकता।

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 5(3) का कार्य कल लिया जाएगा, मैं समझता हूं, सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 17 मार्च, 2026 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 9 बजकर 07 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2026 (फाल्गुन 26, शक सम्वत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 16 मार्च, 2026

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं